रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272219
CG-DL-E-05052026-272219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 8, 1948
No. 118] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2026/VAISAKHA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

मामला सं. एडी(ओआई)-03/2025

विषय: ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से आयातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम,1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि, इंडियन मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ('आईएमसीओएम') (जिसे आगे "आवेदक" या "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) ने ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए समय समय पर यथा-सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/03/2025-डीजीटीआर, दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरु करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रकिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) और डब्ल्यूटीओ के विभिन्न सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार करार के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने 29 मार्च 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पते के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को प्रश्नावली के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार प्रस्तुत करें।

3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

3.3 उत्पादक/निर्यातक की प्रतिभागिता

i. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी:

1. ए टी ग्लोबल रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड
2. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड
3. बल्क ट्रेडिंग एसए
4. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड
5. ग्लोबल रिसोर्स ग्रुप (जीआरजी) लिमिटेड
6. हरग्रीव्स रॉ मटेरियल सर्विसेज जीएमबीएच
7. हांगकांग ग्लोबल फेयर ट्रेड कंपनी लिमिटेड
8. हांगकांग पु तियान इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
9. आईएमआर मेटालर्जिकल रिसोर्सेज एजी
10. इंडो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडसी
11. इनोवेशन वर्ल्डवाइड डीएमसीसी
12. जैकोबी कार्बन्स एजी
13. जिनान कोसेव न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
14. लिनयी ट्रेड सिटी यिकैटोंग सप्लाई चेन कंपनी लिमिटेड
15. मेरिडियन ग्लोबल रिसोर्सेज (एचके) लिमिटेड
16. मेटल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
17. मित्सुबिशी कारपोरेशन
18. मित्सुबिशी कारपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
19. निंग्ज़िया एक्टेक इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन
20. निंग्ज़िया हुआहुई एक्टिवेटेड कार्बन कंपनी लिमिटेड
21. निंग्ज़िया हुआहुई एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
22. निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन
23. नोबेल रिसोर्सेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
24. नोरेकॉम डीएमसीसी
25. न्यूमेन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

26. न्यूमरको लिमिटेड
27. प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट एंटरप्राइज
28. शानक्सी ज़ेनित आईई कंपनी लिमिटेड
29. शाहे जी जिन पेट्रोलियम कोक ट्रेड कंपनी लिमिटेड
30. शैंडोंग गांगडा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
31. सिएरा ब्लैंका ग्रुप एसएएस
32. सिनोमेट इंटरनेशनल कारपोरेशन
33. थाइसेनक्रुप मटेरियल्स ट्रेडिंग एशिया पीटीई लिमिटेड
34. ट्राफिगुरा पीटीई लिमिटेड
35. ट्राफुगुरा पीटीई लिमिटेड
36. यूजीएम ग्रुप लिमिटेड
37. विसा कमोडिटीज़ एजी
38. वाइटेलिया ट्रेड लिमिटेड
39. वर्ल्ड मेटल्स एंड एलायस (एफजेडसी)
40. युंग ताई एनवायरनमेंटल इंडस्ट्रियल (एचके)कंपनी लिमिटेड
41. जोउपिंग जिंगगुआंग कोक ट्रेडिंग कंपनी

iii. संबंधित देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है/प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं।

1. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड
2. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग
3. हांगकांग जिंटेंग डेवलपमेंट लिमिटेड
4. मित्सुबिशी केमिकल कारपोरेशन, जापान
5. मित्सुबिशी कारपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
6. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया
7. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ इंडोनेशिया
8. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया
9. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड
10. रिसुन मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड (जापान)
11. रिसुन वेईशान इंजीनियरिंग (हैनान) लिमिटेड, चीन
12. निप्पॉन कोक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
13. निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

3.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातकों और प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली भेजी। ऐसे आयातकों और प्रयोक्ताओं की एक सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

ii. निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने प्राधिकरण द्वारा जारी आयातकों/उपयोगकर्ताओं की प्रश्नावली का उत्तर देकर या अपनी राय प्रस्तुत करके वर्तमान जांच में भाग लिया है।

1. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. मुकुंद लिमिटेड
3. नियो मेटालिक्स लिमिटेड
4. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
5. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
6. रश्मी मेटालिक्स लिमिटेड
7. ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड

3.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

i. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 (12 माह) है। क्षति की जांच अवधि 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि मानी गई है।

3.6 आगे की प्रक्रिया

i. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

1. घरेलू उद्योग
2. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ("एएसपीए")
3. ओडिश मेटॉलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड
5. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
7. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
8. मुकुंद लिमिटेड
9. मित्सुबिशी केमिकल कारपोरेशन
10. मित्सुबिशी कारपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड

ii. इसके अलावा, निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा जांच प्रक्रिया के दौरान अनुरोध भी उत्तर दायर किए गए थे।

1. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
2. बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड
3. पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4. मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड

iii. नरसिंह इस्पात लिमिटेड और बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड ने भी प्रयोक्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

iv. गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

v. प्राधिकारी ने 22 मई 2025 को एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र के संबंध में चर्चा करने और अपनी टिप्पणियां स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को दिनांक 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से अंतिम रूप दिया था।

vi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

vii. डीजी सिस्टम्स से पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण और जांच की अवधि प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और लेनदेन की उचित जांच के बाद इसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।

viii. जांच की शुरुआत के अनुसरण में, और सभी संबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान करने और अपने हितों का बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, और रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने 14 नवंबर 2025 को एक प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया, जिसमें अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन उत्पाद को संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत

पर संबद्ध देशों से निर्यात किया गया है, इस प्रकार, संबद्ध सामानों का पाटन हुआ है, इस तरह के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को इस तरह के पाटन के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की।

ix. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया।

क. इस तरह के जांच परिणाम जारी होने के 30 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

ख. यह अधिसूचित किया गया कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।

ग. आवश्यक माना गया आगे सत्यापन किया जाएगा।

घ. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

x. प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए वित्त मंत्रालय को उनके विचार के लिए भेजी गई थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 41/2025 दिनांक 31 दिसंबर 2025 द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रारंभिक शुल्क लगाया है।

xi. कई हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर प्रतिक्रिया/टिप्पणियां दायर की हैं, जिन पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।

xii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 13 जनवरी 2026 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

xiii. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकर सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार बनाए रखे गए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वर्तमान अंतरिम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xiv. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, साक्ष्यों के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है।

xv. प्राधिकारी द्वारा एक प्रकटन विवरण दिनांक 20 अप्रैल 2026 वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हुए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार जारी किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण की टिप्पणियों पर, संगत और गैर-पुनरावृत्ति पाए जाने की सीमा तक, इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।

xvi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

xvii. प्राधिकारी ने जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 मार्च 2026 के माध्यम से जांच पूरी करने और अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित करने के लिए समय अवधि को एक महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

xviii. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xix. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉ.= 84.27 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, *यानी* मेटालर्जिकल कोक *जिसमें 18% से कम राख की मात्रा होती है, जिसमें 0.030% तक फास्फोरस की मात्रा वाली अल्ट्रा-लो फास्फोरस* मेटालर्जिकल कोक *शामिल नहीं है, जिसमें 30 एमएम तक का आकार होता है, जिसमें फेरोअलॉय निर्माण में प्रयोग के लिए 5% आकार की सहनशीलता होती है।* मेटालर्जिकल कोक *का प्रयोग उन उद्योगों में प्रारंभिक ईंधन के रूप में किया जाता है जहां भट्टियों या भट्ठियों में एक समान और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे कि पिग आयरन, फाउंड्री, फेरो अलॉय, रासायनिक संयंत्र और इस्पात संयंत्र के उत्पादन में होता है।*

ग.1 <u>हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें 18% से कम राख सामग्री और 30 एमएम तक के कण आकार (5% सहिष्णुता के साथ) वाला एलएएम कोक शामिल है। विचाराधीन उत्पाद में अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक (≤0.030% पी) शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद केवल फेरो-एलॉय धातु निर्माण के लिए लक्षित एलएएम कोक तक ही सीमित है।

ii. घरेलू उद्योग पर्याप्त वाणिज्यिक मात्रा में यूएलपी कोक का उत्पादन नहीं करता है, जबकि इसे महत्वपूर्ण मात्रा में आयात किया जाता है।

iii. चूंकि घरेलू उद्योग 0.030% तक फास्फोरस सामग्री वाले अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक का निर्माण नहीं करता है, इसलिए आकार या उद्योग की परवाह किए बिना इसे बाहर रखा जाना चाहिए।

iv. आवेदन में फेरोएलोय उद्योग के लिए यूएलपी कोक को बाहर रखना आवेदकों द्वारा एक मौन स्वीकृति है कि वे इसका उत्पादन नहीं करते हैं।

v. चूँकि घरेलू उद्योग का मानना है कि आकार केवल स्क्रीनिंग पर निर्भर करता है; 0.03% के फास्फोरस सामग्री के साथ कण आकार, सहिष्णुता और प्रयोग की परवाह किए बिना यूएलपी कोक को बाहर रखा जाना चाहिए।

vi. जबकि घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि इस्पात उद्योग द्वारा यूएलपी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह गलत है क्योंकि फास्फोरस मुख्य रूप से एक अशुद्धता के रूप में कार्य करता है और इस्पात सूक्ष्म संरचना को प्रभावित करता है। एएमएनएस ने 0.025% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले यूएलपी के बारे में घरेलू उत्पादकों से पूछताछ की है, हालांकि, किसी भी घरेलू उत्पादक ने उत्पाद की पेशकश नहीं की है। घरेलू उद्योग ने 0.045% से कम फास्फोरस सामग्री के साथ उत्पाद की पेशकश की है और 0.025% नहीं। जबकि नीलाचल में उक्त उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है, ऐसी क्षमता बहुत कम है।

vii. पीसीएन पद्धति में, प्राधिकारी ने 13% से अधिक राख सामग्री वाले मेट कोक को "मध्यम राख" के रूप में वर्गीकृत किया। चूँकि इस तरह का कोक कम राख वाला नहीं है, इसलिए इसे उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

viii. घरेलू उद्योग 12% तक राख की मात्रा वाले मेट कोक का निर्माण नहीं करता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

ix. आवेदकों की वेबसाइटों से पता चलता है कि वे 12.5% से अधिक राख सामग्री के साथ मेट कोक का उत्पादन करते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस के निष्पादन को प्रभावित करता है।

x. यह जांच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग ने पर्याप्त मात्रा में 13% से कम राख सामग्री वाला मेट कोक बेचा है। जैसा कि एसीपी मैन्यूफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में न्यायाधिकरण द्वारा माना गया है, वाणिज्यिक मात्रा में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए गए उत्पाद को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा गया है। चूंकि इस तरह के आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किए गए है, अत: वे इसका सत्यापन करने में असमर्थ हैं।

xi. माइक्रो ब्लास्ट भट्टी अनुप्रयोग के लिए आवश्यक उत्पाद वह है जिसमें राख की मात्रा 13% तक है। घरेलू उत्पादक आमतौर पर उच्च राख सामग्री के साथ कोक का उत्पादन करते हैं जो माइक्रो ब्लास्ट भट्ठी के लिए अनुपयुक्त है।

xii. कोक फाइन्स और ब्रीज को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन अलग से नहीं किया जाता है और यह एक उप-उत्पाद है। ऐसे उत्पाद को उत्पाद क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में योगदान नहीं देता है, या इसके संचालन को प्रभावित नहीं करता है। प्राधिकारी ने सुरक्षा (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच में कोक फाइन्स और कोक ब्रीज को बाहर रखा है।

xiii. प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि क्या आवेदकों ने वाणिज्यिक मात्रा में कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन और बिक्री की है। टेक्नोवा में सेस्टैट द्वारा माने गए अनुसार, उत्पाद क्षेत्र में शामिल होने के लिए वाणिज्यिक मात्रा में विशिष्ट ग्रेड/प्रकार बेचे जाने चाहिए।

xiv. कोक ब्रीज, 4,62,759 एमटी के साथ मेट कोक की मांग का 7% है। हालांकि, घरेलू उद्योग की बिक्री केवल 84,495.81 एमटी है।

xv. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के बिक्री रजिस्टर का सत्यापन कर सकते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि जिन ग्रेडों के लिए बाहर करने का अनुरोध किया गया है, उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में बेचा गया है या नहीं।

xvi. जबकि निर्यातक ने विशेष रूप से कोरैक्स अनुप्रयोग के लिए 10 -50 एमएम आकार वितरण के साथ मेट कोक का निर्यात किया है, घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता है। तदनुसार, कोरैक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को बाहर रखा जाना चाहिए।

xvii. नट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह ब्लास्ट फर्नेस में प्रयोग किए जाने वाले लम्प कोक से अलग है। भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के साथ नट कोक प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।

xviii. 30 -50 मि.मी आकार वाले मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

xix. स्माल लंप कोक को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह कमी ("सीएसआर") के बाद उच्च कोक शक्ति और कम कोक प्रतिक्रियाशीलता सूचकांक ("सीआरआई") के साथ एक उप-उत्पाद है। ये मापदंड ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हैं।

xx. चूंकि प्रारंभिक जांच परिणामों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में सीएसआर > 62% के साथ उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है, ऐसे उत्पाद को मैनुअल ऑफ

ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज के अनुसार बाहर रखा जाना चाहिए। केवल उत्पादन करने के लिए संगत नहीं है।

xxi. घरेलू उद्योग ने खुद यह माना है कि उसे उच्च सीएसआर वाले उत्पाद के लिए कोई पूछताछ नहीं मिलती है और सीएसआर > 70% तथा सीआरआई < 20% वाले उत्पाद की कोई मांग नहीं है। यह तथ्य कि केवल एक घरेलू उत्पादक ही एक अकेली टेस्ट रिपोर्ट दिखा पाया, यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक उत्पादन का अभाव है; इसे देखते हुए, उच्च सीएसआर वाले उत्पाद को क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। ब्लूस्कॉप ने तकनीकी प्रमाण पत्र और बीजक जमा किए हैं, जो भारतीय खरीदारों को की गई बिक्री को दर्शाते हैं।

xxii. चूंकि घरेलू उद्योग यह स्वीकार करता है कि उच्च सीएसआर वाले उत्पाद की कोई मांग नहीं है, इसलिए ऐसे उत्पाद के आयात से उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती।

xxiii. लंप कोक को क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग विशेष रूप से ब्लास्ट फर्नेस में इस्पात बनाने के लिए किया जाता है और इसमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाले गुण होते हैं।

xxiv. सीएसआर 64–65 या उससे अधिक वाले लंप कोक को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी गुणवत्ता घरेलू उद्योग के उत्पाद से भिन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप इसके अंतिम प्रयोग और निष्पादन में तकनीकी अंतर आ जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसका प्रयोग एकीकृत ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जहां लगातार उच्च दबाव और तापमान चक्रों के लिए विशिष्ट उत्पाद विशेषताओं की आवश्यकता होती है।

xxv. ब्लास्ट फर्नेस के लिए निप्पन के लंप कोक ग्रेड में उच्च क्षमता वाला मेटालार्जिकल कोक शामिल है, जिसका मिकम इंडेक्स अधिक होता है; इसे क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता है।

xxvi. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, मेट कोक इस्पात बनाने की प्रक्रिया में एक आवश्यक कच्चा माल है। घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित आकार और गुणवत्ता की आपूर्ति करने में असमर्थता के कारण, एएमएनएस को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, सामानों का आयात करने के लिए विवश होना पड़ेगा। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोक में नमी की मात्रा अधिक होती है, 'कमी के बाद कोक की क्षमता' कम होती है, और 'कोक की प्रतिक्रियाशीलता' अधिक होती है; जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की मांग बढ़ जाती है और ब्लास्ट फर्नेस के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, खराब गुणवत्ता के कारण पिघले हुए धातु का उत्पादन भी कम होता है।

xxvii. कई खेपों में घरेलू कोक के कणों का औसत आकार भी छोटा होता है, जिसमें -30एमएम और -25 एमएम आकार वाले कणों का अनुपात अधिक होता है। नट कोक के साथ-साथ महीन कणों के अधिक मात्रा में बहकर आगे चले जाने के कारण, फर्नेस का निष्पादन रुक-रुक कर खराब होता रहता है। इसके अलावा, -25 एमएम और -30 एमएम के टुकड़ों का बहुत ज़्यादा बनना नट कोक स्क्रीन पर ज़्यादा बोझ डालता है और बारीक कणों को भट्टी में पहुँचा देता है, जिससे हवा का बहाव खराब हो जाता है और हवा लेने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा नट कोक बनने से जगह की कमी होती है, भंडारण की सीमाएँ आती हैं, और इसे संभालने/हटाने के लिए अतिरिक्त उपकरण और कर्मचारियों पर खर्च करना पड़ता है। जब ज़्यादा सहायक ईंधन डाला जाता है, तो कणों का औसत आकार एक अहम पैमाना बन जाता है, जिसका उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है।

xxviii. घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए मेट कोक के आकार की वजह से टैपहोल जाम हो जाता है और कोक तेज़ी से बाहर निकलता है। इससे सुरक्षा को खतरा होता है और उपकरणों को नुकसान पहुँच सकता है, साथ ही काम-काज में रुकावट आ सकती है।

xxix. प्राधिकारी को उन उत्पादों को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए जिन्हें घरेलू उद्योग नहीं बनाता है, क्योंकि घरेलू उद्योग को उन उत्पादों के आयात से कोई नुकसान नहीं हो सकता जिन्हें वह खुद नहीं बनाता है; और ऐसे उत्पादों को शामिल करने से व्यापारिक सुरक्षा अपने तय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, जबकि ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल करने वालों को बिना किसी फायदे के बेवजह खर्च उठाना पड़ेगा। यह बात अधिकरण और प्राधिकारी के हाल के फैसलों के भी अनुरूप है।

xxx. बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किए गए आयात से यह साफ पता चलता है कि भारत में बना उत्पाद आगे के उत्पादों को बनाने के लिए सही नहीं है।

xxxi. नरसिंह इस्पात लिमिटेड ("एनआईएल") पिग आयरन बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर 20-40 एमएम वाले कम राख वाले मेट कोक का इस्तेमाल करता है, और इस मौजूदा जाँच का उस पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए, उसे इस मौजूदा जाँच में एक संबद्ध पक्षकार के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए।

xxxii. एनआईएल के पास 100 क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली छोटी ब्लास्ट भट्टियाँ हैं, जो तकनीकी सीमाओं की वजह से मानक आकार के कोक का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। भारत में एनआईएल, बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड और पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माइक्रो ब्लास्ट भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है।

xxxiii. "माइक्रो ब्लास्ट भट्टी" शब्द के इस्तेमाल को लेकर जो विवाद है, वह सिर्फ़ किताबी है, क्योंकि यह बात निर्विवाद है कि 130 एम³ से कम क्षमता वाली भट्टियों को 20-40 एमएम आकार के मेट कोक की ज़रूरत होती है। यह बात रिकॉर्ड पर रखे गए चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट से भी साफ पता चलती है।

xxxiv. भट्टी का आकार, काम करने का दबाव और हवा के बहाव की स्थितियाँ यह बात निश्चित तौर पर साबित करती हैं कि 20–40 एमएम आकार के मेट कोक की ज़रूरत सिर्फ़ उन भट्टियों को होती है जिनकी क्षमता 130 एम³ से कम होती है। गलत आकार के कोक का इस्तेमाल करने से प्रचालन में गंभीर समस्याएँ आती हैं, जिनमें आयरन का उत्पादन कम होना, टैपहोल का बंद होना, कोक रश की घटनाएँ, सुरक्षा संबंधी खतरे, उपकरणों को नुकसान और उत्पादन में रुकावटें शामिल हैं। 128 एम³ ब्लास्ट फर्नेस के लिए तकनीकी प्रस्ताव से पता चलता है कि ऐसी फर्नेस में मेट कोक का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है।

xxxv. एनआईएल, बीएसआईपीएल और पीएमसी —इन तीन प्रयोक्ताओं के अलावा—भारत में लगभग सभी ब्लास्ट फर्नेस ज़्यादा क्षमता (200 एम³ से ज़्यादा) पर काम करती हैं। इसलिए, 20-40 एमएम मेट कोक की ज़रूरत बहुत अधिक है।

xxxvi. घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रयोक्ताओं ने 50 एमएम आकार का कोक आयात किया था, या यह कि ऐसा कोक 130 एम³ से कम क्षमता वाली भट्टियों में तकनीकी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन सहायक आंकड़े पर भरोसा किया गया है, उनमें सीमा शुल्क रिपोर्टिंग प्रयोजनों से सामान्य विवरणों का इस्तेमाल किया गया है। आयातित कोक का औसत आकार 30 एमएम है, जो प्रयोक्ताओं की ब्लास्ट फर्नेस के लिए सबसे उपयुक्त आकार है।

xxxvii. कभी-कभार 20-75 एमएम के बड़े आकार का कोक खरीदने की वजह बाज़ार की मजबूरियाँ और उपलब्धता की कमी थी; इससे सार-संभाल की लागत बढ़ गई, कोक के बारीक टुकड़े ज़्यादा बने और काम-काज में भी कमी आई। ऐसे मामलों में, प्रयोक्ताओं को मजबूरन कोक को छानना पड़ा और बड़े आकार के टुकड़ों को हाथ से तोड़कर 20–40 एमएम के आकार के करीब लाना पड़ा।

xxxviii. एनआईएल ने 2023-24 में मेट कोक घरेलू निर्माताओं से खरीदा, और कुछ सीधे आयात किया, जबकि कुछ भारत में व्यापारियों के माध्यम से खरीदा।

xxxix. जांच की अवधि सहित, 'क्षति की अवधि' के दौरान प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग से 20-40 एमएम आकार का मेट कोक बिल्कुल भी नहीं खरीदा। अलग-अलग आकार के कोक की पिछली खरीद

का मौजूदा तकनीकी ज़रूरतों से कोई लेना-देना नहीं है, और घरेलू उद्योग द्वारा ऐसे पुराने लेन-देन पर भरोसा करना गलत है।

xl. मौजूदा जांच शुरू होने के बाद, 10 घरेलू निर्माताओं ने घोषणाएं कीं जिनमें उन्होंने 20-40 एमएम कोक की आपूर्ति करने की क्षमता या इच्छा ज़ाहिर की। तथापि, ऐसी घोषणाएं असल और लगातार आपूर्ति के साक्ष्य की जगह नहीं ले सकतीं। जब उनसे संपर्क किया गया, तो इन निर्माताओं ने या तो गलत आकार का कोक देने की पेशकश की, या उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, या फिर उसकी मात्रा इतनी कम थी कि वह मासिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी।

xli. कीमत और पेश की गई मात्रा को देखते हुए, प्रयोक्ता लगातार आपूर्ति के लिए नीलांचन से संपर्क करते रहे। तथापि, नीलांचल ने कहा कि वह हर महीने सिर्फ़ 8,000 एमटी कोक की आपूर्ति कर सकता है, और अपनी क्षमता बढ़ाने के बाद हर महीने 11,000 एमटी की आपूर्ति कर पाएगा। 13 नवंबर 2025 की अपनी वाणिज्यिक पेशकश और हर महीने 20,000 एमटी कोक की आपूर्ति करने की अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद, नीलांचल ज़रूरी मात्रा में कोक की आपूर्ति करने में विफल रहा।

xlii. प्रयोक्ताओं ने नीलांचल से बार-बार अनुरोध किया कि वे वास्तविक उत्पादन क्षमता की पुष्टि के लिए संयंत्र का दौरा करने की अनुमति दें, लेकिन नीलांचल ने लगातार ऐसे दौरों से बचने और इनकार करने का रवैया अपनाया है, और अभी भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है; तथापि, परीक्षण और सत्यापन के लिए ट्रायल मात्रा का अनुरोध करना उद्योग की प्रथा के अनुरूप ही है। आयातित सामानों के लिए भी ट्रायल मात्रा का परीक्षण और संयंत्र का दौरा किया गया है।

xliii. 20-40 एमएम आकार वाले कम लो एश मेटालर्जिक कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू निर्माता भारत में मांग को पूरा करने के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं करते हैं। उक्त उत्पाद का उत्पादन केवल एक उप-उत्पाद के रूप में किया जाता है।

xliv. भारत में विचाराधीन सामानों की कुल मांग में से एलएएम कोक (20-40 एमएम) की मांग केवल 5% है। इसका आयात केवल पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है और इसका प्रयोग केवल पिग आयरन निर्माताओं द्वारा किया जाता है। चूंकि भारतीय उद्योग इस आकार का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए ऐसे उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो सकता है।

xlv. घरेलू निर्माताओं ने लिखित पत्राचार के माध्यम से 20-40 एमएम आकार का कोक आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। 40 एमएम से कम आकार का कोक केवल घरेलू निर्माताओं के अपनी कैप्टिव खपत के लिए होता है, न कि वाणिज्यिक बिक्री के लिए। घरेलू

उत्पादकों ने एनआईएल को 20-50 एमएम और 20-85 एमएम के वैकल्पिक आकार पेश किए हैं; तथापि, इन आकारों का प्रयोग माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस में नहीं किया जा सकता है।

xlvi. 20-40 एमएम आकार के कोक की विशेषताएं अलग होती हैं, जो इसे कोक के बड़े आकारों से तकनीकी रूप से भिन्न बनाती हैं। यह आकार गैस के प्रवाह के पैटर्न, ऊष्मा के स्थानांतरण और फर्नेस के संचालन को प्रभावित करता है।

xlvii. भारतीय उद्योग द्वारा पेश किया गया 20-40 एमएम आकार का कोक अधिक कीमतों पर उपलब्ध है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने कोक के आकार के आधार पर पीसीएन का प्रस्ताव रखा है, और यह अनुरोध किया है कि बड़े आकार के कोक की तुलना में छोटे आकार का कोक रियायती दर पर बेचा जाता है। चूंकि 20-40 एमएम आकार के कोक के निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं (जैसे काटना, कुचलना, छानना, दोबारा संभालना आदि) करनी पड़ती हैं, इसलिए भारतीय उद्योग इसका उत्पादन करना पसंद नहीं करता है।

xlviii. प्रयोक्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए 21 नवंबर 2022 के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र से यह पता चलता है कि पिग आयरन संयंत्र के विन्यास और विस्तार में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बेहतर और संशोधित कॉन्फ़िगरेशन के साथ, केवल 20-40 एमएम का मेट कोक ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

xlix. वाणिज्यिक भाषा में 20-40 एमएम के रूप में परिभाषित मेट कोक मुख्य रूप से 28-32 एमएम आकार का होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उत्पाद में मुख्य रूप से 40 एमएम या उससे बड़े कण शामिल होते हैं।

l. पोलैंड को 20-40 एमएम कोक के एक भरोसेमंद और लगातार सप्लायर के तौर पर नहीं माना जा सकता। जांच की अवधि के बाद पोलैंड से आयात बहुत कम रहा है।

li. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, एनआईएल द्वारा आयात किए गए 20-50 एमएम उत्पाद का औसत आकार 30+/-2 एमएम है।

lii. प्राधिकारी यह स्पष्टीकरण देने की अनुमति दे सकते हैं कि "सेमी-कोक" और "सॉफ्ट कोक" को मौजूदा पाटनरोधी जांच के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सेमी-कोक का आयात 2704 00 20 और 2704 00 40 के तहत किया जाता है, जिन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है। सेमी-कोक और संबद्ध सामाना उत्पादन प्रक्रियाओं के मामले में अलग-अलग उत्पाद हैं, जिनमें कार्बनीकरण तापमान और कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोयले के प्रकार में अंतर शामिल है। सेमी-कोक में फिक्स्ड कार्बन की मात्रा अधिक और राख की मात्रा कम होती है। सल्फर और फास्फोरस का स्तर, और वाष्पशील पदार्थ की मात्रा भी दोनों के बीच

अलग-अलग होती है, साथ ही प्रतिक्रियाशीलता, सरंध्रता और विद्युत प्रतिरोधकता में भी अंतर होता है।

liii. सीआईएसआर- केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी साहित्य और ओ. पी. गुप्ता की पुस्तक 'एलिमेंट्स ऑफ़ फ्यूल्स, फर्नेसेस एंड रिफ्रैक्टरीज' भी यह दर्शाती है कि सेमी-कोक, जिसे 'कम तापमान वाला कोक' कहा जाता है, मेट कोक से अलग है, जिसे 'उच्च तापमान वाला कोक' कहा जाता है।

liv. जहां मेट कोक का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस के संचालन में किया जाता है, वहीं सेमी-कोक का प्रयोग फेरो एलॉय, सिलिकॉन धातु और कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन में किया जाता है।

lv. घरेलू उद्योग सेमी-कोक के निर्माण में शामिल नहीं है, और सेमी-कोक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मेट कोक जैसा "समान वस्तु" नहीं है।

lvi. प्राधिकारी ने पहले भी ऐसे उत्पाद प्रकारों को क्षेत्र से बाहर रखा है, जिनके संबंध में घरेलू उद्योग ऐसे ग्रेड की आपूर्ति के बारे में उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके, उन्हें क्षेत्र से बाहर रखने के अनुरोध का खंडन करने में असमर्थ रहा था।

lvii. राख की मात्रा, आकार, नमी की मात्रा, अपचयन के बाद कोक की मजबूती (सीएसआर), कोक प्रतिक्रियाशीलता सूचकांक (सीआरआई) और एम40 जैसे मापदंड विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को प्रभावित करते हैं, और पीसीएन के उद्देश्य से इन पर विचार किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव मूल्य-विभेद और वाणिज्यिक मूल्य पर आधारित था, न कि उत्पादन लागत पर।

lviii. पीसीएन के उद्देश्य से, इसके प्रयोग यानी ब्लास्ट फर्नेस के लिए मेट कोक और कोरेक्स के लिए मेट कोक पर विचार किया जाना चाहिए।

lix. इस जाँच के लिए, वज़न के हिसाब से 5% तक और 5% से ज़्यादा नमी की मात्रा, और आयतन के हिसाब से 5% तक और 5% से ज़्यादा छोटे कणों की मात्रा को पीसीएन माना जाना चाहिए।

lx. टम्बलर की मज़बूती (एम 40) को पीसीएन के लिए एक मापदंड माना जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एम40 वाला मेट कोक, कम एम40 वाले मेट कोक से ज़्यादा महँगा होता है।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राधिकारी द्वारा जांच शुरुआत की अधिसूचना, 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना और प्रारंभिक जांच परिणामों में उत्पाद के जिस क्षेत्र पर विचार किया गया है, उसे ही मौजूदा जांच के क्षेत्र के तौर पर माना जा सकता है।

ii. ब्लूस्कॉप स्टील लिमिटेड द्वारा दिए गए सुझावों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे उन उत्पाद की विशेषताओं का प्रकटन करने में विफल रहे हैं जिनके लिए छूट की मांग की गई है।

iii. संबद्ध सामान के अलग-अलग ग्रेड बनाने के लिए, सिर्फ़ उन्हीं कोयले की ज़रूरत होती है जिनके मापदंड तय हों। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई विशेषताओं वाले संबद्ध सामान बनाने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है। घरेलू उद्योग के पास उन उत्पाद को बनाने की क्षमता है जिनकी विशेषताएँ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने 12% या उससे कम राख वाले मेट कोक का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसके लिए किसी भी तरह की छूट देना सही नहीं है।

v. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र 18% तक राख वाला मेट कोक है, और ऐसा सभी कोक 'कम राख वाला कोक' की श्रेणी में आता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और चीन से संबंधित पिछले जांच परिणामों में भी देखा गया था। पीसीएन के लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करती है।

vi. घरेलू उद्योग ने 13% से कम राख वाले कोक की बिक्री की है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिस एसीपी मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले के फ़ैसले का हवाला दिया गया है, उस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है; इसलिए उस फ़ैसले पर विश्वास करना सही नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग ने 13% से कम राख वाले मेट कोक की बिक्री वाणिज्यिक मात्रा में की है या नहीं, इसकी जांच प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, न कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा।

ix. छोटे लंप कोक, लंप कोक, नट कोक और 30-50 एमएम आकार वाले कोक का वर्गीकरण सिर्फ़ उनके आकार के आधार पर किया जाता है। चूंकि आकार पूरी तरह से स्क्रीनिंग पर निर्भर करता है, इसलिए घरेलू उद्योग सभी आकारों के मेट कोक बनाने में सक्षम है।

x. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक बाज़ार में नट कोक का उत्पादन और बिक्री की है। इसलिए, नट कोक के लिए छूट देना सही नहीं है।

xi. लंप कोक और छोटे लंप कोक जैसी शब्दावलियों का इस्तेमाल भारत में नहीं किया जाता है, और अन्य हितबद्ध पक्षकार ऐसे उत्पाद की विशेषताओं के बारे में सूचना देने में विफल रहे हैं।

xii. चूंकि लंप कोक और छोटे लंप कोक, दोनों का ही इस्तेमाल ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, और घरेलू उद्योग ने 'ब्लास्ट फर्नेस' में इस्तेमाल होने वाले संबद्ध सामान की ही आपूर्ति की है, इसलिए यह माना जाएगा कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की ही आपूर्ति की है। अत:, इस संबंध में बाहर रखने का अनुरोध उचित नहीं है।

xiii. भारत में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले मेट कोक की कोई मांग नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग को ऐसे उत्पाद के लिए कोई पूछताछ प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसका उत्पादन नहीं किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग केवल प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल को बदलकर इसका उत्पादन करने में सक्षम है। उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

xiv. आवेदकों में से एक ने हाल ही में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले मेट कोक का उत्पादन किया है। तथापि, ऐसे उत्पाद की बिक्री नहीं हुई है, क्योंकि भारत में उक्त उत्पाद की कोई मांग नहीं है।

xv. घरेलू उद्योग ने पहले ही एक तकनीकी आंकड़ा तालिका प्रदान कर दी है, जो भारत में उच्च सीएसआर वाले उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है। मांग की कमी के कारण इसका उत्पादन वाणिज्यिक मात्रा में नहीं किया गया है, क्योंकि इस उत्पाद का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है और इसे उत्पादित करके स्टॉक में नहीं रखा जाता है।

xvi. जांच की अवधि के दौरान भारत में उच्च सीएसआर वाले उत्पादों का कोई आयात नहीं हुआ है, जो मांग के अभाव को दर्शाता है।

xvii. प्राधिकारी ने लगातार यह माना है कि आयात के अभाव में किसी उत्पाद को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कोक ब्रीज़ और कोक फ़ाइन्स का उद्देश्य और प्रयोग बड़े आकार के मेट कोक के समान ही है। उक्त उत्पाद का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है। अत:, इसे बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

xix. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में कोक ब्रीज़ और कोक फ़ाइन्स का उत्पादन और बिक्री की है, और इसे बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

xx. मांग-आपूर्ति अंतराल किसी उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी, भारत में मांग-आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग द्वारा ब्रीज़ और फ़ाइन्स की बिक्री के संबंध में बिना किसी सहायक प्रमाण के केवल अविश्वसनीय सूचना प्रदान की है।

xxi. यद्यपि कोक ब्रीज़ दुनिया भर के सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक उप-उत्पाद है, तथापि भारत में ऐसे उत्पाद की मांग है, जैसा कि घरेलू उद्योग के आयात और बिक्री से साफ है। कोक ब्रीज़ को भारत में पाटित किया गया है, जिससे उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंची है, और इसलिए इसे बाहर नहीं किया जा सकता।

xxii. किसी उत्पाद प्रकार को इस आधार पर बाहर करने की अनुमति देने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि वह एक उप-उत्पाद है।

xxiii. यह अनुरोध कि कोक ब्रीज़ घरेलू उद्योग की लागत पर असर नहीं डालता, गलत है क्योंकि एक ही उत्पादन प्रक्रिया में, कोक ब्रीज़ सहित अलग-अलग आकार के मेट कोक बनाए जाते हैं। लागत को उत्पाद के सभी आकारों पर बांटा जाता है।

xxiv. इस जांच में किसी ग्रेड को बाहर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि पिछली जांच में इसे बाहर रखा गया था। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन उत्पाद को बदलने पर कोई रोक नहीं है। प्राधिकारी ने पहले भी अलग-अलग जांचों में अलग-अलग उत्पाद क्षेत्रों पर विचार किया है।

xxv. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसमें 0.030% तक फॉस्फोरस कंटेंट हो, जिसका आकार 30 एमएम तक हो और जिसका आकार 5% टॉलरेंस हो, सिर्फ़ फेरोएलॉय मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल के लिए हो।

xxvi. घरेलू उद्योग ने सिर्फ़ वाणिज्यिक कारणों से फेरोएलॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएलपी कोक नहीं बनाया है। फेरोएलॉय उद्योग को 30 एमएम या उससे कम यूएलपी कोक की ज़रूरत होती है। फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए भारत में ऐसे उत्पाद की ज़रूरत भारतीय घरेलू उद्योग के उत्पादन का सिर्फ़ 5% है।

xxvii. यूएलपी कोक को सिर्फ़ फेरोएलॉय उद्योग तक ही सीमित रखना चाहिए क्योंकि किसी दूसरे क्षेत्र को ऐसे उत्पाद की ज़रूरत नहीं है। अगर, आखिरी इस्तेमाल के आधार पर इसे सीमित नहीं किया जाता है, तो इस्पात निर्माता और दूसरे क्षेत्र यूएलपी कोक के आयात पर जा सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत सामान्य कोक की शुल्क वाली कीमत से कम हो जाएगी।

xxviii. घरेलू उद्योग ने फेरोएलॉय निर्माण को छोड़कर ब्लास्ट फर्नेश और अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है। तरह, घरेलू उद्योग ने फेरोएलॉय निर्माण को छोड़कर दूसरे अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद की आपूर्ति की है।

xxix. यूएलपी कोक को 0.01% तक फॉस्फोरस कंटेंट वाला माना जाना चाहिए, जैसा कि नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से साफ है।

xxx. इस्पात निर्माण या ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर यूएलपी कोक का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे उत्पाद की कीमत ज़्यादा होती है और सामान्य कोक के मुकाबले इसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर अंतिम प्रयोग या आकार के आधार पर उसे बाहर रखना प्रतिबंधित नहीं है, तो एलएएम कोक अधिक खर्चीला हो सकता है और इस्पात निर्माता और अन्य क्षेत्र यूएलपी कोक के आयातों में जा सकते हैं।

xxxi. जबकि फेरो एलॉय उद्योग को बाहर रखने की अनुमति दी गई है, एएमएनएस ने आपत्ति जताई है, जो अपने संयंत्र में यूएलपी कोक का इस्तेमाल नहीं करता है और हाई फॉस्फोरस कोक आयात करता है।

xxxii. चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला एलएएम कोक वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यूएलपी कोक के साथ परस्पर परिवर्तनीय है, इसलिए यह आयात यूएलपी कोक जैसा ही है।

xxxiii. भारतीय उत्पादकों द्वारा बनाए गए उत्पाद में गुणवत्ता की कोई दिक्कत नहीं है, और भारतीय उत्पादक संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद के बराबर, या उससे बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद दे रहे हैं।

xxxiv. घरेलू उद्योग भारत में कई प्रयोक्ताओं को सप्लाई कर रहे है, जिन्होंने गुणवत्ता को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया है, और घरेलू घरेलू उद्योग से लगातार खरीद रहे हैं।

xxxv. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में टाटा स्टील द्वारा उठाए गए तर्क बेबुनियाद हैं। एक आवेदक घरेलू उत्पादकों में से संबद्ध सामान खुद टाटा स्टील को सप्लाई कर रहा है।

xxxvi. चूंकि मेट कोक की गुणवत्ता कोकिंग कोल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और घरेलू उद्योग आयातित कोयले पर निर्भर करती है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर कोई चिंता नहीं हो सकती है।

xxxvii. गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के मामले में, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री को नहीं बढ़ा पाता, खासकर ऐसे मामले में जहाँ इस्पात उद्योग सभी कच्चे माल की गुणवत्ता पर काफी ध्यान देता है।

xxxviii. प्रत्येक उत्पादक ऑर्डर देने के स्तर पर प्रयोक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उत्पाद बनाता है। भले ही सामान अलग-अलग स्रोत से खरीदा जाए, यह प्रयोक्ता द्वारा ज़रूरी स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगा।

xxxix. अभी भी, एएमएनएस, इंडिया कोक एंड पावर और उड़ीसा मेटालिक्स जैसे आयातक कई स्रोतों से यह उत्पाद खरीद रहे हैं। शुल्क लगने के बाद भी, वे कई स्रोतों से खरीदना जारी रख सकते हैं।

xl. यद्यपि, संबद्ध सामान के घरेलू उत्पादक और विदेशी उत्पादक, दोनों ही उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से मेट कोक का उत्पादन करते हैं, लेकिन आयातित कोक को कई चरणों में बार-बार और बड़े पैमाने पर हैंडलिंग से गुज़रना पड़ता है। इससे उसकी बनावट में काफी यांत्रिक गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप फाइन्स और नट कोक ज़्यादा बनते हैं, और जब तक यह सामग्री अंतिम प्रयोक्ता तक पहुँचती है, तब तक इसके कणों का औसत आकार काफी कम हो जाता है। इसके विपरीत, घरेलू स्तर पर उत्पादित कोक को उत्पादन और उपभोग के बीच बहुत कम हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी सीधी और कम संभारिकी शृंखला होती है। इस सीमित सार-संभाल से टूटने-फूटने और नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है, जिससे ग्राहक और भट्टी की ज़रूरतों के अनुसार कोक के कणों का निर्धारित आकार और औसत आकार बना रहता है। अत:, आयातित कोक की तुलना में घरेलू कोक, भट्टी में सामग्री के प्रवाह, गैस के बहाव और भट्टी की स्थिरता के मामले में कहीं ज़्यादा एकरूपता प्रदान करता है। साथ ही, यह ब्लास्ट फर्नेस के लगातार संचालन के लिए - यहाँ तक कि ज़्यादा सहायक ईंधन के इस्तेमाल वाली स्थितियों में भी बेहतर रूप से उपयुक्त होता है।

xli. यदि जापानी उत्पाद बेहतर गुणवत्ता का होता, तो वह ज़्यादा महंगा होता, लेकिन असल में, उसकी कीमत घरेलू उद्योग के उत्पाद से कम है।

xlii. एनआईएल द्वारा दायर अभ्यावेदन देर से आया है और उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये बातें तय समय सीमा के 122 दिन बाद कही गई हैं। इसके अतरिक्त, एनआईएल ने प्रयोक्ताओं या आयातकों के प्रश्नों के उत्तर में कोई उत्तर नहीं दिया है और बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं।

xliii. प्रक्रिया से जुड़ी ज़रूरतों में कमी के कारण एनआईएल के अनुरोधों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस बात पर कोई असर डाले बिना, उसे प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रश्नों के उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

xliv. एनआईएल ने रक्षोपाय जांच में डीजीटीआर की सिफ़ारिशें जारी होने के बाद डीजीएफटी के सामने भी यही चिंताएं उठाई थीं। तथापि, उस समय वाणिज्य मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था।

xlv. भारतीय उद्योग ने 2एमएम से लेकर 200+ एमएम आकार तक के उत्पाद बनाए और आपूर्ति किए हैं। मेट कोक को मनचाहे आकार में बनाना, असल में बने हुए मेट कोक की साइज़िंग करने की एक सामान्य ज़रूरत है। उत्पाद की साइज़िंग करना, बनाने की प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा नहीं है।

xlvi. जिंदल कोक लिमिटेड ने एनआईएल को उसकी ज़रूरत के हिसाब से तय आकार में उत्पाद देने की पेशकश की थी। तथापि, एनआईएल ने भेजे गए पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय उत्पाद आयात करना चुना।

xlvii. एनआईएल ने तथ्यों को छिपाया है और यह दर्शाया है कि वह हमेशा से ही विचाराधीन उत्पाद को आयात करता रहा है। तथापि, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पहले भी एनआईएल को बड़ी मात्रा में उत्पाद की आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, एनआईएल ने बंगाल एनर्जी लिमिटेड से 80 एमएम तक के अलग-अलग आकार के उत्पाद खरीदे हैं। चूंकि कंपनी अभी भी उसी भट्टी का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यह दावा कि वह सिर्फ़ 20-40 एमएम साइज़ का ही इस्तेमाल कर सकती है, गलत है।

xlviii. एनआईएल ने विचाराधीन उत्पाद का आयात करना सिर्फ़ इसलिए शुरू किया क्योंकि वह उसे पाटित कीमतों पर मिल रहा था। एनआईएल ने खुद माना है कि उसे यह उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमत से 10,000 रु. प्रति एमटी कम कीमत पर मिल रहा है। एनआईएल के लिए ऐसे उत्पाद को छूट देने से उसे बेवजह फ़ायदा मिलेगा और वह दूसरे प्रयोक्ताओं के मुकाबले ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएगा, क्योंकि इससे उसे 5 सालों में 1,250 करोड़ रु. की बेवजह बचत होगी।

xlix. चूँकि घरेलू उद्योग उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम है, इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि, एक अलग भट्टी के कारण, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद उपयुक्त नहीं है।

l. भारत में कम से कम 10 उत्पादकों ने एनआईएल को उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते उक्त प्रयोक्ताओं द्वारा उचित कीमतें दी जाएँ। तथापि, एनआईएल ने इनमें से कई उत्पादकों से संपर्क नहीं किया है, भले ही ऐसे उत्पादकों के पत्र परिचालित किए गए थे और एनआईएल के साथ साझा किए गए थे।

li. एनआईएल ने नीलांचल से उत्पाद की 500-1000 एमटी की नमूना मात्रा का उत्पादन करने का अनुरोध किया, बिना उसे खरीदने के लिए आशय पत्र दिए। यह उद्योग मानकों के अनुसार नहीं है, और ऐसा अनुरोध केवल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की गैर-आपूर्ति का मामला बनाने के लिए किया गया है।

liii. एनआईएल ने अब इस बात पर ज़ोर दिया है कि वह नीलाचल को ऑर्डर देने से पहले संयंत्र का दौरा करना चाहता है। तथापि, यह भी उद्योग मानकों के अनुसार नहीं है। यह इस बात से स्पष्ट है कि एनआईएल द्वारा किए गए आयात का नमूना परीक्षण लोडिंग पोर्ट पर होता है, जिससे पता चलता है कि किसी संयंत्र की लेखा-परीक्षा नहीं की जाती है।

liii. घरेलू उद्योग विभिन्न ग्राहकों को आपूर्ति करता है, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस संचालक भी शामिल हैं। इनमें से किसी भी ग्राहक ने घरेलू उद्योग को ऑर्डर देने से पहले संयंत्र लेखा-परीक्षा या संयंत्र दौरे का अनुरोध नहीं किया है।

liv. घरेलू उद्योग से वाणिज्यिक मात्रा में उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए तब नहीं कहा जा सकता, जब प्रयोक्ता स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आयात को प्रारंभिकता दी है। प्रयोक्ताओं ने केवल आयातित सामानों की कम कीमतों के कारण आयात को प्रारंभिकता दी है।

lv. एनआईएल ने घरेलू उत्पादकों द्वारा कथित तौर पर दिए गए प्रस्तावों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, भले ही घरेलू उद्योग ने ऐसे सभी प्रस्तावों को रिकॉर्ड में रखा था। एनआईएल ने उक्त उत्पाद की आपूर्ति के लिए किसी अन्य उत्पादक से संपर्क नहीं किया है।

lvi. एनआईएल द्वारा किए गए अनुरोध स्वयं यह दर्शाते हैं कि उन्होंने 20,000 एमटी की ऑर्डर मात्रा मांगी थी, जो उन्हें वीसा कोक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसके अलावा, नीलांचल ने एनआईएल को 8,000 एमटी, और जिंदल कोक ने 5,000 एमटी उत्पाद की पेशकश की थी। यदि एनआईएल केवल एक ही आपूर्तिकर्ता रखना चाहता है, तो वीसा कोक ने स्वयं पूरी मात्रा की पेशकश की प्रतीत होती है। केवल यही माना जा सकता है कि एनआईएल पाटन के कारण आयात कीमतों के अत्यधिक सस्ता होने की वजह से ऑर्डर नहीं दे रहा है।

lvii. यद्यपि, नीलाचल, एनआईएल की पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकता, फिर भी एनआईएल ने भारत में अन्य निर्माताओं से इस उत्पाद को खरीदने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। आयात के मामले में भी, एनआईआल केवल एक ही स्रोत से नहीं, बल्कि कई उत्पादकों/व्यापारियों से आयात कर रहा है।

lviii. 20-40 एमएम आकार की कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं है; यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एनआईएल ने 20-50 एमएम और 25-50 एमएम सहित विभिन्न आकारों का आयात किया है।

lix. एनआईएल ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने 20-75 एमएम आकार का उत्पाद खरीदा और इस्तेमाल किया है।

lx. एनआईएल ने अपने कुल आयात का 50% से अधिक हिस्सा पोलैंड से आयात किया है, जो कि संबद्ध देश नहीं है।

lxi. एनआईएल के अनुरोधों के विपरीत, माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस जैसा कोई तकनीकी शब्द नहीं है। मिनी ब्लास्ट फर्नेस शब्द का इस्तेमाल छोटे ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग भारत में मिनी ब्लास्ट फर्नेस को नियमित रूप से आपूर्ति करता रहा है।

lxii. घरेलू उद्योग फेरोअलॉय उद्योग को 10-30 एमएम का उत्पाद आपूर्ति करता है। चूंकि 10-30 एमएम का आकार 20-40 एमएम से छोटा होता है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय उद्योग इस तरह का उत्पाद आपूर्ति न कर पाए। भले ही एनआईएल को 28-32 एमएम की ज़रूरत हो, तो भी घरेलू उद्योग इसकी सप्लाई कर सकता है।

lxiii. एनआईएल ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग छोटे आकार के लिए ज़्यादा कीमत वसूलता है, क्योंकि इससे कोक ब्रीज़ और बारीक कण बनते हैं; लेकिन यह बात सही नहीं है। घरेलू उद्योग ब्लास्ट फर्नेस कोक के मुकाबले 10-30 एमएम कोक के लिए ज़्यादा कीमत नहीं वसूलता है।

lxiv. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की सप्लाई ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल के लिए और फेरोअलॉय बनाने के अलावा दूसरे कामों के लिए भी किया है। इस तरह, घरेलू उद्योग ने फेरोअलॉय बनाने के अलावा दूसरे कामों के लिए भी, वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से, एक जैसे ही उत्पाद की आपूर्ति की है।

lxv. यूएलपी कोक उसे माना जाना चाहिए जिसमें फास्फोरस की मात्रा 0.01% तक हो; यह बात नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से सिद्ध है।

lxvi. चूंकि ब्लास्ट फर्नेस और कोरेक्स, दोनों में एक ही तरह का उत्पाद इस्तेमाल होता है, और घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे क्षेत्र से बाहर रखने की मांग सही नहीं है।

lxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकार हाई माइकम इंडेक्स के लिए कोई सटीक मापदंड परिभाषित करने में विफल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद का उत्पादन किया है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

lxviii. किसी उत्पाद को क्षेत्र से बाहर रखने का फैसला सिर्फ़ उसी उत्पाद पर लागू हो सकता है, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आता हो। आयात किए गए उन आयातों उत्पादों के लिए किसी खास छूट या स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, जो मेट कोक की श्रेणी में नहीं आते। इसके बजाय, अगर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए एडवांस रूलिंग प्राधिकारी से मांग की जा सकती है।

lxix. पीसीएन का आधार कोक में राख की मात्रा और उसके आकार को बनाया जा सकता है।

lxx. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में असफल रहे हैं कि पहचाने गए मापदंड उत्पादन लागत में कोई बड़ा बदलाव लाते हैं, जिसके लिए ऐसे मापदंड के आधार पर पीसीएन बनाने की ज़रूरत हो।

lxxi. पीसीएन तय करने के लिए बिक्री कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मांग-आपूर्ति की स्थिति, प्रयोक्ताओं द्वारा खरीद की मात्रा, खरीद का महीना, भुगतान की शर्तें, डिलीवरी का शेड्यूल, स्पॉट बनाम कॉन्ट्रैक्ट वाली खरीद, उत्पादन लागत आदि जैसे कारकों के आधार पर बदलता रहता है।

lxxii. संबद्ध सामान की उत्पादन लागत का लगभग 90% हिस्सा कच्चे माल, यानी कोकिंग कोल का होता है। कोयले या यूटिलिटीज़ पर होने वाली लागत, नमी की मात्रा, टम्बलर स्ट्रेंथ (एम40), सीएसआर और सीआरआई जैसे मापदंड के कारण नहीं बदलती। अत:, ऐसे मापदंड के आधार पर पीसीएन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।

lxxiii. संबद्ध सामान की उत्पादन लागत, 13% से कम राख की मात्रा होने पर 5% से ज़्यादा नहीं बदलती। 13% और 18% के बीच राख की मात्रा होने पर भी उत्पादन लागत 5% से ज़्यादा नहीं बदलती। 13% से ज़्यादा और 13% से कम राख की मात्रा वाले संबद्ध सामान की उत्पादन लागत में अंतर होता है।

lxxiv. ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल होने वाले ब्रीज़ कोक, नट कोक और मेट कोक की उत्पादन लागत में अंतर होता है।

lxxv. इस्तेमाल के तरीकों को पीसीएन पर विचार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें शामिल उत्पाद एक ही है और ऐसे कोई मापदंड नहीं हैं जिनमें अंतर होने से उत्पादन लागत में कोई बदलाव आए।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 18% से कम राख सामग्री वाला लो एश मेटालर्जिकल कोक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित उत्पादों को बाहर करने का अनुरोध किया है।

i. 12% या उससे कम राख की मात्रा वाला मेट कोक
ii. कोक ब्रीज़ और कोक फ़ाइन्स
iii. नट कोक
iv. 30-50 एमएम आकार का कोक

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य दिया है कि उसने व्यापारी बाजार में उपरोक्त समान उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की है। चूँकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान

घरेलू बाजार में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उपरोक्त उत्पाद को बाहर नहीं रखा जा रहा है।

9. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों में वांछित विशेषताओं, जिनमें अलग-अलग राख की मात्रा, टम्बलर शक्ति या माइकम सामग्री (एम40), कोक प्रतिक्रिया सूचकांक (सीआरआई), रिडक्शन के बाद कोक शक्ति (सीएसआर) और फास्फोरस सामग्री शामिल हैं, को केवल सही गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। संबद्ध सामानों के तकनीकी मापदंडों को बदलने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

10. आकार और अनुप्रयोग के बावजूद अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाहर किए जाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त उत्पाद का प्रयोग केवल फेरोएलोय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि फेरोएलोय निर्माताओं को 30 एमएम तक के आकार के मेट कोक की आवश्यकता होती है। घरेलू उद्योग यह भी अनुरोध किया है कि वाणिज्यिक विचारों के कारण, यह फेरोएलोय अनुप्रयोग के लिए यूएलपी कोक का निर्माण नहीं करता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि यूएलपी कोक का उत्पादन करने के लिए केवल सही गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता होती है और उत्पादन प्रक्रिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के अनुसार, उक्त उत्पाद का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग 30 एमएम तक के आकार के यूएलपी कोक और फेरोएलोय अनुप्रयोगों को बाहर करने के लिए सहमत हो गया है। यह नोट किया जाता है कि आकार और अनुप्रयोग को ध्यान में न रखते हुए यूएलपी कोक को बाहर करने के मामले में, अन्य प्रयोक्ता यूएलपी कोक के आयात की ओर रुख कर सकते हैं क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद अन्य प्रकार के मेट कोक की तुलना में यह सस्ता होने की संभावना है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने फेरोएलोय अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए आयात किए जाने पर केवल 30 एमएम के आकार तक यूएलपी कोक को बाहर रखना प्रतिबंधित किया है।

11. जहां तक इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग पर्याप्त मात्रा में यूएलपी कोक का उत्पादन नहीं करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 30 एमएम तक के आकार वाले फेरोएलोय उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अन्य अनुप्रयोगों के मामले में, घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है जिनका प्रयोग प्रयोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर और एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार, अन्य उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बड़े आकार के यूएलपी कोक के मामले में, घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित संबद्ध सामानों के लिए समान वस्तु की आपूर्ति की है। ऐसे मामले में, प्राधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 30 एमएम से अधिक आकार वाले यूएलपी को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

12. एएमएनएस ने अनुरोध किया है कि उसने 0.025% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले उत्पाद की खरीद के लिए घरेलू उत्पादकों से संपर्क किया है, हालांकि, घरेलू उत्पादकों ने 0.045% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले संबद्ध सामानों की पेशकश की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि 0.045% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले संबद्ध सामान की तुलना 0.025% तक

फॉस्फोरस सामग्री वाले संबद्ध सामान से नहीं की जा सकती है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जबकि एएमएनएस ने उक्त उत्पाद के संबंध में पूछताछ के संबंध में पत्र प्रदान किया है, इसने कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि उक्त उत्पाद वास्तव में आयात किया गया है और जांच की अवधि के दौरान एएमएनएस द्वारा प्रयोग किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एएमएनएस ने क्षति की अवधि के दौरान भारत में उक्त उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एएमएनएस द्वारा अनुरोध की गई विशेषताओं से मिलते-जुलते उत्पाद प्रदान किए हैं और पेशकश किए है और इसलिए, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार समान वस्तु की पेशकश की है। किसी भी मामले में, एएमएनएस ने स्वयं स्वीकार किया है कि नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड के पास उक्त उत्पाद के निर्माण की क्षमता है, तथापि, ऐसी क्षमताएं भारत में मांग से कम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पाद प्रकार के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद प्रकार को बाहर करने का औचित्य नहीं है।

13. घरेलू उद्योग द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि 0.01% तक फास्फोरस सामग्री के साथ यूएलपी कोक पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू उत्पादकों में से एक के वेबसाइट के अंश प्रदान किए हैं जो दर्शाता है कि यूएलपी कोक को 0.01% तक फास्फोरस सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह नोट किया जाता है जांच की शुरुआत की अधिसूचना में माना गया कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र फेरोएलोय विनिर्माण में प्रयोग के लिए 30 एमएम के आकार वाले 0.03% तक फास्फोरस सामग्री वाले यूएलपी कोक को शामिल नहीं करता है। चूंकि 0.01% तक फॉस्फोरस सामग्री की कमी से उत्पाद के क्षेत्र में वृद्धि होगी, इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य से इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चूंकि 13% और उससे अधिक की राख सामग्री वाले मेट कोक को पीसीएन पद्धति में मध्यम राख कहा गया है, ऐसे उत्पाद को लो एश मेटालर्जिकल कोक नहीं कहा जाता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति में प्रयुक्त नाम विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित नहीं करता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 18% तक राख सामग्री वाला मेटालर्जिकल कोक है। चूंकि 13% राख सामग्री और 13 -18% राख सामग्री से नीचे मेटकोक की लागत और कीमतों में काफी अंतर है, अत: पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए दोनों को अलग-अलग पीसीएन माना गया है। इसके अलावा, 13 -18% राख की मात्रा को केवल 13% से कम कोक के साथ अंतर करने के लिए "मध्यम" नाम दिया गया है और इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता है कि 13 -18% कोक कम राख वाला मेटकोक नहीं है। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र 18% से कम राख सामग्री के साथ लो एश मेटालर्जिकल कोक है।

15. इस अनुरोध के संबंध में कि कोक ब्रीज और कोक फाइन्स को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उक्त उत्पाद उप-उत्पाद हैं और सुरक्षा जांच में बाहर रखे गए थे, प्राधिकारी नोट

करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन किया है। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन एक अलग उत्पाद पर विचार करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के लिए एक नई जांच की गई है। चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में माना गया है।

16. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि यह जांच की जानी चाहिए कि क्या कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन और वाणिज्यिक मात्रा में बेचा जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत की है और कोक ब्रीज को एक अलग पीसीएन के रूप में माना गया है। पीसीएन के अनुसार प्रदान किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पाद का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है; और इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी उत्पाद प्रकार के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उक्त उत्पाद प्रकार को बाहर करने का औचित्य नहीं है।

17. कोरैक्स आवेदन-पत्र के लिए संबद्ध सामानों को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के बीच अंतर दिखाने वाले कोई तकनीकी मापदंड प्रदान नहीं किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का आकार 10 -50 एमएम है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरक्स अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले संबद्ध सामानों में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 10 -50 एमएम आकार के साथ मेट कोक का निर्माण किया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को बाहर करना उचित नहीं है।

18. लम्प कोक, लघु लम्प कोक और 64 -65 के बराबर सीएसआर वाले लम्प कोक को बाहर करने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उक्त उत्पाद के तकनीकी मापदंडों को गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए बेचा है, घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद का उत्पादन किया है। चूंकि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान वस्तु की पेशकश की है, इसलिए लम्प कोक और छोटे लम्प कोक को बाहर करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

19. उच्च माइकम सूचकांक वाले संबद्ध सामानों को बाहर करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने माइकम सूचकांक को परिभाषित नहीं किया है जिसे उच्च माना जाता है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने ***% के रूप में उच्च माइकम सूचकांक वाले संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है। अन्य हितबद्ध पक्षाकार यह प्रमाणित करने में विफल रहे हैं कि उच्च माइकम सूचकांक वाले संबद्ध सामानों को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों के साथ प्रतिस्थापित

नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च माइकम सूचकांक वाले विचाराधीन उत्पाद को बाहर करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

20. 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले उत्पाद को बाहर करने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारत में उक्त उत्पाद की कोई मांग नहीं है और कच्चे माल के मिश्रण को बदलकर उक्त उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने भी आवेदकों में से एक की एक परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की है जो दर्शाता है कि उसने 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि उक्त उत्पादक मांग की कमी के कारण घरेलू बाजार में ऐसे उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं किया है कि घरेलू उद्योग में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई के साथ मेट कोक का निर्माण करने की क्षमता है। इस प्रकार, 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई को बाहर करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोक निम्न गुणवत्ता के है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मेट कोक के आकार से उपकरण को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामानों का औसत कण आकार भी कम है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विदेशी उत्पादक और घरेलू उत्पादक दोनों ही उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करते हैं। आयातित उत्पाद के मामले में, यह लोडिंग, मध्यवर्ती भंडारण, बंदरगाह संचालन, ट्रांसशिपमेंट, अनलोडिंग और अंतर्देशीय परिवहन सहित हैंडलिंग के कई चरणों से गुजरता है, जिससे यांत्रिक क्षति और उच्च कोक फाइन का उत्पादन होता है। तथापि, घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों में न्यूनतम हैंडलिंग शामिल होती है जो टूटने और क्षरण को कम करती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता और विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई गुणवत्ता के बीच अंतर के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई गुणवत्ता संबंधी चिंता नहीं है और इस तरह का उत्पाद घरेलू बाजार में उत्पादकों के लिए स्वीकार्य है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होगा और उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों का आयात जारी रख सकते हैं।

22. बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किए गए आयात से पता चलता है कि भारत में उपलब्ध उत्पाद की गुणवत्ता उपयुक्त नहीं है, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने आयात के संबंध में सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद की मुख्य रूप से खपत की है और क्षति की अवधि के दौरान केवल एक शिपमेंट का आयात किया है। उत्पादक ने अनुरोध किया है कि आयात इसलिए किया गया क्योंकि भारत में प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण कंपनी की कोक ओवन बैटरियों में से एक बंद हो गई थी। चूंकि केवल एक ही खेप का आयात किया गया है और उत्पादक ने मुख्य रूप से कैप्टिव रूप से उत्पादित उत्पाद का प्रयोग किया है, इसलिए

यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पाद की गुणवत्ता भारत में उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता की तुलना में अलग थी।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नरसिंह इस्पात लिमिटेड, बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड और पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अभ्यावेदन किया है कि (क) जांच शुरू होने के बाद, पिग आयरन विनिर्माण में छोटी क्षमता (130 एम3 तक) की ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम आकार (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के घरेलू स्तर पर उत्पादित एलएएम कोक की खरीद के लिए बार-बार और वास्तविक प्रयास किए गए थे, (ख) यह अनुरोध किया गया है कि 130 एम3 से नीचे के ब्लास्ट भट्ठी संचालन की तकनीकी संवेदनशीलता को देखते हुए, घरेलू उत्पादकों ने एलएएम कोक की आपूर्ति करने की क्षमता और इच्छा व्यक्त करते हुए घोषणाएं प्रदान कीं। हालांकि, इस तरह की घोषणाएं, अपने आप में, माइक्रो ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम के आकार वाले विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रयोक्ताओं की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वास्तविक और निरंतर आपूर्ति का प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकती हैं, (ग) घरेलू उत्पादकों ने या तो अलग-अलग आकार की रेंज की पेशकश की, या मात्राएं जो, प्रयोक्ताओं के अनुसार, उनकी मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थीं, (घ) एनआईएल ने लगातार 22 नवंबर 2025, 30 नवंबर 2025, 19 दिसंबर 2025, 22 दिसंबर 2025, 24 दिसंबर 2025 की तारीख के बार-बार पत्रों के माध्यम से नीलांचल नामक घरेलू उत्पादकों में से एक से संपर्क किया, जिस पर घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए भरोसा किया गया है, (ड.) अक्टूबर 2025 में, नीलांचल ने शुरू में 20-60 एमएम की आकार सीमा में एलएएम कोक की पेशकश की और बाद में 20-40 एमएम की पेशकश की संभावना का संकेत दिया; हालांकि, नवंबर 2025 में, नीलांचल ने दर्शाया कि उसकी मौजूदा क्षमता लगभग 8,000 एमटी प्रति माह के उत्पादन की अनुमति देती है और अप्रैल 2026 से विस्तार के बाद भी, यह लगभग 11,000 एमटी प्रति माह की आपूर्ति करने में सक्षम होगा, (च) यह तर्क दिया गया है कि छोटे ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए एलएएम कोक 20-40 एमएम की वाणिज्यिक मात्रा घरेलू स्तर पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, (छ) इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि उत्पादन क्षमता के सत्यापन के लिए संयंत्र का दौरा करने की अनुमति देने के लिए नीलांचल से अनुरोध किए गए थे, जो प्रयोक्ताओं के अनुसार, साकार नहीं हुआ, (ज) किसी भी नए आपूर्तिकर्ता के लिए, प्रयोक्ता परीक्षण और सत्यापन के लिए परीक्षण मात्रा का अनुरोध करने की एक मानक औद्योगिक परिपाटी का पालन करता है, जिसे कच्चे माल के विनिर्देशों के साथ सीधे भट्टी डिजाइन और परिचालन स्थिरता से जुड़े होने के लिए आवश्यक बताया गया है, (झ) एनआईएल ने अनुरोध किया है कि इसी तरह की परीक्षण मात्रा का अनुरोध किया गया था और आयातित उत्पाद के लिए भी परीक्षण किया गया था और जहां ऐसी सामग्री आवश्यक विनिर्देशों को पूरा नहीं करती है, इसे आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया गया था, (ञ) पिग आयरन निर्माण के लिए 130 एम3 तक ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए एलएएम कोक 20 -40 एमएम (30 ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) को वास्तविक प्रयोगकर्ता की स्थिति

के आधार पर विचार किया जा सकता है, (ट) उन्होंने संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्ध देने की इच्छा व्यक्त की है।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उपरोक्त दावों का विरोध किया है और अनुरोध किया है कि 20-40 एमएम सहित विभिन्न आकारों के मेटालर्जिकल कोक को स्क्रीनिंग के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है और यह समान वस्तु का हिस्सा है। हालाँकि, रिकॉर्ड में सूचना के सत्यापन के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान 20-40 एमएम आकार (लगभग 30 एमएम± 2 के औसत आकार वाले) के मेटालर्जिकल कोक का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, और उपर्युक्त प्रयोक्ताओं द्वारा उजागर विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, प्राधिकारी वास्तविक प्रयोगकर्ता की स्थितियों के तहत पिग आयरन विनिर्माण के लिए 130 एम3 तक ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम आकार (लगभग 30 एमएम± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के एलएएम कोक के आयात की अनुमति देना उचित समझते हैं। ऐसे आयात की अनुमति केवल पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए दी जाएगी, और सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष वास्तविक आयात और अंतिम प्रयोग के संबंध में उचित और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत करना होगी, साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो, प्रयोगकर्ता के ब्लास्ट भट्ठी की क्षमता को प्रमाणित करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट निर्दिष्ट आकार और आवेदन तक सीमित है और किसी अन्य प्रयोग या किसी अन्य भट्ठी के आकार के लिए लागू नहीं होगी।

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से नरम कोक या अर्ध कोक को बाहर रखा गया है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि ऐसे उत्पाद को बाहर रखने से पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होगी। प्राधिकारी नोट करते है कि नरम कोक या अर्ध कोक कम लो एश मेटालर्जिकल कोक से अलग उत्पाद है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के अनुसार, उक्त उत्पाद का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद अर्ध कोक या नरम कोक के समान वस्तु नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच के उद्देश्य से ऐसे उत्पाद के आयात पर भी विचार नहीं किया गया है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि नरम कोक या अर्ध कोक को वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

26. अत:, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को निम्नानुसार निर्धारित करते है।

> "लो एश मेटलर्जिकल कोक, यानी मेटलर्जिकल कोक जिसमें निम्नलिखित को छोड़कर 18% से कम राख की मात्रा होती है
>
> क. *फेरोएलॉय विनिर्माण में प्रयोग के लिए 5% आकार सहिष्णुता के साथ 30 एमएम तक के आकार वाले 0.030% तक फास्फोरस सामग्री के साथ अल्ट्रा-लो फास्फोरस* मेटलर्जिकल कोक,

ख. सेमी-कोक या सॉफ्ट कोक,

ग. वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्तों के तहत पिग आयरन निर्माण के लिए 130 मी3 तक की ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम आकार की एलएएम कोक (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ), वास्तविक आयात और अंतिम प्रयोग के संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक उपयुक्त और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन, साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो, प्रयोक्ताओं की ब्लास्ट भट्ठी की क्षमता को प्रमाणित करता है

27. विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 2704 0030 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 अध्याय 27 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य एचएस कोडों के तहत भी आयात किया जा रहा है, जिनमें 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 शामिल हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुण-धर्मों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत:, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "समान वस्तुओं" के रूप में माना जा रहा है।

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सीआरआई, सीएसआर, नमी की मात्रा और टम्बलर शक्ति (एम40) सहित मापदंडों को पीसीएन मापदंडों के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे मापदंडों से संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है। अत:, इन्हें अलग-अलग मापदंडों के रूप में नहीं माना गया है।

30. इस अनुरोध के संबंध में कि पीसीएन को उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन को उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन की लागत उत्पाद के लिए अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न नहीं होती है क्योंकि एक ही उत्पाद का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पीसीएन के लिए ऐसे मापदंडों पर विचार नहीं किया है।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, 13% से ऊपर और 13% से नीचे की राख सामग्री के आधार पर संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रदान किए हैं कि उत्पादन की लागत 13% से नीचे विभिन्न राख सामग्री के आधार पर पर्याप्त रूप

से भिन्न नहीं होती है और भिन्नता केवल 13% से ऊपर और नीचे राख सामग्री के बीच मौजूद है। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए इसे एक पीसीएन मापदंड के रूप में माना गया है।

32. कोक के आकार के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्पादन लागत में अंतर दिखाने वाला कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 10 एमएम से नीचे, 10 -30 एमएम और 30 एमएम से ऊपर के आकार वाले कोक के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाए जाने चाहिए, आकार के आधार पर उत्पादन लागत में भिन्नता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य 10 एमएम से नीचे और 10 एमएम से ऊपर के आकार वाले मेट कोक के उत्पादन लागत में पर्याप्त भिन्नता को दर्शाते हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 10 -20 एमएम और 30 एमएम से ऊपर के आकार के बीच लागत का अंतर पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने 10 एमएम तक के आकार और 10 एमएम से ऊपर के आधार पर पीसीएन पर विचार किया है।

33. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के क्षेत्र के संबंध में प्राधिकारी ने 22 मई 2025 को एक बैठक की। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, और उनकी जांच करने के बाद, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित है और 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से एक पीसीएन पद्धति को अपनाया गया। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पीसीएन पद्धति को निम्नलिखित के रूप में माना है।

पीसीएन मानदंड	विवरण	कोड चिह्न
राख की मात्रा	13% तक	एलए
	13% से अधिक और 18% तक	एमए
आकार	10 एमएम तक का आकार	सीएफ
	आकार 10 एमएम से ऊपर	ओटी

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

34. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. जांच शुरुआत अधिसूचना में यह तय करने के लिए कोई वस्तुपरक विश्लेषण नहीं है कि मौजूदा मामला बिखने हुए उद्योग और बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादकों से जुड़ा है या नहीं। व्यापार सूचना 09/2021 के तहत आवेदन-पत्र दायर करने के लिए ऐसा तय करना ज़रूरी है।

ii. प्राधिकारी ने न तो यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विश्लेषण के लिए 8 घरेलू उत्पादकों का नमूनीकरण किया गया है और न ही भविष्य में नमूनाकरण करने का आशय स्पष्ट किया गया है।

iii. 8 नमूनाकृत उत्पादकों को प्रपत्र VI-1 से VI-5 देना चाहिए था।

iv. ये 8 उत्पादक व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध I के अनुसार सूचना देने में विफल रहे हैं।

v. प्राधिकारी ने यह प्रकटन नहीं किया है कि किन कंपनियों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग के संघटकों की अंतिम सूची प्रकाशित करें और यह सिद्ध करें कि "कुल पात्र घरेलू उत्पादन" कैसे निर्धारित किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या क्षति विश्लेषण तीन नमूनाकृत कंपनियों से संबंधित है, या सभी आवेदक कंपनियों से।

vi. श्रीजी कोक और मदरसन कंसोलिडेटेड को घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है, लेकिन प्राधिकारी यह निर्धारित नहीं करते हैं कि क्या उन्हें वास्तव में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता है। प्राधिकारी इन उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल न करने के लिए कोई सही कारण बताने में विफल रहे है।

vii. जबकि आवेदक ने जिंदल कोक लिमिटेड को विचाराधीन उत्पाद के आयातक के तौर पर पहचाना था, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लेख किया कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

viii. प्राधिकारी ने जिंदल कोक के इस दावे को मान लिया है कि उसने आयात नहीं किया है और इसे घरेलू उद्योग और नमूनाकरण का हिस्सा माना है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा परिचालित लागत संबंधी आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उसने संबद्ध सामानों का आयात किया है। हितबद्ध पक्षकारों को स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और प्रारंभिक जांच परिणाम स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं करते कि जिंदल ने आयात नहीं किया है।

ix. जिंदल कोक, संबद्ध सामान के एक आयातक, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से संबद्ध हैं। दोनों कंपनियों के दो सामान्य निदेशक हैं श्री रतन जिंदल और सुश्री श्रुति श्रीवास्तव और उनका एक ही पंजीकृत कार्यालय है। तथापि, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जिंदल कोक किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। प्राधिकारी द्वारा यह जांच करने के लिए कोई जांच नहीं की गई है कि क्या इस संबंध से जिंदल कोक की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हुई।

x. नियमावली में घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के लिए कोई न्यूनतम छूट निर्धारित नहीं है, जिसके अध्यधीन पात्रता के लिए छूट प्रदान की जा सकती हो। उत्पाद का आयात करने वाले घरेलू उत्पादक को तभी पात्र माना जा सकता है यदि आयात शुल्क मुक्त योजना के तहत हों या आवेदक के नियंत्रण से बाहर विशेष मामले के आयात हों।

xi. जी.एम. एक्सपोर्ट्स में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, नियम 2(ख) के तहत दो या दो से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बाजारों का संदर्भ क्षेत्रीय विभाजन का उल्लेख करने के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 4.1(ii) के तहत परिकल्पित है। देश के "कैप्टिव" और "मर्चेंट" बाजारों में कृत्रिम विभाजन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

xii. प्राधिकारी ने "ऑब्जेक्टिव" क्षति विश्लेषण नहीं किया है क्योंकि उन्होंने मेट कोक के उन उत्पादकों को बाहर रखा है जो घरेलू उद्योग के क्षेत्र से उत्पाद की कैप्टिव रूप से खपत करते हैं। यूएस – हॉट रोल्ड स्टील, मोरक्को – हॉट रोल्ड स्टील और यूएस – कॉटन यार्न में विवाद निपटान निकाय की टिप्पणियों के मद्देनजर इस प्रकार के बाहर रखने की अनुमति नहीं है।

xiii. जैसा कि ईसी – सैल्मन में पैनल ने कहा था, प्राधिकारी को कुल घरेलू उत्पादन तय करने में वैसी ही समान वस्तु के उत्पादन में लगी किसी भी कंपनी पर विचार करना चाहिए था।

xiv. जैसा कि अपीलय निकाय ने माना है, "कैप्टिव" उत्पादकर भी आयातित सामानों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्योंकि (क) उत्पादक अवसर लागत पर विचार करने के बाद निर्माण या खरीद का निर्णय लेता है, (ख) क्षैतिज रूप से एकीकृत उत्पादक व्यापारी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, (ग) कैप्टिव उत्पादकों को बाहर रखने से घरेलू उद्योग के आकार में निरंतर अंतर आएगा, (घ) संयंत्रों की खरीद या बिक्री से घरेलू उद्योग के बनने में परिवर्तन लाएगी, और (ड.) क्षति विश्लेषण में कमी आएगी।

xv. यदि कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा जाना है, तो प्राधिकारी को बंगाल एनर्जी और जिंदल कोक को भी घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर करना चाहिए था। जो उत्पादक कैप्टिव खपत के लिए आंशिक रूप से मेट कोक का प्रयोग करते हैं और जो उत्पादक कैप्टिव खपत के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं, उन उत्पादकों के बीच विभाजन करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

xvi. बंगाल एनर्जी की मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस क्षमता के आधार पर, उसे मेट कोक खरीदना होगा और वह मेट कोक का पूरा इस्तेमाल कैप्टिव रूप से करेगी। पिछले दो सालों में बंगाल एनर्जी की कैप्टिव खपत बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, जिंदल कोक, जो अभी जेएसडब्ल्यू का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है, उसने भी ब्लास्ट फर्नेस लगाया है और मेट कोक को कैप्टिव रूप से इस्तेमाल करेगा। क्षति मार्जिन उन उत्पादकों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, जो अब व्यापारी बाजार की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। यदि ये उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाते हैं तो अन्य कैप्टिव उत्पादकों को बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि आज एक कैप्टिव उत्पादक कल व्यापारिक बाजार में भाग ले सकता है।

xvii. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामान की कैप्टिव रूप से खपत की है। तथापि, उन्होंने जाँच अवधि के दौरान स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है।

xviii. जिंदल कोक ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से एक कोक ओवन अधिग्रहित किया। बंगाल एनर्जी ने अपने वित्तीय विवरणों में यह स्वीकार किया है कि उसने पिग आयरन के लिए मेट कोक की

कैप्टिव खपत पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रकार, अपनाए गए वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ उन्हीं उत्पादकों को एक अवधि में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाएगा, और दूसरी अवधि में नहीं।

xix. जाँच में कई आवेदक और समर्थक या तो पहले से ही ब्लास्ट फर्नेस संचालित कर रहे हैं या उन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, और परिणामस्वरूप वे अपने कोक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैप्टिव रूप से उपभोग करते हैं। ऐसे उत्पादकों को "केवल मर्चेंट कोक" उत्पादक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उपलब्ध वास्तविक मर्चेंट क्षमता का गलत चित्रण होता है।

xx. वीज़ा कोक और वेदांता को मर्चेंट कोक उत्पादक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी संबद्ध समूह कंपनियाँ ब्लास्ट फर्नेस संचालित करती हैं, और कोक उत्पादन का केवल एक हिस्सा ही मर्चेंट बाज़ार में बेचा जाता है।

xxi. बंगाल एनर्जी द्वारा किया गया 66,000 एमटी का आयात पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही दृष्टि से काफी अधिक है (बिक्री का 13-14%) और, इसलिए, इसे नगण्य नहीं माना जा सकता।

xxii. घरेलू उत्पादकों के लिए नमूनाकरण पद्धति त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नमूना चयन की आवश्यकता या नमूनाकरण के चयन के बारे में टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नमूना चयन में शामिल उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन के प्रतिशत के बारे में कोई सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। प्राधिकारी द्वारा नमूना चयन में शामिल उत्पादकों से सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध करने वाला पत्र प्रकाशित नहीं किया गया है।

xxiii. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों का नमूना चयन करने के अपने इरादे को सार्वजनिक नहीं किया, न ही नमूना चयन पर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं। यद्यपि प्राधिकारी ने पिछली जाँचों में नमूना चयन पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं, तथापि वर्तमान मामले में लिया गया निर्णय पक्षकारों के सुनवाई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

xxiv. घरेलू उत्पादकों का नमूना चयन पाटनरोधी करार के अंतर्गत अनुमेय नहीं है, क्योंकि यह करार केवल खंडित उद्योग की स्थिति में समर्थन के स्तर को निर्धारित करने हेतु नमूना चयन की अनुमति देता है।

xxv. यद्यपि नमूना चयन का निर्धारण सर्वाधिक उत्पादन मूल्य के आधार पर किया गया है, तथापि यह एक प्रतिनिधि नमूना होना आवश्यक था, जैसा कि अपीलीय निकाय द्वारा ईसी – सैल्मन (नॉर्वे) मामले में निर्धारित किया गया था। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

नमूना लिए गए उत्पादक घरेलू उत्पादन के एक उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हों, ताकि क्षति के विश्लेषण को निष्पक्ष रूप से किया जा सके।

xxvi. पाटन मार्जिन के निर्धारण के विपरीत, घरेलू उद्योग की नमूनाकरण के लिए प्राधिकारी को पूरे उद्योग के बारे में एक तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने की अनुमति देना आवश्यक है। नमूना लिए गए उत्पादकों के आधार पर गणना किया गया कोई भी क्षति मार्जिन पूरे उद्योग का प्रतिनिधि नहीं होता है।

xxvii. किया गया नमूनाकरण प्रतिनिधिकारक नहीं है, क्योंकि बंगाल एनर्जी और जिंदल कोक को आयातक के रूप में पहचाना गया था, और भाटिया कोक दिवालियापन की कार्यवाही में शामिल है।

xxviii. चूंकि जिंदल कोक घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अपात्र है, इसलिए नमूने में उसकी प्रतिभागिता, व्यापार सूचना 5/2021 के तहत की गई नमूनाकरण प्रक्रिया को कम कर देती है।

xxix. चूंकि जिंदल कोक सैंपल लिए गए केवल तीन घरेलू उत्पादकों में से एक है, इसलिए क्षति के आकलन के लिए जिस आंकड़े पर भरोसा किया गया है, उसका एक-तिहाई हिस्सा जिंदल कोक की अपात्रता के कारण कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

xxx. बार-बार व्यापार उपचारात्मक उपाय प्राप्त करने के उद्देश्य से, विभिन्न जांचों के दौरान उद्योग की संरचना को रणनीतिक रूप से बदला गया है। घरेलू उत्पादक वास्तविक बाजार-आधारित दक्षता या प्रतिस्पर्धात्मकता के बजाय, लगातार व्यापार उपचारात्मक सुरक्षा पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग की तरफ से इंडियन मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने दायर किया है। एसोसिएशन के इन सदस्यों ने इस जांच के लिए आंकड़े दिए हैं।

क. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
ख. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
ग. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड,
घ. जिंदल कोक लिमिटेड
ड. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
च. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड,
छ. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
ज. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और

छ. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड

ii. आवेदन-पत्र दायर कर दिया गया है, और व्यापार सूचना 09/2021 के तहत जांच शुरू की गई थी। इससे ही पता चलता है कि प्राधिकारी ने उद्योग को बिखरा हुआ माना।

iii. हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि जांच अधिसूचना में यह साफ तौर पर बताना कानूनी तौर पर ज़रूरी है कि मौजूदा मामला बंटे हुए उद्योग का है, और ऐसा न होने पर मौजूदा जांच कानून के हिसाब से गलत है।

iv. आवेदन-पत्र को नौ घरेलू उत्पादकों ने समर्थन दिया था।

v. आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में 72% प्रमुख अनुपात है। समर्थकों के साथ उनका कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 85% हिस्सा है।

vi. संबद्ध सामान के कुछ उत्पादक जिन्होंने भारत में संबद्ध सामानों का आयात किया है, उन्हें घरेलू उद्योग होने के अभिप्राय से पात्र माना जाना चाहिए, जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में किया गया है।

vii. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड और बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने साफ किया है कि उन्होंने जांच के समय के दौरान संब देशों से विचाराधीन उत्पाद आयात किया है।

viii. आयात करने वाले घरेलू उत्पादक के लिए नियम 2(ख) के तहत बाहर करने के लिए प्रदान किए जाने का इरादा स्वत: उस उत्पादक को बाहर करना नहीं है जिसने उत्पाद का आयात किया है, भले ही उसके आयात की प्रकृति या मात्रा कुछ भी हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस संबंध में विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जिसे विगत परिपाटी और स्थापित सिद्धांतों और इस संबंध में न्याय प्रक्रिया के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

ix. स्टेट ऑफ़ गुजरात फर्टिलाइज़र्स एंड केम. लिमिटेड बनाम अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, हाई कोर्ट ने पाया कि अपने उत्पादन का 15% तक आयात करने वाला उत्पादक घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।

x. प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों से पता चलता है कि प्राधिकारी ने संबद्ध सामान आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के अभिप्राय से पात्र माना है, अगर ऐसे उत्पादकों का ध्यान संबद्ध सामानों के आयात में नहीं परिवर्तित हो गया है।

xi. जबकि आवेदक ने याचिका में बंगाल एनर्जी लिमिटेड और मदरसंस लिमिटेड को अपात्र माना, प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच करने के बाद, उन्हें घरेलू उद्योग के अभिप्राय से पात्र माना क्योंकि इन कंपनियों द्वारा आयात की मात्रा काफी कम थी।

xii. जबकि मदरसंस कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी के उत्पादन को कुल पात्र भारतीय उत्पादन तय करने के लिए माना गया है, ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना गया है।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्रारंभिक जांच परिणामों में उन कंपनियों की पहचान होती है जिन्हें अपात्र माना गया है। यह स्पष्ट है कि कुल भारतीय उत्पादन में सभी उत्पादकों का उत्पादन शामिल है, सिवाय उन कंपनियों के जिन्हें घरेलू उद्योग बनने से अपात्र माना गया है।

xiv. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रश्न नहीं उठाया है कि आवेदन-पत्र में पहचाने गए घरेलू उत्पाकदों की सूची अपूर्ण थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई घरेलू उत्पादकों की सूची पर सही भरोसा किया है, और उसके बाद, उन घरेलू उत्पादकों को बाहर रखा है जिन्हें उन्होंने घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र पाया।

xv. वर्तमान में पात्र माने गए घरेलू उत्पादक प्रमुख रूप से भारत में संबद्ध सामानों के विनिर्माण में लगे रहे हैं और आयातित सामानों की मात्रा भारत में उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा की तुलना में काफी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों को बाहर रखने से क्षति संबंधी जांच परिणामों यकृति होगी। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाते हुए कोई न्याय प्रक्रिया भी नहीं दर्शाई है कि आयातों की मात्रा पर इस मामले में निर्णय लेते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए।

xvi. जिंदल कोक लिमिटेड संबद्ध सामान का कैप्टिव उपभोक्ता नहीं है। इसने अपने द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान को क्षति की अवधि के दौरान केवल व्यापारिक बाजार में बेचा है।

xvii. जिंदल कोक को अपात्र नहीं माना जा सकता क्योंकि इसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसे डीजी सिस्टम के आंकड़ों से सिद्ध किया जा सकता है।

xviii. प्राधिकारी ने जिंदल कोक लिमिटेड को जांच शुरू होने के समय घरेलू उद्योग का हिस्सा माना था, न कि शुरू होने के बाद।

xix. जिंदल कोक ने मौजूदा जांच में क्षति की अवधि से काफी पहले, 2015 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से कोक ओवन खरीदा था।

xx. जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में संबद्ध कंपनियां नहीं हैं। जबकि जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जिंदल समूह का हिस्सा हैं, वे स्वतंत्र कंपनियां हैं और एक-दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। केवल स्वामित्व या सामान्य निदेशक संगत नहीं है, जैसा कि कॉस्टिक सोडा और सर्कुलर वीविंग मशीन में माना गया है।

xxi. जिंदल कोक और जिंदल स्टेनलेस में केवल एक ही डायरेक्टर हैं, श्री रतन जिंदल। वह जिंदल कोक लिमिटेड में केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं और जिंदल कोक लिमिटेड की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जिंदल कोक लिमिटेड के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं, जबकि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में 17 निदेशक हैं।

xxii. क्षति की अवधि के दौरान बंगाल एनर्जी लिमिटेड की कैप्टिव खपत उक्त उत्पादक द्वारा संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन के संबंध में काफी सीमित है।

xxiii. आवेदक घरेलू उत्पादकों में से केवल एक, यानी बंगाल एनर्जी लिमिटेड एक ब्लास्ट फर्नेस का संचालन करता है और उत्पाद का प्रयोग करता है। बंगाल एनर्जी लिमिटेड को एक कैप्टिव उत्पादक के रूप में मानने से विश्लेषण विकृत हो जाएगा क्योंकि यह भारत में संबद्ध सामानों के सबसे बड़े व्यापारी उत्पादकों में से एक है। यहां तक कि जब बंगाल एनर्जी की केवल घरेलू व्यापारी बिक्री पर विचार किया जाता है, तो यह घरेलू उत्पादकों और घरेलू उद्योग की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है।

xxiv. बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पुष्टि की है कि उसने जांच की अवधि के दौरान, कैप्टिव खपत के लिए, संबद्ध देशों से केवल एक ही खेप का आयात किया है। भारत में कुल आयात, भारत में मांग और भारत में घरेलू उत्पादन की तुलना में ऐसे आयात की मात्रा काफी कम है और उत्पादक का ध्यान विनिर्माण से आयात पर नहीं बदला है। इसे प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है।

xxv. भारत में, मेट कोक या तो इस्पात के निर्माण में एक मध्यवर्ती के रूप में उत्पादित किया जाता है या उत्पादन और बिक्री के लिए बाजार में उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है या आंशिक रूप से बिक्री के लिए उत्पादित किया जाता है और आंशिक रूप से देश में ही खपत किया जाता है।

xxvi. उत्पाद के कम से कम 17 उत्पादक हैं जो कैप्टिव रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं। कैप्टिव प्रयोग के लिए मेट कोक का उत्पादन करने वाले इस्पात निर्माताओं को वर्तमान जांच के उद्देश्य से नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उत्पाद के उपभोक्ता हैं, वे मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में नहीं पहचानते हैं, वे व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, मेट कोक उनके लिए कच्चा माल है और बिक्री के लिए कोई उत्पाद नहीं है और व्यापारी बाजार की स्थिति से सुरक्षित हैं।

xxvii. इस्पात निर्माता अपनी वेबसाइट पर मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

xxviii. कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि भारत में संबद्ध सामानों के आयात पर पिछली जांच में किया गया था। पिग आयरन एमआरएस एसोसिएशन में न्यायाधिकरण बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा जारी

जांच परिणामों को बरकरार रखा और माना कि कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन करने वाले इस्पात उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

xxix इसके अतिरिक्त, उत्पाद की अपनी खपत के लिए उत्पादन करने वाले उत्पादकों और व्यापारी बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन करने वालों का अर्थशास्त्र काफी अलग है क्योंकि व्यापारी बाजार में उत्पादकों को आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, ऐसी प्रतिस्पर्धा उन उत्पादकों के मामले में पूरी तरह नदारद है जो कैप्टिव रूप से इस उत्पाद की खपत करते हैं।

xxx. प्राधिकारी ने पिछले पाटनरोधी जांच में और अधिकरण ने माना है कि व्यापारी बाजार और कैप्टिव बाजार पर नियम 2(ख) के तहत विभिन्न बाजारों के रूप में विचार करना पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप है। ऐसे नियम पाटनरोधी करार के अनुरूप बनाए गए हैं। चूंकि प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, इसलिए वे इस संबंध में अपने पिछले निर्णयों का पालन करेंगे। इस मामले में किसी भिन्न दृष्टिकोण का कोई कारण नहीं दिखाया गया है।

xxxi. यूएस-हॉट रोल्ड स्टील में अपीलीय निकाय के निर्णय पर रखा गया भरोसा उचित नहीं है क्योंकि उस मामले में विवाद घरेलू उद्योग के एक हिस्से को क्षति के निर्धारण के संबंध में था, न कि घरेलू उद्योग की परिभाषा के संबंध में। उक्त विवाद में अपीलीय निकाय ने कहा कि घरेलू उद्योग के एक खंड के लिए नहीं बल्कि पूरे घरेलू उद्योग के लिए क्षति विश्लेषण किया जाना है। तथापि, इस तरह के तथ्य वर्तमान जांच में लागू नहीं हैं क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के कुछ हिस्सों को क्षति विश्लेषण से बाहर नहीं रखा है, लेकिन घरेलू उद्योग की परिभाषा में परंतुक के आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित किया है।

xxxii. यूएस-कॉटन यार्न के मामले पर भरोसा गलत है क्योंकि उस मामले में पैनल ने माना कि यह जांच परिणाम लंबवत एकीकृत वस्त्र उत्पादक पाकिस्तान से आयातित यार्न के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं थे, गलत था। तथापि, वर्तमान मामले में, इस्पात उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे उत्पाद के उपभोक्ता हैं। ऐसे विनिर्माता व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि व्यापारी बाजार से संबद्ध सामान की खरीद कर रहे हैं, और घरेलू उद्योग के निर्धारण के लिए व्यापारी निर्माताओं पर विचार करना घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में उपभोक्ताओं पर विचार करने के समान होगा।

xxxiii. ईसी-सैल्मन मामले में तथ्य वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उस मामले में, सैल्मन खरीदने वाले उत्पाद के उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना गया था, और केवल सैल्मन फार्म करने वाले उत्पादकों के संबंध में ही विचार किया गया था।

xxxiv. मोरक्को - हॉट रोल्ड स्टील के मामले में, जांच प्राधिकारी ने उत्पाद की बाजार हिस्सेदारी पर विचार नहीं किया, जो कैप्टिव रूप से विचाराधीन उत्पाद की खपत कर रहा था तथा

व्यापारिक बाजार में बिक्री कर रहा था, इस तथ्य के निर्धारण के लिए कि क्या घरेलू उद्योग उक्त जांच में स्थापित किया गया था। ऐसे विवाद के तथ्य वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं।

xxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत निर्णय हाल के निर्णय नहीं हैं, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी की विगत परिपाटियों से विचलित होने का कोई कारण नहीं दिखाया गया है, खासकर जब इस परिपाटी को न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया है।

xxxvi. यह अनुरोध कि संयंत्रों की खरीद या बिक्री या व्यापारी बाजार में ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत उत्पादकों के प्रवेश से घरेलू उद्योग के संविधान में परिवर्तन होगा, निराधार है क्योंकि घरेलू उद्योग के निर्धारण के लिए विश्लेषण, साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति, जांच की अवधि के लिए आयोजित किया जाना है और भविष्य के परिदृश्य पर आधारित नहीं है।

xxxvii. जांच की अवधि के लिए क्षति का मार्जिन निर्धारित किया जाता है। कैप्टिव उत्पादकों को क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वे व्यापारी बाजार में संबद्ध सामानों को बेचते हैं।

xxxviii. घरेलू उद्योग के गठन के लिए किसी भी स्थिति में समय-समय पर परिवर्तन होना संभव है। चीन जन.गण. के लिए इस्पात, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के निर्बाध ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है।

xxxix. चूंकि वीजा कोक को अपात्र माना गया है, इसलिए एक व्यापारी या एक कैप्टिव निर्माता के रूप में ऐसी इकाई पर विचार करना वर्तमान जांच के लिए पूरी तरह असंगत होगा। वेदांता और वीज़ा कोक दोनों ही अपने संबद्ध पक्षकारों को, जो स्वतंत्र कंपनियां हैं, उचित कीमत पर बेचते हैं। ऐसी बिक्री को कैप्टिव खपत नहीं कहा जा सकता है। विनाइल टाइल्स के आयात की पाटनरोधी जांच पर भरोसा किया गया है।

xl. भले ही संबद्ध पक्षकारों को बिक्री की गई हो, लेकिन यह बिक्री भारत में खपत की ज़रूरतें पूरी करती है। अगर वीजा कोक आपूर्ति नहीं करता, तो प्रयोगकर्ता घरेलू बाज़ार से या आयात के ज़रिए सामान खरीदते।

xli. घरेलू उद्योग ने सभी घरेलू उत्पादकों को उनकी क्षमता, उत्पादन और बिक्री की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा है। चूंकि विचाराधीन उत्पादों के भारतीय उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए अनुमानों की पुष्टि करने के लिए घरेलू उत्पादकों से संपर्क कर सकते हैं।

xlii. पाटनरोधी करार में घरेलू उत्पादकों को नमूनाकरण करने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें क्षति मार्जिन की गणना के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। यदि पाटनरोधी करार को लागू किया जाना है, तो शुल्क पूरी तरह से पाटन की सीमा तक लगाया जाना चाहिए।

xliii. वर्तमान जांच में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने या नमूनाकरण के लिए टिप्पणियां मांगने की प्राधिकारी के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

xliv. पिछली सभी जांचों में, प्राधिकारी विदेशी उत्पादकों के नमूनाकरण के लिए हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगते रहे हैं। तथापि, घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण के मामले में, प्राधिकारी ने पिछले मामलों में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां नहीं मांगी हैं, जैसे कि विट्रिफाइड टाइल्स या वेल्डेड ट्यूब और पाइप का मामला।

xlv. चूंकि वर्तमान आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया था, इसलिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अच्छी तरह पता था कि प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण करेंगे।

xlvi. नमूनाकृत उत्पादक जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 53% हिस्सा हैं, और इस प्रकार, एक उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xlvii. नमूनाकृत उत्पादकों में बंगाल एनर्जी लिमिटेड का चयन उचित है, क्योंकि यह एक व्यापारी उत्पादक है (भले ही इसकी अपनी खपत भी हो), और यह भारत में विचाराधीन उत्पादों के सबसे बड़े व्यापारी उत्पादकों में से एक है।

xlviii. नमूनाकरण से संबंधित तर्क मान्य नहीं हैं, क्योंकि क्षति विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग से संबंधित है, न कि केवल नमूनाकृत उत्पादकों के लिए; ऐसा इसलिए है क्योंकि नमूनाकरण केवल क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

xlix. चूंकि क्षति विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है, न कि केवल नमूनाकृत उत्पादकों के लिए, इसलिए नमूनाकृत उत्पादकों के आंकड़े को समेकित करने के लिए किसी अलग प्रपत्र IV-क की आवश्यकता नहीं थी।

l. श्रीजी कोक और मदरसन कंसोलिडेटेड ने इस मौजूदा जांच के लिए अपने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, और इसलिए, ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

li. हर जांच में घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करना ज़रूरी होता है, और यह एक जांच से दूसरी जांच में बदल सकता है। अतीत में इन्हीं उत्पादों के लिए कई जांचें हुई हैं, जिनमें घरेलू उद्योग का क्षेत्र बदला गया था। रक्षोपाय जांच की तुलना में घरेलू उद्योग का क्षेत्र इसलिए बदला है, क्योंकि इस मौजूदा जांच में वीज़ा कोक को अपात्र माना गया है।

lii. आवेदक घरेलू उत्पादकों में से कोई भी, संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के निर्यातकों या भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध नहीं हैं।

liii. आवेदक घरेलू उत्पादकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, और इसीलिए, नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

" (ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातिकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

बशर्ते कि नियम 11 के उप-नियम (3) में उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में, प्रश्नगत अनुच्छेद के संबंध में घरेलू उद्योग में दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल माने जाएंगे और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादक एक अलग उद्योग होंगे, यदि-

(i) ऐसे बाजार के भीतर के उत्पादक उस बाजार में प्रश्नगत वस्तु के अपने उत्पादन का सारा या लगभग सारा उत्पादन बेचते हैं: और

(ii) बाजार में मांग किसी भी पर्याप्त हद तक उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है जो क्षेत्र में कहीं और स्थित हैं"

37. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र इंडियन मेटालर्जिकल मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन("आईएमसीओएम") द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया है। आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-I के अनुसार क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं।

i. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
ii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
iii. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
iv. जिंदल कोक लिमिटेड
v. पवनपुत्र ई-कोक प्राइवेट लिमिटेड
vi. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
vii. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
viii. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
ix. वेदांता मालको एनर्जी लिमिटेड

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि वर्तमान मामला खंडित उद्योग और अत्यधिक बड़ी संख्या में उत्पादकों के रूप में पात्र है या नहीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र आवेदक द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया था। उद्योग की प्रकृति की जांच करने के बाद ही प्राधिकारी ने उद्योग की ओर से एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर वर्तमान जांच शुरू की। कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उद्योग की प्रकृति का उल्लेख किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा

दायर याचिका का अगोपनीय रूपांतर प्रदान किया गया था। जांच की शुरुआत को दायर आवेदन-पत्र के साथ पढ़ना होगा। प्राधिकारी का मानना है कि भारत में इस उत्पाद के बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक हैं।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में, विचाराधीन उत्पाद के लिए दो प्रतिस्पर्धी बाजार हैं। बाजार के पहले सेट में संबद्ध सामानों के कैप्टिव उत्पादक शामिल हैं जो इस्पात निर्माण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मेट कोक का उत्पादन करते हैं। यह नोट किया जाता है कि ये निर्माता घरेलू व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि वे आमतौर पर बाजार में मेट कोक नहीं बेचते हैं। ऐसे उत्पादकों के लिए, मेट कोक स्टील के उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है और ऐसे निर्माता वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता हैं। ऐसे कुछ निर्माता व्यापारी बाजार से कोक खरीदते हैं या इसे भारत में आयात करते हैं। दूसरे बाजार में वे निर्माता शामिल हैं जिनका अंतिम उत्पाद मेट कोक है। ये उत्पादक व्यापारी बाजार में बेचने के लिए संबद्ध सामानों का निर्माण करते हैं। ऐसे उत्पादक भारत में किए जा रहे आयात के साथ-साथ आपस में भी व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने इन्हें अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार माना है और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादक एक अलग उद्योग हैं। तदनुसार, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के उद्देश्य से कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए कैप्टिव उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

40. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पिछली जांच में, प्राधिकारी ने मर्चेंट मार्केट और कैप्टिव मार्केट को अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में माना है और इनमें से प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को अलग-अलग उद्योग के रूप में माना गया है। पिग आयरन मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अधिकरण ने प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों को बरकरार रखा और माना कि इस्पात उत्पादकों में एक अलग बाजार शामिल है।

41. इस अनुरोध संबंध में कि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुसार नियम 2(ख) के तहत दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों के संदर्भ को केवल क्षेत्रीय रूप से माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) केवल भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभाजन को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल "बाजार" को संदर्भित करता है। भारत में न्यायाधिकरण ने घरेलू उद्योग के निर्धारण के उद्देश्य से पहले ही कैप्टिव और मर्चेंट बाजारों के बीच बाजारों के विभाजन को बरकरार रखा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने इस उत्पाद से संबंधित पिछली जांचों में कैप्टिव और व्यापारी उत्पादकों और बाजार को अलग-अलग माना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में जांचों में कैप्टिव बाजार को एक अलग बाजार के रूप में माना है।

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कैप्टिव उत्पादक भी आयातित माल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और व्यापारी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और आंशिक रूप से कैप्टिव और पूर्ण रूप से कैप्टिव उत्पादकों के बीच विभाजन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां कुछ उत्पादकों को कुछ अवधियों में घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना जाता है और कुछ अन्य अवधियों में अपात्र माना जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग जांच की अवधि में ही संचालन के लिए निर्धारित किया जाता है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पाद को इस अवधि में भारतीय बाजार में पाटित किया गया था और क्या घरेलू उद्योग को इस अवधि में वास्तविक क्षति हुई थी। चूंकि यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में

कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि कैप्टिव उत्पादकों ने वास्तव में व्यापारी बाजार में संबद्ध सामानों को बेचा है, ऐसे उत्पादकों को निर्धारण के उद्देश्य से कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए नहीं माना गया है।

43. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि चूंकि कैप्टिव उत्पादकों पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी को बंगाल एनर्जी लिमिटेड और जिंदल कोक लिमिटेड पर भी विचार नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड ने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद की कैप्टिव रूप से खपत नहीं की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से भट्टी खरीदी है। तथापि, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, ऐसी भट्टी 2015 में और वर्तमान जांच में क्षति की अवधि से काफी पहले हासिल की गई थी। इस प्रकार, इस तरह के अधिग्रहण से वर्तमान जांच के औचित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

44. बंगाल एनर्जी लिमिटेड के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि उक्त उत्पादक ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का प्रयोग करने के साथ-साथ व्यापारी बाजार में बेचा है। बंगाल एनर्जी ने मुख्य रूप से व्यापारी बाजार में संबद्ध सामानों को बेच दिया है और उक्त कंपनी की कैप्टिव खपत क्षति की अवधि में उसके कुल उत्पादन का 20% से कम है। इसलिए, प्राधिकारी ने बंगाल एनर्जी लिमिटेड को संबद्ध सामानों का व्यापारी उत्पादक माना है। इसके अतिरिक्त, उक्त उत्पादक को बाहर करने से प्राधिकारी के विश्लेषण में वास्तविक रूप से विकृति आएगी क्योंकि यह देश के सबसे बड़े व्यापारी उत्पादकों में से एक है। यहां तक कि यदि उक्त उत्पादक की केवल व्यापारी बिक्री पर विचार किया जाता है, तो यह अकेले भारत में कुल व्यापारी बिक्री का ***% है। प्राधिकारी का यह भी मानना है कि कैप्टिव खपत और व्यापारी बिक्री वाले घरेलू उत्पादकों को उन घरेलू उत्पादकों से अलग देखा जाना चाहिए जो पूरी तरह से कैप्टिव खपत के लिए और अपने तैयार उत्पाद के उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती या इनपुट के रूप में एक उत्पाद का उत्पादन करते हैं।

विवरण	इकाई	
क्षति की अवधि में बीईएल का उत्पादन	एमटी	***
बीईएल की कैप्टिव खपत	एमटी	***
उत्पादन में कैप्टिव खपत का हिस्सा	%	10-20%

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कुछ उत्पादक ब्लास्ट भट्टियां स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें व्यापारी उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान, केवल बंगाल एनर्जी लिमिटेड एक ब्लास्ट फर्नेस का संचालन कर रहा था और संबद्ध आयात की कुछ मात्रा का कैप्टिव रूप से खपत कर रहा था। अन्य घरेलू उत्पादकों में से कोई भी संबद्ध सामानों का प्रयोग नहीं करता है। विस्फोट भट्टियों की स्थापना और संबद्ध सामानों की कैप्टिव खपत के संबंध में कोई भी भविष्य का विकास वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के निर्धारण के उद्देश्य से संगत नहीं है।

46. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि वीज़ा कोक और वेदांता माल्को एनर्जी को व्यापारिक उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने समूह की कंपनियों को बेचा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वीज़ा कोक लिमिटेड और वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड दोनों ने अपने संबद्ध पक्षकारों सामान बेचा है जो स्वतंत्र कंपनियां हैं। ऐसी बिक्री को कैप्टिव खपत नहीं कहा जा सकता है। किसी भी दशा में, वीजा कोक को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र माना गया है क्योंकि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी मात्रा में आयात किया है।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में वर्तमान पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन-पत्र दायर करते समय, आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-I के अनुसार आंकड़े प्रदान किए हैं।

1. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
2. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
3. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
4. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
6. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
7. वेदांता मालको एनर्जी लिमिटेड

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान, ऊपर बताए गए आवेदक घरेलू उत्पादकों में से किसी ने भी भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, ये उत्पादक, संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

49. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, और इसलिए, उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

1. श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
2. श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3. मदरसन कंसोलिडेट
4. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
5. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

6. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी
7. जिंदल कोक लिमिटेड
8. वीज़ा कोक लिमिटेड

50. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू करने से पहले भारत में सभी घरेलू उत्पादकों को 25 मार्च 2025 को पत्र जारी किए, जिसमें क्षति की अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा की गई उनकी क्षमताओं, उत्पादन, बिक्री, कैप्टिव खपत और आयात के संबंध में सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने यह भी सूचना मांगी कि क्या उत्पादक जांच शुरू करने के लिए दायर आवेदन-पत्र का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं या तटस्थ हैं। निम्नलिखित उत्पादकों ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया और समर्थन पत्र दायर किए।

1. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
2. कार्बन एज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
3. कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज़
4. हर्ष फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. जिंदल कोक लिमिटेड
6. नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड
7. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड
8. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड
9. तिरुपति ट्रेडर्स
10. तमिलनाडु कोक एंड पावर लिमिटेड
11. उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
12. वराह वेंचर्स (पहले गिरधारी कोक के नाम से जाना जाता था)

51. प्राधिकारी नोट करते है कि जांच की शुरुआत से पहले, जिंदल कोक लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध I के अनुसार आंकड़े दायर किए हैं और प्राधिकारी से इसे घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में मानने का अनुरोध किया है। चूंकि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के अनुसार पूर्ण आंकड़े प्रदान किए गए हैं, इसलिए प्राधिकारी ने इसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में माना है। जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान इन देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात नहीं किया है और इसका इन देशों के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

52. जांच शुरू होने के बाद, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार आंकड़े दायर किए हैं और अनुरोध किया है कि इसे वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने जांच की अवधि के

दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। उत्पादक ने अनुरोध किया है कि उसने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से केवल एक ही पोत का आयात किया है और विचाराधीन उत्पाद का नियमित आयातक नहीं है। इसके अलावा, आयातित उत्पाद की घरेलू बाजार में बिक्री नहीं की गई है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आयात, भारत में घरेलू उत्पादन और मांग की तुलना में नगण्य है। बंगाल एनर्जी का संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए बंगाल एनर्जी लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है।

विवरण	इकाई	पीओआई
बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आयात	एमटी	***
संबद्ध आयात	एमटी	34,34,806
घरेलू उत्पादन	एमटी	25,15,366
मांग	एमटी	66,10,837
निम्नलिखित के संबंध में आयात		
संबद्ध आयात	%	<2%
घरेलू उत्पादन	%	<2%
मांग	%	<1%

53. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित उत्पादकों ने भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।

क्र.सं.	विवरण	उत्पादन	आयात	उत्पादन के संबंध में आयात
1.	बंगाल एनर्जी लिमिटेड	***	***	5-15%
2.	महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	***	***	70-80%
3.	महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी	***	***	150-160%
4.	मदरसन कन्सोलिडेट	***	***	5-15%
5.	श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	50-60%
6.	श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड	***	***	15-25%
7.	श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	***	***	0-10%
8.	वीज़ा कोक लिमिटेड	***	***	20-30%

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि बंगाल एनर्जी लिमिटेड, मदरसन कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयात उनके उत्पादन, भारत में कुल उत्पादन और मांग के संबंध में काफी नहीं हैं, ऐसे उत्पादकों को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है।

55. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जबकि मदर्सन्स कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को पात्र माना गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि ऐसे उत्पादकों द्वारा आयात की मात्रा नगण्य है, इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है। तथापि, ऐसे उत्पादकों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपने आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं, इसलिए, प्राधिकारी ने उन्हें घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं माना है। वर्तमान जांच में आवेदक घरेलू उत्पादकों की स्थिति निर्धारित करने के लिए ऐसे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया गया है।

56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि जिंदल कोक लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसने विचाराधीन उत्पाद को भारत में आयात किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन दायर करने के समय आवेदक ने जिंदल कोक लिमिटेड को संबद्ध सामानों के आयातक के रूप में पहचाना था, जिंदल कोक लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़े से निर्माता द्वारा किए गए दावों का सत्यापन किया है। केवल यह जांच करने के बाद कि जिंदल कोक लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, प्राधिकारी ने जिंदल कोक लिमिटेड को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना है।

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड जिंदल स्टेनलेस स्टील से संबद्ध है क्योंकि उक्त कंपनियों के दो सामान्य निदेशक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में स्पष्टीकरण के अनुसार, एक उत्पादक को आयातक से संबद्ध कहा जा सकता है, केवल तभी जब उनमें से एक दूसरे को नियंत्रित करता है या तीसरे अवधि द्वारा नियंत्रित होता है या एक साथ वे किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं जिसके कारण वे असंबद्ध उत्पादकों से अलग व्यवहार करते हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जिंदल समूह का हिस्सा हैं, लेकिन वे स्वतंत्र इकाइयां हैं और एक-दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों कंपनियों में केवल एक ही सामान्य निदेशक है। इसके अलावा, ऐसा निदेशक जिंदल कोक लिमिटेड में एक गैर-कार्यकारी निदेशक है और इसलिए, कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन पर उसका नियंत्रण नहीं है। जहां जिंदल कोक लिमिटेड में 6 निदेशक हैं, वहीं जिंदल स्टेनलेस स्टील में 17 निदेशक हैं। घरेलू उद्योग अनुरोध किया है कि एकल गैर-कार्यकारी निदेशक दोनों कंपनियों पर प्रभाव या नियंत्रण नहीं कर सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार संबद्ध कंपनियां नहीं हैं।

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने वाले घरेलू उत्पादकों का कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 71% और समर्थकों के साथ कुल पात्र घरेलू उत्पादन में 84% हिस्सा है। चूंकि घरेलू उत्पादक भारत में कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

59. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है। सबसे बड़े उत्पादन मात्रा के आधार पर निम्नलिखित तीन घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया गया है। उक्त उत्पादकों ने वर्तमान जांच के लिए व्यापार सूचना 05/2021 के तहत निर्दिष्ट सभी संगत सूचना प्रदान की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या क्षति विश्लेषण के लिए नमूनाकरण किया गया है। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि क्षति विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग के लिए किया गया है, जिसमें 9 उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े शामिल हैं। नमूनाकरण केवल वर्तमान जांच में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से किया गया है, जहां निम्नलिखित तीन कंपनियों के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

क. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
ख. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्काटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड)
ग. जिंदल कोक लिमिटेड

60. इस अनुरोध के संबंध में कि नमूनाकरण पद्धति त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी उद्देश्यों के लिए घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पूर्व सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया था जो प्राधिकारी को एनआईपी उद्देश्यों के लिए घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण का चयन करने का आदेश देता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को याचिका का अगोपनीय रूपांतर प्रदान किया गया था और वे पूरी तरह से अवगत थे कि इस तरह की जांच की प्रक्रिया में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण शामिल होगा।

61. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी करार घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण की अनुमति नहीं देता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा इस तथ्य के कारण है कि पाटनरोधी करार पाटन मार्जिन की पूरी सीमा तक पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुमति देता है। तथापि, भारत में, नियमावली पाटनरोधी शुल्क को क्षति मार्जिन या पाटन मार्जिन, जो भी कम हो, की सीमा तक लागू करने का आदेश देती है। क्षति के मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से नमूनाकरण किया गया है। घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति विश्लेषण किया गया है और इस तरह के विश्लेषण के लिए कोई नमूनाकरण नहीं किया गया है।

62. इस अनुरोध के संबंध में कि नमूनाकृत उत्पादकों को घरेलू उत्पादन के उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नमूनाकृत उत्पादकों का जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के

कुल उत्पादन में 50% से अधिक है। इस प्रकार, नमूनाकृत उत्पादक घरेलू उद्योग के एक उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं।

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड और बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंकड़ों के आधार पर क्षति मार्जिन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वे भविष्य में मेट कोक का प्रयोग कर सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में कानून के तहत कोई औचित्य नहीं पाया जाता है। जिंदल कोक लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का प्रयोग नहीं किया है और बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने अपने उत्पादन की सीमित मात्रा का प्रयोग किया है। कोई भी भविष्य की घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जांच की अवधि के लिए निर्धारित क्षति के मार्जिन को विकृत नहीं करती है, जिसमें नमूनाकृत कंपनियों की प्रमुख बिक्री व्यापारी बाजार में हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एनआईपी उत्पादन पर आधारित है और इस तरह के उत्पादन के प्रयोग से प्रभावित नहीं है - चाहे वह कैप्टिव खपत के लिए हो या घरेलू या निर्यात बाजार में बिक्री के लिए।

64. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भाटिया कोक को नमूनाकृत कंपनी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाटिया कोक 2022 तक कारपोरेट समाधान प्रक्रिया के अधीन था और उसके बाद, एक्का टेरा द्वारा खरीदा गया था। चूंकि, यह कंपनी नए प्रबंधन के अधीन है और जांच की अवधि में दिवालियापन के अधीन नहीं है, इसलिए एक्का टेरा पर एक नमूनाकृत कंपनी के रूप में विचार करना अनुचित नहीं है।

65. इस अनुरोध के संबंध में कि जिन कंपनियों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है, उनकी पहचान नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने पहले ही उन उत्पादकों को नोट किया है जिन्होंने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपने आंकड़े प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणामों में अपात्र माने गए उत्पादकों की भी पहचान की गई है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि निम्नलिखित तालिका वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का आधार दर्शाती है।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**पीओआई**	**हिस्सा**
क	**घरेलू उद्योग बनने वाले उत्पादकों का उत्पादन**	**एमटी**	**14,42,008**	**71.40%**
1.	एक्का टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड	एमटी	***	***
2.	बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
3.	जिंदल कोक लिमिटेड	एमटी	***	***
4.	पवनपुत्र इकोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
5.	सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
6.	सु मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
7.	वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड	एमटी	***	***

8.	यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
9.	बंगाल एनर्जी लिमिटेड	एमटी	***	***
ख.	**समर्थकों का उत्पादन**	**एमटी**	**248,213**	**12.29%**
1.	कार्बन एज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	एमटी	***	***
2.	कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज़	एमटी	***	***
3.	नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
4.	नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड	एमटी	***	***
5.	तिरुपति ट्रेडर्स	एमटी	***	***
6.	वराह वेंचर्स (गिरधारी कोक)	एमटी	***	***
7.	हर्ष फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
8.	तमिलनाडु कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
9.	उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
ग.	**अन्य उत्पादकों का उत्पादन**	**एमटी**	**329,292**	**16.31%**
1.	संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड	एमटी	***	***
2.	विमला फ्यूल्स एंड मेटल लिमिटेड	एमटी	***	***
3.	ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड	एमटी	***	***
4.	कृष्णा कोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
5.	जीनस पेपर एंड कोक लिमिटेड	एमटी	***	***
6.	एमवी इंटरनेशनल	एमटी	***	***
7.	श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
8.	जगन्नाथ कंबाइन कोक लिमिटेड	एमटी	***	***
9.	माइंडस्पेस कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
10.	मदरसन कंसोलिडेट	एमटी	***	***
घ.	**कुल पात्र उत्पादन**	**एमटी**	**2,019,514**	**100.00%**

66. जहां तक इस अनुरोध का संबंध हैं कि घरेलू उद्योग की संरचना को पिछले व्यापार उपचारात्मक जांच से बदल दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग को प्रत्येक जांच के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत आवश्यकता यह है कि घरेलू उद्योग बनने वाले घरेलू उत्पादकों का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात होना चाहिए। चूंकि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने वाले घरेलू उत्पादक एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए घरेलू उद्योग को सही ढंग से परिभाषित किया गया है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय जांच की तुलना में वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। जबकि

पिछली जांच में केवल 5 उत्पादकों को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना गया था, उपरोक्त तालिका के क्र.सं. "क" में सूचीबद्ध 9 उत्पादक वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

67. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. जबकि आवेदकों ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का आयातक है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यदि आवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण दायर किया गया था, तो उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था।

ii. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, क्षतिरहित कीमत की गणना प्रदान नहीं की गई है।

iii. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में +/- 10% की रेंज में क्षतिरहित कीमत का प्रकटन नहीं किया है और यह सूचना प्रारंभिक जांच परिणामों में भी प्रकटन नहीं की गई है।

iv. घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना का अगोपनीय रूपांतर अत्यधिक गोपनीय है और इसमें उचित सारांश का अभाव है।

v. घरेलू उद्योग ने तकनीकी विनिर्देशों, बिक्री, क्षमता और अनुप्रयोग के उत्पादन, भारत में वास्तविक मांग, भारत में बाजार हिस्सेदारी और अनुमानित वृद्धि और वास्तविक मंदी सिद्ध करने वाले साक्ष्य के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

vi. भले ही आवेदक का पूरा अनुरोध वास्तविक मंदी पर आधारित है, लेकिन प्रस्तुत कथित परियोजना रिपोर्टों पर व्यापक गोपनीयता का दावा किया गया है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राधिकारी द्वारा लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे।

viii. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुबंध II में कुछ आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से एक इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन के सदस्यों की पूरी सूची है। घरेलू उद्योग द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को इस सूची का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ix. हितबद्ध पक्षकारों को नमूनाकृत उत्पादकों की ओर से दायर किए गए प्रोफार्मा-IV-क तक भी पहुंच नहीं है। जिंदल कोक द्वारा प्रदान किए गए क्षति के आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान नहीं किया गया है।

x. आवेदक ने सामान्य मूल्य गणनाओं को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है और इसके बारे में कोई अगोपनीय सारांश प्रदान नहीं किया है। इस प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुत सूचना की परिशुद्धता का सत्यापन करने में असमर्थ रहे हैं।

xi. मूल आंकड़े जिससे प्रारंभिक जांच परिणामों में शुल्क के प्रभाव को परिमाणित किया गया है, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाना चाहिए।

xii. कथित न्यूनतम डाउनस्ट्रीम कीमत प्रभाव को अंतर्निहित मान्यताओं और कारकों के साथ अगोपनीय रूप में प्रकट किया जाना चाहिए, जिसमें खपत कारक, कैप्टिव बनाम मर्चेंट शेयर और विशेष ग्रेड के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण शामिल हैं। इसके अलावा, फेरोएलॉय और फाउंड्री के लिए तुलनीय मेट्रिक्स साझा किए जाने चाहिए।

xiii. प्रारंभिक जांच परिणामों में सूचना की अत्यधिक गोपनीयता है क्योंकि प्राधिकारी ने पहुंच कीमत का प्रकटन नहीं किया है। जैसा कि भारत संघ मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, प्राधिकारी सूचना को गोपनीय होने का दावा नहीं कर सकते हैं।

xiv. अन्य क्षति मापदंडों का प्रकटन नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि क्षति मापदंड 9 उत्पादकों से संबंधित हैं, और समग्र आंकड़ों का प्रकटन व्यक्तिगत उत्पादकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

xv. निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए तथ्यों को प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रकट नहीं किया गया है।

xvi. अनुबंध 3 के संबंध में दावा की गई पूर्ण गोपनीयता हितबद्ध पक्षकारों के लिए घोर पूर्वाग्रहपूर्ण है, क्योंकि आयात आंकड़ों की शुद्धता का पता लगाना संभव नहीं है।

xvii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड के आंकड़े सभी पक्षकारों को परिचालित नहीं किए गए थे। दावा की गई क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी, क्योंकि प्रारूपों के अनुसार समेकित सूचना की आपूर्ति नहीं की गई थी।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

68. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. कई विदेशी उत्पादकों ने व्यापारियों और निर्यातकों के नामों का दावा किया है जिन्होंने भारत को गोपनीय रूप से अपना उत्पाद निर्यात किया है।

ii. कई उत्पादकों/निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने वितरण और विपणन चैनल के साथ-साथ संबंधित कंपनियों के बारे में विवरण, समायोजन के रूप में दावा किए गए खर्चों की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया और कच्चे माल के नाम का प्रकटन नहीं किया है।

iii. उत्पाद कैटलॉग और ब्रोशर के साथ-साथ बेचे गए उत्पादों की सूची, जिसे नियमित रूप से ग्राहकों के साथ साझा किया जाता है, गोपनीय होने का दावा किया गया है।

iv. कई पक्षकारों ने व्यापार सूचना 01/2013 के अनुसार गोपनीयता के लिए औचित्य प्रदान नहीं किया है।

v. कई उत्पादकों और निर्यातकों ने कंपनी संबद्धता, शेयरधारिता और उत्पादकों के नामों का दावा किया है जो उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के गोपनीय हैं।

vi. दी गई बीजक के बाद की छूट के ब्यौरे और प्रकृति गोपनीय होने का दावा किया गया है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकता का पालन नहीं किया है।

viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहा है।

ix. आवेदक ने पूर्ण गोपनीयता का दावा नहीं किया है और प्रत्येक मापदंड के लिए गोपनीयता का दावा करने के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान किया है।

x. चूंकि प्रभाव विश्लेषण बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत पर आधारित है, इसलिए यह गोपनीय है। ऐसी सूचना का प्रकटन घरेलू उद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एक उपयुक्त अगोपनीय सारांश प्रदान किया गया है।

xi. प्रभाव का एक अगोपनीय रूपांतर पहले ही प्रकट किया जा चुका है, और प्राधिकारी ने इस तरह की गणना के लिए विचार किए गए व्यापारिक उत्पादन के उपभोग कारक और हिस्सेदारी का प्रकटन किया है।

xii. नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों की लागत संबंधी सूचना वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना है, जिसका प्रकटन घरेलू बाजार में उत्पादकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यहां तक कि निप्पॉन कोक और ब्लूस्कोप सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

xiii. प्राधिकारी ने पहले ही प्रारंभिक जांच परिणामों में मात्रा से संबंधित क्षति के मापदंडों का प्रकटन कर दिया है। लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में, वही गोपनीय व्यवसाय संवेदनशील सूचना बनाते हैं, जिसका प्रकटन भारतीय बाजार में घरेलू उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और

प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ प्रदान करेगा। आवेदक ने इस संबंध में अपने आवेदन-पत्र में ही अपनी गोपनीयता के दावों को उचित रूप से सही ठहराया है।

xiv. वास्तविक बिक्री कीमत और बिक्री लागत की सूचना के प्रकटन से ग्राहकों को बाजार में औसत कीमतों के आधार पर बातचीत करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा, अन्य घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अपनी विपणन और कीमत निर्धारण रणनीतियों को फिर से तैयार कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगी और बिक्री में नुकसान हो सकता है, यदि ऐसी सूचना का प्रकटन किया जाता है।

xv. आवेदक ने तीसरे पक्षकार से आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है, जिसे साझा करने के लिए आवेदक को अधिकृत नहीं किया गया है। आवेदक ने देशवार सूचना के रूप में आयात आंकड़े का सारांश प्रदान किया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े गलत हैं।

xvi. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े पर भरोसा नहीं किया है, लेकिन डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xvii. घरेलू उद्योग ने तकनीकी विनिर्देश प्रदान नहीं किए हैं और अपने अनुरोधों को उसी पर आधारित नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने जहां भी इस संबंध में प्रस्तुतियां अनुरोध किए हैं, वहा मापदंड प्रदान किए हैं, और गोपनीय होने का दावा नहीं किया है।

xviii. वर्तमान मामला वास्तविक मंदी का नहीं है और अनुरोध असंगत हैं क्योंकि वे परियोजना की वृद्धि और साक्ष्य से संबंधित हैं।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सीधे यह स्पष्ट करना होगा कि वे किस अनुबंध 3 का उल्लेख कर रहे हैं।

ड.3प्राधिकारी द्वारा जांच

69. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"7.गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय

में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

70. गोपनीय आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

71. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

72. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने लेनदेन वार आयात आंकड़े साझा नहीं किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए बाजार की सूचना पर भरोसा किया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ इसका एक अगोपनीय सारांश साझा किया गया है। किसी भी मामले में, लेनदेन वार सूचना साझा नहीं करने से किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर नहीं।

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एसोसिएशन के सदस्यों की सूची का एक अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उचित तुलना के लिए दावा किए गए वितरण चैनल और समायोजन प्रदान नहीं किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 अक्टूबर 2025 के ईमेल के माध्यम से उक्त सूचना का प्रकटन करने का निर्देश दिया है।

74. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़ों और सामान्य मूल्य गणना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। चूंकि उत्पादन की लागत गोपनीय व्यवसाय स्वामित्व वाली सूचना है, इसलिए इसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के संबंध में सूचना गोपनीय व्यापार स्वामित्व वाली सूचना है जिसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और

प्रयोक्ताओं को कीमतों पर बातचीत करने के लिए एक बढ़त प्रदान करेगा और इसलिए, गोपनीय होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।

75. जहां तक इस अनुरोध का संबंध हैं कि घरेलू उद्योग ने उस स्पष्टीकरण को साझा नहीं किया है जिसके आधार पर प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने भारत में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड ने याचिका दायर करने के बाद वर्तमान जांच में समर्थन पत्र दायर किया है। इस तरह के पत्र का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है। जिंदल कोक लिमिटेड ने यह उल्लेख है कि उसने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत में आयात नहीं किया है।

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि निर्धारित क्षतिरहित कीमत रेंज में साझा नहीं की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के लिए आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 9/2021 के तहत दायर किया गया है। बिखरे हुए उद्योग के लिए एक जांच में क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन नमूनाकृत उत्पादकों के लिए निर्धारित किया जाता है। चूंकि प्राधिकारी ने याचिका दायर करने के समय नमूनाकरण नहीं किया था, इसलिए आवेदक ने क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। प्राधिकारी ने नमूनाकृत उत्पादकों के लागत आंकड़े के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। क्षति मार्जिन को प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ-साथ वर्तमान प्रकटन विवरण में भी बताया गया है।

77. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दायर लागत सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का संबंध है, प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि उक्त सूचना व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों की गोपनीय व्यापार स्वामित्व वाली सूचना है और ऐसी सूचना का प्रकटन घरेलू उत्पादकों के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अपनी लागत की सूचना गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, दोनों के लिए ऐसे दावों को स्वीकार किया है।

78. नियो मेटालिक्स लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने अनुमानित वृद्धि और गोपनीय सामग्री मंदी के साक्ष्य के संबंध में सूचना गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में वास्तविक मंदी का दावा नहीं किया है और इस प्रकार, इस तरह के अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

79. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने नमूना उत्पादकों के लिए प्रपत्र IV –क और जिंदल कोक लिमिटेड तथा बंगाल एनर्जी लिमिटेड के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा दायर किए गए आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति का निर्धारण किया गया है और घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से प्रोफार्मा IV -क अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया है।

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रभाव विश्लेषण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत पर आधारित है। इस तरह की सूचना घरेलू उद्योग की गोपनीय व्यापारिक स्वामित्व वाली सूचना है और

इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं जा सकता है। हालाँकि, प्रभाव का एक अगोपनीय रूपांतर साझा किया गया है।

81. कुल आंकड़ों के प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग के लिए मात्रा की सूचना पहले ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट कर दी गई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वास्तविक बिक्री कीमत और बिक्री लागत की सूचना के प्रकटन से ग्राहकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि घरेलू उद्योग (क) औसत बिक्री कीमत, (ख) प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जा रहे बिक्री कीमत पर कितना लाभ कमा रहा है। इससे ग्राहकों को बातचीत करने की अधिक शक्ति मिलेगी। इस तरह की सूचना के प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को घरेलू बाजार में अपनी कीमतों को समायोजित करने की अनुमति भी मिलेगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार कर लिया है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

82. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. दायर की गई याचिका अपर्याप्त है क्योंकि इसमें क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन, प्रारूप VI-1 से VI-5, अनुबंध-I प्रत्येक उत्पादक के लिए और साथ ही पीबीआईटी के लिए वास्तविक आंकड़े शामिल नहीं हैं।

ii. वर्तमान जांच में प्रारंभिक जांच परिणामों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने नकद लाभ अर्जित किया है जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। वर्तमान जांच शुरू होने के बाद तीव्र आयात का कोई सबूत नहीं है।

iii. प्रारंभिक जांच परिणाम यह नहीं बताते कि अनुच्छेद 7.1 (ii) के तहत आवश्यक होने के कारण अनंतिम शुल्क लगाना क्यों आवश्यक था। सिर्फ इसलिए कि एक जांच शुरू की गई है और प्राधिकारी ने प्रारंभिक रूप से एक जांच शुरू की है, अनंतिम शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं है।

iv. प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार, यदि घरेलू उद्योग को तीव्र पाटन किए गए आयात के कारण क्षति से बचाने की 'तत्काल आवश्यकता' उत्पन्न होती है, तो अनंतिम शुल्क पर विचार किया जा सकता है।

v. रक्षोपाय जांच और पाटनरोधी जांच के बीच क्षति की अवधि का अतिव्यापन है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को लागू मात्रात्मक प्रतिबंधों द्वारा हल किया जाएगा।

vi. घरेलू उद्योग ने पहले से ही अतिव्यापन क्षति अवधि के आधार पर एक रक्षोपाय प्राप्त कर लिया है। घरेलू उद्योग केवल 15 महीने की अवधि बढ़ाकर और लगभग समान तथ्य स्थिति प्रस्तुत

करके व्यापार उपचार के लिए "खरीदारी" में शामिल नहीं हो सकता है, जब परिस्थितियों में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग को रक्षोपाय की मांग करने से पहले पिछली अवधि में कम कीमत वाले आयात के कारण कीमत न्यूनीकरण और ह्रास पर विचार करना चाहिए था।

vii. याचिका और प्रारंभिक जांच परिणाम इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंध स्थिति को ठीक करने में विफल क्यों रहे, जिससे उस वर्ष में पाटनरोधी जांच शुरू करने की आवश्यकता हुई, जिसमें प्रतिबंध लागू रहे।

viii. ऑपरेटिंग परिपाटियों के मैनुअल में शुल्क लगाने के लिए गहन पाटन को एक मापदंड की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में नहीं है।

ix. वर्तमान जांच की शुरुआत बिना किसी आधार के है क्योंकि आवेदकों ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत की स्थिति को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए हैं।

x. आवेदक व्यापार उपचारात्मक प्रक्रिया का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद वर्तमान में रक्षोपाय के अध्यधीन है और पहले पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था।

xi. 2019 में शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं की क्योंकि वे संतुष्ट थे कि उद्योग को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई थी।

xii. इंडोनेशिया में चीनी-पूंजीगत उद्यमों द्वारा क्षमता के अत्यधिक विस्तार के कारण जापान में मेट कोक उद्योग गंभीर परिस्थितियों में काम कर रहा है। इसने वैश्विक स्तर पर जापानी मेट कोक को विस्थापित कर दिया है, जिससे जापानी उत्पादकों को क्षमता कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जापानी उद्योग पाटन में शामिल नहीं है, बल्कि कच्चे माल की लागत के आधार पर स्थिर कीमतों पर बेचे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कोक में विशेषज्ञता के साथ एक विभेदन रणनीति अपनाता है। इस प्रकार, जापान से 80% मेट कोक को दो भारतीय कंपनियों द्वारा उनके अत्यधिक विशिष्ट ब्लास्ट फर्नेस संचालन के लिए, दीर्घकालिक आपूर्ति संबंधों के तहत और मांग-आपूर्ति सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होने वाली निश्चित कीमतों पर आयात किया जाता है।

xiii. उत्पादन में कटौती के बाद, जापानी उत्पादकों का प्रारंभिक लक्ष्य अस्तित्व और लाभदायक संचालन बनाए रखना है, और इस प्रकार, वे नुकसान पर बेचकर पाटन में शामिल नहीं होंगे। चूंकि क्षमता जोड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए भारत में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का कोई दीर्घकालिक रणनीतिक तर्क नहीं है।

xiv. जांच की शुरुआत के स्तर पर माने गए समुद्री भाड़ा सहित निर्यात कीमत के लिए साक्ष्य में कमियों के कारण, जांच की शुरुआत कानून में अपने आप में गलत है और जांच रद्द की जानी चाहिए।

xv. चूंकि एएमएनएस केवल अपनी खपत के लिए मेट कोक का आयात करता है और बाजार में पुनर्विक्रय नहीं करता है, इसलिए प्राधिकारी को ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को शुल्क से छूट देनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, एएमएनएस अपनी स्वयं की कोक ओवन बैटरी चालू करने की प्रक्रिया में है।

xvi. चूंकि घरेलू उद्योग ने एक समायोजन योजना प्रस्तुत की है, जिसमें उन मुद्दों और कारकों को स्वीकार किया गया है जिनमें सुधार की आवश्यकता है; प्राधिकारी को ऐसी अक्षमताओं के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा और सीमा की जांच करनी चाहिए।

xvii. चूंकि मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपचारात्मक प्रभाव जनवरी से सितंबर 2025 तक दिखाई देंगे, इसलिए ऐसी अवधि के निष्पादन का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

xviii. जिंदल कोक द्वारा आयात के संबंध में जांच की शुरुआत से पहले की तथ्यात्मक असंगति प्रक्रिया को नियम 5 (3) (ख) का उल्लंघन करती है, क्योंकि प्राधिकारी ने सूचना की पर्याप्तता और सटीकता की जांच नहीं की थी।

xix. घरेलू उद्योग ने आयात प्रतिबंधों के लिए डीजीएफटी से भी संपर्क किया, जिसे अनंतिम शुल्क लगाए जाने के बाद वापस ले लिया गया। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के बजाय केवल सरकार की दया पर चल रहा है।

xx. चूंकि आवेदन-पत्र जांच की अवधि के लिए नहीं था, इसलिए याचिका पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के सटीक विश्लेषण का आधार नहीं बन सकती है।

xxi. क्षेत्र के प्रकार के आधार पर घरेलू और विदेशी आपूर्ति के साथ-साथ विदेशी स्रोतों से आपूर्ति के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में विविधीकरण है। इस्पात के लिए आपूर्ति किए गए संबद्ध सामान अन्य क्षेत्रों को आपूर्ति किए गए सामानों की तुलना में अलग-अलग स्थितियों के तहत है, जिसमें पिग आयरन और स्पंज आयरन निर्माता शामिल हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में, बिक्री दीर्घकालिक अनुबंधों या स्थल आधार पर संपन्न होती है। तथापि, सभी प्रमुख घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से बार-बार संपर्क करने के बावजूद, किसी भी घरेलू आपूर्तिकर्ता ने नियो मेटालिक्स के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति करार में प्रवेश करने के लिए सहमति नहीं दी है या यहां तक कि उनके अनुरोध का उत्तर भी नहीं दिया है। यहां तक कि विदेशी उत्पादकों ने भी दीर्घकालिक अनुबंध के आधार पर आपूर्ति नहीं की और अपने स्वयं के संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया।

xxii. चूंकि घरेलू उद्योग स्थल बिक्री का पक्षधर था और दीर्घकालिक अनुबंधों को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए गैर-इस्पात क्षेत्रों के लिए घरेलू स्तर पर संबद्ध सामानों की सुनिश्चित आपूर्ति की भारी कमी थी और उपलब्धता 'स्थल बाजार' के आधार पर सीमित है, जो एक सतत उत्पादन योजना को बाधित करती है।

xxiii. चूंकि मात्रा-आधारित क्षति को पहले से ही रक्षोपाय द्वारा हल किया गया है, इसलिए किसी भी वर्तमान क्षति को संदर्भ कीमत-आधारित शुल्क या ट्रिगर कीमत शुल्क के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से मांग-आपूर्ति अंतराल और निचले स्तर के उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए।

xxiv. शुल्क लगाना पाटनरोधी करार और व्यापार को उदार बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए जापान और भारत के बीच सीईपीए की भावना के साथ असंगत होगा।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

i. आयात कीमत विशेष रूप से इंडोनेशिया से जांच की अवधि के बाद भी गिरिती रही।

ii. अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है क्योंकि जांच की अवधि के बाद कीमतों में गिरावट से भारतीय उद्योग को काफी नुकसान हुआ है।

iii. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नए वास्तविक अनुरोध नहीं किए गए हैं, और इस प्रकार प्रारंभिक जांच परिणामों की अंतिम जांच परिणामों में पुष्टि की जानी चाहिए।

iv. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले कानून में किसी विशेष परिस्थिति को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे न्यायालयों सहित वैश्विक परिपाटी सभी जांचों में प्रारंभिक जांच परिणाम में रिकॉर्ड की जानी है।

v. यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान चार में से तीन वर्षों में क्षति हुई है, अनंतिम शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त औचित्य था।

vi. अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने से पता चलता है कि भारत सरकार स्वीकार करती है कि भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का गहन पाटन हो रहा है, जिससे भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

vii. पाटनरोधी जांच के लिए मानी गई जांच की अवधि और रक्षोपाय जांच की सबसे हालिया अवधि अलग-अलग हैं। रक्षोपाय जांच अवधि के बाद, संबद्ध देशों के उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने में लगे हैं।

viii. यदि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन पिछले वर्ष की तुलना में किया जाता है, तो यह संबद्ध देशों से पाटन के कारण गिरावट और वास्तविक क्षति को दर्शाएगा। घरेलू उद्योग इसी अवधि में क्षति का दावा नहीं कर रहा है और एक साथ दो प्रकार के उपायों का अनुरोध कर रहा है।

ix. जबकि रक्षोपाय जांच से पता चला कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण आयात में वृद्धि हुई थी, वर्तमान जांच से पता चलता है कि पाटन हुआ है। इस प्रकार, लागू होने के अनुसार उचित उपचार की मांग की गई है।

x. ऐसे कई मामले हैं जहां जांच अधिकारियों, जिनमें डीजीटीआर भी शामिल है, ने एक ही उत्पाद पर एक साथ रक्षोपायों और पाटनरोधी शुल्क को लागू करना उचित पाया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने केवल रक्षोपायों की समाप्ति के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की है।

xi. मात्रात्मक प्रतिबंध केवल एक वर्ष की अवधि के लिए लागू थे। भले ही घरेलू उद्योग मात्रात्मक प्रतिबंधों के तहत ठीक हो सकता था, लेकिन ऐसे उपायों का प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका है।

xii. यह देखते हुए कि जांच की अवधि के दौरान और जब पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, दोनों ही समय में मात्रात्मक प्रतिबंध लागू नहीं थे, मात्रात्मक प्रतिबंधों पर भरोसा करना अनावश्यक है।

xiii. याचिका या प्राथिमक जांच परिणामों के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी कि यह स्पष्ट किया जाए कि परिमाणात्मक प्रतिबंध क्षति को हल करने के लिए अपर्याप्त क्यों थे।

xiv. चूंकि भारतीय उद्योग ने केवल एक वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय का अनुरोध किया था, इसलिए समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह रक्षोपायों के लिए समायोजित हो सकता है यदि विदेशी उत्पादक मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते ही पाटन में संलग्न हो जाते हैं।

xv. प्राधिकारी नमूनाकृत उत्पादकों के लिए भारित औसत क्षतिरहित कीमतों का निर्धारण करते हैं और पूरे घरेलू उद्योग के लिए नहीं। बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंकड़े दायर करने के समय, प्राधिकारी ने नमूनाकरण नहीं किया था और इसलिए, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन को निर्धारित नहीं किया गया था।

xvi. घरेलू उत्पादकों ने केवल अपनी लागत की सूचना दायर की है। क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, और प्रारंभिक जांच परिणामों में साझा किया गया है। हालांकि, किसी भी पक्षकार ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

xvii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड के लिए आंकड़े और व्यापार सूचना 9/2021 के अनुसार अद्यतन समेकित आंकड़े 24 अप्रैल 2025 को घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित किए गए थे।

xviii. चूंकि मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर भाग नहीं लिया, इसलिए देर से भागीदारी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिर्धारित है कि जहां कोई पक्षकार अपने अधिकारों पर सोता रहता है, वह किसी उपाय की मांग नहीं कर सकता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

84. इस तर्क के संबंध में कि दायर आवेदन-पत्र अपर्याप्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र भारत में घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया है। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-I के रूप में आंकड़े प्रदान किए हैं। व्यापार सूचना की आवश्यकताओं के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों को प्रारूप VI-1 से VI-5 के रूप में विस्तृत सूचना दायर करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है और नमूनाकृत उत्पादकों द्वारा विस्तृत प्रारूप VI-1 से VI-5 तक दायर किए गए हैं। दायर किए गए विस्तृत प्रारूपों के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत के साथ-साथ क्षति के मार्जिन को निर्धारित किया है।

85. प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता कि वर्तमान जांच बिना किसी आधार के शुरू की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दायर आवेदन-पत्र में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के संबंध में जांच करने और संतुष्ट होने के बाद ही प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू की।

86. इस संबंध में कि समुद्री माल भाड़े के संबंध में साक्ष्य में कमी के कारण जांच की शुरुआत ही कानून में गलत है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो जांच शुरूआत के समय उसे उचित रूप से उपलब्ध थे। प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने तक किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रदान किए गए साक्ष्य की उपयुक्तता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अब हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए समुद्री माल भाड़े के लिए साक्ष्यों पर विचार किया है। उक्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद भी, रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़ों से पता चलता है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों ने पाटन किया है जिससे घरेलू उद्योग

को क्षति हुई है। इस प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों के आधार पर भी पाटन का साक्ष्य है।

87. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पहले साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच नहीं की है, क्योंकि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा आयात के संबंध में आवेदन-पत्र में असंगतता थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने से पहले, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और दिए गए साक्ष्यों की पर्याप्त रूप से जांच की गई थी। जबकि आवेदक ने अनपुरोध किया कि जिंदल कोक लिमिटेड संबद्ध सामानों का आयातक था, प्राधिकारी ने जिंदल कोक लिमिटेड से सूचना मांगी और सत्यापित किया कि उक्त उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। तदनुसार, इसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग निर्धारित करने के लिए पात्र माना गया था।

88. इस अनुरोध के संबंध में कि अनंतिम शुल्क लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध आयात के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि हुई है और जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद भी आयात कीमत में गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। ऐसे में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक वास्तविक क्षति का उपचार करने की तत्काल आवश्यकता है।

89. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अतीत में संबद्ध सामान पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहे हैं। प्राधिकारी ने यह जांच करने और निर्धारित करने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की कि संबद्ध देशों में उत्पादक भारत में संबद्ध सामानों को पाटित कर रहे थे जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी। पिछले जांच परिणामों में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्यातक पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हुए हैं। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय की सिफारिश इस निष्कर्ष के बाद की गई कि आयात इतनी मात्रा में बढ़ गया कि इससे घरेलू उद्योग को गंभीर हानि हुई।

90. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने 2019 में निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि घरेलू उद्योग पहले से ही पर्याप्त रूप से संरक्षित था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019 में कोई निर्णायक समीक्षा नहीं की गई थी और इस तरह के अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

91. इस तर्क का संबंध में कि वर्तमान जांच की क्षति की अवधि रक्षोपाय जांच में क्षति की अवधि का अतिव्यापन करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि अक्टूबर 2023 - सितंबर 2024 है। रक्षोपाय जांच में मानी गई सबसे हालिया अवधि अप्रैल 2022 - मार्च 2023 थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के लिए पाटन निर्धारित किया है। ऐसे मामले में, अवधि का अतिव्यापन वर्तमान जांच के औचित्य को नहीं बदलता है।

92. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन को उस अवधि के लिए देखा जाना चाहिए जिसमें रक्षोपाय लागू थे, जबकि रक्षोपायों के लागू होने के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में थोड़ा सुधार हो सकता है, ऐसे उपाय अस्थायी अवधि के लिए थे। चूंकि संबद्ध देशों के उत्पादक अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हैं, इसलिए वर्तमान जांच में जांच की अवधि के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जापानी उद्योग गंभीर परिस्थितियों में काम कर रहा है और पाटन में नहीं लगा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़ों के अनुसार, जापानी उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों को पाटित किया है। यहां तक कि अगर चीनी निवेश के कारण जापानी उत्पादक संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वे भारतीय बाजार में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हुए हैं। जबकि यह अनुरोध किया गया है कि जापानी उत्पादक भारत में केवल दो उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक संविदाओं के तहत आपूर्ति कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर सूचना से पता चलता है कि कम से कम 10 आयातकों ने क्षति की अवधि के दौरान जापान से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

94. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि एएमएनएस अपनी खपत के लिए आयात करता है और घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद को पुनर्विक्रय नहीं करता है, इसलिए, उसे पाटनरोधी शुल्क से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अनुरोध कानूनी रूप से असंधारणीय हैं। पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों पर लागू होता है जहां प्राधिकारी को पता चलता है कि विदेशी उत्पादक पाटन में लगे हैं, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

95. इस अनुरोध के संबंध में कि रक्षोपाय जांच के दौरान प्रस्तुत समायोजन योजना पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपायों का अनुरोध किया था और तदनुसार, समायोजन योजना के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं थी।

96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि डीजीएफटी ने वित्त मंत्रालय द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने के बाद आयात प्रतिबंध वापस ले लिए थे और घरेलू उद्योग सरकार की दया पर चल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या संबद्ध देशों में उत्पादक पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हैं और क्या ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए उपाय प्रकृति में सुरक्षात्मक नहीं हैं, बल्कि भारत में पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में केवल उपचारात्मक हैं।

97. नियो मेटालिक्स लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका जांच की अवधि के लिए नहीं थी। प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जांच की अवधि के अनुसार घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में याचिका दायर की है।

98. नियो मेटालिक्स ने अनुरोध किया है कि घरेलू उत्पादकों ने दीर्घकालिक संविदाओं में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है और स्थल बिक्री को प्रारंभिकता दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री के मामले में अलग-अलग प्रारंभिकता घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले सामान के पाटन का औचित्य नहीं है।

इसके अलावा, प्रयोक्ता ने स्वयं कहा है कि निर्यातकों ने भी दीघर्कालिक संविदाओं में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। इसलिए, प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से खरीददारी करने में हानि की स्थिति में नहीं हैं।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत और जापान के बीच सीईपीए की भावना के खिलाफ नहीं होगा क्योंकि भारत-जापान सीईपीए की भावना किसी भी बाजार में पाटन या भारत या जापान में उचित बाजार स्थितियों के विनाश की अनुमति नहीं देना है।

100. इस अनुरोध के संबंध में कि बाजार में मांग-आपूर्ति अंतराल है और संदर्भ कीमत शुल्क लगाया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है और संदर्भ कीमत शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। वित्त मंत्रालय ने पहले ही निश्चितनिर्धारित स्वरूप में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है और वह स्वरूप उचित है।

छ. <u>बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

101. बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. आवेदक यह स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि सामान्य मूल्य के निर्माण के साथ कार्यवाही करना उचित था।

ii. आवेदन-पत्र में जांच शुरू करने और अनंतिम उपाय लागू करने को उचित ठहराने के लिए पाटन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। आवेदक ने धारा 9क(1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रदान की गई उत्पादन लागत संबद्ध देशों में लागत से संबंधित नहीं है। पैनल ने मोरक्को - अभ्यास पुस्तकों संबंधी निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय (ट्यूनिसिया) में पाया है कि उचित तुलना के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और समायोजन के संबंध में आवेदन-पत्र में पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के आधार पर दावा किए गए सामान्य मूल्य को स्वीकार कर लिया है। यह कोलंबिया - फ्रोजन फ्राइज़ के मामले में पैनल की टिप्पणियों से असंगत है, जिसमें पैनल ने पाया कि जांच प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश को निर्यात पर भरोसा करके, अनुच्छेद 5.2 के तहत शर्तों को पूरा किए बिना, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया था।

iv. जबकि प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में नोट किया है कि सामान्य मूल्य की गणना संबद्ध देशों में उत्पादन की प्रतिनिधि कारक लागत के आधार पर की गई है, सामान्य मूल्य की गणना केवल घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के संबंध में की गई है।

v. निर्यात कीमत में समायोजन प्रमाणित नहीं हैं, जिसमें समुद्री माल भाड़ा भी शामिल है। समुद्री माल भाड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि आवेदक ने कंटेनर कार्गो के लिए समुद्री माल भाड़ा माना है, जबकि मेट कोक को थोक में निर्यात किया जाता है।

vi. कोलंबिया के लिए दावा किया गया समुद्री माल ढुलाई सबसे कम है, देश सबसे दूर होने के बावजूद, जो माल ढुलाई के संबंध में किए गए निराधार दावों को दर्शाता है।

vii. यदि प्राधिकारी समुद्रीय माल भाड़ा शुल्क को उचित रूप से समायोजित करते हैं, तो जापानी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन शून्य होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कमीशन, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत की ओर समायोजन को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो सभी संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन बहुत कम या न्यूनतम होगा।

viii. एएमएनएस और एमसीसी सहित कई हितबद्ध पक्षकारों ने वास्तविक थोक माल को रिकॉर्ड पर वास्तविक माल भाड़ा बीजक रखा था। इसके अलावा, जापान के कुछ निर्माताओं उत्पादकों ने प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक माल पर विचार करने के बाद ही निर्यात कीमत निर्धारित की जा सकती है।

ix. गलत समुद्री मालभाड़े पर निर्भरता के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि (क) ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैधानिक या प्रथागत कानून नहीं है, (ख) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को गुमराह किया, (ग) एमसीसी ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर टिप्पणियों में पहली बार में ही इस मुद्दे को प्राधिकारी के ध्यान में लाया।

x. भले ही उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रस्तुत माल भाड़ा लागत को स्वीकार किया जाना चाहिए था। हितबद्ध पक्षकार मेट कोक के लिए वास्तविक भाड़ा प्रदान कर रहे हैं, जो वर्तमान में माने जाने वाले भाड़े से काफी कम है।

xi. संबद्ध सामानों की बिक्री में कोई कमीशन एजेंट शामिल नहीं है, क्योंकि आयातक सीधे उत्पादकों से मेट कोक खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त, आयातक साख-पत्रों के अग्रिम भुगतान के आधार पर मेट कोक खरीदते हैं, और इस प्रकार, इसमें कोई क्रेडिट लागत शामिल नहीं है।

xii. चूंकि मालसूची वहन लागत एक संभारिकी लागत नहीं है, इसलिए इसे निर्यात कीमत से नहीं घटाया जाएगा।

xiii. ब्लूस्कोप ने दो असंबद्ध कंपनियों, नोबल और ट्रैफिगुरा के माध्यम से निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान नोबेल को विटोल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और इसलिए, वह भाग

लेने में असमर्थ था। ट्रैफिगुरा ने संबद्ध सामान टाटा स्टील लिमिटेड को बेचे हैं, जिसने वर्तमान जांच में भाग लिया है और इसलिए, सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है।

xiv. यदि प्राधिकारी ब्लूस्कोप को व्यक्तिगत मार्जिन नहीं देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में व्हायला स्टीलवर्क्स से आयात को पहुंच कीमत की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह ब्लूस्कोप से संबद्ध नहीं है और इसने जांच की अवधि से पहले स्थायी रूप से संचालन बंद कर दिया है। ये आयात वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई उत्पादन या निर्यात व्यवहार के प्रतिनिधिकारक नहीं हैं।

xv. यहाँ तक कि उपलब्ध तथ्यों के अनुप्रयोग में भी, प्राधिकारी का विवेकाधिकार एक असहयोगी निर्यातक को अत्यधिक प्रतिकूल शुल्क दर के साथ दंडित करने तक नहीं फैला है। यही दृष्टिकोण यूएस - पाटनरोधी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी (कोरिया) में पैनल द्वारा और डाई स्टफ्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम भारत सरकार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था।

xvi. प्रश्नावली के उत्तरों की बड़े पैमाने पर अस्वीकृति मनमानी और अनुचित है। प्राधिकारी को सारांश में आंकड़े को खारिज करने के बजाय किसी भी लापता सूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका – पाटनरोधी शुल्क और भारत से स्टील प्लेट पर प्रतिकारी उपाय में अपीलीय निकाय द्वारा माना गया था, कुछ सूचना की अनुपलब्धता पूरे अनुरोध को स्वत: रद्द करने का औचित्य नहीं बनाते।

xvii. चूंकि निर्यातक अपने आंकड़े समय पर प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि आंकड़े अनुपयोगी या अप्रमाणित थे, इसलिए अपूर्ण मूल्य श्रृंखला के कारण प्रतिक्रिया को खारिज नहीं किया जा सकता था। यूएस – पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क (कोरिया) में पैनल ने पाया है कि भले ही जांच प्राधिकारी को कुछ सूचना गायब मिली हो या हितबद्ध पक्षकार ने जांच में बाधा डाली हो, प्राधिकारी को उस सूचना पर विचार करने की आवश्यकता थी जो प्राधिकारी के अनुरोध के उत्तर में सीधे प्रस्तुत की गई थी, और करार के तहत निर्धारित मापदंडो को पूरा करती थी।

xviii. प्रश्नावली के पैरा 8 (v) के अनुसार, प्राधिकारी को उत्तर रद्द करने से पूर्व तथ्यों और औचित्य के संबंध में मामले की जांच करना अपेक्षित था। प्राधिकारी प्रश्नावली द्वारा या अनुच्छेद 6.8 के तहत अनिवार्य भार से अधिक कठोर भार नहीं डाल सकते।

xix. जबकि प्रक्रिया में संपूर्ण निर्यात श्रृंखला की भागीदारी की आवश्यकता होती है, सहयोग करने वाले उत्पादक को किसी असंबद्ध तीसरे पक्षकार व्यापारी के असहयोग के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से काम करता है और उत्पादकों के साथ गोपनीय सूचना साझा नहीं करेगा।

xx. प्राधिकारी को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन की गणना करनी चाहिए, जैसा कि पॉलिएस्टर स्पन यार्न के मामले में किया गया था।

xxi. रिसुन ग्रुप ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। वाणिज्यिक दस्तावेजों में दर्ज ग्राहकों के नाम प्रस्तुत किए गए थे। प्राधिकारी को पक्षकारों को कमियों के बारे में सूचित करना चाहिए था और अस्वीकृति का सहारा लेने से पहले ऐसी कमियों को दूर करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था।

xxii. यहां तक कि यदि निर्यात कीमत की सूचना पूरी नहीं है, तो सामान्य मूल्य के बारे में सूचना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

xxiii. निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह नहीं किया क्योंकि सभी असंबद्ध पक्षकारों के नाम पारदर्शी रूप से बताए गए थे, और सभी बिक्री दस्तावेज रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए गए थे। ये बिक्री दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि प्रेषिती एक भारतीय ग्राहक था जो सामानों का गंतव्य स्थल सिद्ध करता है।

xxiv. तीन व्यापारिक चैनलों का प्राधिकारी को सद्भावनापूर्वक प्रकटन किया गया था, जिसमें असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात भी शामिल था। ऐसे व्यापारियों को संबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था, और इसलिए, उनकी प्रतिक्रिया न देना अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है। यदि यह माना जाता कि कोई व्यापारी संबद्ध है, तो उचित स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था।

xxv. जो व्यापारी 'संबद्ध पक्षकार' के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, वे उत्तरदाता द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से संबद्ध नहीं कहा जा सकता है।

xxvi. संबद्ध व्यापारियों सहित, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त थी। पीटी किनरुई के मामले में, निर्यात कीमत संबद्ध व्यापारी द्वारा स्वतंत्र ग्राहक को पहली बिक्री या पुनर्विक्रय के आधार पर निर्धारित किया जा सकता था।

xxvii. अधिनियम की धारा 9क (1) (ख) या पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.3 में असंबद्ध व्यापारियों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, या स्वतंत्र क्रेता आयातक देश में स्थित हों।

xxviii. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में गंभीर प्रक्रियात्मक और ठोस त्रुटियां की हैं, पीटी किनरुई द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट आंकड़े की स्वतंत्र समीक्षा करने में विफल रहे हैं, और इसके बजाय गलती से एक अन्य कंपनी पीटी डेटियन के विश्लेषण को पुन: प्रस्तुत किया है।

xxix. यदि प्राधिकारी मार्जिन और क्षति मार्जिन पर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए असंबद्ध मध्यस्थों से सूचना पर भरोसा कर रहे हैं, तो कार्यप्रणाली और गणना का प्रकटन किया जाना चाहिए, जैसा कि निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ और विज़टर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में माना गया है।

xxx. फार्मसन्स फार्मास्युटिकल्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ में, यह माना गया कि प्रकटन विवरण के विपरीत अंतिम जांच परिणाम, जहां प्रकटन के बाद पक्षकारों को कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान नहीं की गई थी, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था। वर्तमान मामले में भी, प्राधिकारी उचित तर्क या प्रकटन देने में विफल रहे हैं, जिससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकल रहे हैं।

xxxi. भले ही निर्यात श्रृंखला 100% पूर्ण न हो, प्राधिकारी उस निर्यात मात्रा की वास्तविक निर्यात कीमत की अनदेखी नहीं कर सकते हैं जिसके लिए सूचना प्रस्तुत की गई है।

xxxii. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 6.2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जैसे सुनवाई का अधिकार, और गोपनीयता आवश्यकताओं के अधीन प्रतिकूल सूचना तक पहुंच का अधिकार।

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन जनवादी गणराज्य को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

ii. आवेदक के पास किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। भारत में होने वाले आयातों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में वस्तुओं का प्रमुख रूप से पाटन किया जा रहा है। पोलैंड के अलावा अन्य देशों से होने वाले आयात नगण्य हैं और इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

iii. पोलैंड से होने वाले अधिकांश आयात आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा दीर्घकालिक करार के तहत किए जाते हैं। इसलिए, ऐसी कीमत प्रभावित होती है और मांग-आपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का आयात कई अलग-अलग कोड के तहत किया गया है और इसलिए ऐसे देशों से अन्य देशों को होने वाले निर्यात पर विचार नहीं किया जा सकता है।

iv. चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया है, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है और जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

v. चूंकि अन्य देशों के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूची या वाणिज्यिक बीजक आवेदक के पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया गया है।

vi. पाटन मार्जिन पाटन की पूरी मात्रा को कवर नहीं करता है क्योंकि सामान्य मूल्य कम करके दिखाया गया है, जो वर्तमान जांच में नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों में से एक की न्यूनतम अनुकूलित लागत पर आधारित है।

vii. उत्पादन की अनुकूलित लागत पर केवल अनुबंध-III के तहत क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। तथापि, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के तहत किया जाता है, और अनुबंध-III के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।

viii. नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों के बीच न्यूनतम उत्पादन लागत पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी प्रथा अनिवार्य रूप से उत्पादकों/निर्यातकों को उनके असहयोग के लिए पुरस्कृत करती है और ऐसी स्थिति में भागीदारी को हतोत्साहित करती है जहां सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से अधिक होता है।

ix. आवेदक को केवल वही जानकारी प्रदान करनी आवश्यक है जो उसे उचित रूप से उपलब्ध हो, जिसमें सामान्य मूल्य से संबंधित जानकारी भी शामिल है। वर्तमान मामले में, आवेदक ने आवेदन के चरण में वह जानकारी पहले ही प्रदान कर दी थी जो उसे उचित रूप से उपलब्ध थी और इस प्रकार उसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

x. आवेदक ने उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया। अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दिखाने के लिए कोई भी जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं कि वहां ऐसी वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध थी जिसे घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत नहीं किया।

xi. प्राधिकारी ने कई जांचों में भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य स्वीकार किया है, जहां वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। न्यायाधिकरण ने 'ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी' के मामले में भी ऐसे सामान्य मूल्य को उपयुक्त पाया है।

xii. हितबद्ध पक्षकार 'कोलंबिया-फ्रोजन फ्राइज़' मामले की गलत व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि उस मामले में आवेदक ने यह कारण नहीं बताया था कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री कीमत पर विचार क्यों नहीं किया गया और सीधे तीसरे देशों को निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। तथापि, वर्तमान मामले में आवेदक ने स्पष्ट किया है कि जब उसने समान उत्पाद की तुलनात्मक कीमतें प्राप्त करने के प्रयास किए, तो स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूची या वाणिज्यिक बीजक गोपनीय थे और उसकी उन तक पहुंच नहीं थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया था।

xiii. निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

xiv. समुद्री भाड़े का साक्ष्य 6 मई 2025 को प्रदान किया गया था और सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और किसी भी पक्षकार द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया था। चूंकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया समुद्री भाड़ा था, इसलिए उस पर निर्भरता को अनुचित नहीं माना जा सकता है।

xv. निर्यात कीमत के अन्य समायोजनों का दावा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली निरंतर प्रथा के अनुसार किया गया है, और ऐसे समायोजनों को अत्यधिक नहीं माना जा सकता है।

xvi. जांच की शुरुआत के चरण में केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जैसा कि 'राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटन रोधी महानिदेशक' और न्यायाधिकरण के निर्णयों में निर्धारित किया गया है।

xvii. यह सुस्थापित तथ्य है कि जांच आगे बढ़ने के साथ साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होता है। यदि समुद्री भाड़े के संबंध में बेहतर जानकारी उपलब्ध होती है, तो प्राधिकारी उस पर विचार कर सकते हैं।

xviii. यद्यपि एएमएनएस ने दावा किया है कि आयात सीधे उत्पादकों से और अग्रिम भुगतान के आधार पर होता है, तथापि वह प्रत्येक निर्यातक या आयातक द्वारा सहमत बिक्री शर्तों से अवगत नहीं हो सकता है। एएमएनएस के दावे के विपरीत, जांच की अवधि के दौरान भारत में होने वाले 87% आयात व्यापारियों के माध्यम से किए गए हैं न कि सीधे उत्पादकों द्वारा।

xix. यहां तक कि प्रारंभिक जाँच परिणाम भी दर्शाते हैं कि एएमएनएस के दावे के विपरीत, विदेशी उत्पादकों ने विचाराधीन वस्तु का भारत को निर्यात व्यापारियों के माध्यम से किया है।

xx. यह तर्क कि मालसूची वहन लागत एक संभार तंत्र लागत नहीं है और इसे निर्यात कीमत से नहीं घटाया जाना चाहिए, अव्यवहार्य है क्योंकि एक उत्पादक अपने ग्राहकों को उत्पाद बेचने के उद्देश्य से मालसूची रखता है। जबकि मालसूची वहन लागत संभार तंत्र लागत नहीं हो सकती है, फिर भी यह एक बिक्री व्यय है। अमेरिका और ब्राजील जैसे कई क्षेत्राधिकार निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समायोजन करने हेतु निर्यातकों से मालसूची वहन लागत के संबंध में जानकारी मांगते हैं, और भारतीय प्राधिकारी के लिए इस पर विचार न करने का कोई औचित्य नहीं है।

xxi. इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि कमीशन, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत की उपेक्षा की जाए, तो पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम हो जाएगा, क्योंकि यह अनुरोध आयातक द्वारा किया गया है न कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा। ऐसे खर्चों की अनदेखी करने से वास्तविक कीमत विकृत हो जाएगी ।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, प्रश्नावली के उत्तर केवल जानकारी की कमी के कारण अस्वीकृत नहीं किए गए थे । उत्तर इसलिए अस्वीकृत किए गए क्योंकि उत्पादकों ने गलत और भ्रामक जानकारी दी थी, जिसमें व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यात का प्रकटन न करना और ग्राहकों के पूर्ण नाम न देना शामिल है ।

xxiii. दायर किए गए उत्तरों का अगोपनीय संस्करण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्यातकों ने भारत को प्रत्यक्ष निर्यात का दावा किया था, जो तथ्यों का गलत चित्रण है, जबकि वस्तुओं का निर्यात असहयोगी व्यापारियों के माध्यम से किया गया था ।

xxiv. चूंकि प्रारंभिक जाँच परिणाम से पता चलता है कि प्राधिकारी ने पक्षकारों को पूरक प्रश्न जारी किए थे, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पक्षकारों को पर्याप्त अवसर या प्रकटन नहीं दिया गया था । चूंकि उस समय कोई प्रकटन विवरण जारी नहीं किया गया था, इसलिए किसी नए प्रकटन की आवश्यकता नहीं थी ।

xxv. ब्लूस्कोप और मित्सुबिशी केमिकल्स लिमिटेड के मामले में, निर्यात श्रृंखला में शामिल व्यापारियों ने भाग नहीं लिया, इसलिए उनके उत्तर स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

xxvi. चूंकि मेट कोक से संबंधित पिछली जांच में व्यापारी की भागीदारी न होने के कारण ब्लूस्कोप के उत्तर को अस्वीकृत कर दिया गया था, इसलिए वह अच्छी तरह अवगत था कि व्यापारी का उत्तर देना आवश्यक था।

xxvii. एचआईआईआर के आयात की पाटन रोधी जांच में प्राधिकारी ने व्यापारी के उत्तर की प्रासंगिकता स्पष्ट की थी।

xxviii. चूंकि भारतीय प्राधिकारी 'कमतर शुल्क नियम' का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें भारत में पहुंच कीमत के संबंध में सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, पाटनरोधी करार केवल पाटन मार्जिन को संदर्भित करता है।

xxix. अन्य जांच अधिकारियों की प्रथा भी व्यापारियों के उत्तर पर विचार करने का समर्थन करती है ।

xxx. संबंधित निर्यातक के माध्यम से निर्यात के मामले में, भले ही मात्रा कम हो, उत्पादक को व्यक्तिगत शुल्क दर की अनुमति तभी दी जा सकती है जब उस निर्यातक द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया जाए।

xxxi. मैनुअल के अनुसार, यदि भारत को होने वाले निर्यात के 30% से अधिक के लिए जिम्मेदार असंबंधित निर्यातक सहयोग नहीं करते हैं, या यदि कोई संबंधित निर्यातक सहयोग नहीं करता है, तो उत्तर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

xxxii. हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के साथ-साथ पूरक प्रश्नावली जारी करके अपनी बात रखने का अवसर पहले ही दिया जा चुका है। प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन किया गया है और पक्षकारों को कोई और अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

xxxiii. अनुच्छेद 6.8 यह प्रावधान करता है कि यदि हितबद्ध पक्षकार जांच में काफी अधिक बाधा डालते हैं, तो जांच अधिकारी उपलब्ध तथ्यों का उपयोग कर सकते हैं।

xxxiv. तथापि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटन रोधी करार उत्तरों की ऐसी अस्वीकृति की अनुमति नहीं देता है, किंतु उन्होंने किसी ऐसे क्षेत्राधिकार का उदाहरण नहीं दिया है जहाँ तथ्यों के इतने स्पष्ट गलत चित्रण के बावजूद उत्तर स्वीकार किया गया हो।

xxxv. ऐसे मामले में जहाँ विदेशी उत्पादकों ने भ्रामक जानकारी दी है, वे यह प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि सामान्य मूल्य से संबंधित जानकारी को क्यों स्वीकार नहीं किया गया।

xxxvi. जैसा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि यदि प्राधिकारी चयनात्मक जानकारी पर भरोसा करते हैं, तो ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ निर्यातक जानबूझकर केवल उच्च कीमतों वाली मात्रा के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करेंगे।

xxxvii. चूंकि भ्रामक और अधूरी जानकारी के कारण उत्तर स्वीकार नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने मार्जिन निर्धारण के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद अगले सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया । तथापि, लगाए गए शुल्क को किसी भी तरह से दंडात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्य क्षेत्राधिकार प्रतिकूल तथ्यों को लागू करते समय बहुत अधिक शुल्क लगाते हैं।

xxxviii. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी अधिक हैं, जो भारत में व्यापक पाटन को दर्शाते हैं।

xxxix. इंडोनेशिया से कीमतें और भी कम हो गई हैं, जबकि कोकिंग कोल की कीमतों में उतनी गिरावट नहीं आई है, और आयात की मात्रा बढ़ी है। इंडोनेशिया के लिए पाटन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है ।

xl. इंडोनेशिया में स्थापित संयंत्र अनिवार्य रूप से चीन की कंपनियों द्वारा निवेश हैं और वहां की मांग से अधिक हैं। ऐसी क्षमताएं केवल निर्यात बाजारों के लिए लक्षित हैं ।

xli. संबद्ध देशों के उत्पादकों को प्राप्त किसी भी प्राकृतिक लाभ के बावजूद, उन्होंने भारतीय बाजार में पाटन करना बंद नहीं किया है ।

xlii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए प्राकृतिक लाभ केवल चीन और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, न कि अन्य देशों से । तथापि, पाटन कई देशों से हो रहा है, और प्राधिकारी ने पहले भी चीन और ऑस्ट्रेलिया के उत्पादकों को पाटन करते हुए पाया है।

xliii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, संबद्ध देशों के उत्पादक और निर्यातक भारतीय मर्चेंट मेट कोक उद्योग को समाप्त करने के प्रयास में पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से भारत में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

xliv. पाटन इस बात पर आधारित नहीं है कि निर्यात घाटे में हुआ है या नहीं, बल्कि इस पर आधारित है कि निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर हुए है या नहीं ।

xlv. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है ।

<u>छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

103. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा* ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा*:

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो*; *अथवा उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत*:

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

i. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड

ii. चीन रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग

iii. हांगकांग जिनटेंग डेवलपमेंट लिमिटेड

iv. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन, जापान

v. मित्सुबिशी कॉरपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड

vi. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया

vii. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया

viii. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया

ix. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड

x. रिसुन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (जापान)

xi. रिसुन वेइशान इंजीनियरिंग (हैनान) लिमिटेड, चीन

105. ऐसे अनुरोधों के संबंध में कि आवेदन में जांच शुरू करने के औचित्य के लिए पाटन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों की प्रथम दृष्टया जाँच के आधार पर शुरू की गई थी। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच शुरूआत के चरण में और यहां तक कि प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी होने तक भी जांच की शुरुआत की अनुचितता पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने वह जानकारी प्रदान की है जो जांच शुरू करने के उद्देश्य से उसे उचित रूप से उपलब्ध थी।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में उत्पाद की लागत और कीमतों के संबंध में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थी। हितबद्ध पक्षकारों ने निर्यात करने वाले देशों के घरेलू बाजार में कीमतों के सार्वजनिक साक्ष्य दर्शाकर इस पर कोई विवाद नहीं किया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि उत्पाद और उसके कच्चे माल दोनों का कोई समर्पित टैरिफ कोड नहीं है, जिससे आवेदक के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करना या संबद्ध देशों में उत्पादन लागत का निर्माण करना संभव हो पाता। तदनुसार, सामान्य मूल्य का परिकलन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उत्पादन लागत के साथ उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के आधार पर किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई पद्धति को स्वीकार कर लिया है।

107. ऐसे अनुरोधों के संबंध में कि समुद्री भाड़े के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य गलत और अविश्वसनीय हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया समुद्री भाड़ा संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए वास्तव में भुगतान किए गए समुद्री भाड़े से अधिक है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य वर्तमान जांच की शुरुआत के समय सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए थे। घरेलू उद्योग ने इस जानकारी को गोपनीय होने का दावा नहीं किया था। तथापि, प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी होने से पहले किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसे साक्ष्यों की कथित अनुपयुक्तता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। किसी भी मामले में, चूंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अब समुद्री भाड़े के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, इसलिए निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उन पर उचित रूप से विचार किया गया है।

108. एमसीसी ने अनुरोध किया है कि समुद्री भाड़े के मुद्दे को पहले अवसर पर ही प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच 29 मार्च 2025 को शुरू की गई थी और समुद्री भाड़े के साक्ष्य एमसीसी सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए थे। प्राधिकारी ने 14 नवंबर 2025 को प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए। यद्यपि जांच की शुरुआत और प्रारंभिक जाँच परिणाम के बीच पर्याप्त समय था, फिर भी एमसीसी ने समुद्री भाड़े पर कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की। यह मुद्दा प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी होने के बाद ही उठाया गया है।

109. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए समुद्री भाड़े के साक्ष्यों में कमी के कारण जांच की शुरुआत विधिक रूप से गलत हो गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए

साक्ष्यों पर विचार करने के बाद भी, वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा विचार किए गए उच्च समुद्री भाड़े ने जांच की शुरुआत को निष्फल नहीं बनाया है।

110. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यदि मालसूची वहन लागत, कमीशन और ऋण लागत की उपेक्षा की जाए, तो जापान से पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम हो जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए मालसूची वहन लागत पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, कमीशन और ऋण लागत की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा किया गया एक व्यय है। निवल निर्यात कीमत को उचित रूप से निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे खर्चों पर विचार किया है। वास्तव में, यह देखा गया है कि यदि निर्यातकों द्वारा उनके प्रश्नावली उत्तरों में रिपोर्ट की गई जापान में बिक्री कीमत पर विचार किया जाता है, तो पाटन मार्जिन वर्तमान में निर्धारित पाटन मार्जिन से बहुत अधिक है। वास्तव में, प्राधिकारी ने जापानी उत्पादकों द्वारा रिपोर्ट की गई बिक्री कीमत की तुलना में बहुत कम सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

111. इस अनुरोध के संबंध में कि कोई कमीशन एजेंट और ऋण लागत नहीं है क्योंकि आयातक सीधे उत्पादकों से और अग्रिम भुगतान के आधार पर खरीद करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के अनुसार, भारत में आयात न केवल उत्पादकों से बल्कि व्यापारियों से भी होता है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो यह दर्शाती हो कि भारत में सभी आयातक अग्रिम भुगतान कर रहे हैं।

112. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्रश्नावली के उत्तरों की अस्वीकृति मनमानी और अनुचित है और निर्यातकों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान प्रकटन विवरण के संगत खंड में उल्लिखित है कि उत्पादकों और निर्यातकों को वर्तमान जांच में पूर्ण और सटीक उत्तर देने का उचित अवसर दिया गया था। तथापि, उत्पादकों और निर्यातकों ने अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है और यहां तक कि प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास भी किया है। तदनुसार, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को अस्वीकृत कर दिया गया है और मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, ऐसे तथ्य वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को पहले ही प्रकट कर दिए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कमियों को सुधारने का अवसर देने के बाद भी सटीक और पूर्ण उत्तर प्रदान करने में विफलता, उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सटीकता पर संदेह उत्पन्न करती है।

113. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 'पॉलिएस्टर स्पन यार्न' के आयात की पाटन रोधी जांच का उल्लेख किया है जिसमें प्राधिकारी ने उत्पादकों के उत्तर स्वीकार कर लिए थे भले ही उनकी असंबद्ध कंपनियों ने भाग नहीं लिया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त जांच में असंबद्ध संस्थाओं से आयात की मात्रा बहुत कम थी और तदनुसार उत्तर स्वीकार कर लिए गए थे। तथापि, वर्तमान जांच में भारत में आयात की महत्वपूर्ण मात्रा उन असंबद्ध कंपनियों से है जो भाग लेने में विफल रही हैं, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि ऐसे उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

114. इस संबंध में कि यह अनुरोध किया गया है कि असंबंधित निर्यातकों के सहयोग न करने के कारण उपलब्ध तथ्यों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में, जब भारत को किए गए निर्यात के संबंध में पूर्ण जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का सटीक निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं। यह प्राधिकारी की स्थापित प्रथा है कि वह निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण केवल तब करते हैं जब संबंधित उत्पादक एवं निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हों। चूंकि असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से संबंधित निर्यात कीमत उपलब्ध नहीं है, अतः प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

115. इस अनुरोध के संबंध में कि भले ही निर्यात कीमत संबंधी जानकारी अपूर्ण हो, सामान्य मूल्य उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तर न केवल अपूर्ण हैं बल्कि असत्य भी हैं, तथा कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास भी किया है। चूंकि प्रस्तुत उत्तर असत्य हैं, जैसा कि संबंधित भागों में उल्लिखित है, इसलिए उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

116. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि अनुच्छेद 6.2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, सुने जाने के अधिकार तथा प्रतिकूल सूचना तक पहुँच के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्राधिकारी द्वारा मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी पक्षकारों ने भाग लिया और उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सुना गया। इसके अतिरिक्त, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जॉच परिणाम पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने, मौखिक सुनवाई के पश्चात लिखित एवं प्रत्युत्तर अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया गया। अतः उन्हें अपने हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया गया।

117. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि कुछ देशों से आयात की कीमतें प्राकृतिक लाभ के कारण भारत में कम हैं। इस पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर, संबंधित देशों के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात पाटन में संलिप्तता दर्शाई है तथा वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

1. पीटी डेटियन कोर्किंग इंडोनेशिया

118. पीटी डेटियन कोर्किंग इंडोनेशिया (पीटी डेटियन) ने दावा किया है कि उसने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है।

119. प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई 2025 को ईमेल के माध्यम से उत्पादक से अतिरिक्त जानकारी मांगी तथा 11 अगस्त 2025 तक का समय प्रदान किया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया तथा 18 सितंबर 2025 को उसने पूरक रूप से प्रस्तुत किया। अपने पूरक उत्तर में प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल तथा यह कि क्या उस चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है, इस संबंध में जानकारी मांगी। उत्पादक ने यह पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने यह घोषित किया कि उसने केवल भारत को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है।

120. तत्पश्चात प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे, जिनमें नमूना बीजकों सहित अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। प्रस्तुत बीजकों एवं परिशिष्ट 3क में उपलब्ध ग्राहक विवरणों की जांच करने पर प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को पीटी डेटियन ने बिक्री की है, वे भारतीय इकाइयाँ नहीं हैं। इसके विपरीत, प्रस्तुत नमूना बीजक एवं डीजी सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि रिपोर्ट किए गए ग्राहक वास्तव में *** में स्थित हैं।

121. इससे स्पष्ट होता है कि पीटी डेटियन ने घोषणा किए गए अनुसार भारत को प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया है। बल्कि, विचाराधीन उत्पाद भारत को व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए संपूर्ण वितरण चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है, वहाँ निर्यातक को भाग-I, भाग-II तथा

परिशिष्ट 5 के उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के स्थान पर, उत्पादक ने यह गलत घोषणा की कि उसने केवल भारत को प्रत्यक्ष निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ किए जाने पर भी उत्पादक ने सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

122. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकारी यह पाते हैं कि पीटी डेटियन द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त एवं सटीक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात के ***% का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारियों ने भी भागीदारी नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने इस उत्पादक को अलग शुल्क दर प्रदान नहीं की है तथा प्रारंभिक जाँच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

2. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ इंडोनेशिया

123. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ इंडोनेशिया ("पीटी किनरुई") ने दावा किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन का प्रत्यक्ष निर्यात किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने संबंधित व्यापारी *** को भी संबद्ध वस्तु का विक्रय किया है, जिसने अंततः उक्त उत्पाद का भारत को निर्यात किया है।

पीटी किनरुई → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
पीटी किनरुई → *** → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

124. प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई 2025 को ईमेल के माध्यम से उत्पादक से अतिरिक्त जानकारी मांगी तथा 11 अगस्त 2025 तक का समय प्रदान किया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया तथा 18 सितंबर 2025 को उसने पूरक रूप से प्रस्तुत किया। अपने पूरक उत्तर में प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल तथा यह कि क्या उस चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है, इस संबंध में जानकारी मांगी। उत्पादक ने यह पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने यह पुनः दोहराया कि उसने उपर्युक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को निर्यात किया है।

125. तत्पश्चात प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को कतिपय अतिरिक्त प्रश्न पूछे तथा अतिरिक्त जानकारी मांगी। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, प्रस्तुत बीजकों तथा परिशिष्ट 3क में दिए गए उपभोक्ता विवरणों की जांच की। उपलब्ध जानकारी के परीक्षण पर प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को पीटी किनरुई ने विक्रय किया है, उनमें से अनेक भारतीय इकाइयाँ नहीं हैं। इसके विपरीत, प्रस्तुत नमूना बीजक एवं डीजी सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि कई रिपोर्ट किए गए उपभोक्ता वास्तव में अन्य देशों, जैसे *** एवं *** में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यापारी भारत को किए गए निर्यात का ***% से अधिक भाग बनाते हैं।

126. इससे स्पष्ट होता है कि पीटी किनरुई ने यथा घोषित रूप से, केवल प्रत्यक्ष रूप से एवं संबंधित व्यापारी के माध्यम से ही भारत को निर्यात नहीं किया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद भारत को व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए

संपूर्ण वितरण चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, वहाँ निर्यातक को भाग-I, भाग-II तथा परिशिष्ट 5 के उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के स्थान पर, उत्पादक ने यह गलत घोषणा की कि उसने केवल प्रत्यक्ष रूप से तथा संबंधित निर्यातक के माध्यम से ही भारत को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ किए जाने पर भी उत्पादक ने सही एवं पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिससे प्रस्तुत जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

127. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकारी यह पाते हैं कि पीटी किनरुई द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त एवं सटीक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को काफी अधिक निर्यात करने वाले व्यापारियों ने भी भागीदारी नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने इस उत्पादक को अलग शुल्क दर प्रदान नहीं की है तथा प्रारंभिक जॉंच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

3. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया

128. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया ("रिसुन वेई शान") द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, इसने विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को निर्यात किया है। उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का प्रत्यक्ष रूप से भारत को निर्यात नहीं किया है। उक्त उत्पाद भारत को निर्यात हेतु संबंधित संस्थाओं, अर्थात् ***, ***, *** एवं *** को बेचा गया है। *** ने आगे उक्त उत्पाद को असंबद्ध व्यापारी ***, को बेचा, जिसने आगे इसे *** को बेचा। रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतिम निर्यातक रिसुन एचके है।

रिसुन वेई शान → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
रिसुन वेई शान → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
रिसुन वेई शान → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
रिसुन वेई शान → *** → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

129. प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई 2025 को ईमेल के माध्यम से उत्पादक से अतिरिक्त जानकारी मांगी तथा 11 अगस्त 2025 तक का समय प्रदान किया। अपने पूरक उत्तर में प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल तथा यह कि क्या उस चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर अनुरोध किया है, इस संबंध में जानकारी मांगी। उत्पादक ने यह स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने यह पुनः दोहराया कि उसने उपर्युक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। तत्पश्चात प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त प्रश्न पूछे तथा अतिरिक्त जानकारी मांगी। अतः उत्पादक के अनुसार, भारत को सभी निर्यात रिसुन एचके के माध्यम से भारत के असंबद्ध ग्राहकों को किए गए हैं।

130. प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा परिशिष्ट 3क में दिए गए उपभोक्ता विवरणों की जांच की तथा उनकी तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से की। उपलब्ध जानकारी की जॉंच करने पर प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को रिसुन एचके ने विक्रय किया है, उनमें से कई भारतीय इकाइयाँ नहीं हैं। इसके विपरीत, डीजी सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि कई रिपोर्ट किए गए उपभोक्ता वास्तव में अन्य देशों, जैसे ***, *** एवं *** में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यापारी भारत को किए गए निर्यात का ***% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।

131. इससे स्पष्ट होता है कि रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित वस्तु केवल रिसुन एचके के माध्यम से भारत के ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात नहीं की गई है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद भारत को व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए संपूर्ण वितरण चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, वहाँ निर्यातक को भाग-I, भाग-II तथा परिशिष्ट 5 के उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के स्थान पर, उत्पादक ने अपने वितरण चैनल का गलत विवरण प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया कि रिसुन एचके ने सीधे भारत के ग्राहकों को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ किए जाने पर भी उत्पादक एवं उसकी संबंधित इकाइयों ने सही एवं पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

132. यह भी नोट किया जाता है कि परिशिष्ट 3क में रिसुन एचके ने ग्राहकों के पूर्ण नाम प्रदान नहीं किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहचान संबंधी विवरण, जिनसे प्राधिकारी यह निर्धारित कर सकते थे कि उपभोक्ता भारत में स्थित नहीं है, जैसे "***", "***", "***." तथा "***", हटा दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, "***" को की गई बिक्री, जो *** में स्थित है, को "***" के रूप में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, "***" को की गई बिक्री, जो *** में स्थित है, को "***" के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इससे उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

133. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि रिसुन वेई शान द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त एवं सटीक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को किए गए निर्यात के ***% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारियों ने भी भागीदारी नहीं की है। अतः प्राधिकारी इस उत्पादक को अलग शुल्क दर प्रदान नहीं करते हैं तथा प्रारंभिक जॉंच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

4. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड

134. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड (ब्लूस्कोप) द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, इसने भारत को *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन का प्रत्यक्ष निर्यात किया गया है। शेष निर्यात दो व्यापारियों, अर्थात् *** एवं *** के माध्यम से किया गया है।

ब्लूस्कोप → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

ब्लूस्कोप → ***

ब्लूस्कोप → ***

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ब्लूस्कोप ने विचाराधीन उत्पाद का महत्वपूर्ण मात्रा में, जो कुल मात्रा का लगभग *** के बराबर है, असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात किया है। उक्त असंबद्ध व्यापारियों ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर सहयोग नहीं किया है। चूंकि भारत को किए गए महत्वपूर्ण निर्यात के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी यह पाते हैं कि उत्पादक को अलग पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है तथा प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

136. ब्लूस्कोप ने अनुरोध किया है कि *** का अधिग्रहण जांच अवधि के दौरान किसी अन्य कंपनी द्वारा किया गया है तथा *** ने केवल *** को निर्यात किया है, जिसने भारत में भागीदारी की है और आयात कीमत का सत्यापन *** द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से किया जा सकता है। इस पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार *** ने अन्य पक्षकारों को भी बिक्री की है, और चूंकि उक्त निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है, अतः ब्लूस्कोप के दावों का सत्यापन संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि *** ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, उसने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः ऐसी जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

137. इस संबंध में कि ऑस्ट्रेलिया स्थित व्हायल्ला स्टीलवर्क्स से आयात को पहुंच कीमत की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनकी परिपाटी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से भारत को किए गए आयातों को पहुंच कीमत के निर्धारण हेतु सम्मिलित किया गया है। भले ही किसी उत्पादक ने उत्पादन बंद कर दिया हो, तथापि उसने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है, अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे उत्पादक के निर्यातों पर विचार करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार व्हायल्ला स्टीलवर्क्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया है।

5. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन

138. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, इसने विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने संबंधित व्यापारियों, अर्थात् *** के माध्यम से निर्यात किया है। *** ने आगे उक्त उत्पाद का भारत को प्रत्यक्ष रूप से तथा एक संबंधित पक्ष, अर्थात् *** के माध्यम से निर्यात किया है। *** ने आगे इसे एक असंबद्ध व्यापारी को पुनर्विक्रय किया, जिसने आगे भारत को निर्यात किया।

मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन → *** → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन → *** → *** → असंबद्ध व्यापारी → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

139. यद्यपि मित्सुबिशी जापान ने वर्तमान जांच में भागीदारी की है, *** ने उत्तर प्रस्तुत करने एवं सहयोग करने में विफलता दिखाई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ***% निर्यात *** द्वारा किए गए हैं, जिसने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि *** ने अपने उत्तर में *** के पुनर्विक्रय संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है। तथापि, यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी को परिशिष्ट 5 सहित भाग-I एवं भाग-II में अतिरिक्त जानकारी संबंधित व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। प्राधिकारी के निर्देश स्पष्ट हैं कि *"विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में संलग्न किसी भी अन्य गैर-उत्पादक संबंधित इकाई को भाग-I एवं भाग-II के साथ परिशिष्ट-5 प्रस्तुत करना आवश्यक है।"* इसके अतिरिक्त, *** ने उक्त उत्पाद को एक असंबद्ध व्यापारिक इकाई को बेचा है तथा भारत को प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया है। उक्त असंबद्ध व्यापारी ने भी प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। संबंधित पक्ष तथा आगे के व्यापारी द्वारा आवश्यकतानुसार पूर्ण उत्तर प्रस्तुत न किए जाने के कारण, प्राधिकारी यह पाते हैं कि उत्पादक को अलग पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है तथा प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

<u>ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य</u>

140. ब्लूस्कोप लिमिटेड को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है और न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ब्लूस्कोप लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उत्तर को व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण हेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है, जिसे विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के समुचित समायोजन तथा युक्तिसंगत लाभ जोड़कर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात कीमत</u>

141. ऑस्ट्रेलिया से सभी असहयोगी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

142. चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर करार तथा एससीएम करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

एससीएम करार के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम करार के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

143. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में, उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होते हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी जानकारी बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

144. वर्तमान मामले में, चीन के किसी भी उत्पादक ने उत्तर प्रस्तुत करके इस जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:

7."गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तिव रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । "

145. आवेदक ने यह दावा किया है कि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, अन्य देशों में होने वाले आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे आयात विभिन्न कोड के अंतर्गत हैं। भारत में होने वाले आयात की कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में उनका पाटन किया जा रहा है। अतः, आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के तहत सूचीबद्ध किसी अन्य आधार को प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके। अतः, प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, भारत में देय कीमत के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

<u>चीन जनवादी गणराज्य के लिए निर्यात कीमत</u>

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। कोलंबिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोलंबिया के लिए निर्यात कीमत

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। कोलंबिया के सभी असहयोग करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

149. पीटी डेटियन, पीटी किनरुई और रिसुन वेई शान को छोड़कर किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। ऊपर यथा उल्लिखित, उक्त तीन उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों पर अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत

150. इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए सामान्य मूल्य

151. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन को छोड़कर किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। ऊपर यथा उल्लिखित, मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार,

प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, जापान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए निर्यात कीमत

152. जापान के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

रूस के लिए सामान्य मूल्य

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। रूस के सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, रूस के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

रूस के लिए निर्यात कीमत

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। रूस के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.4. पाटन मार्जिन

155. प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्रतिशत में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को क्रमशः सामान्य मूल्य और क्षति-रहित कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया था। अब इसे संशोधित कर क्रमशः निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। तथापि, इसका प्रारंभिक जांच परिणामों में अधिसूचित शुल्क की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि समग्र रूप में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर आधारित था। ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य, जैसा निर्धारित किया गया है, विषय देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन के अनुसार सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निम्नानुसार है।

पाटन मार्जिन

विवरण	यूनिट	ऑस्ट्रेलिया	चीन	कोलंबिया	इंडोनेशिया	जापान	रूस
परिकलित सामान्य मूल्य	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
निर्यात कीमत	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज	20-30%	50-60%	50-60%	20-30%	10-20%	55-65%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

156. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण केवल तीन घरेलू उत्पादकों के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि घरेलू उद्योग में इससे अधिक उत्पादक शामिल हैं, जो उपयुक्त नहीं है।

ii. जापान से आयातों का अन्य संबद्ध देशों, विशेषकर चीन एवं इंडोनेशिया, के साथ संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जापान से आयात क्षति अवधि के दौरान घटे हैं, अन्य संबद्ध देशों की तुलना में काफी कम हैं तथा उनकी कीमतें अधिक हैं।

iii. जापान से आयातित मेट कोक, विशेषकर एमसीसी, एवं घरेलू उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां समान नहीं हैं, क्योंकि जापान से आयातित मेट कोक एवं स्थानीय रूप से उत्पादित मेट कोक की गुणवत्ता में अंतर है।

iv. जापान से आयातित मेट कोक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है तथा आर्सेलरमित्तल जापान से मेट कोक आयात करने वाले प्रमुख आयातकों में से एक है। अतः जापानी वस्तुएं घरेलू उत्पादित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं।

v. जापान से आयातों में कमी आई है तथा ये देश को आवंटित कोटा के लगभग आधे तक ही सीमित रहे हैं। चूंकि आयात ऐतिहासिक मात्रा के आधार पर निर्धारित कोटा से कम हैं, अतः इन्हें वृद्धि के रूप में नहीं माना जा सकता।

vi. जापान से आयातों की कीमतें सर्वाधिक हैं। इंडोनेशिया एवं चीन, जो कुल आयात का 62% हिस्सा रखते हैं, उनकी कीमतें जापान से कम हैं। जापान के लिए कीमत कटौती केवल 0-20% है।

vii. जापान से निर्यातित वस्तुओं की बिक्री कीमत उनकी उत्पादन लागत से अधिक है तथा वे केवल उच्च ग्रेड के मेट कोक को दीर्घकालिक अनुबंधों के अंतर्गत निर्यात करते हैं। पोलैंड को संबद्ध देश के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि पोलैंड से आयात अनुबंध के अंतर्गत हुए हैं।

viii. जापान से आयात मुख्यतः दो खरीदारों तक सीमित हैं, उच्च गुणवत्ता के हैं तथा उनका उपयोग विशिष्ट एवं सीमित है। जापान से आयातों में गिरावट को देखते हुए ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए।

ix. चूंकि निप्पोन कोक एंड इंजीनियरिंग कं. लि. द्वारा उत्पादित वस्तु उच्च गुणवत्ता की है तथा तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित या अन्य संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं है, अतः जापान से आयातों का संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।

x. आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि 2022-23 में मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण जापान से आयातों में सीमित वृद्धि हुई। कुल मिलाकर जापान से आयात घटे हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री एवं ऑस्ट्रेलिया से आयात स्वतंत्र रूप से संचालित हुए। आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि का परिणाम है।

xi. यदि ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को देखा जाए, तो मांग 2013-14 में 6.5 मिलियन एमटी से बढ़कर जांच अवधि में 6.6 मिलियन एमटी हो गई है। आयातों में वृद्धि इसी का स्वाभाविक परिणाम है।

xii. 6.6 लाख एमटी की मांग के मुकाबले, व्यापारी उत्पादकों की क्षमता केवल 3.6 मिलियन एमटी है, जिससे आयात आवश्यक हो जाते हैं।

xiii. इंडोनेशिया एवं चीन को छोड़कर, अन्य संबद्ध देशों से आयातों में मुख्यतः गिरावट आई है।

xiv. यद्यपि जांच अवधि में आयात बढ़े हैं, परंतु जनवरी 2025 से इस उत्पाद पर मात्रात्मक प्रतिबंध लागू होने के कारण उसके बाद आयातों में वृद्धि का आकलन करना संभव नहीं है, जो वर्तमान क्षति के लिए सार्थक आधार प्रदान कर सके।

xv. घरेलू उद्योग जानबूझकर उत्पादन को आबद्ध उपभोग की ओर ले जा रहा है, जैसा कि बिक्री की तुलना में आबद्ध उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट है। इससे मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण आयात आवश्यक हो जाते हैं।

xvi. देश-वार पहुंच कीमत के प्रकटन के अभाव में हितबद्ध पक्षकार टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

xvii. जहां आयातित मेट कोक की कीमतें ऑस्ट्रेलियाई कोकिंग कोयले की कीमतों के अनुरूप रही हैं, वहीं घरेलू उद्योग की कीमतें स्थिर बनी रही हैं।

xviii. ऑस्ट्रेलिया से आयातित वस्तुओं की कीमतें अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक हैं, जबकि ये आयात शुल्क मुक्त हैं। अतः ऑस्ट्रेलिया से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करने की संभावना नहीं रखते हैं।

xix. रक्षोपाय जांच में प्राधिकारी ने पाया कि 2022-23 एवं 2023-24 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कोकिंग कोयले की पहुंच कीमतें अधिक थीं। परिणामस्वरूप इस अवधि में मेट कोक की पहुंच कीमतें भी अधिक रहीं। इसके बाद कीमतों में कोई भी सुधार गिरावट के रूप में नहीं माना जा सकता।

xx. आधार वर्ष से 2022-23 के बीच आयातों में वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि हुई। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग को कीमतें घटाने के लिए बाध्य नहीं किया था।

xxi. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत की तुलना में पहुंच मूल्य कम है, जो विदेशी उत्पादकों को प्राप्त प्राकृतिक लाभों के कारण है। रक्षोपाय जांच में भी यह उल्लेख किया गया था कि चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्पादक कोकिंग कोयला घरेलू स्तर पर प्राप्त करते हैं, जिससे उन देशों में संभार तंत्र लागत कम होती है, जबकि भारतीय कंपनियां कोयले का आयात करती हैं, जिससे उन्हें भारी लागत वहन करनी पड़ती है।

xxii. चूंकि घरेलू उद्योग की लागत उसके विक्रय मूल्य से अधिक रही है, अतः कथित कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण कच्चे माल की उच्च कीमतों, प्रचालन अक्षमताओं तथा निवेश के पैमाने एवं प्रकृति के कारण है।

xxiii. कोकिंग कोयले की कीमतों में 40% की गिरावट के अनुरूप मेट कोक की कीमतों में भी कमी आई है।

xxiv. मात्रात्मक प्रतिबंधों द्वारा संरक्षित होने के बावजूद, घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं बना रहा तथा लागत एवं कीमत के बीच का अंतर कम नहीं हुआ।

xxv. चूंकि जापान एवं ऑस्ट्रेलिया से आयातों का हिस्सा चीन एवं इंडोनेशिया की तुलना में कम था, इसलिए उनका घरेलू कीमतों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं हो सकता था।

xxvi. क्षति अवधि के अधिकांश भाग में घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य उसकी बिक्री लागत के अनुरूप रहे हैं। अतः यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई कीमत संबंधी क्षति नहीं हुई है।

xxvii. भारत में आयात कीमत विचाराधीन उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर आधारित हैं।

xxviii. आवेदक ने क्षति अवधि के प्रथम तीन वर्षों के लिए कीमत कटौती से संबंधित कोई जानकारी प्रदान नहीं की है।

xxix. वेदांता माल्को लिमिटेड के वित्तीय प्रकटन क्षति अवधि के दौरान मेट कोक की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं।

xxx. समग्र रूप से, बेंचमार्क कोकिंग कोयले की कीमतों में 40% की गिरावट आई, जिसके साथ मेट कोक की कीमतों में भी गिरावट आई। घरेलू उद्योग का निष्पादन आयात की मात्रा या कीमतों की तुलना में कच्चे माल की लागत में बदलाव के साथ अधिक निकटता से संबंधित है।

xxxi. यद्यपि क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा एवं कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि निर्यात बिक्री में कमी आई है। लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग के निर्यात में कमी के कारण है।

xxxii. क्षति अवधि के दौरान क्षमता विस्तार के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

xxxiii. जहां निर्यात बिक्री में कमी आई है, वहीं मालसूची में वृद्धि को केवल घरेलू बिक्री से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जॉच परिणाम यह पुष्टि नहीं करते कि रिपोर्ट की गई लाभप्रदता एवं बिक्री में निर्यात बिक्री शामिल नहीं है।

xxxiv. क्षति अवधि के प्रथम वर्ष में घरेलू उद्योग लाभकारी था। जिंदल कोक लिमिटेड ने महत्वपूर्ण लाभ मार्जिन की सूचना दी है तथा क्षमता उपयोग में भी सुधार किया है।

xxxv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की अपस्ट्रीम कीमत श्रृंखला में कीमत उतार-चढ़ाव के कारण है।

xxxvi. यद्यपि 2023-24 में घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हुई, तथापि नियोजित पूंजी पर आय में वृद्धि हुई।

xxxvii. जांच अवधि के पश्चात कोयले की कीमतों में और कमी होने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार होने की संभावना है।

xxxviii. प्रारंभिक निर्धारण में यह स्वीकार किया गया है कि जांच अवधि के दौरान पोलैंड से आयात महत्वपूर्ण मात्रा में हुए हैं, तथापि इसके बावजूद प्राधिकारी तथा आवेदक ने उच्च आयात कीमतों के आधार पर पोलैंड को संबद्ध देशों में शामिल नहीं किया है। जबकि पोलैंड से आयात क्षतिरहित कीमत से कम हैं।

xxxix. यदि मालभाड़ा लागत को समायोजित किया जाए, तो जापान से आयात का पहुंच मूल्य पोलैंड से आयात के पहुंच मूल्य से अधिक होगा। अतः जापान से आयातों को बाहर किए जाने की आवश्यकता है।

xl. यदि कोई क्षति हुई है, तो वह जापान के अतिरिक्त अन्य देशों से आयातों के कारण हुई है।

xli. घरेलू उद्योग को हुई क्षति एमएफएन शुल्क दरों में कमी तथा इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत टैरिफ उदारीकरण के कारण है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल ऐसे देशों से आयातों के कारण है।

xlii. अनुशंसित शुल्क की राशि पोलैंड एवं रूस की कीमतों के बीच अंतर से कहीं अधिक है। यदि पोलैंड से आयात क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तो प्रस्तावित शुल्क कथित क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक है और इससे घरेलू उद्योग को अत्यधिक संरक्षण मिलेगा, जिससे डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं पर अनुचित भार पड़ेगा।

xliii. अन्य घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति आंतरिक अक्षमताओं के कारण है। जिंदल कोक, जो कुल आंकड़ों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखता है, ने पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया है।

xliv. घरेलू उद्योग के उच्च मालसूची यह दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग अन्य कारकों, जैसे गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण प्रचालन अक्षमताओं का सामना कर रहा है।

xlv. घाटे में वृद्धि आयातों के कारण नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग की अक्षमताओं के कारण है, क्योंकि इसने कभी भी अपनी क्षमता के 50% से अधिक पर संचालन नहीं किया, जिससे उच्च स्थिर लागत एवं प्रचालन अक्षमताएं उत्पन्न हुईं।

xlvi. घरेलू उद्योग का कम क्षमता उपयोग संरचनात्मक सीमाओं, जैसे पुरानी तकनीक, खंडित क्षमता, कोयले की सीमित उपलब्धता तथा अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण है, न कि संबद्ध आयातों के कारण।

xlvii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी निर्यात में गिरावट, उच्च ब्याज लागत, मालसूची में वृद्धि तथा कमीशन, मालभाड़ा एवं छूट पर बढ़ते व्यय के कारण हुई है।

xlviii. घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रकों के माध्यम से की जाती है, जिससे लागत बढ़ती है, जबकि आयात बड़े जहाजों के माध्यम से आते हैं, जिससे घरेलू आपूर्ति में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती है।

xlix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट क्षमता विस्तार के कारण हो सकती है, जिसके चलते क्षति अवधि के दौरान कीमतह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है।

l. भाटिया कोक एंड एनर्जी क्षति अवधि के दौरान लगभग 125.9 करोड़ रुपये के बकाया के भुगतान न करने के कारण बैंकों के एक संघ द्वारा दिवालियापन कार्यवाही के अधीन रहा है। ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत, कॉर्पोरेट देनदार कंपनी का संचालन मूल्य संरक्षण के उद्देश्य से करता है, न कि लाभ अर्जन के उद्देश्य से। अतः क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं हुई है।

li. प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भाटिया कोक पर दिवालियापन कार्यवाही का क्षति विश्लेषण पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा।

lii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उसकी स्वयं की अक्षमताओं के कारण है, न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण। घरेलू उद्योग लागत के दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धी नहीं है।

liii. कच्ची सामग्री की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता, जो बिक्री कीमत में गिरावट के साथ मिलकर, लाभप्रदता को प्रभावित करती है, जैसा कि बीएलए कोक प्रा. लि. और मालको एनर्जी लि. के संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दर्ज किया गया है।

liv. मेट कोक के विदेशी उत्पादकों के पास एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनमें आबद्ध विद्युत संयंत्र और रिकवरी प्रकार के ओवन शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण उप-उत्पाद उत्पन्न करते हैं। इन उप-उत्पादों से प्राप्त लाभ के माध्यम से लागत में कमी ग्राहकों को स्थानांतरित की जाती है। इसके विपरीत, घरेलू उत्पादकों ने उप-उत्पादों से प्राप्त आय या ऊर्जा उत्पादन दक्षताओं को शामिल किए बिना आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग की संरचनात्मक अक्षमता के लिए पाटन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

lv. इस्पात मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि भारत में कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं है। यदि घरेलू उद्योग कोयला घरेलू स्तर पर प्राप्त करता है, तो उसे उत्पाद को धोने में अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है।

lvi. सौराष्ट्र फ्यूल्स की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उत्पाद में नमी में परिवर्तन होता है, जिससे संचालन बाधित होता है, हैंडलिंग लागत बढ़ती है तथा उत्पादकता में कमी आती है।

lvii. यद्यपि घरेलू उत्पादकों को (क) खदान से बंदरगाह, (ख) पत्तन से मालसूची यार्ड/कारखाना तथा (ग) कारखाने से उपभोक्ताओं तक मालभाड़ा वहन करना पड़ता है, वहीं विदेशी उत्पादकों के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है या वे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जिससे मालभाड़ा लागत कम होती है।

lviii. क्षतिरहित कीमत अनुचित है, क्योंकि नमूना लिए गए तीन उत्पादकों में से दो कोक का आबद्ध उपभोग करते हैं।

lix. भाटिया कोक द्वारा दर्ज असाधारण मदों के अंतर्गत उच्च शुल्कों की जांच की जानी चाहिए।

lx. क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग के क्षति के दावों का आकलन करते समय उच्च कीमतह्रास और ब्याज लागतों को समायोजित किया जाना चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

157. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति केवल आयात की मात्रा में वृद्धि पर आधारित नहीं है, बल्कि आयात की कम कीमतों पर भी आधारित है। चूंकि रक्षोपायों ने मात्रा को सीमित कर दिया था, इसलिए ऐसे उपाय लागू होने के बावजूद क्षति बनी रही।

ii. वर्तमान मामले में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है, क्योंकि संचयन की सभी शर्तें पूरी होती हैं।

iii. आयातों के संचयन के लिए पाटनरोधी करार में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं। प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी को देश-वार मात्रा और कीमत का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि ईसी – मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग्स के संबंध में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में भी देखा गया है।

iv. चूंकि संचयन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं, अतः क्षति की जॉंच सभी संबद्ध देशों के लिए सामूहिक रूप से की जानी चाहिए, न कि केवल जापान के लिए अलग से।

v. देश में अनेक उपभोक्ता जापान और भारत से प्राप्त उत्पाद का परस्पर उपयोग करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग इन उत्पादों के लिए जापान से आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

vi. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि जापान से आयात अनुबंध के तहत हो रहे हैं। कई पक्षकार जापान से विचाराधीन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, जिनमें से अनेक के पास जापानी उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रदर्शित नहीं किया गया है कि ऐसे दीर्घकालिक अनुबंधों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता या आपूर्ति को घरेलू उत्पादकों की ओर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

vii. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जापान से निर्यात केवल दो कंपनियों को होता है, तथापि कम से कम 10 आयातकों ने जापान से इस उत्पाद का आयात किया है।

viii. भले ही जापानी उद्योग प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य कर रहा हो, जापान से पाटन ने भारत में उचित बाजार परिस्थितियों को प्रभावित किया है तथा जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

ix. यदि जापानी उत्पादक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो यह स्थिति भारतीय सरकार द्वारा सुधारने योग्य नहीं है। जापानी उत्पादकों को अपने उत्पादन को अपने घरेलू बाजारों पर केंद्रित करना चाहिए, न कि अपनी क्षमताओं को भारतीय बाजार के लिए उपयोग करना चाहिए।

x. क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष भी वृद्धि हुई है।

xi. संबद्ध आयात भारत में कुल आयात का अधिकांश हिस्सा रखते हैं।

xii. आयातों में वृद्धि, मांग में वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक है। जहां क्षति अवधि के दौरान मांग में 40% की वृद्धि हुई, वहीं संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है। अतः आयातों में वृद्धि केवल बढ़ती मांग का परिणाम नहीं है।

xiii. 2013-14 और वर्तमान अवधि के बीच आयात प्रवृत्तियों की तुलना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस अवधि के दौरान ही आयातों में वृद्धि हो चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। यदि 2012-13 की तुलना वर्तमान जांच अवधि से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि जहां व्यापार मांग में केवल 2% की वृद्धि हुई है, वहीं आयातों में 25% की वृद्धि हुई है।

xiv. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, वर्तमान जांच अवधि के दौरान कोई मात्रात्मक प्रतिबंध लागू नहीं था। जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा पर पाटन के अतिरिक्त किसी अन्य कारक का प्रभाव नहीं था।

xv. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

xvi. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत, दोनों से कम है।

xvii. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू विक्रय मूल्य आयातों के पहुंच मूल्य से केवल थोड़ा अधिक है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने हानि पर बिक्री की है, फिर भी आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध रहे।

xviii. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, तथापि बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम रही है। अतः संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

xix. 2022-23 से पहुंच मूल्य बिक्री लागत से कम बना हुआ है तथा बिक्री लागत और पहुंच मूल्य के बीच अंतर प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया है।

xx. भले ही संबद्ध देशों के उत्पादकों को क्षति अवधि के दौरान लागत लाभ प्राप्त रहा हो, तथापि 2021-22 में संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक था। तथापि, इसके बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

xxi. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच में प्राधिकारी ने यह माना था कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ था, क्योंकि आयात भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे थे जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुए परिवर्तनों के अनुरूप नहीं थीं।

xxii. यह तथ्य कि मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी लागत और कीमत के बीच अंतर कम नहीं हुआ, भारत में संबद्ध वस्तुओं के बड़े पैमाने पर पाटन का परिणाम है।

xxiii. घरेलू उद्योग मुख्यतः कच्चा माल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से प्राप्त करता है। चूंकि संबद्ध देशों से आयात कीमत कच्चे माल की लागत से कम है, अतः यह तर्क कि ऐसी कीमतें कोकिंग कोयले की कीमतों के अनुरूप हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

xxiv. कीमत कटौती का आकलन जांच अवधि के लिए किया जाना चाहिए, न कि संपूर्ण क्षति अवधि के लिए। घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है।

xxv. यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को कमीशन, मालभाड़ा और छूट को शामिल किए बिना भी देखा जाए, तो वह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

xxvi. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, तथापि क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में कमी आई है।

xxvii. देश में इतनी मांग उपलब्ध है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकता है, फिर भी घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में कमी आई है।

xxviii. घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्षमता बढ़ाई है। इसका उत्पादन और बिक्री इसलिए बढ़े क्योंकि उसने हानि पर बिक्री की थी। घरेलू उद्योग का कुल घाटा प्रत्येक टन बिक्री के साथ बढ़ता गया है।

xxix. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन घटा है। यह गिरावट इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में और अधिक स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने हानि पर बिक्री की है।

xxx. जहां उत्पादन में गिरावट आई है तथा घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को हानि पर बेचा है, वहीं घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में मालसूची में कमी आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने और अधिक हानि पर बिक्री की है।

xxxi. संबद्ध देशों से आयात देश की मांग में लगभग आधा बाजार हिस्सा रखते हैं। घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान घटा है।

xxxii. घरेलू उद्योग तथा संपूर्ण भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान घटा है।

xxxiii. जहां 2021-22 में संबद्ध आयात भारतीय बाजार का केवल 26% या एक-चौथाई हिस्सा थे, वहीं अब संबद्ध आयात भारत की मांग का 50% से अधिक हिस्सा रखते हैं।

xxxiv. यद्यपि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया और हानि पर बिक्री की, फिर भी घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

xxxv. घरेलू उद्योग को 2022-23 से हानि हो रही है। यद्यपि 2023-24 और जांच अवधि में पहुंच मूल्य में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुछ सुधार हुआ, तथापि यह लाभकारी स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था।

xxxvi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जहां आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा था, वहीं इसके बाद उसे वित्तीय हानि हुई है। साथ ही, घरेलू उद्योग के घाटे वर्ष-दर-वर्ष बढ़े हैं और जांच अवधि में सर्वाधिक रहे हैं।

xxxvii. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकद घाटा हुआ है।

xxxviii. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

xxxix. 2023-24 के दौरान घरेलू उद्योग ने अत्यंत नगण्य आय अर्जित किया, जिसे "वृद्धि" नहीं माना जा सकता है।

xl. 2022-23, 2023-24 तथा जांच अवधि के दौरान वित्तीय और नकद घाटों के कारण घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

xli. एक बार जब जिंदल कोक घरेलू उद्योग का हिस्सा बन जाता है, तो उसका व्यक्तिगत निष्पादन अप्रासंगिक हो जाता है और उसे घरेलू उद्योग के अन्य घटकों से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षति विश्लेषण संपूर्ण घरेलू उद्योग के लिए किया जाना आवश्यक है, न कि उसके भागों या घटकों के लिए।

xlii. इस अवधि के दौरान जिंदल कोक के लाभ में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।

xliii. यद्यपि रक्षोपायों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में कुछ सुधार हो सकता है, तथापि ऐसे उपाय अस्थायी अवधि के लिए थे। चूंकि उत्पादकों और निर्यातकों ने जांच अवधि में, जो रक्षोपाय जांच में विचाराधरीन अवधि के पश्चात की है, पाटन किया है और इससे घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है, अतः संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

xliv. चूंकि कच्चे माल की लागत उत्पादन लागत का 90% होती है, अतः तैयार उत्पाद की कीमतों में कच्चे माल की लागत के अनुरूप उतार-चढ़ाव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है।

xlv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण हुई है। अन्य कोई ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

xlvi. पोलैंड से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत, दोनों से अधिक है, तथा संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य से भी अधिक है।

xlvii. पोलैंड से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों से अधिक है तथा संबद्ध आयातों की कीमत से भी अधिक है।

xlviii. पोलैंड को संबद्ध देश के रूप में शामिल करने का अनुरोध एक उपभोक्ता द्वारा किया गया है। तथापि, पोलैंड को संबद्ध देश के रूप में शामिल न किए जाने से किसी उपभोक्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

xlix. रूस पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश क्षति मार्जिन के आधार पर की गई है, अतः यह रूसी उत्पादकों द्वारा किए जा रहे वास्तविक पाटन से कम है। शुल्क का निर्धारण अन्य देशों से आयात की कीमतों के संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं है।

l. चूंकि मेट कोक एक वस्तु उत्पाद है, अतः संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप पोलैंड से आयात की कीमतों में भी वृद्धि होने की संभावना है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आवेदक पोलैंड से आयातों पर शुल्क लगाए जाने हेतु प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

li. घरेलू उद्योग को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात कारकों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

lii. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो आंतरिक अक्षमताओं या घरेलू उद्योग के लागत-प्रतिस्पर्धी न होने को दर्शाता हो।

liii. संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत का प्रमुख घटक कोकिंग कोयला है, जो कुल लागत का 90% से अधिक है, जिसे घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्राप्त करता है। अतः यह कहना कि घरेलू उद्योग लागत-प्रतिस्पर्धी नहीं है, सही नहीं है।

liv. भारत में कोकिंग कोयले की अनुपलब्धता घरेलू उद्योग की एक अंतर्निहित विशेषता है, जो अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही है। कच्चे माल के आयात पर घरेलू उद्योग की निर्भरता, कारणात्मक संबंध के विश्लेषण में प्रासंगिक नहीं है, जैसा कि यूरोपीय संघ – बायोडीजल (अर्जेंटिना) मामले में माना गया है।

lv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। चूंकि पहुंच मूल्य कोकिंग कोयले की कीमत से भी कम है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उच्च कच्चे माल की कीमतों के कारण हुई है।

lvi. कोकिंग कोयला केवल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में उपलब्ध है। अन्य संबद्ध देशों के विदेशी उत्पादक भी कोयला आयात करते हैं और दावा किए गए अनुसार बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं हैं।

lvii. यह प्रदर्शित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी उत्पादक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से खदानों से जुड़े हुए हैं।

lviii. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी किसी नई अक्षमता की पहचान नहीं की है जो क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को प्रभावित करने लगी हो। यह स्थापित सिद्धांत है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए, और प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताओं के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।

lix. नमी में परिवर्तन जैसे कारक नए नहीं हैं, बल्कि उत्पाद की अंतर्निहित विशेषता हैं। अतः क्षति के लिए इसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

lx. चूंकि घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी में क्षति अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लाभकारी था, अतः क्षति के लिए घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधाओं को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

lxi. रिकवरी संयंत्र में निवेश और प्रचालन लागत अत्यधिक होती है। यदि घरेलू उद्योग के पास रिकवरी प्रकार के संयंत्र होते, तो उत्पादन लागत और क्षतिरहित कीमत वर्तमान से अधिक होती।

lxii. यदि भविष्य में लाभप्रदता में सुधार होता है तथा पाटन समाप्त हो जाता है, तो अन्य हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं।

lxiii. भाटिया कोक वर्ष 2022 तक कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया के अधीन था, जिसके पश्चात इसे एक्वा टेरा द्वारा अधिग्रहित किया गया। जांच अवधि के दौरान इसे स्वतंत्र और नए प्रबंधन द्वारा संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य अन्य व्यवसायों की भांति लाभ अधिकतम करना था।

lxiv. भाटिया कोक के वित्तीय विवरणों में दर्ज असाधारण मदों को प्राधिकारी को प्रस्तुत लागत प्रारूपों का हिस्सा नहीं माना गया है।

lxv. चूंकि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए भी घटा है, अतः क्षति का कारण केवल ब्याज लागत नहीं है।

lxvi. चूंकि घरेलू उद्योग ने अपने घरेलू और निर्यात निष्पादन के संबंध में पृथक-पृथक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, अतः दावा की गई क्षति निर्यात के कारण नहीं हुई है।

lxvii. कोविड-19 को छह वर्ष हो चुके हैं, अतः इस चरण पर किसी भी मामले में सार्वजनिक हित विश्लेषण हेतु अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

lxviii. बाद की अवधि में क्षति मार्जिन और अधिक बढ़ गया है। अतः यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

158. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रत्युत्तरों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया गया है।

159. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उत्पादकों में से एक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे मुद्दों के लिए डीजीटीआर उचित प्राधिकारी नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भाटिया कोक वर्ष 2022 तक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन था। इसके पश्चात उक्त उत्पादक को एक्का टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीद लिया गया था और अब इसका संचालन एक नए स्वतंत्र प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। चूंकि जांच अवधि के दौरान उत्पादक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन नहीं है, अतः पूर्व में हुई ऐसी कार्यवाहियों से क्षति विश्लेषण प्रभावित नहीं होता है।

160. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति विश्लेषण उचित नहीं है क्योंकि यह केवल तीन नमूना उत्पादकों के लिए किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया गया है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग में नौ उत्पादक शामिल हैं और क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से ऐसे उत्पादकों के संचयी निष्पादन की जांच की गई है। वर्तमान जांच में निदर्शन केवल क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के सीमित उद्देश्य के लिए किया गया है।

1. क्षति का संचयी मूल्यांकन

161. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात के विरुद्ध एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन तभी करेंगे, जब वे यह निर्धारित होता है कि:

i प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है, या जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ वे आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के कुल आयात का सात प्रतिशत से अधिक हैं, और

ii आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है।

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा व्यक्तिगत रूप से कुल आयात की मात्रा के 3% से अधिक है।

iii. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से होने वाले आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पाद के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

163. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकारी ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का घरेलू उद्योग पर संचयी रूप से मूल्यांकन करना उचित समझते हैं।

164. जापान से होने वाले आयातों को गैर-संचयी करने के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से आयात की मात्रा कुल आयात की मात्रा के 3% से अधिक है, जापान के उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन 'न्यूनतम' सीमा से अधिक है और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि ऐसे आयात अन्य संबद्ध देशों से होने वाले आयातों या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि जापान के उत्पादकों ने कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के समान वस्तु नहीं है, किंतु प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पाद के लिए समान वस्तु का उत्पादन किया है। इसके अलावा, जापान से आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता में भिन्नता का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि जापानी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती, तो वे इसके लिए बेहतर कीमत वसूल सकते थे। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। अतः, प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के संचयन विचार किया है।

165. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि जापान से संबद्ध वस्तु का आयात भारत में केवल एक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों के अनुसार, कई कंपनियों ने जापान से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, जिन संस्थाओं ने जापान से संबद्ध वस्तु का आयात किया है, उन्होंने घरेलू उद्योग से भी संबद्ध वस्तु की खरीद की है। इस प्रकार, जापान से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के साथ-साथ अन्य संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, एक ही उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार, एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

166. इस अनुरोध के संबंध में कि एक संबद्ध देश से आयात कीमत अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक थी और मात्रा कम थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के संचयन के लिए इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन सभी जांचों में जहाँ एक से अधिक देशों के आयातों का एक साथ मूल्यांकन किया जाता है, एक देश से आयात कीमत हमेशा दूसरे की तुलना में अधिक होगी और मात्रा अन्य देशों की तुलना में कम या अधिक हो सकती है। यदि संचयी मूल्यांकन के लिए ऐसी तुलना आवश्यक होती, तो किसी भी जांच में आयातों का संचयी मूल्यांकन करना संभव नहीं होता।

167. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जापान से होने वाले आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे अनुबंध के अधीन हैं और यह स्थिति पोलैंड के समान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोलैंड का पहुंच मूल्य जापान से होने वाले आयात की कीमत से बहुत अधिक है। इसके अलावा, पोलैंड से आयात का पहुंच मूल्य बिक्री लागत, बिक्री कीमत और साथ ही सभी संबद्ध देशों से होने वाले आयात की कीमत से अधिक है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
जापान से पहुच कीमत	रु./एमटी	29,941
पोलेंड से पहुच कीमत	रु./एमटी	34,090
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	रु./एमटी	***
कीमत कटौती		

पोलेंड	रु./एमटी	नकारात्मक
जापान	रु./एमटी	सकारात्मक
लागत कटौती		
पोलेंड	रु./एमटी	नकारात्मक
जापान	रु./एमटी	सकारात्मक

2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

168. वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से होने वाले आयातों के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार मूल्यांकित की गई मांग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083
आबद्ध खपत	एमटी	6,662	0	1,37,268	2,17,230
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	11,98,008	10,35,742	9,12,230	9,39,285
संबद्ध आयात	एमटी	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
अन्य आयात	एमटी	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल मांग	एमटी	47,31,503	57,58,934	59,32,081	66,10,837

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारत में निरंतर वृद्धि हुई है और जांच अवधि के दौरान यह मांग उच्चतम स्तर पर थी।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

170. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
ऑस्ट्रेलिया	एमटी	1,16,925	2,96,324	1,69,401	1,36,749
चीन जन गण	एमटी	1,24,044	9,44,638	6,80,467	7,39,508
कोलंबिया	एमटी	5,28,332	5,55,586	5,67,205	3,61,969
इंडोनेशिया	एमटी	69,932	2,53,672	8,59,057	17,52,886
जापान	एमटी	3,45,603	3,80,420	2,63,742	2,19,726

रूस	एमटी	47,168	1,73,944	2,60,383	2,23,968
अन्य आयात	एमटी	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल आयात	एमटी	24,28,939	35,47,220	36,26,196	42,47,239
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	50%	124%	140%	172%
खपत	%	26%	45%	47%	52%
कुल आयात	%	51%	73%	77%	81%

171. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों में क्षति अवधि के दौरान 179% की वृद्धि हुई है।

ii. आयातों में उत्पादन और खपत के सापेक्ष भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारत में कुल खपत का 52% हिस्सा रखते हैं।

iii. जहां आधार वर्ष में संबद्ध आयात भारत में कुल आयात का 51% थे, वहीं क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात की मात्रा दोगुनी से अधिक हो गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारत में कुल आयात का 81% हिस्सा रखते हैं।

iv. संबद्ध आयातों में वृद्धि की दर, मांग में वृद्धि की दर से अधिक रही है। जहां आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारत में मांग में 40% की वृद्धि हुई, वहीं उसी अवधि में संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है।

172. इस अनुरोध के संबंध में कि आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है। घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में वृद्धि, घरेलू उद्योग द्वारा लाभप्रदता से समझौता करने के कारण हुई है।

173. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यदि ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को देखा जाए, तो 2013-14 से मांग में वृद्धि हुई है और इसी कारण आयातों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि की तुलना 2013-14 से करते हुए मांग और आयात की मात्रा की तुलना करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी स्थिति में, देश में व्यापारी मांग 2013-14 की तुलना में घटी है, तथापि भारत में आयात उसी अनुपात में नहीं घटे हैं।

विवरण	2013-14*	पीओआई	परिवर्तन
भारत में आयात	39,26,125	42,47,239	+8%
व्यापारिक मांग	64,98,780	63,93,607	-2%

******जैसा कि प्राधिकारी द्वारा ऑस्ट्रेलिया और चीन से मेट कोक के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच [संख्या 14/9/2015-डीजीएडी] में विचार किया गया था।*

174. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 2013-14 वह अवधि थी जिसमें पाटन के कारण भारत में आयातों में वृद्धि हुई थी तथा प्राधिकारी ने उक्त अवधि के आयातों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की अवधि को आधार माना जाए, तो यह देखा जाता है कि 2012-13 के बाद भारत में आयातों में वृद्धि, मांग में हुई वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक रही है।

विवरण	2012-13*	पीओआई	परिवर्तन
भारत में आयात	31,34,149	42,47,239	+36%
व्यापारिक मांग	59,63,382	63,93,607	+7%

**जैसा कि प्राधिकारी द्वारा ऑस्ट्रेलिया और चीन से मेट कोक के आयात पर पाटनरोधी जांच [संख्या 14/9/2015-डीजीएडी] में विचार किया गया था।*

175. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग की तुलना में काफी कम है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में व्यापारी क्षमता, व्यापारी मांग से अधिक है। प्राधिकारी ने इस विषय की जॉंच इस प्रकटन विवरण के संगत हिस्से में की है।

176. इस अनुरोध के संबंध में कि आयात जनवरी 2025 से मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन हैं और उनमें वृद्धि संभव नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में क्षति विश्लेषण जांच अवधि के लिए किया गया है। जांच अवधि के पश्चात आयात मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन थे। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकटन विवरण जारी किए जाने के समय ऐसे उपाय समाप्त हो चुके हैं। अतः रक्षोपायों की अवधि के दौरान हुए आयात वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

177. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग जानबूझकर उत्पादन को आबद्ध उपभोग की ओर स्थानांतरित कर रहा है, जिसके कारण मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न हो रहा है और आयात आवश्यक हो जाते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का आबद्ध उपभोग भारत में उपलब्ध क्षमता की तुलना में काफी सीमित है। इस प्रकार का नगण्य आबद्ध उपभोग देश में मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न नहीं करता है।

विवरण	**यूनिट**	**पीओआई**
क्षमता	एमटी	36,16,031
आबद्ध क्षमता	एमटी	2,17,230
क्षमता के संबंध में आबद्ध खपत	%	6%

3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

178. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव का परीक्षण कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में किया गया है।

क कीमत कटौती

179. कीमत कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

विवरण	यूनिट	राशि
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
पंहुच कीमत	रु./एमटी	27,024
कीमत कटौती	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	15-25%

180. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं तथा कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि उसकी बिक्री लागत से भी कम है।

181. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने देश-वार पहुंच मूल्य के प्रकटन का अनुरोध किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के लिए समग्र रूप से तथा वर्तमान जांच के अधीन प्रत्येक देश के लिए भी कीमत कटौती सकारात्मक है।

विवरण	यूनिट	ऑस्ट्रेलिया	चीन	कोलंबिया	इंडोनेशिया	जापान	रूस
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
पंहुच कीमत	रु./एमटी	28,563	24,059	24,999	28,096	29,941	27,897
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%	30-40%	25-35%	10-20%	0-10%	10-20%

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

182. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
पंहुच कीमत	रु./एमटी	32,618	37,733	28,916	27,024
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	89	83

183. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम रही। 2022-23 में आयात कीमत में वृद्धि, बिक्री

लागत और बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से भी कम रही। 2023-24 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में कमी आई, परंतु बिक्री कीमत में कमी, बिक्री लागत में हुई कमी से अधिक रही। जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत में और कमी आई। जांच अवधि में पहुंच मूल्य, बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम रहा, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें घटाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जबकि उसकी कीमतें पहले से ही बिक्री लागत से कम थीं। समग्र रूप से, जहां क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई, वहीं बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम रही। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है तथा ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ सकती थीं।

184. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयात कीमत कोकिंग कोयले की कीमतों के अनुरूप है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य कच्चे माल, अर्थात् कोकिंग कोयले की कीमतों से भी कम है। जहां घरेलू उद्योग की बिक्री लागत कच्चे माल की लागत में हुए परिवर्तनों के अनुरूप रही है, वहीं पहुंच मूल्य में भारत में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह इस स्तर तक पहुंच गया है कि यह घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से भी कम है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
पंहुच कीमत	रु./एमटी	32,618	37,733	28,916	27,024
कोकिंग कोयले की कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	123	121

185. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि 2022-23 और 2023-24 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कोकिंग कोयले का पहुंच मूल्य अधिक था और परिणामस्वरूप मेट कोक की कीमतें भी अधिक थीं। पहुंच मूल्य में कमी केवल कीमत सुधार है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि यदि कोई कीमत सुधार हुआ भी हो, तो वह इस सीमा तक नहीं हो सकता कि अंतिम उत्पाद का पहुंच मूल्य भारत में उस उत्पाद के कच्चे माल की लागत से भी कम हो जाए तथा निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम हो।

186. इस तर्क के संबंध में कि आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में आयात बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम था और आयातों ने कीमतों पर कोई दबाव नहीं डाला, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 46% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग अपने बिक्री कीमत में केवल 25% की वृद्धि कर सका। अतः कम कीमतों पर बढ़े हुए आयातों ने उक्त अवधि में भी घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

187. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, जो प्राकृतिक लाभों के कारण है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे प्राकृतिक लाभ पूरी क्षति अवधि के दौरान विद्यमान रहे हैं। आधार वर्ष में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक था। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भले ही विदेशी उत्पादकों को प्राकृतिक लाभ प्राप्त हों, उन्होंने भारतीय बाजार में पाटन का सहारा लिया है। साथ ही, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, ये प्राकृतिक लाभ केवल ऑस्ट्रेलिया और चीन के

उत्पादकों को प्राप्त हैं, तथापि ऐसे उत्पादकों ने वर्तमान तथा पूर्ववर्ती जांचों में भी पाटन किया है। उक्त देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, क्योंकि वहां के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाए थे।

188. इस तर्क के संबंध में कि मात्रात्मक प्रतिबंध लागू होने के बावजूद लागत और कीमत के बीच अंतर कम नहीं हुआ, जिससे घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुएं मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन नहीं थीं।

189. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वेदांता मालको एनर्जी के वित्तीय विवरण वैश्विक स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के उत्पादकों ने भारत में उत्पाद का पाटन किया है। यदि कम कीमतें केवल वैश्विक कीमत उतार-चढ़ाव के कारण होतीं, तो विदेशी उत्पादकों के घरेलू बाजार में भी कीमतें कम होतीं।

4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

190. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। जहाँ तक घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयात के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, तथा नकदी प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर पड़ने वाले वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव सम्मिलित हैं।

191. विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति के मानकों की वस्तुनिष्ठ रूप से जाँच की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

192. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है: -

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
क्षमता	एमटी	31,61,750	33,48,531	34,38,531	36,16,031
उत्पादन	एमटी	16,26,523	14,47,193	14,45,028	14,42,008
क्षमता उपयोग	%	51%	43%	42%	40%
घरेलू बिक्री	एमटी	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083

193. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, तथापि उत्पादन में गिरावट आई है।

ii. भारत में मांग घरेलू उद्योग की क्षमताओं से अधिक है, अतः मांग इतनी पर्याप्त है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उक्त वृद्धि केवल लाभप्रदता को गंवाने के कारण हुई है।

194. इस संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमताओं में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल क्षमता उपयोग ही नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन भी घटा है। जबकि घरेलू उद्योग ने क्षमताओं में वृद्धि की है और भारत में मांग भी बढ़ी है, इसके बावजूद उत्पादन में गिरावट आई है। अतः क्षमता उपयोग में गिरावट को क्षमताओं में वृद्धि के कारण नहीं माना जा सकता।

ख) बाजार हिस्सेदारी

195. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयात तथा अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	23%	20%	23%	22%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	25%	18%	15%	14%
संबद्ध आयात	%	26%	45%	47%	52%
अन्य आयात	%	25%	16%	14%	12%

196. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग तथा समग्र भारतीय उद्योग दोनों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

ii. अन्य देशों से आयात की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।

iii. मांग में संबद्ध आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है तथा संबद्ध आयात बाजार की लगभग आधी हिस्सेदारी रखते हैं। संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग के साथ-साथ अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी भी अपने अधीन कर ली है।

ग) मालसूची

197. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
आरंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	1,04,260	1,64,201	2,19,746	1,99,085

198. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। जबकि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की बिक्री हानि पर की है तथा घरेलू उद्योग का उत्पादन भी घटा है, इसके बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

घ) लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ

199. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है: -

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(18)	(22)	(37)
कुल लाभ/(हानि)	₹/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(19)	(26)	(41)

नकद लाभ	₹/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(2)	(2)	(14)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%सूचीबद्ध	100	2	10	(10)

200. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जबकि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया था, इसके पश्चात उसे केवल घाटे ही हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के बाद घरेलू उद्योग की हानियां वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी हैं।

ख. यद्यपि घरेलू उद्योग हानि पर बिक्री करके अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा, तथापि घरेलू उद्योग की कुल हानियां बढ़ी हैं।

ग. नकद लाभ में उल्लेखनीय गिरावट आई है और स्थिति ऐसी हो गई है कि घरेलू उद्योग को न केवल जांच अवधि में, बल्कि 2022-23 और 2023-24 में भी नकद हानियां हुई हैं।

घ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय ने भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

ङ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

201. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और वेतन का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	1,809	1,822	1,942	1,900
मजदूरी	₹/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	97	93
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	4,647	4,135	4,129	5,341
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	899	794	744	759

202. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान क्षमताओं में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

च) वृद्धि

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
क्षमता	%	-	6%	3%	5%
उत्पादन	%	-	(11)%	(0.1)%	(0.2)%
घरेलू बिक्रियाँ	%	-	7%	7%	(4)%
लाभ/हानि	%	-	(118)%	(23)%	(65)%
नकद लाभ	%	-	(102)%	(11)%	(495)%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	(98)%	307%	(198)%

203. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की क्षमता में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानक, जिनमें उत्पादन तथा घरेलू बिक्री शामिल हैं, जांच अवधि में कम हुए हैं।

iii. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानकों में क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को 2022-23, 2023-24 तथा जांच अवधि में वित्तीय घाटा और नकद घाटा हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ी हैं तथा क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है।

iv. नियोजित पूंजी पर आय ने 2022-23 में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की, तथापि 2023-24 में इसमें सुधार हुआ। जांच अवधि में नियोजित पूंजी पर आय ने पुनः नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

204. चूंकि संबद्ध आयातों का कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, अतः इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत तथा बिक्री लागत से भी कम पर हुए हैं। इससे घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकद हानियां हुई हैं। संबद्ध आयातों ने घरेलू

उद्योग की कीमतों में कमी की है तथा ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा बढ़ गई होती। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

ज) पाटन की मात्रा तथा पाटन मार्जिन

205. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है तथा पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

206. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को 2022-23, 2023-24 तथा जांच अवधि में वित्तीय हानि और नकद हानि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

207. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत, जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की पंहुच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत को लिया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय शामिल न हों। नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर युक्तिसंगत आय (कर-पूर्व 22%) कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई, और तदनुसार क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया गया है।

208. सहयोगी निर्यातकों के लिए पंहुच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पंहुच कीमत का निर्धारण किया है।

209. इस अनुरोध के संबंध में कि भाटिया कोक के संबंध में असाधारण मदों हेतु बड़े प्रभारों को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने कंपनी के वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई असाधारण मदों को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु विचार में नहीं लिया है।

210. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित पंहुच कीमत तथा क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है तथा उसका विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है: -

विवरण	यूनिट	ऑस्ट्रेलिया	चीन	कोलंबिया	इंडोनेशिया	जापान	रूस
क्षतिरहित कीमत	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
पंहुच कीमत	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज	20-30%	40-50%	35-45%	20-30%	10-20%	20-30%

ग. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

211. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मौजूदगी और घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच करने के उपरांत, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति को नियमावली के तहत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

212. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के अलावा, जांच की अवधि के दौरान केवल पोलैंड से महत्वपूर्ण मात्रा में आयात हुआ है। तथापि, पोलैंड से होने वाले आयात की कीमतें संबद्ध देशों से होने वाले आयात की कीमतों की तुलना में अधिक हैं। इसलिए, क्षति के लिए तीसरे देशों से होने वाले आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

213. इन अनुरोधों के संबंध में कि पोलैंड से होने वाले आयातों को बाहर रखा गया है, भले ही वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोलैंड से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ-साथ बिक्री लागत से भी अधिक है। यदि घरेलू उद्योग ने पोलैंड से प्राप्त कीमतों के बराबर कीमतों पर बिक्री की होती, तो उसे लाभ प्राप्त होता। इसके अलावा, ऐसी कीमतें संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के पहुंच मूल्य से भी अधिक हैं। अतः, पोलैंड से होने वाले आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला नहीं माना जा सकता है।

214. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रूस से होने वाले आयातों पर अनुशंसित पाटन रोधी शुल्क अधिक है और पोलैंड की कीमतों को पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए बेंचमार्क माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश के लिए किसी अन्य देश की कीमतों को बेंचमार्क के रूप में मानने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में 'कमतर शुल्क नियम' का पालन किया है। यद्यपि रूस के निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, फिर भी प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्क की सिफारिश की है, यद्यपि पाटन मार्जिन अधिक था।

ख. मांग में संकुचन

215. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। अतः, क्षति के लिए मांग में किसी भी संकुचन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ग. खपत की प्रवृति

216. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

217. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

218. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग पुरानी तकनीक का उपयोग करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में विकास के संबंध में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हुई हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभदायक था, जबकि वह उसी तकनीक का उपयोग कर रहा था।

च. उत्पादकता

219. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में घरेलू उद्योग के उत्पादन में परिवर्तन के साथ बदलाव आया है। अतः, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

220. यहाँ ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः, क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

221. क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में जानकारी अलग से प्रदान की है।

झ. कुछ संबद्ध देशों के साथ मुक्त व्यापार करार

222. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और जापान के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित एफटीए के कारण एमएफएन शुल्क दरों में कमी की वजह से हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से कम है। अतः, क्षति केवल उन देशों से आयातों की कम कीमत के कारण नहीं हुई है जिनके साथ भारत ने एफटीए हस्ताक्षरित किया है।

223. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी देशों से सीमा शुल्क जांच की अवधि से पहले ही न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया गया था। घरेलू उद्योग वर्ष 2021-22 में लाभदायक था, जब सीमा शुल्क वही थे जो जांच की अवधि के दौरान थे। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, ऑस्ट्रेलिया से आयातों का पहुंच मूल्य अधिकांश देशों की तुलना में अधिक है, यद्यपि उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।

ञ. आंतरिक अक्षमताएं

224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति आंतरिक अक्षमताओं के कारण है, तथापि, इस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह आगे नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि कच्चे माल, यानी कोकिंग कोल की लागत, कुल उत्पादन लागत के 90% से अधिक है। ऐसी स्थिति में, आंतरिक अक्षमता, यदि कोई हो, तो वह काफी सीमित है। इसके

अलावा, संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से भी कम है। प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान है। अतः, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्षति आंतरिक अक्षमता या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता के कारण है न कि भारत में पाटन के कारण।

ट. उच्च ब्याज और कीमतह्रास लागत

225. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उच्च ब्याज लागत के कारण होने संबंधी दलीलों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए, जिसमें ब्याज या कीमतह्रास लागत शामिल नहीं होती है, उसमें भी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए नकारात्मक है। अतः, घरेलू उद्योग को अपने ब्याज दायित्वों को पूरा करने से पहले ही घाटा हुआ है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
मूल्यह्रास	रु./एमटी	***	***	***	***
मूल्यह्रास	सूचीबद्ध	100	113	143	162
ब्याज	रु./एमटी	***	***	***	***
ब्याज	सूचीबद्ध	100	153	232	212
ईबीआईटीडीए	लाख रू.	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	2	9	-8
ईबीआईटीडीए	रु./एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	2	8	-8

ठ. कमीशन, माल-भाड़ा और छूट में वृद्धि

226. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति कमीशन, माल-भाड़ा और छूट में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि इन व्ययों पर विचार किए बिना भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार किया जाए, तो भी वह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। अतः, क्षति के लिए ऐसी लागतों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ड. भाटिया कोक एंड एनर्जी का संचालन लाभ के उद्देश्यों के लिए न होना

227. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति इस तथ्य के कारण है कि भाटिया कोक एंड एनर्जी दिवाला कार्यवाही के अधीन थी और इसका संचालन कॉर्पोरेट डेब्टर द्वारा किया जा रहा था न कि लाभ कमाने के उद्देश्यों के लिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त उत्पादक वर्ष 2022 तक दिवाला कार्यवाही के अधीन था और उसके पश्चात इसे एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीद लिया गया था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी

के अनुसार, उक्त उत्पादक का संचालन लाभ कमाने के उद्देश्यों के साथ एक स्वतंत्र प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। अतः, पूर्व की दिवाला कार्यवाही वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति को प्रभावित नहीं करती है।

ढ़. कच्ची सामग्री की कीमतों में अस्थिरता

228. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता के कारण हुई है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत में कच्चे माल की लागत का हिस्सा 90% से अधिक है। ऐसी स्थिति में, संबद्ध वस्तु की कीमतों में कच्चे माल की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलाव होना चाहिए। चूंकि, घरेलू उद्योग कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव के अनुसार कीमतें वसूलने में सक्षम नहीं रहा है, और आयात कच्चे माल की लागत से कम स्तर पर बना हुआ है, इसलिए क्षति संबद्ध आयातों के कारण हुई मानी जाएगी।

ण. घरेलू उद्योग के अंतर्निहित कारक

229. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जहां विदेशी उत्पादकों के पास रिकवरी टाइप ओवन के साथ एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं हैं, वहीं घरेलू उद्योग के पास स्टैंडअलोन संयंत्र हैं जिसके कारण उसे क्षति हुई है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत में कोकिंग कोल की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का प्रकार और कच्चे माल की उपलब्धता घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताएं हैं। क्षति की अवधि के दौरान ऐसी विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके कारण इसे क्षति हुई हो। घरेलू उद्योग के उन अंतर्निहित कारकों के लिए किसी 'गैर-आरोपण विश्लेषण' की आवश्यकता नहीं है, जो पूरी अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को उसके वर्तमान स्थिति के रूप में ही देखा जाना आवश्यक है।

<u>झ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे</u>

<u>झ.1</u> अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

230. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है और इससे कथित क्षति का समाधान नहीं होगा।
ii. पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करने से घरेलू उद्योग अपनी परिचालन क्षमता में सुधार करने और उन्नत तकनीकों को अपनाने के प्रति हतोत्साहित हो सकता है।
iii. घरेलू उद्योग व्यापार उपचारात्मक जांचों का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग व्यापार उपचारात्मक उपायों पर अत्यधिक निर्भर है।
iv. आयात प्रतिबंधों को वापस लेना एक सचेत नीतिगत निर्णय को दर्शाता है कि निरंतर संरक्षण को आवश्यक और जनहित में नहीं माना गया था।
v. कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा तक सस्ती पहुंच के मिशन को ध्यान में रखते हुए, शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुएं अलाभकारी हो जाएंगी।
vi. घरेलू उद्योग पहले से ही लागू सुरक्षा उपायों द्वारा संरक्षित है।
vii. मात्रात्मक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें जुलाई 2025 में ₹ 28,500 प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर दिसंबर 2025 में ₹ 32,000 प्रति मीट्रिक टन कर दीं।

इंडियन स्टील एसोसिएशन की एक हाल की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि कई गैर-एकीकृत इस्पात उत्पादक 2025 की अंतिम तिमाही में उत्पादन में औसतन 15% की कटौती करने के लिए मजबूर हुए हैं।

viii. प्रारंभिक जाँच परिणाम ने अनंतिम शुल्क को उचित ठहराने के लिए ऐतिहासिक हानियों पर भरोसा किया था। तथापि, उसके बाद से घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि हुई है, और फलस्वरूप, 2025 के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ होगा।

ix. पाटन रोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग की इनपुट लागत बढ़ जाएगी और इस्पात उत्पादकों की लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार के स्तर में गिरावट आएगी।

x. इस्पात की आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान का राष्ट्रीय आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह 1991-92 में 22 मीट्रिक टन की क्षमता से विकसित होकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यह जीडीपी में 2% का योगदान देता है और प्रत्यक्ष रूप से 5 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार देता है। प्राधिकारी ने 'नॉन-अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स' से संबंधित सुरक्षा जांच में इस्पात उद्योग के महत्व को देखा है।

xi. शुल्क लगाने से इस्पात उद्योग और उससे संबद्ध वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह वियतनाम, चीन, तुर्की, कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे प्रतिस्पर्धियों के पक्ष में भारतीय इस्पात निर्माताओं के अवसरों को कम कर देगा।

xii. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कच्चे माल की आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रू. के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। घरेलू मेट कोक को उच्च ऊर्जा लागत, पर्यावरणीय प्रतिबंधों तथा तकनीकी सीमाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपूर्ति बाधित होती है।

xiii. एक महत्वपूर्ण कच्चे माल पर व्यापार उपचार उपायों का निरंतर लागू रहना उद्योग को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत 300 मिलियन मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक देगा।

xiv. जहाँ एएमएनएस ने 25% रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया था, वहीं प्राधिकारी ने 12% शुल्क की सिफारिश की, जिसे क्रमिक रूप से उदार किया जाना है। ऐसे में, एक महत्वपूर्ण कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से इस्पात उद्योग की चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी।

xv. चूँकि इस्पात एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है, अतः शुल्क लगाए जाने से इस्पात उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।

xvi. चूँकि मिश्र धातु इस्पात के लंबवत उत्पादों के आयात पर कोई व्यापार उपचार उपाय लागू नहीं है, अतः मेट कोक पर शुल्क लगाने से ऐसे उत्पादों के आयात में वृद्धि हो सकती है।

xvii. नियो मेटालिक्स ने भारत में संबंधित वस्तु के निर्माण हेतु अपनी क्षमता का विस्तार किया है और उसे दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता है। नियो मेटालिक्स घरेलू उत्पादकों से खरीद करता रहा है, तथा अपर्याप्त और असंगत आपूर्ति और दीर्घकालिक

अनुबंधों के अभाव के कारण संबंधित देशों से न्यूनतम मात्रा में आयात भी करता है। शुल्क लगाए जाने से उपलब्ध स्रोत सीमित हो जाएँगे।

xviii. नियो मेटालिक्स की वार्षिक क्षमता 4,00,000 मीट्रिक टन है, यह लगभग 1,500 कर्मचारियों को रोजगार देता है तथा इसने 1,000 करोड़ रू. का निवेश किया है। नियो मेटालिक्स भी एक महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग है, और प्राधिकारी को उस पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

xix. भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर है और इसे पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है।

xx. प्राधिकारी को मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग के पात्र उत्पादन या क्षमता पर भरोसा करना चाहिए था।

xxi. मांग-आपूर्ति अंतर का विश्लेषण अन्य उत्पादकों की अप्रमाणित क्षमता पर आधारित है, जबकि मांग को कम करके आँका गया है। उपयोगकर्ताओं द्वारा डीजीएफटी को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, भारत में वर्तमान मांग 100 लाख मीट्रिक टन है, जिससे कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन का मांग-आपूर्ति अंतर स्पष्ट होता है।

xxii. भारत में आयात इस मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने और भारतीय इस्पात उद्योग, जिसकी क्षमता विस्तार की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

xxiii. जिंदल कोक की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा समूह कंपनियों को किया जाता है, अतः जिंदल कोक द्वारा उत्पादन में वृद्धि भी मांग-आपूर्ति अंतर को दूर नहीं कर पाएगी।

xxiv. मेट कोक के लिए घरेलू व्यापारी क्षमता सीमित, केंद्रित तथा तकनीकी रूप से अपर्याप्त है, विशेषकर तब जब इस्पात क्षमता का विस्तार हो रहा है। शुल्क लगाए जाने से कमी उत्पन्न हो सकती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता भारतीय उपयोगकर्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

xxv. घरेलू आपूर्ति में गुणवत्ता और संभार तंत्र संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं के कारण आयात आवश्यक है, क्योंकि घरेलू उत्पादों में कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिडक्शन कम तथा कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स अधिक है।

xxvi. चूँकि 9 घरेलू उत्पादक भारतीय उत्पादन का 72% हिस्सा रखते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि भारतीय क्षमता 6.7 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि इन 9 उत्पादकों की क्षमता केवल 3.6 मिलियन मीट्रिक टन थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक जाँच परिणाम में 6.7 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता में आबद्ध उत्पादकों की क्षमता भी शामिल की गई है, जो उचित नहीं है क्योंकि वे उत्पाद को व्यापारी बाजार में नहीं बेचते हैं।

xxvii. प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि शुल्क का कोई प्रभाव नहीं होगा, रक्षोपाय जांच के निष्कर्षों पर भरोसा किया है, जो उचित नहीं है क्योंकि रक्षोपाय जांच में उत्पाद पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था।

xxviii. मेट कोक डाउनस्ट्रीम इस्पात उत्पादों के उत्पादन लागत का 30-50% हिस्सा बनाता है। शुल्क लगाए जाने से इस उद्योग की लागत संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

xxix. प्रभाव का आकलन कई त्रुटियों से ग्रस्त है और एएमएनएस द्वारा किए गए आकलन को ही माना जाना चाहिए। एचआर इस्पात की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि हाल ही में संपन्न रक्षोपाय जाँच में प्राधिकारी ने स्वयं कीमत ₹50,000 से ₹55,000 प्रति मीट्रिक टन

निर्धारित की थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कुल मांग में व्यापारी उत्पादकों और आयात का हिस्सा 10% है या नहीं है।

xxx. शुल्क के प्रभाव का आकलन प्रत्येक आयातक/इस्पात उत्पादक द्वारा वहन की गई लागत के संदर्भ में किया जाना चाहिए। प्रभाव को व्यापारी उत्पादकों और आयात के हिस्से के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है।

xxxi. एएसपीए के सदस्यों के पास मेट कोक का आबद्ध उत्पादन नहीं है और वे शुल्क से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

xxxii. प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकारी के प्रारंभिक जाँच परिणाम में दर्शाए गए प्रभाव से कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें यह मान लिया गया है कि यदि 10 मीट्रिक टन हॉट रोल्ड कॉइल के उत्पादन के लिए 5 मीट्रिक टन मेट कोक की आवश्यकता है, तो 4.5 मीट्रिक टन मेट कोक शुल्क से प्रभावित नहीं होगा। साथ ही, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा बताए गए उपभोग मानकों को स्वीकार किया है, जो प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दी गई जानकारी कि 1 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन के लिए 500 से 600 किलोग्राम मेट कोक आवश्यक है, के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, इस्पात की कीमत वास्तविक कीमत से काफी अधिक मानी गई है।

xxxiii. 1 मीट्रिक टन एचआर इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक आयातित मेट कोक की लागत जापान से आयातित मेट कोक के लिए 32% और चीन से आयातित मेट कोक के लिए 104% तक बढ़ सकती है, जिससे कुल वार्षिक प्रभाव लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। इस प्रकार की वृद्धि इस्पात उद्योग के पहले से कम लाभ मार्जिन को और कम कर देगी।

xxxiv. एसएलआर ने शुल्क के प्रभाव को 5-15% के दायरे में बताया है।

xxxv. प्रयोक्ताओं द्वारा दर्शाए अनुसार, 20% शुल्क से प्रयोक्ताओं के लिए कुल लागत में लगभग 5-11% की वृद्धि होती है। प्रयोक्ताओं के अनुरोधों को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए कि पिछले वर्ष उच्च कीमतों के कारण उनकी लाभप्रदता प्रभावित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

xxxvi. पिग आयरन के निर्माण पर शुल्क लगाए जाने का प्रभाव लगभग ₹3,000 से ₹5,000 प्रति मीट्रिक टन है।

xxxvii. यदि घरेलू स्रोत से मेट कोक खरीदना भी आवश्यक हो, तब भी आर्सेलरमित्तल को उपयुक्त गुणवत्ता वाले मेट कोक का मिश्रण तैयार करना पड़ेगा, जो भारत में उपलब्ध नहीं है और जिसे आयात करना अनिवार्य है। जब मेट कोक के आयात पर सुरक्षा उपाय लागू थे, तब आर्सेलरमित्तल को उच्च गुणवत्ता वाले आयातित कोक के स्थान पर निम्न गुणवत्ता वाले घरेलू कोक के उपयोग के कारण उत्पादन में हानि उठानी पड़ी थी।

xxxviii. चूँकि कोक का उपयोग मिश्रण में किया जाता है और इसके मानक उत्पादक के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, इसलिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से अलग-अलग आकार के कोक की खरीद करना उचित नहीं है, भले ही यह मान लिया जाए कि घरेलू उत्पादक सामूहिक रूप से पूरी मांग को पूरा कर सकते हैं।

xxxix. चूँकि कोई एकल घरेलू उत्पादक बड़े पैमाने पर आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है, प्रयोक्ताओं को कई आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करना पड़ता है और उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

xl. घरेलू कोक की कीमत आयातित कोक की तुलना में ₹8,000-10,000 प्रति मीट्रिक टन अधिक है, जिससे छोटे ब्लास्ट फर्नेस संचालकों के लिए महत्वपूर्ण लागत असमानता उत्पन्न होती है।

xli. प्रयोक्ता उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि को ग्राहकों पर बिना बिक्री में कमी के स्थानांतरित नहीं कर पाएगा, जिससे अंततः प्रयोक्ता उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के आयात में वृद्धि होगी।

xlii. उपायों का निरंतर लागू रहना दक्षता सुधार और तकनीकी उन्नयन को बाधित करता है तथा प्रयोक्ता उद्योग में निवेश और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है।

xliii. उपायों का लागू होना निर्माण, अवसंरचना और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का प्रभाव डालेगा।

xliv. भारत में कोक की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन है, क्योंकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अधिशेष क्षमता है, जबकि ये उत्पादक पूर्वी क्षेत्रों में प्रभावी आपूर्ति नहीं कर पाते। अधिकांश घरेलू कोक निर्माता सड़क परिवहन पर निर्भर हैं, जिससे प्रयोक्ताओं के लिए संभार तंत्र बोझ बढ़ता है।

xlv. पूर्वी क्षेत्र तक कोक के आंतरिक परिवहन की लागत लगभग ₹4,000 से ₹5,000 प्रति मीट्रिक टन है, जबकि परिवहन के दौरान गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिससे कुल प्रभाव ₹7,000 से ₹9,000 प्रति मीट्रिक टन तक पहुँच जाता है।

xlvi. विचाराधीन 20-40 मिमी उत्पाद के प्रयोक्ता झारखंड और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसे उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में उत्पादक वित्तीय संकट में आ सकते हैं, जिससे संचालन बंद होने और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की संभावना है।

xlvii. पाटनरोधी शुल्क लगाना दीर्घकालिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश सहयोग के व्यापक उद्देश्य के विपरीत होगा। बढ़ती लागत और नीतिगत अनिश्चितता भारत में एएम/एनएसआई जैसे प्रमुख जापानी निवेशों की व्यवहार्यता को कमजोर करेगी और नए निवेश को हतोत्साहित करेगी।

xlviii. यद्यपि विदेशी निवेशकों ने भारत में संचालन विस्तार, सहयोग और डाउनस्ट्रीम निवेश में रुचि दिखाई है, फिर भी व्यापार नीति में अनिश्चितता दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

xlix. आयातित कोक, जो तकनीकी रूप से उन्नत संयंत्रों में और कम दक्षताओं के साथ उत्पादित होता है, का समर्थन करना पेरिस करार के तहत देश के दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप होगा।

l. यद्यपि घरेलू उत्पादक तुरंत उत्पादन बढ़ा सकें, तथापि उन्हें कच्चे माल की खरीद के लिए 6 से 8 महीने का समय लगेगा, जिससे घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करना शुरू कर सके।

li. अतीत में पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग को दी गई समग्र सुरक्षा, डब्लूटीओ ढाँचे के अंतर्गत अपेक्षित उपचारात्मक उद्देश्य से अधिक हो सकती है।

lii. यदि शुल्क लगाए भी जाते हैं, तो संतुलित दृष्टिकोण के तहत 20-30 अम.डा. प्रति मीट्रिक टन के दायरे में कम शुल्क, तथा इस्पात संयंत्रों और फेरो अलॉय उत्पादकों जैसे सत्यापित अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए छूट या रियायती शुल्क पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने और बाजार दुरुपयोग को रोकने हेतु एक निगरानी तंत्र अपनाया जाना चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

231. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. सार्वजनिक हित का निर्धारण निम्नलिखित के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए— (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योग, तथा (घ) जनसाधारण।

ii. व्यापार उपचार उपाय संरक्षण नहीं हैं, बल्कि विदेशी देशों के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा की गई अनुचित व्यापार प्रथाओं के परिणामस्वरूप उठाया गया उपचारात्मक कदम हैं।

iii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अतीत में ऐसे शुल्कों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

iv. उपभोक्ताओं के हित में यह है कि एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो, जो प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो। बाजार में कीमतें तभी निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनी रह सकती हैं जब घरेलू उत्पादन मौजूद हो।

v. यदि उपभोक्ता आयातित सामग्री पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें अधिक मात्रा में मालसूची बनाए रखना पड़ता है, जबकि घरेलू उद्योग से खरीद की स्थिति में मालसूची का स्तर कम रखा जा सकता है।

vi. यद्यपि उत्पाद पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय लागू थे, फिर भी डाउनस्ट्रीम उद्योग को कोई हानि नहीं हुई। प्रयोक्ताओं से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने निष्पादन पर पिछले उपायों के प्रतिकूल प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत करें।

vii. डाउनस्ट्रीम उद्योग, मेट कोक का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग की तुलना में कहीं बड़ा है।

viii. विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख मांग इस्पात क्षेत्र में है, जहाँ प्रमुख निर्माताओं के पास आबद्ध कोक ओवन संयंत्र हैं और वे शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। फेरोएलॉय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को उपायों के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः यह उद्योग भी शुल्क से प्रभावित नहीं होगा।

ix. शुल्क लगाए जाने से इस्पात उत्पादन के लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद के घरेलू व्यापारी उत्पादकों के पास भारत में संपूर्ण व्यापारी मांग को पूरा करने की क्षमता पहले से ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, देश के 90% इस्पात निर्माता व्यापारी बाजार पर निर्भर नहीं हैं।

x. जहाँ घरेलू उत्पादक पाटन के कारण प्रभावित हो रहे हैं, वहीं डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने की नीति, पीएलआई प्रोत्साहन योजना तथा सुरक्षा शुल्कों के माध्यम से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है।

xi. यदि ऐसे समर्थन के बावजूद इस्पात उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाता है, तो उसे अपनी दक्षता में सुधार हेतु प्रयास करने चाहिए। इस्पात उद्योग की अक्षमताओं के लिए घरेलू उद्योग को दंडित नहीं किया जा सकता।

xii. इस्पात उद्योग से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह इतना प्रतिस्पर्धी हो कि वह अन्य देशों के समकक्ष, निष्पक्ष और गैर-पाटित प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कच्चे माल की खरीद कर सके।

xiii. जहाँ घरेलू उद्योग केवल अनुचित पाटन को समाप्त करने की मांग कर रहा है, वहीं इसके विपरीत इस्पात उद्योग को मौजूदा सरकारी समर्थन के अतिरिक्त, अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम कीमत पर कच्चे माल तक पहुँच की आवश्यकता है।

xiv. चूँकि भारत में कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है तथा वे इस्पात उत्पादक जो आबद्ध रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं, कोकिंग कोयला आयात करते हैं, अतः उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है, क्योंकि मेट कोक भारत में कोकिंग कोयले से कम कीमत पर आयात किया जा रहा है। मेट कोक पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से केवल व्यापारी प्रयोक्ताओं को ऐसे आबद्ध उत्पादकों के समान स्तर पर लाया जाएगा।

xv. व्यापारी बाजार से खरीद करने वाला डाउनस्ट्रीम उद्योग भारत में मेट कोक के पाटन से लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि उन्हें कोकिंग कोयले की आयात कीमत से कम कीमत पर कोक उपलब्ध है। भारत में उत्पाद के उचित कीमत को पुनः स्थापित करना ऐसे उपभोक्ताओं की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में नहीं देखा जा सकता।

xvi. प्राधिकारी ने रक्षोपाय जॉंच में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर इस्पात पर सुरक्षा शुल्क लगाया है। यदि घरेलू उत्पादकों ने अपने आवेदन में बढ़ा-चढ़ाकर दावा प्रस्तुत किया था, तो वे शुल्क की मात्रा में कमी के कारण कोई शिकायत नहीं कर सकते।

xvii. यद्यपि इस्पात उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, तथापि इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल निर्मित करने वाला उद्योग भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

xviii. चूँकि एएमएनएस अपने स्वयं के संयंत्र के चालू करने की प्रक्रिया में है, अतः वह केवल अल्प अवधि के लिए शुल्क के प्रभाव को अनुभव करेगा।

xix. शुल्क निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम उद्योग अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना विचाराधीन उत्पाद का आयात कर सकता है, बशर्ते कि वह डाउनस्ट्रीम उत्पाद का निर्यात करे।

xx. वास्तविक प्रयोक्ताओं को पाटनरोधी शुल्क से छूट देने का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रयोक्ता अपने उपभोग हेतु अनुचित आयात तक पहुँच की मांग नहीं कर सकते हैं।

xxi. यदि घरेलू उत्पादकों तथा विदेशी उत्पादकों दोनों ने प्रयोक्ता के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करने से इनकार किया है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग से खरीद करते समय प्रयोक्ता किसी प्रकार के प्रतिकूल स्थिति में नहीं हैं।

xxii. प्रमुख इस्पात निर्माताओं के पास आबद्ध कोक ओवन संयंत्र हैं और विचाराधीन उत्पाद के आयात पर किसी भी उपाय का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xxiii. डाउनस्ट्रीम उद्योग भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और उपायों के अंतर्गत संरक्षित और सुरक्षित है।

xxiv. डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर मूल सीमा शुल्क, विचाराधीन उत्पाद की तुलना में अधिक है।

xxv. भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है, और भारतीय उत्पादक ऐसी गुणवत्ता प्रदान कर रहे हैं जो संबंधित देशों से आयातित उत्पाद के यदि उससे बेहतर नहीं, तो समान है।

xxvi. शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी प्रयोक्ता उचित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

xxvii. चूँकि मेट कोक की गुणवत्ता कोकिंग कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर करती है तथा घरेलू उद्योग आयातित कोयले पर निर्भर है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई चिंता नहीं हो सकती।

xxviii. कोक के मानक बैच से बैच में भिन्न हो सकते हैं, तथा एक ही उत्पादक से प्राप्त होने पर भी उनमें अंतर हो सकता है। ये मानक प्रयुक्त कोकिंग कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।

xxix. प्रत्येक उत्पादक आर्डर देते समय उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का निर्माण करता है। भले ही विभिन्न स्रोतों से उत्पाद की खरीद की जाए, वह प्रयोक्ताओं द्वारा आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप ही होगा।

xxx. वर्तमान में भी एएमएनएस, इंडिया कोक एंड पावर तथा उड़ीसा मेटालिक्स जैसे आयातक विभिन्न स्रोतों से उत्पाद की खरीद कर रहे हैं। शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी वे अनेक स्रोतों से खरीद जारी रख सकते हैं।

xxxi. आयात के मामले में उत्पाद के संभार तंत्र की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उत्पाद को पहले रेल/सड़क मार्ग से पत्तन तक ले जाया जाता है, तत्पश्चात कार्गो जहाज पर लादा जाता है, फिर जेट्टी तक पहुँचाया जाता है, उसके बाद पत्तन पर उतारा जाता है और अंततः ट्रकों के माध्यम से प्रयोक्ता के परिसर तक ले जाकर पुनः उतारा जाता है। यदि इस प्रकार के परिवहन में गुणवत्ता में गिरावट नहीं आती, तो घरेलू उत्पाद के परिवहन में गुणवत्ता में गिरावट होने का अनुमान भी उचित नहीं है।

xxxii. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव 1% से कम है।

xxxiii. चूँकि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है, अतः यह संभव है कि इसका भार डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा वहन किया जाएगा और इसे प्रयोक्ताओं पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

xxxiv. डाउनस्ट्रीम उद्योग अपने उत्पाद की कीमत को विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर परिवर्तित नहीं करता है।

xxxv. शुल्क के प्रभाव का आकलन भारत के समग्र स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि प्रत्येक उत्पादक और आयातक के लिए अलग-अलग। चूँकि विचाराधीन उत्पाद की 90% मांग मेट कोक के आबद्ध उपभोग द्वारा पूरी की जाती है, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करता, अतः इस मांग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xxxvi. कुछ प्रयोक्ता पूर्णतः अप्रभावित रहेंगे, क्योंकि वे अन्य देशों से खरीद कर रहे हैं, या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित हैं, या निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं, अथवा अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत आयात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता पर प्रभाव का आकलन करना व्यवहार्य नहीं है।

xxxvii. एएसपीए के सदस्यों में टाटा स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरस तथा कल्याणी स्टील्स लिमिटेड जैसे उत्पादक शामिल हैं, जिनके पास आबद्ध मेट कोक संयंत्र हैं। यहाँ तक कि एसएलआर मेटालिक्स भी अपना आबद्ध कोक संयंत्र चालू करने वाला है।

xxxviii. घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा दावा की गई एचआर स्टील की कीमत जांच अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों के अनुरूप है, जैसा कि इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी मासिक सारांश में दर्शाया गया है।

xxxix. व्यापारी मांग में 10% हिस्सेदारी का उपयोग रक्षोपाय जाँच में भी किया गया था और किसी भी पक्ष द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया। वर्तमान जांच में भी, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कुल मांग में व्यापारी उत्पादकों के हिस्से का कोई वैकल्पिक अनुमान प्रस्तुत नहीं किया है।

xl. यदि एएमएनएस के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए इस्पात पर प्रभाव की गणना की जाए, तो यह जापान के लिए 2.8% और चीन के लिए 6.1% होगा, न कि एएमएनएस द्वारा दावा किए गए 32% और 104% होगा।

xli. विचाराधीन उत्पाद के ऐसे कोई विशेष ग्रेड नहीं हैं, जिनके लिए प्रभाव का पृथक रूप से आकलन करने की आवश्यकता हो।

xlii. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण होने वाली न्यूनतम लागत वृद्धि को उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

xliii. सामान्यतः डाउनस्ट्रीम उद्योग कोक की कीमतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि या कमी नहीं करता है। यहाँ तक कि यदि कीमतों में वृद्धि होती भी है, तो डाउनस्ट्रीम उद्योग पर इसका प्रभाव न्यूनतम होगा।

xliv. भारतीय उद्योग के पास भारत में संपूर्ण व्यापारी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

xlv. घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता भारत की मांग से अधिक है, अतः शुल्क लगाए जाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की कोई कमी उत्पन्न नहीं होगी।

xlvi. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता, बल्कि यह केवल सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर हों।

xlvii. मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन उत्पादन के बजाय भारत में उपलब्ध क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए।

xlviii. चूँकि भारत में 90% उत्पादक आबद्ध रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं और व्यापारी मेट कोक उत्पादकों के पास भारत में संपूर्ण घरेलू व्यापारी मांग को पूरा करने की क्षमता है, अतः उत्पाद की

उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय इस्पात नीति में उन दोनों प्रकार के इस्पात उत्पादकों को शामिल किया गया है, जो मेट कोक खरीदते हैं तथा जिनके पास स्वयं का मेट कोक उत्पादन है।

xlix. चूँकि कई व्यापारी उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहे हैं, अतः उनके उत्पादन को पात्र भारतीय उत्पादन के निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, उनकी क्षमता को भारत में कुल व्यापारी क्षमता के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

l. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, भारत में कुल व्यापारी क्षमता 67,15,931 मीट्रिक टन है, जबकि मांग 63,93,607 मीट्रिक टन है।

li. यद्यपि जिंदल कोक लिमिटेड ने समूह कंपनियों को आपूर्ति हेतु उत्पादन बढ़ाया है तथापि उसने भारत में मांग को पूरा किया है। ऐसी समूह कंपनियाँ, जिंदल द्वारा आपूर्ति के अभाव में, घरेलू उत्पादकों से खरीद करतीं या आयात करतीं हैं।

lii. किसी भी उत्पादक द्वारा भविष्य में उत्पाद के आबद्ध उपभोग को पाटनरोधी शुल्क न लगाने का आधार नहीं माना जा सकता। यदि शुल्क लगाए जाने के पश्चात भविष्य में उत्पाद की उपलब्धता में कमी होती है, तो हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा हेतु प्राधिकारी के समक्ष जा सकते हैं।

liii. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि मांग-आपूर्ति अंतर पाटनरोधी शुल्क न लगाने का आधार नहीं है। विशेष रूप से इसलिए कि यदि पाटन को बाजार में प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो यह उत्पाद में भविष्य के निवेश को हतोत्साहित करेगा और मांग-आपूर्ति अंतर और अधिक बढ़ जाएगा।

liv. चूँकि अधिकांश इस्पात निर्माता अपनी क्षमता का विस्तार आबद्ध मेट कोक उत्पादन क्षमता के साथ करते हैं, अतः उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी और आबद्ध मेट कोक क्षमता भी बढ़ेगी। किसी भी स्थिति में, भारतीय व्यापारी मेट कोक उद्योग भी मांग में वृद्धि के साथ नियमित रूप से अपनी क्षमता का विस्तार करता है।

lv. वर्तमान मामले में प्रयुक्त पूंजी पर आय नकारात्मक होने के कारण भारत में बाजार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह दक्षता में सुधार या उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु निवेश को प्रोत्साहित कर सके। उद्योग को आगे निवेश करने के लिए पहले लाभकारी होना आवश्यक है।

lvi. यद्यपि कुछ पक्षकारों ने डीजीएफटी के समक्ष 100 लाख मीट्रिक टन की मांग का दावा किया हो, तथापि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त मांग आंकड़ों को डीजीएफटी द्वारा स्वीकार किया गया था। कुल मांग में व्यापारी मांग तथा आबद्ध मांग दोनों शामिल हैं।

lvii. पूर्वी क्षेत्र में विचाराधीन वस्तु के कम से कम 8 घरेलू व्यापारी उत्पादक हैं, जो इस क्षेत्र में मेट कोक की संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम हैं, तथा इस क्षेत्र में कुछ सबसे बड़े उत्पादकों की क्षमता भी स्थित है।

lviii. घरेलू उत्पादक प्रयोक्ताओं को रेलवे तथा समुद्री मार्ग से आपूर्ति करते हैं। एएमएनएस ने पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के लिए पूर्वी क्षेत्र के घरेलू उत्पादकों से समुद्री मार्ग के माध्यम से मेट कोक की महत्वपूर्ण मात्रा की खरीद की है।

lix. यदि उद्योग की स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो इससे व्यापारी मेट कोक उद्योग के बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे विचाराधीन वस्तु की कमी हो जाएगी। विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार से अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं।

lx. संबंधित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, जिससे आगे के निवेश के लिए प्रतिकूल बाजार परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

lxi. भारत में पाटन के कारण अनेक उत्पादकों ने अपने प्रचालन बंद कर दिए। संचित मालसूची के कारण उत्पादकों को हानि हुई और उन्हें अपने संचालन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा।

lxii. व्यापक जनहित में यह आवश्यक है कि उत्पाद का एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन हो, जो तब संभव नहीं होगा जब उद्योग निरंतर क्षति झेलता रहेगा।

lxiii. घरेलू उत्पादकों की बिक्री लागत से कम कीमतों पर उत्पाद के आयात ने निष्पक्ष बाजार परिस्थितियों को नष्ट कर दिया है और समान अवसर बनाए रखने हेतु उपायों का लगाया जाना आवश्यक है।

lxiv. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम कीमतों पर आयात में वृद्धि के कारण सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड तथा उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे कई भारतीय उत्पादकों को अपने संयंत्र बंद करने पड़े।

lxv. उत्पाद के संदर्भ में 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु आवश्यक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान बाजार परिस्थितियाँ इस उत्पाद में आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

lxvi. अन्य पक्षकारों द्वारा इंगित किए अनुसार, इस्पात क्षेत्र में निरंतर क्षमता विस्तार हो रहा है, अतः कच्चा माल उद्योग में भी क्षमता विस्तार की आवश्यकता है। तथापि, वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है।

lxvii. मेट कोक कच्चा माल नहीं, बल्कि उत्पादों के निर्माण हेतु एक उपयोगिता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया कि आयात पर निर्भरता देश में उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

lxviii. संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाला भारतीय उद्योग भारत के सभी पर्यावरणीय कानूनों और नियमावली का पालन कर रहा है, जबकि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि विदेशी उत्पादक अधिक पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। वास्तव में, कोकिंग कोयले की अनुपलब्धता के कारण भारत में इस कच्चे माल का खनन नहीं होता, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

lxix. चूँकि वस्तु का आयात कीमत घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से भी कम है, इससे घरेलू उत्पादन अव्यवहार्य हो गया है। तथापि, घरेलू उत्पादन के अभाव में मेट कोक की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

lxx. बाद की अवधि में कथित कीमत वृद्धि का दावा गलत है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान भी ₹28,500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर आपूर्ति नहीं की है।

lxxi. घरेलू उद्योग की कीमतें कोयले की कीमतों के अनुरूप परिवर्तित हुई हैं। तथापि, यद्यपि कोयले की कीमतों में 18% की वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को उसी अनुपात में बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

lxxii. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ₹32,000 प्रति मीट्रिक टन की दर पर बिक्री कर रहा है, तथापि यह कथित कीमत भी बिक्री लागत से कम है।

lxxiii. भारत में बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक हैं तथा भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में संपूर्ण व्यापारी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है। भारत में आपसी प्रतिस्पर्धा बाजार में उचित कीमत सुनिश्चित करेगी।

lxxiv. जापानी उत्पादक यह आग्रह नहीं कर सकते कि एक बार निवेश करने के पश्चात उन्हें देश में पाटन करने की अनुमति दी जाए। विचाराधीन वस्तु के घरेलू उत्पादकों ने भी क्षमता स्थापित करने हेतु पर्याप्त निवेश किया है और उन्हें बाजार में उचित कीमत और प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने का अधिकार है।

lxxv. वर्तमान मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम लागू किए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत सरकार भारत में व्यापारी मेट कोक उत्पादकों पर पाटन के प्रतिकूल प्रभाव से अवगत है।

lxxvi. डीजीएफटी द्वारा आयात प्रतिबंध लगाए जाने से यह स्पष्ट होता है कि डीजीएफटी ने भारतीय बाजार में आयात के प्रतिकूल प्रभाव को समझा और घरेलू उद्योग की रक्षा को आवश्यक पाया। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार संबंधित देशों के उत्पादकों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण देश में निष्पक्ष बाजार परिस्थितियों के नष्ट होने को लेकर चिंतित है।

lxxvii. वर्तमान मामले में कम शुल्क लगाने या विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट शुल्क निर्धारित करने का कोई औचित्य या प्रावधान नहीं है। जहाँ तक सत्यापित अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए छूट या रियायती शुल्क का प्रश्न है, ऐसी छूट शुल्क के उद्देश्य को ही विफल कर देगी, क्योंकि सभी प्रयोक्ता आयात की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे और लगाया गया शुल्क निरर्थक हो जाएगा।

lxxviii. जहाँ तक निगरानी तंत्र का संबंध है, घरेलू उद्योग को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में उपयुक्त मंच का विचार कर सकते हैं।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

232. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रमुख उद्देश्य पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करना है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबंधित देशों से आयात को मनमाने ढंग से सीमित करना नहीं है, बल्कि यह समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लगाए जाने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप प्रभावित नहीं होगा। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को रोकते हैं तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्पों तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बाधा नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के संवर्धन का साधन हैं।

233. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों तथा आयात की पहुंच कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पूर्व में कीमतें काफी अधिक थीं। चूँकि अतीत में ऐसी उच्च कीमतों

के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भी किसी प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।

234. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर विद्यमान है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में व्यापारी मांग की तुलना में कहीं अधिक है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता, तथापि आयात के बंद हो जाने की स्थिति में भी भारत में विचाराधीन वस्तु की कोई कमी होने की संभावना नहीं है।

विवरण	मात्रा (एमटी)
भारत में मांग (आबद्ध को छोड़कर)	63,93,607
व्यापारी उत्पादकों की कुल भारतीय क्षमता	67,15,931
मांग-आपूर्ति अंतर (आबद्ध को छोड़कर)	(3,22,324)

235. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन करने हेतु प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के पात्र उत्पादन या क्षमता पर निर्भर होना चाहिए था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत किसी घरेलू उत्पादक की पात्रता केवल पाटनरोधी जांच में उसकी स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से की जाती है। यदि कोई उत्पादक किसी विशेष जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने हेतु पात्र नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उस उत्पादक का उत्पादन और क्षमता अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान जांच में, कुछ उत्पादकों को उनके द्वारा किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य माना गया है, तथापि उनके संयंत्र संचालन में हैं। अतः भारत में मांग-आपूर्ति अंतर के आकलन हेतु ऐसी क्षमताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

236. यह भी अनुरोध किया गया है कि व्यापारी उत्पादन के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार की गई क्षमताएँ अविश्वसनीय हैं, क्योंकि 9 घरेलू उत्पादक कुल उत्पादन का 71% योगदान करते हैं और उनकी क्षमता 36,00,000 मीट्रिक टन है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में स्थिति के निर्धारण के दौरान उन इकाइयों के उत्पादन को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, क्योंकि ऐसी इकाइयाँ नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य हैं। तथापि, भारत में उपलब्ध कुल क्षमताओं का निर्धारण करते समय, जिनका उपयोग घरेलू बाजार में आपूर्ति हेतु किया जा सकता है, सभी घरेलू उत्पादकों की क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है।

237. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत में मांग 100 लाख मीट्रिक टन है और यह आंकड़ा डीजीएफटी को प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भले ही ऐसा कोई अनुरोध डीजीएफटी के समक्ष किया गया हो, तथापि डीजीएफटी ने संबद्ध वस्तु के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में भारत में मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन केवल व्यापारी बाजार की मांग के आधार पर किया गया है। चूँकि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाला घरेलू उद्योग केवल व्यापारी उद्योग को आपूर्ति करता है, अतः मांग का आकलन व्यापारी तथा आबद्ध दोनों बाजारों के लिए एक साथ नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने मांग-आपूर्ति अंतर के आकलन हेतु आबद्ध उत्पादकों की क्षमताओं को शामिल नहीं किया है।

238. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि इस्पात उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस्पात उद्योग मेट कोक के उत्पादन की क्षमता का भी विस्तार कर रहा है, जिसका उपयोग आबद्ध रूप से किया जाता है। किसी भी स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से भारत में व्यापारी कोक संयंत्रों के बंद होने की संभावना है, जिससे बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर और बढ़ जाएगा।

239. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि जिंदल कोक द्वारा उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा संबंधित पक्षकारों को बेचा जाता है और ऐसे उत्पादक द्वारा उत्पादन में वृद्धि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर को दूर नहीं करेगी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मांग में जिंदल कोक लिमिटेड से खरीद करने वाले उपभोक्ताओं की खपत भी शामिल है। अतः जिंदल कोक लिमिटेड के उत्पादन में कोई भी वृद्धि भारतीय बाजार में आपूर्ति में वृद्धि का कारण बनेगी।

240. प्राधिकारी ने पहले ही यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। जहाँ घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है, उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में किसी विशेष प्रकार के उत्पाद की कमी उत्पन्न नहीं होगी।

241. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि विचाराधीन वस्तु के मानक उत्पादक के अनुसार भिन्न होते हैं और भले ही घरेलू उत्पादकों के पास सामूहिक रूप से संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता हो, विभिन्न उत्पादकों से अलग-अलग आकार की खरीद करना उचित नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद के मानक केवल उत्पादक के अनुसार ही नहीं, बल्कि प्रयुक्त कोकिंग कोयले के आधार पर बैच से बैच में भी भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग प्राप्त आदेशों के अनुसार उत्पादन और आपूर्ति करता है। भारत के घरेलू उत्पादक तथा विदेशी उत्पादक दोनों ही उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए विनिर्देशों के

अनुसार विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद को उपभोक्ताओं द्वारा तभी स्वीकार किया जाता है जब वह उन मानकों को पूरा करता है। साथ ही, उपभोक्ताओं ने क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया है, न कि किसी एक उत्पादक से। अतः यह अनुरोध कि खरीद केवल एक ही उत्पादक से सीमित है, स्वीकार्य नहीं है।

242. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि पूर्व वर्षों में विचाराधीन वस्तु की उच्च कीमतों के कारण प्रयोक्ताओं की लाभप्रदता प्रभावित हुई थी। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव 1% से कम है। सुरक्षा संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंधों की जांच में प्राधिकारी पहले ही यह निष्कर्ष दे चुका है कि भारत में 90% मांग उत्पाद के आबद्ध उपभोग द्वारा पूरी की जाती है और केवल 10% मांग व्यापारी बाजार से प्राप्त की जाती है। ऐसी स्थिति में, भारत के 90% बाजार पर व्यापारी बाजार में विचाराधीन वस्तु की कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

विवरण	यूनिट	राशि
घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत	रु./एमटी	***
क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए कीमत में वृद्धि	रु./एमटी	***
हॉट रोल्ड कॉइल इस्पात की कीमत	रु./एमटी	63,959
प्रति एमटी इस्पात पर मेट कोक की खपत	किग्रा./एमटी	304
इस्पात उद्योग में कुल मांग में व्यापारी उत्पादकों और आयातों का हिस्सा	%	10%
इस्पात उद्योग में प्रति एमटी स्टील पर मेट कोक की खपत (मेट कोक के घरेलू उत्पादकों से खरीदा गया + आयात) [*** किग्रा/एमटी का ***%]	किग्रा/एमटी	30
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	रु./एमटी	***
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	₹/किग्रा	***
हॉट रोल्ड कॉइल स्टील में पाटनरोधी शुल्क के कारण कीमत में वृद्धि का हिस्सा	रु./एमटी	***
पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	%	<0.15%

**2.5 मिमी का हाट रोल्ड काइल इस्पात*

243. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रभाव का आकलन प्रत्येक आयातक तथा इस्पात उत्पादक के लिए पृथक रूप से किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव का आकलन देश के समग्र स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि केवल किसी एक उत्पादक या उपभोक्ता के संदर्भ में। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में आयात विश्लेषण किया है।

244. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि एचआर इस्पात के लिए विचार की गई कीमतें उपयुक्त नहीं हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी मासिक सारांश के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत में एचआर इस्पात की कीमतें दर्शाई गई हैं। प्रभाव विश्लेषण के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कीमतों के अनुसार एचआर इस्पात की औसत कीमत को संगत माना गया है।

महीना	कीमत (रु./एमटी)
अक्टूबर-23	67,850
नवंबर-23	65,990
दिसंबर-23	65,900
जनवरी-24	65,440
फरवरी-24	64,670
मार्च-24	63,290
अप्रैल-24	64,900
मई-24	64,610
जून-24	63,720
जुलाई-24	62,250
अगस्त-24	59,890
सितंबर-24	59,000
औसत	63,959

245. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयातकों ने यह अनुरोध किया है कि एचआर इस्पात के उत्पादन की लागत में वृद्धि जापान से मेट कोक के मामले में 32% तथा चीन से मेट कोक के मामले में 104% तक होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि व्यापारी मेट कोक उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव उत्पाद के उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जाएगा

तथा भारत सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के लागू किए जाने के पश्चात इस्पात उद्योग की लाभप्रदता में पहले ही वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रभाव विश्लेषण भारत में आयात के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ संबंधित देशों के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, प्रभाव विश्लेषण देश के समग्र स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि केवल देश में उपभोक्ताओं के किसी एक समूह के लिए। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने इस संबंध में एएमएनएस द्वारा किए गए अनुरोधों को संज्ञान में लिया है। यहाँ तक कि यदि प्रभाव का आकलन एएमएनएस द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया जाए, तो केवल चीन और जापान से आयात के आधार पर व्यापारी कोक उपभोक्ताओं पर प्रभाव 4% से कम होगा।

विवरण	यूनिट	जापान	चीन
पाटनरोधी शुल्क	अम डा/एमटी	***	***
पाटनरोधी शुल्क	रु./एमटी	***	***
प्रति एमटी इस्पात पर मेट कोक की खपत	एमटी	0.304	0.304
अतिरिक्त लागत	रु./एमटी	***	***
हॉट रोल्ड शीट की कीमत	रु./एमटी	63,959	63,959
प्रभाव	%	0-5	5-10
औसत प्रभाव	%	3.44%	

246. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का प्रमुख उपभोग इस्पात उद्योग में होता है। तथापि, अधिकांश इस्पात उत्पादकों के पास आबद्ध कोक ओवन संयंत्र हैं और वे संबद्ध वस्तु के बाजार कीमत में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। अतः ऐसे उत्पादकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, चूँकि फेरोएलॉय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः फेरोएलॉय उद्योग पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खंड	खपत				खंड वार हिस्सा %	
	सकल (केटी)	आबद्ध (केटी)	व्यापारिक (केटी)	व्यापारी की हिस्सा	समग्र	व्यापारी
इस्पात	34,147	30,522	3,625	11%	89%	54%
पिग आयरन	2,018	1,064	954	47%	5%	14%
जिंक सोडा एश और अन्य	736	0	736	100%	2%	11%
फेरो अलॉय	525	0	525	100%	1%	8%
फाउंड्री	266	0	266	100%	1%	4%

अन्य	629	0	629	100%	2%	9%
कुल	38,320	31,586	6,734		100%	100%

247. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन प्रदान किया गया है। चूँकि घरेलू उद्योग को बढ़ती हुई क्षति का सामना करना पड़ रहा है, अतः संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योग की स्थिति का उपचार करना भी आवश्यक है।

248. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि सरकार पहले ही इस्पात उद्योग के महत्व को स्वीकार कर चुकी है और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा देश के जीडीपी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता और अतः इससे आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित बाजार कीमतों पर उपलब्ध हों। पूर्व में भारत में प्रचलित कीमत अधिक थे और ऐसे मूल्यों का इस्पात उद्योग पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है, जिससे उक्त वस्तु का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय हानि हुई है और उसने प्रयुक्त पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज किया है। ऐसी स्थिति में, यदि घरेलू उद्योग की स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन को बंद करने के लिए विवश हो सकता है। इससे इस्पात उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।

249. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से इस्पात उद्योग और उससे संबंधित उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद के निर्यात के मामले में, संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत बिना किसी पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः निर्यात बाजार में डाउनस्ट्रीम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

250. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू कोक उद्योग पर्यावरणीय प्रतिबंधों तथा तकनीकी सीमाओं जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना राष्ट्रीय इस्पात नीति के हित में नहीं होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अनेक प्रमुख डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की है। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता भारत में आयातित वस्तु से तकनीकी रूप से भिन्न है। इसके अतिरिक्त, इस्पात उत्पादक मुख्यतः भारत में मेट कोक का आबद्ध उत्पादन करते हैं, जिसके लिए वे उन्हीं स्रोतों से कोकिंग कोयला प्राप्त करते हैं जिनसे व्यापारी कोक उत्पादक प्राप्त करते हैं। चूँकि संबद्ध वस्तु की 90% खपत भारत में आबद्ध रूप से उत्पादित होती है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में उत्पादित वस्तु में कोई तकनीकी सीमाएँ हैं। किसी भी स्थिति में, संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी उचित

कीमतों पर उत्पाद का आयात जारी रख सकते हैं और ऐसा शुल्क लगाया जाना भारत में आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है।

251. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एएमएनएस ने यह अनुरोध किया है कि उसने 25% सुरक्षा शुल्क का अनुरोध किया था, किन्तु प्राधिकारी ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर कम दर का सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसके द्वारा सिफारिश किया गया सुरक्षा शुल्क संबंधित सुरक्षा कानूनों और नियमावली के अनुरूप है। वर्तमान जांच में भी प्राधिकारी ने 'कमतर शुल्क नियम' का पालन किया है और अस्थायी पाटनरोधी शुल्क केवल क्षति मार्जिन की सीमा तक ही लगाने की सिफारिश की है, न कि पाटन मार्जिन की पूर्ण सीमा तक।

252. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि कुछ इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयात में वृद्धि तथा इस्पात उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु पूर्व में पाटनरोधी शुल्क के अधीन रही है, तथापि उस अवधि के दौरान इस्पात उत्पादों की कीमतों में किसी उल्लेखनीय वृद्धि या डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयात में वृद्धि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत केवल इस कारण कम है कि भारत में घरेलू उद्योग विद्यमान है। यदि व्यापारी घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन बंद कर दिया जाता है, तो निर्यातक पाटन बंद कर सकते हैं और भारत को निर्यात के लिए कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसी स्थिति इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की उचित बाजार कीमत को प्रभावित करेगी और भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

253. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियो मेटालिक्स लिमिटेड ने यह अनुरोध किया है कि उसे संबद्ध वस्तु की निरंतर आपूर्ति दीर्घकालिक अनुबंधों के अंतर्गत आवश्यक है और अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त उत्पादक ने स्वयं यह अनुरोध किया है कि न तो भारतीय उत्पादक और न ही संबंधित देशों के विदेशी उत्पादक दीर्घकालिक अनुबंध के अंतर्गत उत्पाद की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, भारतीय उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों की बिक्री की शर्तों में कोई अंतर नहीं है, जिससे उक्त उत्पादक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। किसी भी स्थिति में, आयातक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध कर सकता है और उचित कीमतों पर उत्पाद का आयात जारी रख सकता है।

254. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की कीमतें पहुंच मूल्य से अधिक हैं, जिसके कारण घरेलू कोक की खरीद ब्लास्ट फर्नेस के लिए महत्वपूर्ण लागत असमानता उत्पन्न करती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु को हानि पर बेचा है। यद्यपि उसने हानि पर बिक्री की है, तथापि संबंधित आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं और उनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा कच्चे माल की लागत दोनों से कम हैं। डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा ऐसी पाटित कीमतोंअ तक पहुँच का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

255. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबंधित आयातों का पहुंच मूल्य भारत में कोकिंग कोयले की आयात कीमत से कम है। वे इस्पात उत्पादक जो संबद्ध वस्तु का आबद्ध रूप से उत्पादन और उपभोग करते हैं, कच्चे माल को उन कीमतों पर प्राप्त कर रहे हैं जो संबद्ध वस्तु के व्यापारी उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही खरीद की तुलना में अधिक हैं। अतः संबद्ध वस्तु के आबद्ध उपभोक्ता भी उन इस्पात उत्पादकों की तुलना में प्रतिकूल स्थिति में हैं जो संबंधित देशों से संबद्ध वस्तु का आयात करते हैं।

256. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचार उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर अतीत में कई बार पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, जो उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप था। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध की विस्तृत जाँच की है और उसके पश्चात पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए उपायों की संख्या संबंधित देशों के उत्पादकों द्वारा कीमत निर्धारण और अनुचित व्यापार प्रथाओं को दर्शाती है।

257. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान में लागू मात्रात्मक प्रतिबंध घरेलू उद्योग की क्षति का समाधान कर देंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे उपाय अस्थायी प्रकृति के होते हैं। संबंधित देशों के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न होकर जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु को भारत में पाटित किया है। वर्तमान जांच की जांच अवधि रक्षोपाय जाँच की नवीनतम अवधि के पश्चात की है। चूँकि भारत में अनुचित प्रथाएँ जारी रही हैं, अतः संबंधित देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

258. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मात्रात्मक प्रतिबंधों की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कीमतों में वृद्धि की है और इसके कारण गैर-एकीकृत इस्पात उत्पादकों को उत्पादन में कटौती का सामना करना पड़ा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अर्थात एसबीबी स्टील मार्केट्स डेली रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जहाँ कोकिंग कोयले की कीमतों में 18% की वृद्धि हुई, वहीं इस अवधि में घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में केवल 12% की वृद्धि कर पाया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए मूल्यों को भी मान लिया जाए तथा जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाए, तो भी घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु को बिक्री लागत से कम कीमत पर बेचा है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***
बिक्री कीमत*	रु./एमटी	***
पीबीटी	रु./एमटी	(***)

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार*

259. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में व्यापक पाटन के कारण अनेक उत्पादकों ने अपने संचालन बंद कर दिए। *** को भी अपने संचालन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन में कमी करने तथा संबद्ध वस्तु को हानि पर बेचने के बावजूद, उसकी मालसूची में वृद्धि हुई है। यदि वर्तमान स्थिति बनी रहती है, तो अन्य उत्पादकों के भी बंद होने की संभावना है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि 20-40 मिमी कोक के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से झारखंड और पश्चिम बंगाल में उद्योग बंद हो जाएगा। तथापि, चूँकि उक्त उत्पाद को विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए पहले ही दायरे से बाहर रखा गया है, अतः शुल्क लगाए जाने से उसकी उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व में भारत में विचाराधीन उत्पाद की कीमत अधिक थी और ऐसी कीमतों का उपभोक्ताओं पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपभोक्ताओं या रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में पाटन के कारण कोक उद्योग के अनेक संयंत्र पहले ही बंद हो चुके हैं या उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग प्रभावित हुआ है, जिससे रोजगार में कमी आई है।

260. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आयात प्रतिबंधों को वापस लेना घरेलू उद्योग को निरंतर संरक्षण देने संबंधी नीति निर्णय को दर्शाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात प्रतिबंधों का लगाया जाना या हटाया जाना इस जांच का विषय नहीं है। इस संबंध में डीजीएफटी द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रतिबंध लगाए गए थे और बाद में वापस ले लिए गए, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत सरकार को कोक उद्योग को होने वाले नुकसान की चिंता थी, किन्तु पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात प्रतिबंधों को शीघ्र ही हटा लिया गया। पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति मार्जिन या पाटन मार्जिन, जो भी कम हो, की सीमा तक राहत प्रदान करता है। अतः वर्तमान मामले में अति-संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं है।

261. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाएंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग या प्रयोक्ता उद्योग पर कोविड-19 के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, अतः ऐसे अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

262. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता वाले कम से कम 8 उत्पादक मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह जानकारी प्रस्तुत की है कि संबद्ध वस्तु को सड़क परिवहन, रेलवे तथा समुद्री मार्गों

के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जा रहा है। वास्तव में, जांच अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्रों के उत्पादकों ने गुजरात सहित पश्चिमी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी आपूर्ति की है।

क्र. सं.	पूर्वी क्षेत्र में उत्पादक का नाम	यूनिट	क्षमता
1	वीज़ा कोक लिमिटेड	एमटी	***
2	जगन्नाथ कंबाइन कोक लिमिटेड	एमटी	***
3	ऊषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
4	बंगाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
5	जिंदल कोक लिमिटेड	एमटी	***
6	कृष्णा कोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
7	एमवी इंटरनेशनल	एमटी	***
8	नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड	एमटी	***
9	कुल क्षमता	एमटी	***

263. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि परिवहन के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आती है और अतः घरेलू उत्पादकों से खरीद उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि भारत में आयातित उत्पाद के परिवहन की दूरी तथा परिवहन के साधन, घरेलू रूप से निर्मित उत्पाद के परिवहन की तुलना में काफी अधिक होते हैं।

ञ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ञ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

264. अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में, हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है, जिनमें सीएसआर, एम40, अति-निम्न फास्फोरस कोक, घरेलू उद्योग के निर्धारण हेतु दो बाजारों पर विचार, घरेलू उद्योग का हिस्सा माने गए उत्पादकों द्वारा कैप्टिव उपभोग, उत्तरों की अस्वीकृति, क्षति, कारणात्मक संपर्क, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव आदि से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रकटन विवरण जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी द्वारा 20-40 एमएम मेट कोक को बाहर रखने का प्रस्ताव भारत सरकार और इस्पात मंत्रालय के उस विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत में इस्पात उत्पादन को

बढ़ाना है। इससे पूर्वी भारत में भी उत्पादन को समर्थन मिलेगा, क्योंकि ऐसे उत्पादों के वास्तविक प्रयोक्ताओं के संयंत्र देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं।

ii. प्रकटन विवरण में निर्यातकों के इस तर्क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि कोक ब्रीज़ एक उप-उत्पाद है, और अत:, इसे उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को यह सूचना देने का निर्देश नहीं दिया गया है कि कोक ब्रीज़ का उनकी उत्पादन लागत में कितना योगदान है, और मेट कोक के आयात का कोक ब्रीज़ से जुड़े उनके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

iii. घरेलू उद्योग के इस दावे को कि उन्होंने कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का उत्पादन वाणिज्यिक मात्रा में किया है, बिना सोचे-समझे मान लिया गया है, जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जो इस बात को सिद्ध करता हो। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह तय करने के लिए अपने मानदंड स्पष्ट नहीं किए हैं कि ये बिक्री "वाणिज्यिक मात्रा" में थीं।

iv. ब्लूस्कॉप ने ऐसे बीजक उपलब्ध कराए हैं जो भारत को उच्च सीएसआर वाले उत्पाद के निर्यात को दर्शाते हैं; इससे यह सिद्ध होता है कि इस उत्पाद की मांग मौजूद है। यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग को इस उत्पाद के लिए कोई पूछताछ प्राप्त नहीं हुई है, यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने इस उत्पाद का न तो उत्पादन किया है और न ही इसे बेचा है, जिसके चलते इसे उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखना उचित है।

v. 70% से अधिक सीएसआर वाले उत्पाद के संबंध में, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह उत्पादन क्षमता, उत्पादन करने की योग्यता, या अंतिम-उपयोग में विकल्प के रूप में उपयोग की संभावना के बजाय, वास्तविक उत्पादन पर विचार करे।

vi. इस बात की जांच नहीं की गई है कि क्या 64-65 के क्षेत्र में सीएसआर वाले ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड उत्पादों की आपूर्ति वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा की गई है।

vii. प्राधिकारी की सतत परिपाटी के आधार पर, यूएलपी के लिए उत्पाद को क्षेत्र से बाहर रखने का निर्णय केवल उसके अंतिम-उपयोग के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सोर्सिंग (आपूर्ति के स्रोतों) में संभावित वाणिज्यिक बदलावों के आधार पर ऐसे उत्पादों को क्षेत्र में शामिल करना उचित नहीं है, जो अन्यथा एक-दूसरे से भिन्न हैं।

viii. प्राधिकारी ने उस 'पीयर-रिव्यूड' (विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित) अध्ययन पर विचार नहीं किया है, जिसमें उच्च और निम्न फास्फोरस मात्रा वाले उत्पादों के बीच का अंतराल दर्शाया गया है; यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने इस मामले में अपने विवेक का उचित उपयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, एएमएनएस द्वारा अनुरोध उन पत्रों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया है, जिनमें

यह दर्शाया गया था कि घरेलू उद्योग कम फास्फोरस मात्रा वाला मेट कोक उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

ix. प्राधिकारी ने 12% से कम राख (एश) की मात्रा वाले मेट कोक को क्षेत्र से बाहर रखने के अनुरोध की जांच नहीं की है, जबकि अधिसूचित पीसीएन पद्धति भी इस अनुरोध का समर्थन करती है।

x. जैसा कि एसओपी की नियमावली और चीन-ब्रॉयलर उत्पादों (यूएस) में उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी को पहले कैप्टिव उत्पादकों के उत्पादन सहित कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करना आवश्यक है। इस तरह के दृढ़ संकल्प के अभाव में, प्रमुख अनुपात के संबंध में निर्धारण असमर्थित है।

xii. प्राधिकारी ने अपनी पिछली जांच में पाया कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अपना कैप्टिव कोकिंग कोयला संयंत्र है, जिसने व्यापारी बाजार में मेट कोक बेचना शुरू कर दिया।

xii जबकि जिंदल कोक एक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत इस्पात उत्पादक है जो आकर्षक रूप से मेट कोक का उपभोग करता है, इसे यांत्रिक और असंगत टिप्पणियों के आधार पर घरेलू उद्योग माना गया है।

xiii. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बजाय क्षति की अवधि में बंगाल एनर्जी की कैप्टिव खपत प्रतिशत को गलत तरीके से निर्धारित किया है।

xiv. ऐसी स्थिति में जहां बंगाल एनर्जी लिमिटेड का घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यापारी बिक्री का 10-20% हिस्सा है और नमूनाकृत उत्पादकों में घरेलू उद्योग की बिक्री का 50% शामिल है, कुछ घरेलू उत्पादकों के हिस्सेदारी में प्रमुख अनुपात है। अत:, यह व्यापार सूचना 9/2021 के तहत बिखरे हुए उद्योग के रूप में जांच शुरू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, जो ऐसी स्थिति के लिए लागू होता है जहां उद्योग में अत्यधिक संख्या में उत्पादक शामिल होते हैं।

xv. चूंकि प्राधिकारी ने मनमाने ढंग से कैप्टिव उत्पादकों को बाहर रखा है, अत: प्राधिकारी द्वारा की गई क्षति की जांच त्रुटिपूर्ण है और करार के अनुच्छेद 3 और डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय की टिप्पणियों से असंगत है।

xvi. उन पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है, जो क्षति मार्जिन के लिए विचार किए गए देश-वार पहुंच कीमत के प्रकटन की मांग कर रहे थे। संबद्ध देशों के पहुंच कीमत को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय नहीं बताया गया है, और प्राधिकारी द्वारा भी इसे स्वतः गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

xvii. आयात की मात्रा और कीमतों का आकलन करने के लिए अपनाई गई पद्धति का प्रकटन नहीं किया गया है; इस तरह के प्रकटन के अभाव में पक्षकार अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, और यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का उल्लंघन है। प्राधिकारी को पहुंच कीमत और आयातों पर विचार करने की पद्धति का प्रकटन अवश्य करना चाहिए, और पक्षकारों को इस पर आगे टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

xviii. प्राधिकारी ने अपनी प्रारंभिक जांच परिणाम रिपोर्ट अथवा प्रकटन विवरण में 'क्षतिरहित कीमत को किसी रेंज में निर्धारित नहीं किया है।

xix. ब्लूस्कोप स्टील (एआएस) पीटीवाई लिमिटेड का नाम प्रकटन विवरण में ठीक किया जाए।

xx. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड और उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम को प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

xxi. अलग-अलग स्थानों पर मांग के आंकड़ों को अलग-अलग तरीके से नोट किया गया है।

xxii. जापान और पोलैंड से आयात के लिए प्रदान किया गया विभेदक व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जिसमें राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है।

xxiii. माल ढुलाई के लिए दी गई सूचना के आधार पर, एमसीसी और एमसीआर के लिए क्षति मार्जिन पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए।

xxiv. जारी रक्षोपायों से संबंधित चिंता को सार में हल नहीं किया गया है। बाजार की स्थितियों को बदलने वाले रक्षोपायों के आलोक में पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए। इस तरह की जांच के अभाव में दोहरे उपचार की ओर ले जाएगी। 2025 के दौरान लागू उपायों ने आयात को प्रतिबंधित कर दिया है और घरेलू उद्योग को सुधारने की अनुमति दी है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

xxv. प्रक्रिया के पैरा 3.6 में, प्राधिकारी ने अनुरोध करने वाले निर्यातकों की सूची पर विचार नहीं किया है।

xxvi. चूंकि ब्लूस्कोप और जापानी उत्पादकों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में अपनी क्षमता के अनुसार पूरी सूचना प्रदान की है, अत: सामान्य मूल्य उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित होना चाहिए; भले ही निर्यात कीमत इतना निर्धारित न की जा सकती हो।

xxvii. प्राधिकारी समुद्री माल ढुलाई शुल्क के संबंध में एएमएनएस द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहे हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए बढ़े हुए समुद्री माल ढुलाई पर विचार करते हुए, इसके लिए कोई कारण बताए बिना, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मनमाने ढंग से मार्जिन निर्धारित किया है।

xxviii. इस दावे के विपरीत कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समुद्री माल भाड़ा साक्ष्य सभी को परिचालित किया गया था, इस तरह के साक्ष्य का उपयोग करने का निर्णय केवल प्राथमिक जांच परिणामों के समय हितबद्ध पक्षकारों को बताया गया था, जिसके बाद एएमएनएस ने विस्तृत टिप्पणी की है।

xxix. यदि एएमएनएस द्वारा प्रस्तुत समुद्री मालभाड़ा शुल्क के साक्ष्य पर विचार किया जाता है, तो जापानी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन शून्य होगा, और अन्य देशों के लिए कम होगा।

xxx. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि समुद्री माल ढुलाई के निर्धारण के लिए किसके आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। यदि मालभाड़ा के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भी इस पर भरोसा किया जा सकता है।

xxxi. एमसीसी को असहयोगी पक्षकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसने अपने असंबद्ध पक्षकार की पुन: बिक्री सूचना सहित सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। नियम 6 (8) के तहत आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करने की सीमा को पूरा नहीं किया गया है।

xxxii. [एमसीआरआई] द्वारा केवल एक अलग प्रतिक्रिया दायर न करने से एमसीसी और एमसीआर असहयोगी नहीं माना जाना चाहिए। चूंकि एमसीआर और एम सीआरआई एमसीसी की सहायक कंपनियां हैं और एमसीआरआई एमसीसी से सीधे सामान नहीं खरीदती है, अत: एमसीआर द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्ण वाणिज्यिक प्रवाह का प्रकटन करती है।

xxxiii. प्राधिकारी ने अपूर्ण मूल्य श्रृंखला के आधार पर पूर्ण प्रतिक्रियाओं की एकमुश्त अस्वीकृति को उचित नहीं ठहराया है, जब उसने अपना अनुरोध दर्ज किया है कि उपलब्ध तथ्यों के अनुप्रयोग के लिए भी अधिकतम संभव सीमा तक रिकॉर्ड पर उपयोग करने योग्य सूचना पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

xxxiv. पीटी किनरुई और पीटी डेटियन ने सभी बिक्री चैनलों, विक्रेताओं और वितरकों की पहचान करते हुए पूरी प्रतिक्रिया प्रदान की। असंबद्ध व्यापारियों की भागीदारी निर्यातक के नियंत्रण से बाहर है और अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती है।

xxxv. जैसा कि अर्जेंटीना- सिरेमिक टाइल्स में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना है, यदि कुछ सूचना की आवश्यकता है, तो हितबद्ध पक्षकारों से वही पूछा जाना चाहिए, और वही पूछने में विफलता प्रकृति न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

xxxvi. प्राधिकारी को धारा 9क या नियम 6 (4) और 6 (8) के साथ-साथ करार के अनुबंध II के पैरा 5 के तहत अनुरोध करने की अवहेलना करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।

xxxvii. प्राधिकारी ने असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार नहीं किया है और केवल उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है।

xxxviii. संबद्ध व्यापारी के माध्यम से की गई बिक्री के लिए, निर्यात कीमत का निर्माण एक स्वतंत्र खरीदार को पहली पुनर्विक्रय के आधार पर किया जा सकता था। प्रत्यक्ष बिक्री के लिए, बताई गई कीजक कीमत विश्वसनीय थी और उसका प्रयोग किया जा सकता था।

xxxix. रिसुन समूह ने प्राधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्नों को हल करते हुए व्यापक सूचना और पूरक प्रतिक्रियाएं प्रदान की हैं। रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता है कि रिसुन पूरी सूचना प्रदान करने में विफल रहा है।

xl. रिसुन एचके के माध्यम से निर्यात के संबंध में अनुरोधों को लेन-देन वार निर्यात सूचना के साथ समर्थित किया गया है और डीजी सिस्टम आंकड़ों से कोई भी भिन्नता प्रतिक्रिया की अस्वीकृति

की आवश्यकता वाली गलत घोषणा नहीं है, क्योंकि रिसुन ने इस तरह के मतभेदों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया है।

xli. अपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना कानूनी आवश्यकता के बजाय एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अलग अलग पक्षकारों की गैर-भागीदारी के लिए रिसुन को दंडित नहीं किया जा सकता है और इसे सहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए।

xlii. नियम 6 (8) के तहत उपलब्ध तथ्यों का अनुप्रयोग रिसुन के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि इसने प्रावधान के तहत सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं।

xliii. ऐसा कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पहचाना गया है जिसका समाधान नहीं किया गया हो या जो स्पष्टीकरण देने में सक्षम न हो। ऐसे मामले में, पूरी तरह से प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना अत्यधिक और अनुचित है।

xliv. समुद्री माल ढुलाई से संबंधित प्रमुख तर्कों की स्वीकृति से पता चलता है कि प्रारंभिक जांच परिणमों और जांच की शुरुआत में निर्धारणों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद, क्षति का विश्लेषण अपरिवर्तित रहता है।

xliv. यह एक सुस्थापित परिपाटी है कि मूल जांच में क्षति के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के बाद की घटनाओं पर आम तौर पर भरोसा नहीं किया जाता है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों से असत्यापित है।

xlivi. होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज यातायात में व्यवधान के कारण चल रहे तनाव के कारण माल ढुलाई दरों और रसद लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इनपुट कीमत दबाव को दर्शाते हुए कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई है। क्षति के व्यापक विश्लेषण के लिए ऐसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

xlvii. जापानी आयात भारत को व्यापारी-बाजार, प्रतिस्पर्धी या कीमत प्रतिक्रियात्मक निर्यात नहीं हैं क्योंकि उन्हें दो निर्दिष्ट निचले स्तर के भारी धातु और इस्पात निर्माण कंपनियों को निश्चित अवधि के अनुबंधों के तहत निर्यात किया जाता है। अत:, जापानी आयात को अन्य संबद्ध देशों से आयात के साथ संचयित नहीं किया जा सकता है।

xlviii. चूंकि कीमत कटौती क्षति मार्जिन से कम है, अत: यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक थी, जो कीमत संबंधी क्षति का अभाव दर्शाता है।

xlix. संबद्ध देशो से आयात में वृद्धि का श्रेय ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बाजार हिस्सेदारी इंडोनेशिया और चीन की तुलना में बहुत कम है।

l. प्रकटन विवरण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की कीमत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जो पूर्ण रूप से बिक्री की लागत के अनुरूप है, जो ह्रासमान और न्यूनीकरण पाए जाने से असंगत है। अधिकांश अवधि के लिए, घरेलू उद्योग लागत के अनुसार अपने उत्पाद का कीमत निर्धारित करने में सक्षम था, और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण विशिष्ट अवधि तक ही सीमित है।

li. पीसीएन-वार आधार पर कीमत कटौती का प्रकटन नहीं किया गया है, और पिछली अवधि के लिए इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

lii. भारत में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों पर निर्धारित की जाती हैं, और कम कीमत कोकिंग कोयले की कीमत और बिक्री की घरेलू लागत के बाद आती है।

liii. आयात की कीमतें हमेशा कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चल सकती हैं क्योंकि कीमतें मांग-आपूर्ति के अंतराल, संविदा की शर्तों और प्रतिस्पर्धी दबावों से भी प्रभावित होती हैं।

liv. प्राधिकारी ने गलती से नोट किया है कि आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से कम हैं क्योंकि यह सोर्सिंग और वैश्विक लागत लाभों में अंतराल पर विचार करने में विफल रहते हैं।

lv. घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग लगातार अधिक उत्पादन में बना रहा है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि बिक्री की मात्रा उत्पादन से कम है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने जानबूझकर मालसूची को कम करने के लिए उत्पादन को कम करने का विकल्प चुना।

lvi. लाभ से हानि में बदलाव की जांच घरेलू उद्योग के अपने निवेश और पूंजी संरचना निर्णय के आलोक में की जानी चाहिए।

lvii. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड के अलावा अन्य सभी कोक उत्पादकों ने काफी लाभ कमाया है।

lviii. आयात मात्रा और बिक्री कीमत के बीच सह-संबंध का अभाव है, और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उस समय बढ़ी है जब आयात मात्रा अधिक थी।

lix. मौसमी और पर्यावरणीय प्रभावों से उच्च नमी भिन्नता के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

lx. घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रकों द्वारा की जाती है, जबकि आयातित उत्पाद की आपूर्ति समुद्र में थोक शिपिंग के माध्यम से की जाती है, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिए रसद लागत अधिक होती है।

lxi. इस बात की पुष्टि का अभाव है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और बिक्री में निर्यात बिक्री शामिल नहीं है।

lxii. जापान के लिए क्षति मार्जिन परिपाटी के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और कुछ पीसीएन के घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के अभाव में, एनआईपी लागू समायोजन के साथ निकटतम पीसीएन पर आधारित होना चाहिए।

lxiii. जापान और पोलैंड से सीआईएफ कीमतों की सरल तुलना उचित नहीं है। यदि पोलैंड के क्षति मार्जिन को शून्य माना जाता है, तो जापान के लिए क्षति मार्जिन दोनों देशों से सीआईएफ कीमतों में अंतराल के आधार पर समायोजनों से पूर्व 7% होगा, तथापि, इस तरह की तुलना निर्धारित परिपाटी के विरुद्ध है जिसके लिए लागू समायोजन के साथ सीआईएफ कीमत से प्राप्त क्षति मार्जिन की आवश्यकता होती है। एनआईपी और समायोजित पहुंच कीमत की उचित तुलना पर वास्तविक क्षति विश्लेषण किया जाना चाहिए।

lxiv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया होगा यदि वह पोलिश आयात के बराबर कीमतों पर बेचा जाता। चूंकि पोलिश आयात रूसी आयात की कीमत से केवल 30-40 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी से अधिक है, अत: इस स्तर से अधिक शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

lxv. वित्तीय हानि, नकद हानि और नकारात्मक आय स्व-प्रेरित कारकों के कारण होते हैं। ऐसे कारकों के क्षतिकारक प्रभाव को अलग किया जाना चाहिए।

lxvi. बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की अपनी आधी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थता आंतरिक अक्षमताओं को दर्शाती है।

lxvii. प्राधिकारी रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहे हैं जिसने 2022-23 के बाद से आयातकों के लिए रसद लागत में वृद्धि की है।

lxviii. प्राधिकारी इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हॉट-रोल्ड स्टील की कीमत पर गलत विचार किया है जिसमें हॉट-रोल्ड स्टील कॉइल और मिल प्लेट की कीमत शामिल है। गैर-मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों पर हाल ही में संपन्न रक्षोपाय जांच में, प्राधिकारी ने माना कि हॉट-रोल्ड स्टील की कीमत उसी अवधि के लिए 55,000 रुपये प्रति एमटी थी। इस तरह की कीमतों का प्रयोग प्रभाव गणना के लिए किया जाना चाहिए।

lxix. एएमएनएस पर जापान पर लगाए गए शुल्कों में 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की अतिरिक्त लागत आने की संभावना है।

lxx प्राधिकारी ने गलत तरीके से निर्धारित किया है कि भारत की कुल संस्थापित क्षमता को देखते हुए मांग-आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं है, न कि व्यापारी बिक्री के लिए क्षमता।

lxxi. प्रयोक्ताओं की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को अस्वीकार करने के लिए प्रदान किया गया तर्क खरीद वास्तविकताओं की अनदेखी करता है। केवल घरेलू उद्योग की बिक्री की उपस्थिति यह सिद्ध नहीं करती है कि ऐसे सामान सभी प्रयोक्ताओं और अनुप्रयोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिस्थापनीय हैं। गुणवत्ता स्थिरता, विनिर्देशों और मात्रा का संयोजन आयात को आवश्यक बनाता है।

lxxii. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करने वाले इस्पात उत्पादकों के अनुरोध को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया है कि इस्पात उद्योग की मांग को मुख्य रूप से कैप्टिव उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है। शुल्क के प्रभाव पर अवलोकन उन प्रयोक्ताओं के लिए इनपुट लागत में वृद्धि को हल नहीं करते हैं जिनके पास कैप्टिव उत्पादन नहीं है।

lxxiii. यह देखते हुए कि मार्जिन 10-50% की सीमा में हैं, प्रभाव की जांच 12-18% तक निचले स्तर के उत्पाद की कीमत में वृद्धि की अनदेखी करती है।

lxxiv. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो जांच की अवधि में 84 से बढ़कर वर्तमान में 94 हो गई है। यह आयात की कीमत में 10% की वृद्धि करता है। इस तरह की वृद्धि को देखते हुए, शुल्कों की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है।

lxxv. प्रकटन विवरण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, क्योंकि यह जापानी निवेशों से संबंधित निर्यातकों के अनुरोधों पर विचार नहीं करता है। जापान पर शुल्क लगाने से जापान द्वारा किए गए रणनीतिक निवेश एएम/एनएसआई के हितों को सीधे तौर पर हानि पहुंचेगी और यह भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के विपरीत होगा।

lxxvi. पूर्वोदाहरण से पता चलता है कि वित्त मंत्रालय ने इसी तरह के मामलों में व्यापक आर्थिक और व्यापारिक विचारों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है, और सार्वजनिक हित का संतुलन इस तरह के उपायों को अपनाने के विरुद्ध है।

xxxvii. जबकि ब्लास्ट फर्नेस को पहले चालू किया जा सकता है, संबद्ध कोक ओवन सुविधाएं लगभग 5-6 महीने की गर्भावस्था अवधि के बाद ही चालू हो जाती हैं। इस बीच की अवधि के दौरान

इस्पात उत्पादक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात सहित बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

xxxviii. आयातित उत्पाद की कीमत घरेलू उत्पाद की तुलना में काफी सस्ती है। बाद वाले का उपयोग छोटे ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण लागत हानि पैदा करता है, जो ऐसे कीमत स्तरों पर नकारात्मक मार्जिन पर काम करेंगे।

lxxix. वर्तमान विनिमय दर और 1 एमटी हॉट मेटल के लिए 500 किलोग्राम एलएएम कोक के रूपांतरण अनुपात को ध्यान में रखते हुए, पिग आयरन के लिए शुल्क का प्रभाव लगभग 3,765 रुपये प्रति एमटी है।

lxxx. पूर्वी बाजार में मांग 97.26 लाख एमटी रहने का अनुमान है। अकेले रश्मि समूह की वार्षिक आवश्यकता लगभग 10 लाख एमटी है, जबकि पूर्वी बाजार में उपलब्ध कुल अनुमानित गैर-बंदी क्षमता केवल 5.28 लाख एमटी प्रति वर्ष है। भारत के दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्रों में स्थित निर्माताओं से पूर्वी उपभोक्ताओं द्वारा एलएएम कोक की खरीद वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य है, क्योंकि अंतर्देशीय परिवहन से कीमत में 4,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति एमटी की वृद्धि होगी।

ञ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

265. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्रकटन में गलत नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने 20-40 एमएम आकार के मेट कोक की आपूर्ति नहीं की है। विभिन्न आकारों की बिक्री के साक्ष्य को यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रदान किया गया है कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति की है और ऐसे उत्पादों को बाहर रखना आवश्यक नहीं है।

ii. यदि पिग आयरन के लिए 130 एम3 तक ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए 20-40 एमएम (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के साथ मेट कोक के लिए कोई बाहर रखने की बात है, तो स्पष्ट रूप से केवल पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा खपत के लिए आयात की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रयोक्ताओं द्वारा झूठी घोषणाओं के आधार पर व्यापारियों द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए।

iii. स्टील उत्पादकों ने एलएएम कोक पर लगाए गए अनंतिम शुल्कों का फायदा उठाना शुरू कर दिया है, बाहर रखे गए यूएलपी मेट कोक का आयात करके लागू शुल्कों को व्यर्थ कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि फेरोलॉय विनिर्माण में उपयोग के लिए यूएलपी मेटलर्जिकल कोक को बाहर करने के किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य उपक्रमों और प्रयोक्ताओं द्वारा उत्पादित उत्पादों को दिखाने वाले प्रमाणन के आधार पर पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा खपत के लिए आयात के लिए बनाया जाना चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग की उत्पादन की भारित औसत लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए उत्पादन की सबसे कम लागत पर विचार करना पाटन की वास्तविक सीमा को कम करता है और असहयोगी निर्यातक/उत्पादकों को पुरस्कृत करता है।

v. एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड की लागत के बजाय उत्पादन की भारित औसत लागत पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि एक्वा टेरा की लागत प्रतिनिधिकारक नहीं है और भारत में अन्य नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों और आयात कीमत की तुलना में कम है। कोयले की खरीद कीमत राख की मात्रा और विभिन्न स्रोतों के आधार पर भिन्न होती है, जिससे विभिन्न उत्पादकों की खरीद कीमतों में भिन्नता होती है। जांच की अवधि के दौरान कोयले की कीमतों में और उतार-चढ़ाव आया है और एक्वा टेरा द्वारा कोयले की खरीद कम कीमतों वाली अवधि में केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, एक्व टेरा ने रूस से कोयला खरीदा है जो रूसी कोयले के कारण बेहद कम कीमतों पर है।

vi. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए भारत में आयात कीमतों या उत्पादन की भारित औसत लागत पर विचार कर सकते हैं।

vii. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क में मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन तथा बढ़ी हुई इनपुट लागतों, विशेष रूप से इंडोनेशिया से होने वाले आयातों के संबंध में, को ध्यान में रखते हुए वृद्धि (अपवर्ड रिवीजन) की आवश्यकता है।

viii. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक से संबंधित बहिष्करण का दायरा अत्यधिक व्यापक है और इससे दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। यह अनुरोध किया गया है कि फॉस्फोरस की मात्रा को काफी निम्न स्तर (लगभग 0.006%–0.0075%) तक सीमित किया जाए तथा उपयुक्त अंतिम-उपयोग प्रतिबंध लगाए जाएँ।

ञ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

266. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन के बाद के अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि कई अनुरोध पुनरावृत्ति के हैं, जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और पर्याप्त साक्ष्य के साथ समर्थित और प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने वाले मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

267. इस दलील के संबंध में कि कोक ब्रीज़ एक उप-उत्पाद है और इसे विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं माना जा सकता, प्राधिकरण ने पाया है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो कि उप-उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं माना जा सकता। वर्तमान जांच में, चूंकि कोक ब्रीज़ का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है और साथ ही इसे संबंधित देशों से आयात भी किया गया है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा माना गया है। यह दलील कि कोक ब्रीज़ के उत्पादन और बिक्री को दर्शाने वाला कोई प्रमाण रिकॉर्ड में नहीं है, गलत है। नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत पीसीएन-वार जानकारी से पता चलता है कि कोक ब्रीज़ का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारी बाजार में की गई है।

268. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो उत्पाद के क्षेत्र को निर्धारित करने के तरीके को नियंत्रित करता हो। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र उस उत्पाद को ध्यान में रखते हुए

निर्धारित किया जाता है जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है और जिसका आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। यह विवाद नहीं किया गया है कि कोक ब्रीज पाटित कीमतों पर बेचा गया है। बल्कि, विदेशी उत्पादकों का तर्क है कि वे कम कीमतों पर बेचे जाते हैं, क्योंकि वे एक उप-उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त, कोक ब्रीज को भारत में कीमतों पर आयात किया गया है, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। अत:, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उनके आयात घरेलू उद्योग को क्षतिकारक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

269. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने भारत को उच्च सीएसआर उत्पाद की आपूर्ति के लिए बीजक प्रदान किए हैं और इसे बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने इसका उत्पादन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दिखाने के लिए परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की है कि उसने उच्च सीएसआर उत्पाद का उत्पादन किया है। तथापि, यह अनुरोध किया गया है कि उक्त उत्पाद की कोई वाणिज्यिक मांग नहीं है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि निर्यातक ने भारत को ऐसे उत्पाद के निर्यात को दर्शाते हुए केवल 2 लेनदेन प्रदान किए हैं। यह भारत में उक्त उत्पाद की वाणिज्यिक मांग की मौजूदगी नहीं दर्शाता है। किसी भी मामले में, चूंकि घरेलू उद्योग ने उत्पाद का उत्पादन किया है, अत: इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है।

270. इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग ने 64-65 बैंड में सीएसआर के साथ ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड की आपूर्ति की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए विचार के तहत उत्पाद की नियमित रूप से आपूर्ति की है। चूंकि समान वस्तु की आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की गई है, जो आयातित उत्पाद के साथ वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से विनिमेय है, अत: यह जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या सभी पहलुओं में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की गई है।

271. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यूएलपी को केवल अंतिम उपयोग के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में अंतिम प्रयोग प्रतिबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि उक्त उत्पाद का आयात केवल लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के पास उक्त उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है, तथापि, वाणिज्यिक महत्व के कारण इसका उत्पादन नहीं करने का विकल्प चुना है। ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों के मामले में, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उक्त निर्माताओं को संबद्ध सामानों का उत्पादन और आपूर्ति की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों द्वारा आयात किए जा रहे उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति करता है और अत:, विचाराधीन उत्पाद को बाहर करने की आवश्यकता केवल फेरोलॉय निर्माण के लिए उत्पन्न होती है न कि ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों के लिए।

272. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सुनिर्धारित है कि शुल्क लगाने के लिए उत्पाद का कवरेज ऐसा होना चाहिए कि लेवी के उद्देश्य और इरादे को प्राप्त किया जा सके। घरेलू उत्पादकों को पाटन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है। वर्तमान मामले में, यदि यूएलपी कोक को सभी प्रयोक्ताओं के लिए बाहर रखा जाता है, तो शुल्क का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर यूएलपी ग्रेड में स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे, और ब्लास्ट फर्नेस कोक के बजाय उसी का उपयोग करेंगे।

273. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने कम फॉस्फोरस स्तरों की आवश्यकता को दर्शाते हुए एएमएनएस द्वारा प्रदान की गई समीक्षा की जांच नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में समान वस्तु की मौजूदगी के बारे में विस्तृत जांच वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में की गई है। इसके अतिरिक्त, जबकि एएमएनएस ने अनुरोध किया है कि कुछ अनुप्रयोगों के लिए कम फॉस्फोरस सामग्री की आवश्यकता होती है और इस तरह के उत्पाद का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया गया है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि इस तरह के उत्पादों का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान किया गया है या 0.025% तक राख सामग्री के साथ लो ऐश मेटलर्जिकल कोक का भारत में आयात भी किया गया है।

274. अनुरोधों के संबंध में कि राख सामग्री 12% और उससे कम के साथ मेट कोक को बाहर करने के अनुरोध की जांच नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में इसकी पहले ही जांच की जा चुकी है। घरेलू उद्योग ने पहले ही 12% से कम राख सामग्री वाले मेटलर्जिकल कोक की बिक्री दिखाने वाले बीजक प्रदान किए हैं। चूंकि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान उत्पाद का निर्माण और बिक्री की है, अत: इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

275. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

बशर्ते कि नियम 11 के उप-नियम (3) में उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में, प्रश्नगत अनुच्छेद के संबंध में घरेलू उद्योग में दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल माने जाएंगे और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादक एक अलग उद्योग होंगे, यदि-

(i) ऐसे बाजार के भीतर के उत्पादक उस बाजार में प्रश्नगत वस्तु के अपने उत्पादन का सारा या लगभग सारा उत्पादन बेचते हैं: और

(ii) बाजार में मांग किसी भी पर्याप्त हद तक उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है जो क्षेत्र में कहीं और स्थित हैं"

276. प्राधिकरण ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए दो प्रतिस्पर्धी बाजारों के अस्तित्व पर विचार किया है, अर्थात् कैप्टिव उत्पादक और व्यापारी उत्पादक, जिनमें वे भी शामिल हैं जो मुख्य रूप से व्यापारी उत्पादन में लगे हैं और जिनका कुछ हिस्सा कैप्टिव उत्पादन में है। चूंकि दो अलग-अलग बाजारों पर विचार किया गया है, इसलिए प्राधिकरण ने व्यापारी उत्पादकों के कुल उत्पादन के साथ-साथ आंशिक रूप से व्यापारी और आंशिक रूप से कैप्टिव उत्पादकों के कुल उत्पादन के आधार पर स्थिति का निर्धारण किया है। वर्तमान जांच में प्राधिकरण के लिए कैप्टिव उत्पादकों के कुल उत्पादन का निर्धारण करना कोई कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वे एक अलग बाजार बनाते हैं। इसके अलावा, यह प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और पिछली डंपिंग-विरोधी जांचों के अनुरूप है।

277. जहां तक उन अनुरोधों का संबंध है जो प्राधिकारी ने पिछली जांच में नोट किए थे कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) ने पिछली जांच में व्यापारी बाजार में बेचा था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को कई अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, यह तर्क जांच के अंतिम चरण में उठाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस स्तर पर भी, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि एनआईएनएल संबद्ध सामानों का एक व्यापारी घरेलू उत्पादक है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सूचना से पता चलता है कि प्रतिभागी प्रयोक्ता टाटा स्टील, एनआईएनएल की अंतिम धारक कंपनी है। तथापि, इसने रिकॉर्ड पर कोई सूचना नहीं दी है, यह दावा करते हुए कि एनआईएनएल एक व्यापारी घरेलू उत्पादक है, जिस पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार नहीं किया गया है।

278. घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में जिंदल कोक लिमिटेड के विचार के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में विस्तृत जांच की गई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह पहचान नहीं की है कि प्राधिकारी की ऐसी जांच कैसे गलत है या पुनर्विचार की आवश्यकता है।

279. बंगाल एनर्जी लिमिटेड की कैप्टिव खपत के विश्लेषण के संबंध में, इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भागों में विस्तार से जांच की गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि जब केवल बंगाल एनर्जी लिमिटेड के व्यापारी उत्पादन पर विचार किया जाता है, तब भी यह भारत में संबद्ध सामानों के

सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और इस प्रकार, इसको बाहर करना वर्तमान जांच में क्षति विश्लेषण को वास्तविक रूप से विकृत कर देगा।

280. यह तर्क दिया गया है कि चूंकि बंगाल एनर्जी में कुल घरेलू उत्पादन का 10-20% शामिल है, अत: यह मामला बिखरे हुए उद्योग के रूप में विचार के लिए उपयुक्त नहीं है। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाता है कि इस तरह के विवाद को बहुत देर से उठाया गया है। हितबद्ध पक्षकार इस पहल की शुरुआत से ही अवगत थे कि वर्तमान मामले को बिखरे हुए उद्योग से संबंधित माना गया है। हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद और मौखिक सुनवाई के अनुसरण में जांच की शुरुआत की सूचना के उत्तर में अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत के अंत तक इस तर्क को नहीं उठाने का विकल्प चुना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग बिखरे हुए है या नहीं, यह केवल व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में उद्योग में 30 से अधिक उत्पादक शामिल हैं, इसलिए इसे खंडित उद्योग माना गया है। यह तर्क कि कम उत्पादकों को घरेलू उद्योग माना जा सकता था, डंपिंग-विरोधी कानून के उद्देश्य के विपरीत है, जो घरेलू उद्योग के दायरे में यथासंभव अधिक से अधिक उत्पादकों को शामिल करने का प्रावधान करता है। ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण को यह तथ्य तर्कसंगत नहीं लगता कि उसने मामले को अखंडित मानकर केवल 3-4 उत्पादकों के आवेदन को स्वीकार किया, जबकि अधिक संख्या में घरेलू उत्पादकों की भागीदारी संभव थी।

281. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति के अंतराल की गणना के लिए पहुंच कीमत का प्रकटन करने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश-वार पहुंच कीमत का प्रकटन पहले से ही प्रकटन विवरण में कीमत कटौती के हिस्से के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अब वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में क्षति मार्जिन की गणना के लिए भी देश-वार पहुंच कीमत का प्रकटन किया है।

282. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मार्जिन के निर्धारण के लिए अपनाई गई क्षतिरहित कीमत, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को परिपाटी के अनुसार लगातार गोपनीय माना जाता है। वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

283. आयात मात्रा और कीमत के निर्धारण के लिए पद्धति के गैर-प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे लेनदेन वार डीजी सिस्टम आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार निर्धारित किया गया है। आयात की मात्रा और कीमत का सारांश घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किया गया है। किसी भी हितब पक्षकार ने यह अनुरोध नहीं किया है कि निर्धारित मात्रा और

कीमत गलत हैं। इस प्रकार, इस पर टिप्पणी करने के लिए एक अलग अवसर प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

284. इन अनुरोधों के संबंध में कि अलग-अलग स्थानों पर मांग के लिए अलग-अलग आंकड़ों का उल्लेख किया गया है, वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में इसका लगातार उल्लेख किया गया है।

285. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मालभाड़े में सुधार जांच की शुरुआत के स्तर पर दोष को दूर नहीं करता है। तथापि, प्राधिकारी यह पाते हैं कि, जांच की शुरुआत के स्तर पर, घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी को दर्शाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के बाद वर्तमान जांच शुरू की। तथापि निस्संदेह, पाटन की मात्रा में जांच की शुरुआत के बाद परिवर्तन आया है, पाटन का तथ्य अपरिवर्तित बना हुआ है। यह सुनिर्धारित है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, साक्ष्यों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार किया जाना था, और प्राधिकारी को आवश्यक रूप से समान मार्जिन या समान तथ्यों का निष्कर्ष निकालना चाहिए जैसा कि जांच शुरू करने के समय निर्धारित किया गया था, तो यह विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रतिक्रिया और सूचना मांगने के उद्देश्य को विफल कर देगा, और हितबद्ध पक्षकारों को जांच के दौरान अनुरोध दायर करने की अनुमति देना विफल कर देगा। स्वाभाविक रूप से यही कानून का उद्देश्य नहीं है। वास्तव में, ऐसे मामले में भी जहां कई देशों के बीच कुछ संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक पाया जाता है, जबकि उन देशों के लिए जांच समाप्त कर दी जाती है, इस तरह के निर्धारण के बाद; जांच की शुरुआत ही खराब नहीं होती है।

286. अत:, प्राधिकारी यह नहीं पाते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों पर बाद में विचार करने से, किसी भी तरह से, यह संकेत मिलता है कि जांच की शुरुआत स्वयं दोषपूर्ण थी।

287. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने एएमएनएस द्वारा प्रदान किए गए समुद्री माल ढुलाई पर विचार नहीं किया है और उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किए गए सबसे सटीक साक्ष्य के अनुसार समुद्री माल ढुलाई पर विचार किया है। प्राधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए एएमएनएस द्वारा प्रदान किए गए समुद्री माल ढुलाई पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, रश्मि मेटालिक्स जैसे अन्य आयातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना को चीन और कोलंबिया से समुद्री माल ढुलाई निर्धारित करने के लिए माना गया है। अत:, प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सर्वोत्तम सूचना पर विचार किया है।

288. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति मार्जिन प्रस्तुत समुद्री मालभाड़ा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने पहले से ही प्रदान किए गए समुद्री माल ढुलाई साक्ष्यों के आधार पर पाटन मार्जिन को फिर से निर्धारित किया है। चूंकि समुद्री माल ढुलाई से क्षति मार्जिन प्रभावित नहीं होता है, अत: डीजी सिस्टम आंकड़ों में सूचित किए गए सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है, अत: इसके पुनर्निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

289. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन, मित्सुबिशी आरटीएम जापान लिमिटेड, पीटीकिनरुई, पीटी डेटियन और रिसुन ग्रुप द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में विस्तृत जांच वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत खंड में पहले ही की जा चुकी है। ऊपर की गई जांच पर फिर से विचार करने के लिए प्राधिकारी के पास कोई नया तथ्य उपलब्ध नहीं है।

290. मित्सुबिशी केमिकल कारपोरेशन और मित्सुबिशी जापान ने तर्क दिया है कि जापान की आयात कीमत की तुलना उसी उच्च श्रेणी के लो-ऐश उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत से की जानी चाहिए। उत्पादकों का दावा है कि जहां घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में किसी विशेष पीसीएन/ग्रेड का उत्पादन नहीं किया जाता है, वहां क्षतिरहित कीमत लागू समायोजन के साथ निकटतम संबंधित उत्पाद पर आधारित होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात कीमत के साथ एलएओटी के लिए क्षतिरहित कीमत की तुलना करके क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। जापानी उत्पादकों ने स्वीकार किया है कि भारत को निर्यात किया जाने वाला उत्पाद लो-ऐश उत्पाद (एलएओटी) है इसके अतिरिक्त, आयात आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जापान से कोई फाइन्स का आयात नहीं किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए, की गई तुलना उचित पाई जाती है।

291. प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी होने के बाद समुद्री माल ढुलाई पर अनुरोधों की स्वीकृति के बाद भी, क्षति विश्लेषण अपरिवर्तित रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए समुद्री माल ढुलाई साक्ष्य के आधार पर मार्जिन के पुनर्निर्धारण के बाद भी, पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है। इस तरह के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि क्षति का विश्लेषण आयात की पहुंच कीमत पर आधारित था, जिसकी गणना डीजी सिस्टम आंकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत के आधार पर की गई थी, अत: समुद्री माल ढुलाई में बदलाव के कारण इस तरह के आंकड़ों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी।

292. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण के समय जारी रक्षोपायों पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय जांच की अवधि के बाद लगाए गए थे और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। किसी भी मामले में, वर्तमान अंतिम जांच परिणाम जारी करने के समय भी, रक्षोपाय लागू नहीं हैं। इस प्रकार,

उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच आवश्यक नहीं होता है, जिसमें रक्षोपाय लगाए गए थे।

293. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में जांच की गई है, पोलैंड से आयात की कीमतें जापान से आयात की वास्तविक कीमत से बहुत अधिक हैं। इसके अतिरिक्त , पोलैंड से कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री कीमत की लागत से अधिक हैं। अत:, वर्तमान जांच में स्थिति स्वयं जापान और पोलैंड से आयात के अलग उपचार की मांग करती है। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि पोलैंड से आयात को ऐसे आयातों की उच्च कीमतों के आधार पर बाहर रखा गया है, न कि इस तथ्य के कारण कि वे संविदा के तहत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।

294. इन अनुरोधों के संबंध में कि जापानी आयात भारत को व्यापारी-बाजार, प्रतिस्पर्धी या कीमत उत्तरदायी निर्यात नहीं हैं और इस प्रकार, अन्य संबद्ध देशों से आयात के साथ संचयी नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए कारक यह निर्धारित करने के लिए संगत नहीं हैं कि वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन उचित है या नहीं। प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में पहले ही उल्लेख किया है कि सभी संबद्ध देशों से आयात का संचयी मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान जांच में संचयन की शर्तों को पूरा किया गया है।

295. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी का निष्कर्ष जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि में निष्पादन के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है न कि जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन के आधार पर। प्राधिकारी ने केवल अनंतिम उपायों की आवश्यकता के संदर्भ में केवल जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का उल्लेख किया है, जो किसी भी तरह से वर्जित नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनंतिम उपायों को लागू करने को नियंत्रित करने वाले डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि जांच के दौरान होने वाली क्षति को रोकने के लिए जहां ऐसे शुल्क आवश्यक हैं, वहां अनंतिम शुल्क लगाया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को जांच के दौरान मौजूद शर्तों का उल्लेख करने से, शुल्कों की आवश्यकता की जांच करने से नहीं रोका जाता है।

296. इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में पोत यातायात में व्यवधान पैदा करने वाले चल रहे तनाव पर क्षति के विश्लेषण के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का विकास जांच के बाद की अवधि का विकास है और इस प्रकार, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति को प्रभावित नहीं करता है।

297. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह गलत है।

298. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयात में वृद्धि का श्रेय ऑस्ट्रेलिया या जापान को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इन देशों से आयात का हिस्सा अन्य संबद्ध देशों से आयात के हिस्से की तुलना में बहुत कम है। प्राधिकारी, वर्तमान जाँच में, पहले ही नोट कर चुके हैं कि वर्तमान जाँच में संचयन की शर्तों को पूरा किया गया है और अत:, संबद्ध देशों से आयात का संचयी मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

299. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग अपनी लागत में परिवर्तन के अनुसार अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित करने में सक्षम रहा है और घरेलू उद्योग की आयात मात्रा और बिक्री कीमत के बीच कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत है। जैसा कि संबंधित खंड में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग क्षति की अवधि में अपनी बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुसार अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त , घरेल उद्योग की बिक्री कीमत क्षति की की अवधि के प्रमुख हिस्से के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। इस तरह की बिक्री कीमत को घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

300. इस संबंध में प्रस्तुत दलीलों के अनुसार, क्षति अवधि के दौरान पिछली अवधियों में मूल्य कटौती का खुलासा नहीं किया गया है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि मूल्य कटौती का निर्धारण केवल जांच अवधि के लिए किया जाता है। भारित औसत भूमि मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर मूल्य कटौती का खुलासा पहले ही संबंधित भाग में किया जा चुका है। प्रकट की गई मूल्य कटौती से पता चलता है कि आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों को कम कर रहे हैं।

301. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में पहुंच कीमत अंतराल राष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार है और यह कोकिंग कोयले की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत के अनुरूप है, प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में पहले ही नोट किया है कि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए बिक्री की लागत के साथ-साथ कोकिंग कोयले की लागत से भी कम है। इस प्रकार, ऐसी कीमतों को कच्चे माल की कीमत या घरेलू उद्योग की लागत के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

302. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयात कीमत हमेशा कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चल सकती है और यह मांग-आपूर्ति अंतराल, संविदा की शर्तों और प्रतिस्पर्धी दबाव से प्रभावित होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति का अंतराल और प्रतिस्पर्धी दबाव घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशों में उत्पादकों के लिए समान है और अत:, घरेलू उद्योग और भारत में आयात दोनों के लिए विचाराधीन उत्पाद की कीमत को प्रभावित करना चाहिए। तथापि, संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है। इसके अतिरिक्त, सामान्य व्यापार परिदृश्य में, संबद्ध सामानों की कीमत कच्चे माल की कीमतों के साथ चलती है, विशेष रूप से वर्तमान मामले में जहां कच्चे माल की उत्पादन लागत का 90% से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध कि विचाराधीन उत्पाद को संविदा की शर्तों के कारण भारत में पाटित किया जा रहा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

303. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में कम राख वाला कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है और घरेलू उत्पादक उसी स्रोत से कच्चे माल का आयात कर रहे हैं जो संबद्ध देशों में उत्पादक हैं। इस प्रकार, सोर्सिंग और वैश्विक लागत लाभ को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

304. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन में था और अत:, उत्पादन में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उच्चतम क्षमता उपयोग केवल 51% रहा है और अत:, यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध सामानों का अधिक उत्पादन किया है। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है जहां विचाराधीन उत्पाद की मांग भारतीय उद्योग के कुल उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं है और मांग की मौजूदगी के बावजूद मालसूची के संचय का सामना कर रहा है, अधिक उत्पादन का संकेत नहीं देता है। बल्कि, मालसूची का ऐसा संचय पाटन के क्षतिकारक प्रभावों का संकेत है।

305. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के लाभ और हानि की जांच घरेलू उद्योग के निवेश और पूंजी संरचना के आलोक में की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश के कारण नहीं हुई है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए, जिसमें ब्याज और मूल्यह्रास शामिल नहीं है, में भी गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह नकारात्मक हो गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की पूंजी संरचना के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को घरेलू उद्योग के लिए देखा जाना चाहिए। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की पूंजी संरचना में परिवर्तन का कोई प्रमाण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को हानि होती।

306. इन तर्कों के संबंध में कि जिंदल कोक जैसे कुछ घरेलू उत्पादक लाभ में हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है, न कि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों के लिए। हितबद्ध पक्षकारों ने तय कानूनी परिपाटी से विचलन का कोई कारण नहीं दिखाया है। तथापि, भले ही प्राधिकारी ने व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों के निष्पादन में अधिक बारीक स्तर पर ध्यान दिया हो, यह अनुरोध किया जाता है कि जिंदल कोक ने लाभ कमाया है, लेकिन इसकी लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। वास्तव में, घरेलू उद्योग का गठन करने वाले 9 घरेलू उत्पादकों में से 6 घरेलू उत्पादकों को क्षति उठानी पड़ी है, जबकि शेष घरेलू उत्पादकों के लाभ में गिरावट देखी गई है। अत:, भले ही क्षति की जांच व्यक्तिगत उत्पादक-वार आधार पर की जाती है, कानूनी आवश्यकताओं के बावजूद, प्रत्येक उत्पादक की लाभप्रदता को क्षति हुई है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के प्रावधानों में घरेलू उद्योग को निष्कर्ष निकाले जाने के लिए क्षति की मौजूदगी के लिए हानियां होना आवश्यक नहीं है। नियमों में प्राधिकारी को लाभप्रदता में गिरावट की जांच करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में नोट किया गया है।

307. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति मौसमी और पर्यावरणीय प्रभावों से उच्च नमी भिन्नताओं के कारण है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस बारे में कोई सूचना या साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि कैसे ऐसे कारकों ने केवल घरेलू उत्पाद को प्रभावित किया है, न कि आयातित उत्पाद को। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। यदि ऐसे कारकों ने घरेलू कीमतों को प्रभावित किया था, तो संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होने का कोई कारण नहीं था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद पर मौसमी और पर्यावरणीय प्रभाव में कोई बदलाव आया है। चूंकि घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभदायक था, अत: उक्त कारणों को घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाने वाले कारक नहीं माना जा सकता है।

308. यह भी तर्क दिया गया है कि पोलिश आयात और संबंधित देशों से आयात के बीच कम मूल्य अंतर को देखते हुए, उच्च शुल्क राशि उचित नहीं है। प्राधिकरण का मानना है कि नुकसान पहुंचाने वाले आयात और नुकसान न पहुंचाने वाले मूल्य से कम कीमत पर आयात में अंतर है। नुकसान पहुंचाने वाले आयात का निर्धारण करते समय, नुकसान न पहुंचाने वाले मूल्य से कम कीमत पर आयात का कोई महत्व नहीं है। नुकसान न पहुंचाने वाले मूल्य का संदर्भ शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए तभी लिया जाएगा, जब किसी स्रोत से आयात नुकसानदायक पाया जाए। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने संबंधित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घाटे में बिक्री की है, यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक कीमत पर आयात के कारण ऐसा नुकसान हुआ होगा।। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच अवधि के दौरान पोलैंड से आयातित माल ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव नहीं डाला, तो इसका अर्थ है कि इससे घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हुई। इसी प्रकार, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबंधित देशों से आयातित माल से हानि हो रही है, तो शुल्क की मात्रा डंपिंग

मार्जिन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। हालांकि, चूंकि भारत में कम शुल्क का नियम लागू है, इसलिए हानि मार्जिन कम होने पर कम शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में किसी अन्य देश की कीमत से तुलना करना प्रासंगिक नहीं है।

309. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की अपनी आधी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थता आंतरिक अक्षमता को दर्शाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग आधार वर्ष में और उस अवधि में उच्च क्षमता उपयोग पर काम कर रहा था जब संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक थी। तथापि, पहुंच कीमत में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग भारत में पाटन के कारण अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ है।

310. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रक द्वारा की जाती है, जबकि आयातित उत्पाद की आपूर्ति समुद्री शिपमेंट द्वारा की जाती है, जिसके कारण घरेलू उद्योग के लिए रसद लागत अधिक होती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद को दूसरे देश में निर्यात करने के लिए, एक उत्पादक उत्पाद को बंदरगाह पर विचार के तहत प्राप्त करने के लिए रेल और सड़क परिवहन का उपयोग करता है और उसके बाद कार्गो शिपमेंट होता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बंदरगाह पर भी, सामान को उतारा जाता है और सड़क/रेलवे द्वारा प्रयोक्ताओं के परिसरों तक ले जाया जाता है। इस प्रकार, निर्यातकों के लिए रसद लागत आमतौर पर घरेलू उत्पादकों की तुलना में अधिक होती है। किसी भी मामले में, जबकि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए माल ढुलाई पर विचार नहीं किया गया है, भारत में पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए उसी पर विचार किया गया है। अत:, उत्पाद के परिवहन में घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी लागत क्षति को क्षति मार्जिन के निर्धारण में बाहर रखा गया है, जबकि विदेशी उत्पादकों के लिए उपलब्ध कथित समुद्री माल ढुलाई लाभ पर विचार किया गया है।

311. इसके अतिरिक्त, जैसा कि वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत खंड में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने लाभप्रदता और बिक्री सहित घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर विचार किया है।

312. इस संबंध में कि प्राधिकरण ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, जिसके कारण भारत में कोकिंग कोयले के आयातकों के लिए रसद लागत में वृद्धि हुई है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि लागत में यह वृद्धि भारत में कोकिंग कोयले के आयातकों के साथ-साथ कम राख वाले मेटालर्जिकल कोक के आयातकों पर भी लागू होती है। चूंकि घरेलू उत्पादक ज्यादातर कच्चे माल का आयात उन्हीं स्रोतों से करते हैं जिनसे अंतिम उत्पाद का आयात किया जाता है, इसलिए रसद लागत में वृद्धि का प्रभाव मेटालर्जिकल कोक के उत्पादकों और मेटालर्जिकल कोक के आयातकों दोनों पर समान होने की संभावना है।

313. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक आय के मामले में क्षति स्व-प्रभावित कारकों के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे कारकों की ओर इशारा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, भारत में संबद्ध सामानों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में विस्तृत जांच की गई है।

314. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों में हॉट-रोल्ड स्टील कॉइल और मिल प्लेट्स दोनों की कीमतें हैं और इस प्रकार, प्रभाव के निर्धारण के लिए ऐसी कीमतों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का प्रयोग दोनों उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अत:, इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कीमतों का प्रयोग करने में कोई विसंगति नहीं है।

315. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण एएमएनएस पर अतिरिक्त लागत आने की संभावना है, प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं, तथापि, ऐसी कीमतें प्रतिस्पर्धी और उचित होंगी। उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों के निर्माण में लगे भारतीय उद्योग की कीमत पर पाटित कीमतों पर उत्पाद तक पहुंच की मांग नहीं कर सकते हैं।

316. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने कुल क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए मांग-आपूर्ति अंतराल की गणना की है न कि व्यापारी बाजार के लिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह के अनुरोध गलत हैं क्योंकि भारत में मांग आपूर्ति अंतराल को निर्धारित करने के लिए केवल व्यापारी क्षमताओं और व्यापारी मांग पर विचार किया गया है।

317. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा केवल बिक्री गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर नहीं करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने घरेलू उद्योग के साथ उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दर्शाते हुए कोई पत्र प्रदान नहीं किया है। गुणवत्ता के किसी भी प्रमाण के बिना केवल अनुरोधों भी गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को नहीं दर्शाती है। उद्योग द्वारा वास्तविक बिक्री से ही पता चलता है कि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से उत्पाद खरीद रहे हैं और आयात केवल विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जा रही कम कीमतों के कारण आवश्यक है।

318. इस्पात उत्पादकों की लागत में वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता प्रमुख कच्चे माल के घरेलू उत्पादन की कीमत पर पाटित कीमतों पर उत्पाद तक पहुंच की मांग नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अतीत में अधिक थीं और ऐसी कीमतों के निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।

319. इस तथ्य के संबंध में कि मार्जिन डाउनस्ट्रीम उद्योग पर निर्धारित प्रभाव से अधिक है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि प्रभाव निर्धारण के लिए उच्चतम मार्जिन पर विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रभाव की गणना गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर की गई है। चूंकि लगाया जा सकने वाला अधिकतम शुल्क इतना है कि इससे हुई क्षति की भरपाई हो सके, इसलिए यह उचित है कि प्रभाव का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाए कि शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग को गैर-हानिकारक मूल्य तक पहुंचने के लिए अपनी कीमत बढ़ानी होगी।

320. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि रुपये के अवमूल्यन पर विचार किया जाना चाहिए जिसके कारण आयात कीमत में वृद्धि हुई है और इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही भारतीय मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया है, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है कि भारतीय बाजार में पाटन बंद हो गया है। केवल इसलिए कि जांच की अवधि के बाद भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, जांच की अवधि में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के बारे में प्राधिकारी की जांच दूषित नहीं होती है।

321. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण में जापानी निवेश के संबंध में अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है और सार्वजनिक हित पाटनरोधी शुल्क को लागू न करने के प्रति निहित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन एक अनुचित व्यापार परिपाटी है जो न केवल भारतीय उद्योग को नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि भारत में विदेशी निवेश को भी नुकसान पहुंचाएगा। जापानी निवेश की योजना भारत में पाटन के आलोक में नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन भारतीय बाजार में भारत सरकार द्वारा बनाए गए उचित बाजार स्थितियों को देखते हुए, ऐसे मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने और बाजार में वर्तमान और भविष्य के निवेश के लिए उचित बाजार बनाए रखने की आवश्यकता है।

322. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि कोक ओवन को ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में संचालित होने में अधिक समय लगता है, जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता होती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह के तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। किसी भी मामले में, यह नोट किया जाता है कि इस्पात उत्पादक इस अवधि के दौरान घरेलू स्तर पर या आयात के माध्यम से माल की खरीद कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाना आयात पर प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता है, और केवल उचित बिक्री कीमत को फिर से स्थापित करता है। अत: इस्पात उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

323. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि वे कम आयात कीमत के कारण आयात करना पसंद करते हैं। तथापि, वर्तमान में, इतनी कम कीमतें उत्पाद के पाटन के कारण हैं। अत:, आयातित उत्पाद के लिए वरीयता उत्पाद के पाटन के कारण है।

324. शुल्क के प्रभाव की गणना के संबंध में, प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की जांच की है। हालांकि, जहां निर्धारित प्रभाव ठोस गणनाओं द्वारा समर्थित नहीं है, वहां प्राधिकरण इसे विचार करने योग्य नहीं समझता है। विनिमय दर में परिवर्तन के कारण शुल्क के प्रभाव में वृद्धि के दावे के संबंध में, प्राधिकरण ने पाया है कि रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत

में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जैसा कि इन निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग में उल्लेख किया गया है, डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का आकलन पूरे देश के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि केवल किसी एक उत्पादक या उपभोक्ता के संदर्भ में।

325. संबंधित पक्षों ने पूर्वी भारत में मांग 97.26 लाख मीट्रिक टन बताई है, जबकि आपूर्ति कथित तौर पर मात्र 5.28 लाख मीट्रिक टन है। हालांकि प्राधिकरण का मानना है कि मांग-आपूर्ति अंतर के कारण शुल्क लगाना उचित नहीं है; फिर भी, प्राधिकरण ने पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता की जांच कर ली है जो 19.69 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा, संबंधित पक्षों ने मांग में कुल मांग को शामिल किया है, जिसमें कैप्टिव उत्पादन भी शामिल है। मांग में शामिल इस्पात उत्पादकों में जेएसपीएल, आरआईएनएल और टाटा स्टील शामिल हैं, जिनके अपने कैप्टिव ओवन हैं। हालांकि, इन कोक ओवन की क्षमता पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त आंकड़े में नरसिंह इस्पात/बालमुकुंद/पुरुलिया स्टील की मांग भी शामिल है। हालांकि, उनके द्वारा आयातित उत्पाद को कुछ शर्तों के अधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए, 97.26 लाख मीट्रिक टन की तुलना उपलब्ध आपूर्ति से करना उचित नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह जानकारी दी है कि संबंधित सामान सड़क परिवहन, रेल और समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।

326. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एंटी-डंपिंग शुल्क का भुगतान किए बिना यूएलपी कोक का आयात कर रहा है और दी गई छूट का दुरुपयोग कर रहा है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया है कि छूट वास्तविक उपयोग की स्थिति के आधार पर दी गई है और यूएलपी को केवल फेरोअलॉय के निर्माण के लिए ही छूट दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि फेरोअलॉय निर्माण में उपयोग के लिए 0.030% तक फॉस्फोरस सामग्री और 30 मिमी तक के आकार (5% आकार सहिष्णुता के साथ) वाले अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक का आयात, वास्तविक उपयोग की स्थिति के तहत, उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है, बशर्ते सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में एक उपयुक्त और कानूनी रूप से लागू करने योग्य वचन प्रस्तुत किया जाए।

327. जहां तक 20-40 एमएम आकार वाले उत्पाद को बाहर करने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधों का संबंध है, वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में इसकी विस्तार से जांच की गई है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि ऐसे आयात केवल पात्र उपयोगकर्ताओं को ही अनुमति दी जाए, न कि उत्पाद के व्यापारियों को। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूँकि उत्पाद के आयात को केवल वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन ही बाहर रखा गया है, ऐसे आयात प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना केवल तभी किए जा सकते हैं जब उनका आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा किया जाए।

328. घरेलू उद्योग द्वारा भारित औसत संरचित सामान्य मूल्य पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्तुतियों के संदर्भ में, प्राधिकरण यह नोट करता है कि संरचित सामान्य मूल्य (CNV) का निर्धारण सबसे कुशल घरेलू

उत्पादक की लागत के आधार पर किया जाता है, जो डीजीटीआर द्वारा अपनाई गई पूर्व प्रथा के अनुरूप है।

329. प्राधिकरण यह नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क का निर्धारण जांच अवधि के दौरान स्थापित डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन द्वारा नियंत्रित होता है। मुद्रास्फीति या मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जैसे जांच अवधि के पश्चात (पोस्ट-पीओआई) कारकों के आधार पर समायोजन को शुल्क में संशोधन के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

330. प्राधिकरण यह नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा, जिसमें बहिष्करण शामिल हैं, इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित भाग में विस्तार से जांचा गया है। जैसा कि इन निष्कर्षों में पहले ही दर्ज किया गया है, अंतिम निष्कर्ष के चरण पर बाद में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के आधार पर उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, फॉस्फोरस सीमा में संशोधन के अनुरोध को स्वीकार्य नहीं पाया गया।

ट. <u>निष्कर्ष</u>

331. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैः

क. ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग की ओर से भारतीय मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था। आवेदक संघ के एसोसिएशन के 9 सदस्यों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से आंकड़े दायर किए हैं।

ख. जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद को 18% से कम राख सामग्री वाले मेटलर्जिकल कोक के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें फेरो एलॉय निर्माण में प्रयोग के लिए 5% आकार वाले 30 एमएम तक के आकार के 0.030% तक फास्फोरस वाले अल्ट्रा लो फास्फोरस मेटलर्जिकल कोक शामिल नहीं हैं।

ग. यह स्पष्ट किया जाता है कि अर्ध-कोक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

घ. मामले के तथ्यों और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के तहत पिग आयरन निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए 20-40 एमएम (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के एलएएम कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस तरह के आयात की अनुमति केवल पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा अपनी खपत के लिए दी जाएगी, और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र के साथ प्रामाणिक आयात और अंतिम प्रयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष उपयुक्त और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत की जाएगी, जो प्रयोक्ता की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह

वितरण निर्दिष्ट आकार और अनुप्रयोग तक सीमित है और किसी अन्य प्रयोग या किसी अन्य भट्टी के आकार के लिए लागू नहीं होगा।

ङ. उत्पाद को बाहर करने के लिए अन्य अनुरोध की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है। अत:, उपरोक्त को छोड़कर, बाहर करने के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है।

च. घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है।

छ. प्राधिकारी ने उचित तुलना के उद्देश्य से राख की मात्रा और आकार को ध्यान में रखते हुए पीसीएन पद्धति अपनाई।

ज. नौ घरेलू उत्पादकों, एक्का टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड, बंगाल एनर्जी लिमिटेड, बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड, पवनपुत्र इकोक प्राइवेट लिमिटेड, सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, सु मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड, यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड और वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय उत्पादन के प्रमुख अनुपात के लिए वर्तमान जांच के उद्देश्य आंकड़े प्रदान किए हैं।

झ. बंगाल एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। भारत में उत्पादन, मांग और आयात की तुलना में बंगाल एनर्जी लिमिटेड का आयात काफी नहीं है।

ञ. बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा कैप्टिव खपत काफी नहीं है, और इसे उत्पाद का एक व्यापारी उत्पादक माना गया है। इसके अतिरिक्त, भारत में व्यापारी बिक्री में बंगाल एनर्जी लिमिटेड के काफी हिस्से को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उत्पादक को बाहर करना उचित नहीं होगा।

ट. यह जांच की गई है और पाया गया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, जिंदल कोक लिमिटेड को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत जिंदल स्टेनलेस स्टील से संबद्ध नहीं माना गया है। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना गया है।

ठ. उपर्युक्त घरेलू उत्पादकों में से कोई भी संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है। तदनुसार, उपरोक्त घरेलू उत्पादकों को नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग पाया गया है।

ड. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ढ. विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों को वर्तमान जांच में पूर्ण और सटीक प्रतिक्रिया प्रदान करने का उचित अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, उत्पादकों और निर्यातकों ने एक अधूरा उत्तर दायर किया है और प्राधिकारी को गुमराह करने का भी प्रयास किया है।

ण. ऐसी स्थिति में जहां भारत को निर्यात के संबंध में पूरी सूचना रिकॉर्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, तो प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत और पहुंच कीमत को सटीक रूप से निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं।

त. हितबद्ध पक्षकारों को अनुरोध करने और रिकॉर्ड पर पूर्ण तथ्य लाने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए थे, जिसमें अतिरिक्त प्रश्न, मौखिक सुनवाई, लिखित अनुरोध और प्रकटन विवरण जारी करना शामिल था। अत:, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

थ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड में सटीक और पर्याप्त सूचना लाने में विदेशी उत्पादकों की विफलता को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की मात्रा निर्धारित की गई है।

द. प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी करने के बाद, निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किए गए समुद्री मालभाड़े को विभिन्न पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर संशोधित किया गया है।

ध. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन काफी और न्यूनतम से अधिक है।

न. अनुबंध II के पैरा (iii) के तहत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है।

प. संबद्ध देशों से आयात पूर्ण रूप से और क्षति की अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़ गया है।

फ. जबकि क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है, इस तरह की वृद्धि संबद्ध आयातों से ली गई है।

ब. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है, और कीमत वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा हुई होती।

भ. विदेशी उत्पादकों को प्राप्त होने वाले प्राकृतिक लाभों के कारण आयात की कीमत कम नहीं है, क्योंकि आयात की कीमत क्षति की अवधि के पहले भाग में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से अधिक थी। घरेलू उद्योग की तुलना में विदेशी उत्पादकों के लिए उपलब्ध लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होने के बावजूद, पहुंच कीमत कम हो गई है और बिक्री की लागत से कम हो गई है।

म. विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

i. घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ी है लेकिन उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी कमी आई है।

ii. घरेलू उद्योग की क्षमताओं का काफी कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह केवल 40% पर काम कर रहा है।

iii. मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में भी गिरावट आई है। हालाँकि, क्षति की अवधि के दौरान वे समग्र आधार पर बढ़े हैं।

iv. आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

v. घरेलू उद्योग की मालसूची इस तथ्य के बावजूद बढ़ी है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हो गया है और यह संबद्ध सामानों की बिक्री हानियों पर कर रहा है।

vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बिगड़ गई है, और इससे वित्तीय हानि और नकद हानियां बढ़ गई हैं।

vii. घरेलू उद्योग की निवेश पर आय नकारात्मक हो गई है।

viii. घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों ने जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

ix. भारी हानियों के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

x. आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है, और घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहा है।

य. इस प्रकार, घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

कक. घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारण से कोई क्षति नहीं हुई है।

खख. प्रत्येक संबद्ध देश के लिए क्षति का अंतराल सकारात्मक और काफी है।

गग. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित में है जैसा कि निम्नलिखित से देखा जाता है

i. शुल्क लगाना पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभों के संचय को रोकेगा और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करेगा।

ii. विचाराधीन उत्पाद की कीमत अतीत में अधिक थी, जिसका प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

iii. पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव निचले स्तर के उद्योग पर काफी नहीं है। यहां तक कि प्रयोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई गणना के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

iv. प्रमुख बाजार खंड कैप्टिव उपभोक्ताओं द्वारा पूरा किया जाता है जो संबद्ध सामानों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से अछूते रहते हैं।

v. जहां इस्पात उद्योग क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, वहीं इस्पात उद्योग मेट कोक के लिए भी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है।

vi. भारत में मांग और आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं है। भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में व्यापारी मांग की संपूर्णता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

vii. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकदी हानि का सामना करना पड़ा है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है। ऐसे में बाजार की स्थितियां आगे के निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

viii. निचले स्तर के उत्पाद के निर्यात के मामले में, संबद्ध सामानों के उपभोक्ता किसी भी पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकार के तहत उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ix. भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण कई उत्पादकों को बंदी का सामना करना पड़ा है।

x. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाद की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कीमत वृद्धि पर विचार करने के बाद भी, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है, घरेलू उद्योग ने घाटे हानियों पर बिक्री जारी रखी है।

xi. संबद्ध सामानों की मांग और आपूर्ति के बीच कोई क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है।

ठ. <u>सिफारिशें</u>

332. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

333. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रावधिक शुल्क लगाए जाने की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण*	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090	लो ऐश मेटालर्जिकल कोक *	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया सहित कोई देश	कोई	71.16	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण., इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश	आस्ट्रेलिया	कोई	71.16	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	128.83	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण., इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	128.83	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	कोलंबिया	कोलंबिया सहित कोई देश	कोई	118.55	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, को छोड़कर कोई देश	कोलंबिया	कोई	118.55	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	कोई	67.50	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण., इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश	इडोनिशया	कोई	67.50	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	जापान	जांपान सहित कोई देश	कोई	42.95	एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण.,	जापान	कोई	42.95	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण*	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
			इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश					
11	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई देश	कोई	84.16	एमटी	यूएसडॉ.
12	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण., इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई	84.16	एमटी	यूएसडॉ.

** लो ऐश मेटलर्जिकल कोक यानी मेटलर्जिकल कोक, जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है, निम्नलिखित को छोड़कर*

क. फेरोअलॉय निर्माण में उपयोग के लिए 5 प्रतिशत आकार सहिष्णुता के साथ 0.030 प्रतिशत तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ 0.030 प्रतिशत तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आयात के अधीन और वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक उपयुक्त और कानूनी रूप से लागू करने योग्य उपक्रम प्रस्तुत करना।

ख. सेमी-कोक या सॉफ्ट कोक,

ग . पिग आयरन विनिर्माण के लिए 130 वर्ग मीटर तक की ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए 20-40 मिमी (लगभग 30 मिमी ± 2 मिमी के औसत आकार के साथ) आकार का एलएएम कोक वास्तविक प्रयोक्ताओं के आधार पर आयात करने के अध्यधीन और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र के साथ वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक उपयुक्त और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय उपक्रम प्रस्तुत करना बोर्ड, जैसा लागू हो, उपयोगकर्ता की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करता है।

334. उपरोक्त के अधीन, प्राधिकरण 14 नवंबर 2025 की अधिसूचना संख्या 6/03/2025- डीजीटीआर के माध्यम से जारी की गई प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

335. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/ नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

अनुबंध – I

<u>विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं की सूची</u>

1. अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड
2. आकाश कोक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
3. अंजनेय फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
4. अनमोल इंडिया लिमिटेड
5. आरास इंटरनेशनल ट्रेडिंग
6. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड
7. अर्जास स्टील प्राइवेट लिमिटेड
8. आर्क फेरो अलॉयज़ एलएलपी
9. आसनसोल अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड
10. असम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
11. अतिबीर इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड
12. एवन एडवांस्ड मटीरियल्स कंपनी
13. एक्सिस बिज़नेस
14. बगाड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
15. बालासोर अलॉयज़ लिमिटेड
16. बेरी अलॉयज़ लिमिटेड
17. भूतेश्वर निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
18. बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड
19. कार्बन रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड
20. चावला इंटरनेशनल
21. केमट्रेड ग्लोबल इम्पेक्स एलएलपी
22. सिटी लिंक लॉजिस्टिक्स
23. डेक्कन फेरो अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड
24. डिजिटल वेव्स कंप्यूटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
25. ई चैमेक्स प्राइवेट लिमिटेड
26. इमर्जेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
27. एस्सेल माइंस एंड मिनरल्स
28. एक्सट्रा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
29. फाकर एलॉयज लिमिटेड
30. फ्लस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड
31. फाउंडरी नीर्स
32. जीएचसीएल लिमिटेड

33. ग्लोबल रिसायक्लिंग
34. ग्लोबल ट्रेड लिंग
35. गोयल धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
36. हरियाक्ष इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
37. हीरा इलेक्ट्रो स्मेल्टर्स लिमिटेड
38. हीरा फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
39. हीरा पावर एंड स्टील्स लिमिटेड
40. हब इंटरनेशनल
41. इम्पेक्स मेटल एंड फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
42. इंडिया कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
43. इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
44. इंटीग्रेटेड एएफआर प्राइवेट लिमिटेड
45. जेडीबी कोक
46. जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
47. जैन नेचुरल रिसोर्सेज़
48. जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
49. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
50. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड
51. जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
52. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
53. के आई सी मेटालिक्स लिमिटेड
54. कल्याणी स्टील्स लिमिटेड
55. किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
56. केएमएस ट्रेडर्स
57. एलके श्री एंटरप्राइज़ एलएलपी
58. मद्रास कोल एंड कोक सप्लायर्स
59. महालक्ष्मी कॉन्टिनेंटल लिमिटेड
60. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
61. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल एल एल पी
62. मैथन अलॉयज़ लिमिटेड
63. एमडीए मिनरल धातु (एपी) प्राइवेट लिमिटेड
64. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड
65. मोर अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड
66. एमपीएम- डूरांस रेफ्राकोट प्राइवेट लिमिटेड

67. मुकुंद लिमिटेड
68. नारायणी रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड
69. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
70. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
71. एनईओ मेटालिक्स लिमिटेड
72. निरमा लिमिटेड
73. नोवा कार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
74. ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
75. ओसवाल मिनरल्स लिमिटेड
76. ओसवाल स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
77. पैरागॉन ओवरसीज़ लिमिटेड
78. पैरागॉन पूर्वा लिमिटेड
79. पायनियर कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
80. पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड
81. पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज़
82. प्रकाश कमर्शियल
83. प्रशांत कोल एंड कोक सेल्स
84. पुष्पांजलि ट्रेडविन प्राइवेट लिमिटेड
85. रश्मि सीमेंट लिमिटेड
86. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड
87. रिन्यूएरा एलएलपी
88. रोडियम फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
89. रॉकफिट कॉर्पोरेशन
90. रॉक्सुल रॉकवूल इंसुलेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
91. रॉयल मार्केटिंग
92. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
93. एसवी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
94. संपत विनायक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
95. सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
96. सारडा मेटल्स एंड अलॉयज लिमिटेड
97. सवॉय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
98. सीकीज़ प्राइवेट लिमिटेड
99. शार्प फेरो अलॉयज लिमिटेड
100. शिवन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

101. शिवमणि एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
102. शिवकाशी ट्रेड वेंचर्स
103. श्रद्धा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
104. श्री भोले अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
105. श्री जय बाबा ट्रेडिंग कंपनी
106. श्रीश्याम इंगोट एंड कास्टिंग्स (पी) लिमिटेड
107. श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड
108. श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड
109. सिवम अलॉयज एंड फ्यूल्स एलएलपी
110. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
111. स्नाम अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
112. श्रीनाथजी एंटरप्राइजेज
113. श्री राघवेंद्र फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
114. श्रीकालहस्ती पाइप्स लिमिटेड
115. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
116. सुंदरम अलॉयज लिमिटेड
117. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
118. सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड
119. सूर्या अलॉय इंडस्ट्रीज लिमिटेड
120. स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
121. टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
122. टाटा स्टील लिमिटेड
123. टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड
124. ट्राफिगुरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
125. टफ मेटालर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
126. उदया उद्योग
127. विधि इंडस्ट्रीज़
128. विमला फ्यूल्स एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
129. वीज़ा मिनमेटल लिमिटेड
130. विशाल एजेंसीज़
131. विवान ओवरसीज़
132. वेलस्पन मेटालिक्स लिमिटेड
133. विज़डम इंक.
134. युग अलॉयज़

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th April, 2026

CASE NO. AD(OI) – 03/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Low Ash Metallurgical Coke" originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia.

F. No. 6/03/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Anti-Dumping Rules" or the "Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association ('IMCOM') (hereinafter also referred to as the "applicant" or "applicant association") has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or "Anti-Dumping Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Low Ash Metallurgical Coke" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods"), originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. And whereas, the Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/03/2025-DGTR, dated 29th March 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the subject investigation:

3.1. Initiation

i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules and the Free Trade Agreements with various members of the WTO.

ii. The Authority issued a public notice dated 29th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification along with questionnaires to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the email addresses made available by the applicants and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.

3.2. Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the Embassies of the subject countries in India, the known producers/exporters, importers and users in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

3.3. Participation by Producer/Exporter

i. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers/exporters from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

ii. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1. A T Global Resources Pte Ltd.
2. BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd
3. Bulk Trading SA
4. China Risun Group (Hong Kong) Limited
5. Global Resource Group (GRG) Ltd.
6. Hargreaves Raw Material Services GmbH
7. Hong Kong Global Fair Trade Co. Ltd.
8. Hong Kong Pu Tian Industrial Co. Ltd.

9. IMR Metallurgical Resources AG
10. Indo International Trading FZC
11. Innovation Worldwide DMCC
12. Jacobi Carbons AG
13. Jinan Cosave New Material Co. Ltd.
14. Linyi Trade City Yicaitong Supply Chain Co. Ltd.
15. Meridian Global Resources (HK) Ltd.
16. Metal International Trading Co. Ltd.
17. Mitsubishi Corporation
18. Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd.
19. Ningxia Actec Industry Corporation
20. Ningxia Huahui Activated Carbon Company Ltd.
21. Ningxia Huahui Environmental Technology Co. Ltd.
22. Nippon Steel Trading Corporation
23. Nobel Resources International Pte. Ltd.
24. Norecom DMCC
25. Numen Global Pte. Ltd.
26. Numerco Ltd.
27. Prosperity Development Enterprise
28. Shaanxi Zenith I E Co. Ltd.
29. Shahe Ji Jin Petroleum Coke Trade Co. Ltd.
30. Shandong Gangda International Trading Co. Ltd.
31. Sierra Blanca Group Sas
32. Sinomet International Corporation
33. Thyssenkrupp Materials Trading Asia Pte Ltd.
34. Trafigura Pte Ltd.
35. Trafugura Pte Ltd.
36. Ugm Group Ltd.
37. Visa Commodities AG
38. Vitelia Trade Ltd.
39. World Metals and Alloys (FZC)
40. Yeung Tai Environmental Industrial (HK) Co. Ltd.
41. Zouping Jingguang Coke Trading Co

iii. Following producers/exporters from the subject countries have filed the exporter's questionnaire response/made submissions.

1. BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd
2. China Risun Group (Hong Kong) Limited, Hong Kong
3. Hong Kong Jinteng Development Limited
4. Mitsubishi Chemical Corporation, Japan
5. Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd.
6. PT Detian Coking Indonesia
7. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia
8. PT Risun Wei Shan Indonesia
9. Risun Marketing Limited

10. Risun Materials Co., Limited (Japan)
11. Risun Weishan Engineering (Hainan) Limited, China
12. Nippon Coke & Engineering Co. Ltd
13. Nippon Steel Trading Corporation

3.4. Participation by Importers/Users

i. The Authority sent importers and users' questionnaire to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules. A list of such importers and users is enclosed as Annexure 1.

ii. The following importers/users have participated in the present investigation by filing a response to the importers'/users' questionnaires issued by the Authority or by making submissions.

1. ArcelorMittal Nippon Steel India Private Limited
2. Mukund Limited
3. Neo Metaliks Limited
4. Sunflag Iron and Steel Company Limited
5. SLR Metaliks Limited
6. Rashmi Metaliks Ltd.
7. Orissa Metaliks Pvt. Ltd.

3.5. Period of Investigation and Injury Period

i. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is October 2023 to September 2024 (12 Months). The injury investigation period has been considered as 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and the period of investigation.

3.6. Further Procedure

i. The Authority issued economic interest questionnaire to all interested parties and concerned ministry. The following parties have filed a response to the economic interest questionnaire.

1. Domestic industry
2. Alloy Steel Producers Association of India ("ASPA")
3. Orissa Metaliks Private Limited
4. Rashmi Metaliks Limited
5. ArcelorMittal Nippon Steel India Private Limited
6. Sunflag Iron and Steel Company Limited
7. SLR Metaliks Limited
8. Mukund Limited
9. Mitsubishi Chemical Corporation

10. Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.

ii. Further, submissions were also filed during the course of the investigation by the following parties.
   1. Narsingh Ispat Limited
   2. Balmukund Sponge & Iron Private Limited
   3. Purulia Metal Casting Private Limited
   4. Mundra Petrochem Limited

iii. Narsingh Ispat Limited and Balmukund Sponge & Iron Private Limited have also filed a response to user's questionnaire and economic interest questionnaire.

iv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

v. The Authority conducted a meeting dated 22nd May 2025 where all the interested parties were invited to discuss and clarify their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. Based on the submissions made by the interested parties, the Authority finalized the scope of the product under consideration and the PCN methodology vide notification dated 7th July 2025.

vi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

vii. Request was made to the DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DG systems data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

viii. Pursuant to initiation of the investigation, and after providing due opportunity to the all interested parties to provide relevant information and defend their interests, and on the basis of information and evidence on record, having regard to the Anti-Dumping Act and the Rules, the Authority issued a preliminary finding dated 14th November 2025, provisionally concluding that product under consideration has been exported from the subject countries at a price below associated normal value, thus, resulting in dumping of the subject goods, the domestic industry has suffered material injury due to such dumping and the injury to the domestic industry is caused by such dumping. The Authority recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

ix. The Authority notified the interested parties about the following procedure that was to be followed subsequent to issuance of preliminary findings.

a. Comments were invited by all interested parties on the preliminary findings within 30 days of issuance of such findings.
b. It was notified that an oral hearing will be conducted in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules.
c. Further verification deemed necessary will be conducted.
d. Essential facts would be disclosed prior to issuance of the final findings.

x. A copy of the preliminary findings was sent to Ministry of Finance for their consideration for imposition of interim anti-dumping duty. The Ministry of Finance vide Notification No. 41/2025 dated 31st December 2025 has imposed preliminary duties on imports of the product under consideration from the subject countries.

xi. A number of interested parties filed response/comments to the preliminary findings, which have been adequately considered in the present final findings.

xii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 13th January 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

xiii. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether the present interim anti-dumping duty would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xiv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.

xv. A disclosure statement dated 20th April 2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.

xvi. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xvii. The Authority had sought extension of time for completion of the investigation. The Department of Revenue, Ministry of Finance vide Office Memorandum dated 27th March 2026, has accorded approval for extension of the time period by one month, for completing the investigation and notifying the final findings.

xviii. '***' in these final findings represents information furnished on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xix. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1USD = ₹ 84.27

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration.

"*Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing. Metallurgical Coke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces, such as in production of pig iron, foundries, ferro alloys, chemical plants and steel plants.*"

C.1. Submissions by the other interested parties

5. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article.

i. It is evident from the definition of the product under consideration that it covers LAM Coke with ash content below 18%, and particle size up to 30 mm (with 5% tolerance). The product under consideration excludes ultra-low phosphorous coke (≤0.030% P). The product under consideration is limited to LAM Coke intended for ferro-alloy manufacturing only.

ii. The domestic industry does not produce ULP Coke in sufficient commercial quantities, while it is imported in significant quantities.

iii. Since the domestic industry does not manufacture Ultra-low phosphorous coke with phosphorous content upto 0.030%, the same should be excluded irrespective of size or industry.

iv. The exclusion of ULP coke for ferroalloy industry in the application is a tacit admission by the applicants that they do not produce the same.

v. Since the domestic industry believes that size only depends on screening; ULP coke should be excluded regardless of the particle size, tolerance and usage with phosphorus content of 0.03%.

vi. While the domestic industry has submitted that ULP is not used by the steel industry, the same is incorrect as phosphorous primarily functions as an impurity and influences steel microstructure. AMNS has enquired about ULP with phosphorous content upto 0.025% from the domestic producers, however, none of the domestic producers have offered the product. The domestic industry has offered product with phosphorous content below 0.045% and not 0.025%. While Nilachal has the capacity to produce the said product, such capacities are very low.

vii. In the PCN methodology, the Authority classified Met Coke with ash content above 13% as "medium ash". Since such coke is not low ash, it should be excluded from product scope.

viii. The domestic industry does not manufacture met coke with ash content upto 12% and the same should be excluded from the scope of the product under consideration.

ix. The websites of the applicants show that they produce Met Coke with ash content more than 12.5%, which affects performance of blast furnace.

x. It should be examined whether the domestic industry has sold met coke of ash content of less than 13% in substantial quantities. As held by the Tribunal in the case of ACP Manufacturer Association vs. Union of India, a product not produced by the domestic industry in commercial quantities is excluded from product scope. Since such data has not been shared with the interested parties, they are unable to verify the same.

xi. The product required for micro blast furnace application is that with ash content upto 13%. The domestic producers typically produce coke with higher ash content which is unsuitable for micro blast furnace.

xii. Coke fines and breeze should be excluded from the scope of the product under consideration as the same is not produced separately and is a by-product. Such a product cannot be included in the product scope as it has no impact on the market and does not contribute to the cost of sales of the domestic industry, or impact its operations. The Authority excluded coke fines and coke breeze in the safeguard (quantitative restrictions) investigation.

xiii. The Authority has not examined whether the applicants have produced and sold coke breeze and coke fines in commercial volumes. As held by CESTAT in Technova, specific grade / type must have been sold in commercial volumes to be included in product scope.

xiv. Coke breeze constitutes 7% of demand for Met Coke, at 4,62,759 MT. However, the sales of domestic industry are only 84,495.81 MT.

xv. The Authority may verify the sales register of the domestic industry in order to examine whether the grades for which exclusion has been requested have been sold in commercial quantities by the domestic industry.

xvi. While the exporter has exported met coke with size distribution 10-50mm exclusively for corex application, the domestic industry does not produce the same. Accordingly, met coke for corex application should be excluded.

xvii. Nut coke should be excluded from the scope of the product under consideration as it is different from lump coke used in blast furnace. Nut coke does not compete with the product under consideration in the Indian market.

xviii. Met Coke with size 30-50 mm should be excluded from the scope of the product under consideration as the same is not manufactured by the domestic industry.

xix. Small lump coke should be excluded as the same is a by-product with high Coke Strength after reduction ("CSR") and low Coke Reactivity Index ("CRI"). These parameters are required for blast furnace application.

xx. Since the preliminary findings shows that the domestic industry has not produced product with CSR > 62% in commercial quantities, such product should be excluded, in accordance with the Manual of Operating Practices. Mere capability to produce is not relevant.

xxi. The domestic industry has itself conceded that it does not receive enquiries for product with high CSR and there is no demand for product with CSR > 70% and CRI < 20%. The fact that only a single domestic producer was able to show a single test report demonstrates that there is absence of commercial production, in view of which, the product with high CSR should be excluded. BlueScope has submitted technical certificates and invoices showing sales to Indian buyers.

xxii. Since domestic industry acknowledges there is no demand for product with high CSR, the imports of such product cannot injure the industry.

xxiii. Lump coke should be excluded as it is exclusively used for blast furnace steelmaking and has very high quality attributes.

xxiv. Lump Coke with CSR equal to 64–65 or higher should be excluded from product scope since differ in quality from the product of the domestic industry, leading to technical distinctions in the end use and performance. This is because it is used for integrated blast furnace and is used for exclusively for applications where sustained high pressures and temperature cycles demand specific product characteristics.

xxv. Nippon Coke's grades of lumpy coke for blast furnace include high strength metallurgical coke, which has a higher Micum Index and CRI should be excluded as the same is not manufactured by the domestic industry.

xxvi. Contrary to the claim of the domestic industry, Met Coke acts as an essential raw material in steel making process. Due to the inability of the domestic industry to supply the requisite size and quality, AMNS would be forced to import the goods, even after imposition of anti-dumping duty. The Coke supplied by the domestic industry has higher moisture content, lower coke strength after reduction, and higher coke reactivity, which leads to higher fuel demand and affects performance of blast furnace. Further, the poor-quality leads to lower melt production.

xxvii. The mean particle size of domestic coke is also lower in several barges, with higher fractions of -30mm and -25mm. The furnace performance deteriorates intermittently due to high carryover fines along with nut coke. Further, very high generation of -25mm and -30mm fractions leads to overloading of the nut coke screen and carry over of fines to the furnace, resulting in poor permeability and wind acceptance being grossly affected. The excess nut coke generated leads to space constraints, storage limitations and results in additional equipment and manpower costs for handling/shifting. Higher mean particle size becomes a key parameter during higher auxiliary fuel injections, adversely affecting productivity.

xxviii. The size of Met Coke supplied by domestic producers leads to taphole choking and coke rush. This poses safety risk and can lead to equipment damage and disruption of operations.

xxix. The Authority should exclude the products that the domestic industry does not manufacture from the product scope, since the domestic industry cannot suffer

injury from imports of products it does not produce, and the inclusion of such products would extend trade protection beyond the intended scope, while the users of such products would bear unwarranted costs without any corresponding benefit to the domestic industry. The same is consistent with the position taken by the Tribunal, and by the Authority in recent findings.

xxx. Imports by Bengal Energy Limited is a clear indication that the product produced in India is not suitable for production of downstream product.

xxxi. Narsingh Ispat Limited ("NIL") uses 20-40 mm low ash metallurgical coke as raw material for production of pig iron and is directly impacted by the present investigation. Thus, it should be registered as an interested party in the present investigation.

xxxii. NIL has mini blast furnaces with capacity below 100 cubic meters which cannot utilize standard coke sizes due to technical constraints. Micro blast furnace is used in India by NIL, Balmukund Sponge and Iron Private Limited and Purulia Metal Casting Private Limited.

xxxiii. The dispute over the use of terminology "micro blast furnace" is academic, since it is indisputable that furnaces with capacity below 130 m^3 require Met Coke in the range of 20-40 mm. The same is also evident from the Chartered Engineer Certificate placed on record.

xxxiv. The furnace size, operating pressure, and draft conditions conclusively establish that Met Coke 20–40 mm is required only by furnaces having capacity below 130 m^3. Using the wrong coke size causes serious operational problems including reduced iron production, blocked tapholes, coke rush events, safety hazards, equipment damage, and production disruptions. Technical proposal for 128 m^3 blast furnace shows that such furnaces are bound to use Met Coke.

xxxv. Other than the three users NIL, BSIPL and PMC, almost all blast furnaces in India operate at a higher capacity, of more than 200 m^3. Thus, the requirement of 20-40 mm Met Coke is very specific to a small group of operators. Exclusion for such grade may be granted to only such users on actual user conditions as done in several previous investigations.

xxxvi. The domestic industry has not produced any evidence to demonstrate that users imported coke of 50 mm size, or that such coke is technically usable in furnaces operating below 130 m^3. The secondary data relied upon uses generic descriptions, for Customs reporting purposes. The average size imported is 30 mm, which is the optimum size for the blast furnace of the users.

xxxvii. Occasional purchases of broader sizes of 20-75 mm were dictated by market constraints and lack of availability, which entailed higher handling costs, generation of fines and operational inefficiencies. In such cases, the Users were compelled to screen and manually break oversized coke to approximate the 20–40 mm distribution

xxxviii. NIL has sourced met coke in 2023-24 from domestic manufacturers, imported directly and through traders in India.

xxxix. The users have not made any purchases of Met Coke of size 20-40mm from the domestic industry during the injury period, including the period of investigation.

Any past procurement of coke of different size ranges has no relevance to the present technical requirement, and reliance placed by the domestic industry on such historical transactions is misplaced.

xl. Post initiation of the current investigation, 10 domestic producers provided declarations expressing capacity or willingness to supply Coke of 20-40 mm. However, such declarations are not a substitute for proof of actual and sustained supplies. When approached, these producers either offered unsuitable size ranges, inadequate quality, or quantities insufficient to meet the monthly requirements.

xli. Given the pricing and quantity offered, the Users consistently approach Nilachal for supply. However, Nilachal expressed its ability to supply only 8,000 MT per month, and 11,000 MT per month after capacity expansion. Despite its commercial offer dated 13th November 2025, and its commitment to supply 20,000 MT per month, Nilachal failed to supply the required quantity.

xlii. The Users repeatedly requested Nilachal to permit a plant visit for verification of actual production capability, but Nilachal has consistently avoided and denied such plant visits and continues to remain non-responsive, even though requesting trial quantity for testing and validation are in accordance with the industry practice. Testing of trial quantity and plant visits have been conducted for imported goods as well.

xliii. Low ash metallurgical coke with size 20-40 mm should be excluded from the scope of the product under consideration as domestic manufacturers do not produce it in sufficient quantities to meet the demand in India. The said product is only produced as a by-product.

xliv. The demand for LAM Coke 20-40 mm is only 5% of total demand for subject goods in India. The imports are restricted to only eastern region and used only by pig iron manufacturers. Since the Indian industry does not produce this size, there can be no injury to the domestic industry due to imports of such product.

xlv. Domestic producers have expressed inability to supply coke of 20-40 mm through written correspondence. Size below 40 mm, is meant only for captive consumption of domestic manufacturers and not for merchant sales. Domestic producers have offered alternate sizes of 20-50 mm and 20-85 mm to NIL, however, such sizes cannot be used in micro blast furnaces

xlvi. Coke of 20-40 mm size has different characteristics that make it technically different from larger sizes of coke. The size affects gas flow patterns, heat transfer and furnace operations.

xlvii. The 20-40 mm coke offered by the Indian industry is at higher prices. This is also evident from the fact that the domestic industry has proposed PCN based on size of coke and has submitted that smaller sized coke is sold at a discount compared to larger sized coke. Since additional operations are undertaken for manufacturing 20-40 mm size including cutting, crushing, screening, re-handling etc., the Indian industry does not prefer to manufacture the same.

xlviii. The Pollution Control Board Certificate dated 21st November 2022 placed on record by users shows that the pig iron plant has significantly undergone change

in configuration and expansion. With the enhanced and modified configuration, only Met Coke of 20-40 mm can be used.

xlix. The Met Coke defined in commercial parlance as 20-40 mm is predominantly of a size of 28-32 mm. It does not imply that the product predominantly consists of 40 mm or larger particles.

l. Poland cannot be considered as a reliable and consistent supplier of 20-40 mm coke. The imports from Poland have been minimal post period of investigation.

li. Contrary to the submissions by the domestic industry, the mean size of 20-50 mm product imported by NIL is 30+/-2 mm.

lii. The Authority may allow clarification that "semi-coke" and "soft coke" are not included within the scope of the present anti-dumping investigation as semi-coke is imported under 2704 00 20 and 2704 00 40, which have been subjected to anti-dumping duty. Semi-coke and subject goods are distinct products in terms of production processes, including differences in carbonisation temperatures and the type of coal used as raw material. Semi-coke has higher fixed carbon content and low ash content. The sulfur and phosphorous levels, and volatile matter content also differ between the two, along with differences in reactivity, porosity and electrical resistivity.

liii. The literature issued by CISR-Central Institute of Mining and Fuel Research and Elements of Fuels, Furnaces and Refractories by O.P Gupta also show that semi-coke, referred to as low temperature coke, is different from Met Coke, referred to as high temperature coke.

liv. While Met Coke is used in blast furnace operations, Semi-coke is used in production of ferro alloys, silicon metal and calcium carbide.

lv. The domestic industry is not engaged in the manufacture of semi-coke, and semi-coke is not a "like article" to Met Coke produced by the domestic industry.

lvi. The Authority has previously excluded product types, where the domestic industry was not able to rebut the request for exclusion, with appropriate evidence regarding supply of such grade.

lvii. Parameters such as ash content, size, moisture content, coke strength after reduction (CSR), coke reactivity index (CRI) and M40 affect the cost and price of the product under consideration and should be considered for the purpose of PCN. The proposal was based on price-differentiation and commercial value and not cost of production.

lviii. Application, that is, met coke for blast furnace and met coke for corex, should be considered for the purpose of PCN.

lix. Moisture Content up to 5% and above 5% by weight and content of undersized particles up to 5% and above 5% by volume should be considered as PCN for the present investigation.

lx. Tumbler Strength (M40) should be considered as a parameter for PCN as higher M40 is more expensive than lower M40.

C.2. Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

i. The product scope considered by the Authority in the initiation notification, notification dated 7th July 2025 and preliminary findings may be considered for the scope of the present investigation.

ii. The submissions made by BlueScope Steel Limited should be rejected as it has failed to disclose the characteristics of the product for which exclusions have been requested.

iii. In order to produce various grades of the subject goods, only the coal with desired parameters is required. There is no change in the production process to produce subject goods with characteristics identified by the other interested parties. The domestic industry has the capacity to produce the product which characteristics identified by the other interested parties.

iv. The domestic industry has produced and sold met coke with ash content of 12% and below and no exclusion is warranted for the same.

v. The scope of the product under consideration is metallurgical coke with ash content upto 18%, and all such coke qualifies as low-ash coke, as also seen in the previous finding concerning Australia and China. The nomenclature used for PCN is not definitive of the scope of the product under consideration.

vi. The domestic industry has sold coke with ash content of less than 13%.

vii. The decision of ACP Manufacturer Association vs. Union of India relied upon by other interested parties has been stayed by High Court and reliance thereupon is not appropriate.

viii. Verification of whether the domestic industry has sold met coke of less than 13% ash content in commercial quantities shall be conducted by the Authority, and not by the interested parties.

ix. Small lump coke, lump coke, nut coke and coke with size 30-50 mm are classified only based on size. Since size is solely dependent upon screening, the domestic industry is capable to manufacture all sizes of met coke.

x. The domestic industry has produced and sold nut coke in the merchant market. Thus, exclusion for nut coke is not justified.

xi. The terminology, lump coke and small lump coke, are not used in India and the other interested parties have failed to provide the characteristics for such product.

xii. Since both lump coke and small lump coke are used in blast furnace application and the domestic industry has supplied the subject goods for blast furnace application, the domestic industry has supplied like article. Hence, exclusion request is not justified in this regard.

xiii. There is no demand for met coke with CSR higher than 70% and CRI less than 20% in India. Since the domestic industry has not received an enquiry for such a product, the same has not been produced. However, the domestic industry is capable to produce the same by merely changing the raw material used. The said product may not be excluded from the scope of the product under consideration.

xiv. One of the applicants has recently produced met coke with CSR higher than 70% and CRI less than 20%. However, such a product has not been sold since there is no demand for the said product in India.

xv. The domestic industry has already provided a technical data sheet showing the production of high CSR products in India. The same has not been produced in commercial quantities due to a lack of demand since the product can be manufactured as per requirement and would not be produced and kept in stock.

xvi. There are no imports of high CSR in India during the period of investigation, which shows absence of demand.

xvii. The Authority has consistently held that a product cannot be excluded from product scope in the absence of imports.

xviii. As opposed to the submissions of the other interested parties, coke breeze and coke fines have similar purposes and application to met coke of larger size. The said product has been produced and sold by the domestic industry during the period of investigation. Thus, there is no justification to exclude the same.

xix. The domestic industry has produced and sold coke breeze and coke fines in commercial volumes, and there is no justification for the exclusion of the same.

xx. Demand-supply gap is not a justification for exclusion of a product type from the scope of the product under consideration. In any case, there is no demand-supply gap in India. The other interested parties have merely provided unreliable information with regard to sales of breeze and fines by the Indian industry without any backup.

xxi. While Coke Breeze is a by-product for all manufacturers globally, there is demand for such a product in India, as evident from imports and sales by domestic industry. Coke breeze has been dumped in India, causing material injury to the industry, and thus, cannot be excluded.

xxii. There is no legal provision allowing exclusion of a product type on the basis that the same is a by-product.

xxiii. The submission that Coke Breeze does not impact the cost of the domestic industry is incorrect as in the same production process, met coke of various sizes are produced including coke breeze. The cost is divided upon all the sizes of the product.

xxiv. There is no legal basis to exclude a grade in the present investigation as the same was excluded in the previous investigation. There is no bar on changing the product under consideration from one investigation to another. The Authority has considered different product scopes in different investigations in the past.

xxv. The scope of product under consideration excludes ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing only.

xxvi. The domestic industry has not manufactured ULP coke for ferroalloy manufacturing only due to commercial consideration. The ferroalloy industry requires ULP coke of 30 mm or below. The requirement of such product in India for ferroalloy application is only 5% of the production of the Indian industry.

xxvii. The exclusion for ULP coke should be restricted to only ferroalloy industry as there is no requirement for such product by any other segment. In case, the exclusion is not restricted based on final use, the steel manufacturers and other segments may to shift to imports of ULP coke as the same will become lower priced as compared to duty inclusive price of normal coke.

xxviii. The domestic industry has supplied the subject goods for use in blast furnace and applications other than ferroalloy manufacturing. Thus, the domestic industry has supplied commercially and technically substitutable product for applications other than ferroalloy manufacturing.

xxix. ULP coke should be considered as that with phosphorous content of upto 0.01% which is evident from the website of Nilachal Carbo Metaliks Limited.

xxx. The steel manufacturers or blast furnace operators do not use ULP coke since such product entails a higher price and serves no benefit over normal coke. In case the exclusion is not restricted based on final use or size, LAM coke may become more expensive and the steel manufacturers and other segments are likely to shift to imports of ULP coke.

xxxi. While exclusion has been granted to ferro alloy industry, the objection has been raised by AMNS, which does not use ULP coke in its plant and imports high phosphorous coke.

xxxii. Since LAM coke supplied by the domestic industry is commercially and technically interchangeable with the ULP coke used by the blast furnace operators, it is like article to the imported ULP coke.

xxxiii. There are no quality issues in the product manufactured by the Indian producers, and the Indian producers are providing the product of quality equivalent to, if not better than that imported from the subject countries.

xxxiv. The domestic industry has been supplying to a number of consumers in India which have not raised any issue regarding quality, and have been procuring continuously from the domestic industry.

xxxv. The arguments raised by Tata Steel with regard to quality of product supplied by domestic industry are unsubstantiated. One of the applicant domestic producers has been supplying the subject goods to Tata Steel itself.

xxxvi. Since the quality of met coke depends on the quality of coking coal, and the domestic industry relies on imported coal, there can be no concern with regard to quality of the product produced by the domestic industry.

xxxvii. In case of quality issues, the domestic industry would not have been able to increase its sales, especially in a case where the steel industry is quite focused on the quality of all raw materials.

xxxviii. Each producer produces the product as per specifications provided by consumers at the stage of placing the order. Even if goods are procured from different sources, it will be as per the specification required by the users.

xxxix. Even at present, importers such as AMNS, India Coke and Power and Orissa Metaliks are procuring the product from several sources. Even after imposition of duty, they can continue to procure from multiple sources.

xl. While both domestic producers of the subject goods and foreign producers of the subject goods produce met coke in accordance with the requirements raised by the consumers, imported Coke is subjected to extensive and repeated handling at multiple stages which contributes significantly to mechanical degradation, resulting in higher generation of fines and nut coke, and a substantial reduction in mean particle size by the time the material reaches the end user. By contrast, domestically produced coke involves minimal handling between production and consumption, with direct and shorter logistics chains. This limited handling substantially reduces breakage and degradation, thereby preserving the designed size distribution and mean particle size as per customer and furnace requirements. Therefore, domestic coke offers superior consistency in burden permeability, gas flow, and furnace stability and is better suited for sustained blast furnace operations, including under conditions of higher auxiliary fuel injection, as compared to imported coke.

xli. If the Japanese product were of a better quality, it would have been more expensive, but it is in fact, priced lower than the domestic industry.

xlii. The representation filed by NIL is belated and should not be considered. The submissions have been made 122 days after the deadline. Further, NIL has not filed any response to users' or importers' questionnaire and has made allegations without substantiating the same. This clearly shows non-cooperation.

xliii. Submissions by NIL should be rejected for lapse in procedural requirements. Without prejudice to the same, it must be directed to file a response to questionnaire issued by the Authority.

xliv. NIL had raised the same concerns to DGFT post issuance of recommendations by DGTR in the safeguard investigation. However, the same were not accepted by Ministry of Commerce at that time.

xlv. Indian industry has produced and supplied the product with size between 2mm to 200+ mm. Production of met coke in desired size is a mere requirement of doing sizing of the met coke produced. The sizing of the product is not the main part of production process.

xlvi. Jindal Coke Limited has offered the product to NIL as per specifications required by it. However, NIL has not replied to the communication sent and chosen to import the product.

xlvii. NIL has suppressed the facts and presented that it has always been importing the product under consideration. However, Bengal Energy Limited has supplied substantial volumes to NIL in the past. Further, NIL has procured various sizes, including that upto 80 mm from Bengal Energy Limited. Since the company still operates with the same furnace, the claim that it can use only 20-40 mm is incorrect.

xlviii. NIL shifted to importing the product under consideration only due to availability of dumped prices. NIL has admitted that it is getting the product at prices ₹ 10,000 per MT below the price of the domestic industry. Exclusion of such product for NIL will provide undue benefit to NIL and it will become more

competitive than other users as it will lead to undue savings of ₹ 1,250 crores over 5 years.

xlix. Since the domestic industry is capable of supplying the said product, it cannot be claimed that, due to a different furnace, the product supplied by the domestic industry is not appropriate.

l. At least 10 producers in India have expressed their willingness to supply the said product to NIL, in case, reasonable prices are offered by the said user. However, NIL has not approached many of these producers even though the letters by such producers were circulated and shared with NIL.

li. NIL requested Nilachal to produce a sample quantity of 500-1000 MT of the product without giving a letter of intent for purchasing the same. This is not as per industry standards, and such a request is only to make a case of non-supply of the product by the domestic industry.

lii. NIL has now insisted that it wishes to visit the plant prior to placing an order with Nilachal. However, the same is also not as per industry standards. This is evident from the sample testing of the imports made by NIL happens at the loading port, which shows that there is no plant audit conducted.

liii. The domestic industry supplies to various customers, including blast furnace operators. None of these customers have requested plant audit or plant visit prior to placing orders with the domestic industry.

liv. The domestic industry cannot be asked to supply a product in commercial quantities when the users are themselves acknowledging that they have preferred to import. The users have preferred to import only due to the lower prices of the imported goods.

lv. NIL has not provided any evidence with regard to alleged offers made by domestic producers, even though the domestic industry placed all such offers on record. NIL has not approached any other producer for supplying of the said product.

lvi. The submissions by NIL themselves show they sought an order quantity of 20,000 MT, which was offered to them by Visa Coke. Further, Nilachal offered 8,000 MT, and Jindal Coke offered 5,000 MT of the product to NIL. If NIL wants to maintain only a single supplier, Visa Coke itself appears to have offered full quantity. It can only be assumed that NIL is not placing an order due to the import prices being drastically cheaper due to dumping.

lvii. While Nilachal cannot fulfil the complete demand of NIL, NIL has not made any efforts to procure the product from other manufacturers in India. Even in case of imports, NIL is importing from a number of producers / traders and not just a single source.

lviii. There is no technical requirement of 20-40 mm sizes which is evident from the fact that NIL has imported various sizes including 20-50 mm and 25-50 mm.

lix. NIL itself has admitted that it has procured and used a product of size 20-75 mm.

lx. NIL has imported more than 50% of its total imports from Poland which is not a subject country.

lxi. As opposed to the submissions by NIL, there is no technical term such as "Micro Blast Furnace". The term "Mini Blast Furnace" is used for smaller blast furnaces. The domestic industry has been regularly supplying to mini blast furnaces in India.

lxii. The domestic industry supplies 10-30 mm product to ferroalloy industry. Since 10-30 mm size is smaller than 20-40 mm, there is no reason why the Indian industry will not be able to supply such product. Even if NIL requires 28-32 mm, the same can be supplied by the domestic industry.

lxiii. NIL has submitted that domestic industry charges higher price for smaller sizes due to generation of coke breeze and fines, however, the same is not correct. The domestic industry does not charge higher prices for 10-30 mm coke as compared to blast furnace coke.

lxiv. The domestic industry has supplied the subject goods for use in blast furnace and applications other than ferroalloy manufacturing. Thus, the domestic industry has supplied commercially and technically substitutable product for applications other than ferroalloy manufacturing.

lxv. ULP coke should be considered as that with phosphorous content of upto 0.01% which is evident from the website of Nilachal Carbo Metaliks Limited.

lxvi. Since same product is used for blast furnace application and corex application, and the domestic industry has produced and sold the said product, exclusion request for the same is not justified.

lxvii. The other interested parties have failed to define the exact parameter for high micum index. The domestic industry has produced the said product during the injury period and the same may not be excluded from the scope of the product under consideration.

lxviii. A product exclusion can be made only apply for a product that is included within the scope of the product under consideration. No specific exclusion or clarifications are required for the products imported, which are not met coke. Instead, any clarification can be sought from the Authority on Advance Ruling, in case of any need arises post imposition of anti-dumping duty.

lxix. The PCN may be based on the ash content and size of coke.

lxx. The other interested parties have failed to show that the parameters identified lead to material change in the cost of production which require formulation of PCN based on such parameters.

lxxi. Selling price cannot be considered for determining PCNs as the same varies based on factors such as demand-supply situation, quantity of purchase by the users, month of purchase, payment terms, delivery schedule, spot vs. contractual purchases, cost of production etc.

lxxii. About 90% of the cost of production for the subject goods constitutes raw material, that is, coking coal. Cost on account of coal or utilities does not vary due to parameters such as moisture content, tumbler strength (M40), CSR, and CRI. Thus, there is no need for devising PCN based on such parameters.

lxxiii. The cost of production of the subject goods does not vary more than 5% for ash content below 13%. The cost of production does not vary more than 5% for ash

content between 13% and 18%. There is a variation in cost of production between subject goods with ash content above and below 13%.

lxxiv. There is variation in cost of production for breeze coke, nut coke and met coke for blast furnace application.

lxxv. Applications cannot be a basis for consideration of PCN as the product involved is the same and there are no differences in the parameters leading to change in cost of production.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is low ash metallurgical coke with ash content below 18%. The Authority notes that the other interested parties have requested exclusion of the following products from the scope of the product under consideration.

i. Met Coke with ash content 12% or below.
ii. Coke breeze and coke fines
iii. Nut Coke
iv. Coke with size 30-50 mm

8. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence that it has produced and sold the abovementioned identical products in the merchant market. Since the domestic industry has produced and sold the like article in the domestic market during the period of investigation, the abovementioned products are not being excluded from the scope of the product under consideration.

9. The domestic industry has submitted that the desired characteristics in the subject goods including different ash content, tumbler strength or micum content (M40), coke reactivity index (CRI), coke strength after reduction (CSR) and phosphorous content can be achieved by merely using the right quality of coking coal. The production process does not undergo a change in order to change the technical parameters of the subject goods. The Authority notes that none of the other interested parties have provided any evidence to the contrary.

10. With regard to exclusion requested by the other interested parties for ultra-low phosphorous coke irrespective of size and application, the Authority notes that the said product is used only for ferroalloy application. The domestic industry has submitted that the ferroalloy manufacturers require met coke with size upto 30 mm. The domestic industry has further, submitted that due to commercial considerations, it does not manufacture ULP coke for ferroalloy application. It has also been submitted that in order to produce ULP coke only the right quality of coal is required and there is no need to change the production process. As per evidence on record, the said product has been manufactured by the domestic industry. However, the domestic industry has agreed for exclusion of ULP coke of size upto 30 mm and for ferroalloy applications. It is noted that in case of exclusion of ULP coke irrespective of size and application, other

users may shift to imports of ULP coke since it is likely to be cheaper than the other types of met coke post imposition of anti-dumping duty. Thus, the Authority has restricted exclusion of ULP coke only upto the size of 30 mm when imported for use in ferroalloy applications.

11. As regard the submissions that the domestic industry does not produce ULP coke in sufficient quantity, the Authority notes that such product used by ferroalloy industries with size upto 30 mm has been excluded from the scope of the product under consideration. In case of other applications, the domestic industry has supplied the subject goods which are used interchangeably and for the same purpose by the users. Thus, in case of ULP coke of larger sizes used by other industries, the domestic industry has supplied like article to the subject goods imported by the users. In such a case, the Authority holds that there is no justification for exclusion of ULP with size above 30 mm from the scope of the product under consideration.

12. AMNS has submitted that it has approached the domestic producers for procurement of product with phosphorous content upto 0.025%, however, the domestic producers have offered the subject goods with phosphorous content upto 0.045%. The Authority notes that there is no evidence on record to show that subject goods with phosphorous content upto 0.045% are not comparable to the subject goods with phosphorous content upto 0.025% and the subject goods produced by the domestic industry cannot be used interchangeably by the consumers of the product under consideration. Further, while AMNS has provided communication with regard to enquiries regarding the said product, it has not provided any evidence which shows that the said product has actually been imported and used by AMNS during the period of investigation. As per the data available on record, AMNS has not imported the said product in India during the injury period. The Authority notes that the domestic industry has provided and offered product closely resembling the characteristics requested by AMNS and hence, the domestic industry has offered like article in terms of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules. In any case, AMNS has itself admitted that Nilachal Carbo Metaliks Limited has the capacity to manufacture the said product, however, such capacities are less than the demand in India. The Authority notes that demand-supply gap for a product type is not a justification for exclusion of a product type from the scope of the product under consideration.

13. With regard to the submissions by the domestic industry that ULP coke should be considered with phosphorous content upto 0.01%. The Authority notes that the domestic industry has provided website extracts of one of the domestic producers which shows that ULP coke has been classified as that having phosphorous content upto 0.01%. It is noted that the scope of product under consideration considered in the initiation notification excludes ULP coke with phosphorous content upto 0.03% with size upto 30 mm for use in ferroalloy manufacturing. Since restriction of phosphorous content upto 0.01% will lead to enhancement of product scope, the same is not being considered for the purpose of the present investigation.

14. The Authority notes that the other interested parties have submitted that since met coke with ash content of 13% and above has been termed as medium ash in the PCN methodology, such product is not low ash metallurgical coke and should be excluded from the scope of the product under consideration. In this regard, the Authority notes that the nomenclature used in the PCN methodology does not define the product under consideration. The product under consideration in the present investigation is metallurgical coke with ash content upto 18%. Since there are significant differences in the costs and prices of metcoke below 13% ash content and 13-18% ash content, the two have been treated as different PCNs for determination of dumping margin and injury margin. Further, 13-18% ash content has been named as "medium" only to distinguish with coke below 13% and the same cannot be considered to mean that 13-18% coke is not a low ash metcoke. In any case, the scope of the product under consideration in the present case is low ash metallurgical coke with ash content below 18%.

15. With regard to the submissions that coke breeze and coke fines should be excluded from the scope of the product under consideration as the said products are by-products and were excluded in safeguard investigation, the Authority notes that the domestic industry has produced coke breeze and coke fines during the period of investigation. There is no legal bar for considering a different product under consideration from one investigation to another. As per consistent practice of the Authority, a fresh examination has been made for the scope of product under consideration for the purpose of the present investigation. Since the domestic industry has produced and sold coke breeze and coke fines during the period of investigation, it has been considered within the scope of the product under consideration.

16. As regard the submissions that it must be examined whether coke breeze and coke fines are produced and sold in commercial volumes, the Authority notes that the domestic industry has submitted PCN wise information in the present investigation and coke breeze has been considered as a separate PCN. From the PCN wise data provided, it is evident that the domestic industry has produced and sold the said product in commercial volumes; and thus, there is no justification for exclusion of the same from the scope of the product under consideration. It is further noted that demand-supply gap for a product type is not a justification for exclusion of the said product type from the scope of the product under consideration.

17. With regard to exclusion of the subject goods for corex application, the Authority notes that the other interested parties have not provided any technical parameters showing difference between the product produced by the domestic industry and imported from the subject countries. The other interested parties have submitted that the said product is of size 10-50 mm. The domestic industry has submitted that there is no difference in the subject goods used for blast furnace application and corex application. The Authority notes that, as per evidence on record, the domestic industry has manufactured met coke with size 10-50 mm during the period of investigation. Accordingly, it is not

appropriate to exclude met coke for corex application from the scope of the product under consideration.

18. With regard to exclusion of lump coke, small lump coke and lump coke with CSR equal to 64-65, the domestic industry has submitted that the other interested parties have claimed the technical parameters of the said product confidential. The Authority notes that the other interested parties have submitted that the said product is used for blast furnace application. Since the domestic industry has produced and sold the subject goods for blast furnace application, the domestic industry has produced commercially and technically substitutable product to the product being imported from the subject countries. Since the domestic industry has offered like article in the domestic market, the exclusion request for lump coke and small lump coke is not being considered.

19. With regard to exclusion of subject goods with high micum index, it is noted that the other interested parties have not defined the micum index which is considered as high. As per the evidence on record, the domestic industry has produced the subject goods with micum index as high as ***%. The other interested parties have failed to substantiate that the subject goods with high micum index cannot be substituted with the subject goods produced by the domestic industry. Thus, the request for exclusion of product under consideration with high micum index is not being considered.

20. With regard to exclusion of product under consideration with CSR higher than 70% and CRI less than 20%, the domestic industry has submitted that there is no demand for the said product in India and the said product can be manufactured by changing the raw material mix. The domestic industry has also provided a test report of one of the applicants showing that it has produced the subject goods with CSR higher than 70% and CRI less than 20%. However, it has been stated that the said producer has not been able to sell such product in the domestic market due to lack of demand. The Authority notes that the domestic industry has the capacity to manufacture met coke with CSR higher than 70% and CRI less than 20%. Thus, the request for exclusion of CSR higher than 70% and CRI less than 20% is not being considered.

21. The other interested parties have submitted that the coke supplied by the domestic industry is of lower quality and the size of met coke supplied by the domestic industry leads to equipment damage. Further, it has been submitted that the mean particle size of subject goods supplied by the domestic industry is also lower. The Authority in this regard notes that the domestic industry has submitted that both foreign producers and domestic producers produce the subject goods as per requirements raised by the consumers. In case of imported product, it goes through multiple stages of handling including loading, intermediate storage, port handling, transshipment, unloading and inland transportation which leads to mechanical damage and generation of higher coke fines. However, domestically produced subject goods involve minimal handling which reduces breakage and degradation. The Authority notes that no evidence has been provided by any interested party regarding the difference between quality of product

supplied by the domestic industry and that supplied by the foreign producers. Further, the domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period which demonstrates that there are no quality concerns in the product produced by the domestic industry and such product is acceptable to producers in the domestic market. In any case, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports into India and the consumers can continue to import the subject goods at fair prices even after imposition of anti-dumping duty.

22. With regard to the submissions that the imports by Bengal Energy Limited shows that the quality of product available in India is not appropriate, the Authority notes that Bengal Energy Limited has provided information with regard to imports. It is noted that Bengal Energy Limited has majorly consumed the product under consideration captively and has imported only one shipment during the injury period. The producer has submitted the imports were made as one of the coke oven batteries of the company was shut down due to unfavourable market conditions in India. Since only one shipment has been imported and the producer has majorly used captively produced product, it cannot be said that the quality of the product was different as compared to the quality of product produced in India.

23. The Authority notes that Narsingh Ispat Limited, Balmukund Sponge & Iron Private Limited and Purulia Metal Casting Private Limited have represented that (a) repeated and bona fide attempts were made to procure domestically produced LAM Coke of size 20–40 mm (with a mean size of approximately 30 mm ± 2 mm) for use in blast furnaces of smaller capacity (upto 130 m^3) in pig iron manufacturing, post initiation of investigations, (b) it has been submitted that given the technical sensitivity of blast furnace operations below 130 m^3, domestic producers provided declarations expressing capacity and willingness to supply LAM Coke. However, such declarations may not, by themselves, establish proof of actual and sustained supplies meeting the Users' technical requirements for the PUC having size of 20–40 mm for use in micro blast furnaces, (c) domestic producers either offered different size ranges, or quantities which, according to the users, were insufficient to meet their monthly requirements, (d) NIL consistently approached one of the domestic producers, namely, Nilachal through repeated communications dated 22nd November 2025, 30th November 2025, 19th December 2025, 22nd December 2025, 24th December 2025, which have been relied upon to demonstrate efforts to secure domestic supply, (e) in October 2025, Nilachal initially offered LAM Coke in the size range of 20–60 mm and subsequently indicated possibility of offering 20–40 mm; however, in November 2025, Nilachal indicated that its existing capacity permitted production of about 8,000 MT per month and that even post-expansion from April 2026, it would be able to supply about 11,000 MT per month, (f) it has been contended that commercial quantities of LAM Coke 20–40 mm for use in smaller blast furnaces are not readily available domestically, (g) further, it has been submitted that requests were made to Nilachal to permit plant visit for verification of production capability, which, according to the users, did not materialize, (h) for any new supplier, the user follows a standard industrial practice of requesting trial

quantities for testing and validation, which is stated to be necessary where raw material specifications are directly linked to furnace design and operational stability, (i) NIL has submitted that similar trial quantities were requested and tested for imported product as well and, where such material did not meet the required specifications, it was returned to the supplier, (j) the exclusion of LAM Coke 20-40mm (with a mean size of 30 ± 2 mm) for use in blast furnaces up to 130 m^3 for pig iron manufacturing may be considered on actual user condition basis, (k) they have expressed willingness to provide legally enforceable undertaking to the concerned Customs Authority.

24. The Authority notes that the domestic industry has contested the above claims and submitted that metallurgical coke of various sizes, including 20–40 mm, can be produced through screening and forms part of the like article. However, based on the verification of information on record, it is noted that the domestic industry has not produced and supplied metallurgical coke of size 20–40 mm (with a mean size of approximately 30 mm) during the injury period, including the period of investigation. In view of the above factual position, and considering the specific operational requirements highlighted by the above users, the Authority considers it appropriate to allow imports of LAM Coke of size 20–40 mm (with a mean size of approximately 30 mm ± 2 mm) for use in blast furnaces up to 130 m^3 for pig iron manufacturing under actual user conditions. Such imports shall be permitted only for own consumption by eligible users, and furnishing of appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use along with a valid certificate issued by the concerned State Pollution Control Board or Central pollution control Board, as applicable certifying the capacity of the blast furnace of the user. It is clarified that this dispensation is limited to the specified size and application and shall not be applicable for any other use or any other furnace size.

25. The other interested parties have requested for clarification with regard to the fact that soft coke or semi coke is excluded from the scope of the product under consideration. The domestic industry has stated that exclusion of such product will lead to circumvention of the anti-dumping duty. The Authority notes that soft coke or semi coke is a product distinct from low ash metallurgical coke. As per the evidence on record, the said product is not manufactured by the domestic industry and the product manufactured by the domestic industry is not a like article to semi coke or soft coke. Further, even the imports of such product have not been considered for the purpose of the present investigation. Accordingly, it is clarified that soft coke or semi coke is not included in the scope of the product under consideration in the present investigation.

26. The Authority, therefore, determines the scope of product under consideration as below.

"Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding the following

a. ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing,

b. semi-coke or soft coke,

c. LAM Coke of size 20–40 mm (with a mean size of approximately 30 mm ± 2 mm) for use in blast furnaces up to 130 m³ for pig iron manufacturing under actual user conditions, subject to furnishing of an appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use along with a valid certificate issued by the concerned State Pollution Control Board or Central pollution control Board, as applicable, certifying the capacity of the blast furnace of the user."

27. The product under consideration is classified under Chapter 27 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Code 2704 0030. The product under consideration is also being imported under various other HS Codes including 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 and 2704 0090. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

28. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry in India are being treated as "like articles" to the subject goods being imported from the subject countries.

29. The other interested parties have submitted that parameters including CRI, CSR, Moisture Content and tumbler strength (M40) should be considered as PCN parameters. The Authority notes that there is no evidence on record that such parameters lead to change in cost of production for the subject goods. Hence, the same have not been considered as separate parameters.

30. With regard to the submission that PCN should be based on application of the product, the Authority notes that PCN cannot be devised based on application of the product. The domestic industry has submitted that the cost of production does not vary based on the application for the product as the same product is used for blast furnace application and corex application. Thus, the Authority has not considered such parameter for PCN in the present investigation.

31. The Authority notes that as per evidence on record, the cost of production of the subject goods varies based on ash content above 13% and below 13%. The domestic industry has provided evidence showing that the cost of production does not vary substantially

depending on different ash contents below 13% and the variation exists only between ash content above and below 13%. Accordingly, the same has been considered as a PCN parameter for the present investigation.

32. With regard to size of coke, it is noted that none of the other interested parties have provided any evidence showing difference in cost of production. It is further noted that while the domestic industry has submitted that the separate PCNs should be formed for coke with size below 10 mm, 10-30 mm and above 30mm, the evidence provided by the domestic industry regarding variation in cost of production based on size demonstrates substantial variation in cost of production of met coke with size below 10 mm and above 10 mm. However, the Authority notes that the cost difference between size between 10-20 mm and above 30 mm is not substantial. Thus, the Authority has considered PCN based on size upto 10 mm and above 10 mm.

33. The Authority conducted a meeting dated 22nd May 2025 regarding scope of the product under consideration and PCN. Post receiving comments from all the interested parties, and after examining them, the scope of the product under consideration remained the same as defined in the initiation notification and a PCN methodology was adopted vide notification dated 7th July 2025. The Authority has considered the PCN methodology as following for the purpose of the present investigation.

PCN Criteria	Description	Code sign
Ash Content	Upto 13%	LA
	More than 13% and upto 18%	MA
Size	Size upto 10mm	CF
	Size above 10 mm	OT

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submission of other interested parties

34. The submissions of the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing are as follows:

i. The initiation notification does not contain objective analysis to determine whether the present case qualifies as that involving fragmented industry and excessively large number of producers. Such determination is prerequisite for filing application under Trade Notice 09/202 1.

ii. The Authority has neither clarified that the 8 domestic producers considered for economic analysis have been sampled nor clarified an intent to conduct sampling in future.

iii. The 8 sampled producers should have provided Format VI-1 to VI-5.

iv. The 8 producers have failed to provide information as per Annexure I of Trade Notice 09/2021.

v. The Authority has not disclosed which companies have been considered as part of the domestic industry. The Authority is requested to publish the final list of the constituents of the domestic industry and establish how the "total eligible domestic production" has been determined. It is also unclear whether the injury analysis relates to the three sampled companies, or all applicant companies.

vi. ShreejiCoke and Motherson Consolidated have been considered eligible to constitute the domestic industry, but the Authority does not specify whether they are actually considered a part of the domestic industry. The Authority has failed to provide any justifiable reasons for non-inclusion of said producers in the scope of domestic industry.

vii. While the applicant had identified Jindal Coke Limited as an importer of the product under consideration, the Authority in notification of initiation stated that the applicant domestic producers have not imported the product under consideration into India.

viii. The Authority has accepted the assertion by Jindal Coke that it has not imported and considered it part of domestic industry and sampling, despite the fact that the costing data circulated by it clearly shows that it has imported the subject goods. The clarification has not been provided to interested parties and preliminary findings do not explicitly confirm that Jindal has not imported.

ix. Jindal Coke is related to an importer of the subject goods, Jindal Stainless Ltd. The two companies share two common directors Mr. Ratan Jindal and Ms. Shruti Shrivastava and have the same registered office. However, the Authority has noted that Jindal Coke is not related to an importer. No examination has been conducted by the Authority to examine whether the relationship influenced the ability of Jindal Coke to act independently.

x. The Rules do not prescribe any de-minimis exemption for imports by domestic industry, subject to which exemption can be granted for eligibility. A domestic producer importing the product can be considered eligible only in case of imports under duty free scheme, or special case imports beyond the control of the applicant.

xi. In accordance with the principles laid down by Supreme Court in G. M. Exports, the reference to two or more competitive markets under Rule 2(b) should be construed as referring to territorial bifurcation, as envisaged under Article 4.1(ii). Artificial bifurcation of the country into "captive" and "merchant" markets is not permissible.

xii. The Authority has not undertaken an "objective" injury analysis as it has excluded producers of met coke that captively consume the product from the scope of the domestic industry. Such an exclusion is not permissible in view of the observations of Dispute Settlement Body in US – Hot Rolled Steel, Morocco – Hot Rolled Steel and US – Cotton Yarn.

xiii. As held by the Panel in EC – Salmon, the Authority should have considered any enterprise engaged in production of like article in determination of total domestic production.

xiv. As held by Appellate Body, the "captive" producers can also compete with imported goods, as (a) a producer decides to make-or-buy, after considering opportunity cost, (b) vertically integrated producers may also enter merchant market, (c) excluding captive producers would result in constant variation in size of domestic industry, (d) purchase or sale of plants would lead to change in constitution of domestic industry, and (e) the injury analysis would be flawed.

xv. If captive producers are to be excluded from the scope of the domestic industry, the Authority should have also excluded Bengal Energy and Jindal Coke from the scope of the domestic industry. There is no legal basis to bifurcate between producers that use Met Coke partly for captive consumption and those that use it fully for captive consumption.

xvi. Based on current blast furnace capacity of Bengal Energy, it would need to procure Met Coke and would fully consume met coke captively. The captive consumption of Bengal Energy has increased in the previous two years. Further, Jindal Coke, currently a major supplier to JSW, also set up blast furnace and shall consume Met Coke captively. Injury margin cannot be determined based on producers, who would no longer be catering to the merchant market. If such producers are treated as part of domestic industry, other captive producers cannot be excluded, since a captive producer today may participate in merchant market tomorrow.

xvii. The domestic industry has submitted that Jindal Coke Limited has not consumed subject goods captively during the injury period. However, they have not clarified the situation in the period of investigation.

xviii. Jindal Coke acquired a coke oven from Jindal Stainless Limited. Bengal Energy has acknowledged in its financial statements that it shifted focus to captive consumption of Met Coke for pig iron. Thus, the bifurcation adopted would result in a situation where the same producers are treated as part of domestic industry in one period, and not in another.

xix. Several applicants and supporters in the investigation either already operate Blast Furnaces or are in the process of establishing them and consequently consume a significant portion of their coke production captively. Such producers cannot be treated as "merchant coke only", as doing so mispresents the actual merchant capacity available.

xx. Visa Coke and Vedanta cannot be regarded as merchant coke producers, since their respective group companies operate blast furnaces, and only a portion of the Coke output is sold in the merchant market.

xxi. The imports amounting to 66,000 MT made by Bengal Energy are substantial in both absolute and relative terms (at 13-14% of sales) and, therefore, cannot be treated as insignificant.

xxii. The sampling method for domestic producers was erroneous since no notice was given to other interested parties, to seek comments about the need for sampling or

the selection of sample. Further, no information has been disclosed about the percentage of production accounted by sampled producers. The letter by the Authority asking sampled producers to furnish information has not been published.

xxiii. The Authority did not disclose its intention to conduct sampling of domestic producers or invite comments on sampling. While Authority has invited comments on sampling in previous investigations, the decision in the present case prejudices the right of parties to be heard.

xxiv. Sampling of domestic producers is not permissible under the Anti-Dumping Agreement, as the Agreement only permits sampling to determine the degree of support in case of fragmented industry.

xxv. While the sample has been determined based on largest production value, it was required to be a representative sample, as held by Appellate Body in EC – Salmon (Norway). Thus, it must be ensured that the sampled producers represent a reasonable proportion of the domestic production, to ensure an objective injury analysis.

xxvi. Unlike determination of dumping margin, the sampling of domestic industry requires the Authority to permit a reasoned conclusion about the industry as a whole. Any injury margin computed on the basis of sampled producers is not representative of the industry as a whole.

xxvii. Sampling undertaken is not representative as Bengal Energy and Jindal Coke were identified as importers and Bhatia Coke has been engaged in insolvency proceedings.

xxviii. Since Jindal Coke is ineligible to constitute domestic industry, its participation in the sample vitiates the sampling exercise conducted under Trade Notice 5/2021.

xxix. Since Jindal Coke is one of only three sampled domestic producers, one-third of data relied upon for assessment of injury is legally inadmissible, due to ineligibility of Jindal Coke.

xxx. The composition of the industry has been strategically altered across investigations, to seek repeated trade remedial measures. The domestic producers are increasingly reliant on continued trade remedial protection, rather than on genuine market-based efficiency or competitiveness.

D.2 Submissions made by the domestic industry

35. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing are as follows:

i. The application has been filed by the Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association on behalf of the domestic industry. The following members of the association have provided data for the purpose of the present investigation.

   a. Bhatia Coke and Energy Limited (Aquaterra Coke & Energy Limited),
   b. Bengal Energy Limited
   c. BLA Coke Private Limited,
   d. Jindal Coke Limited

e. Pawanputra ECoke Private Limited
f. Saurashtra Fuels Private Limited,
g. SU Mangala Coke Private Limited
h. United Coke Private Limited, and
i. Vedanta MALCO Energy Limited

ii. The application has been filed, and investigation was initiated under Trade Notice 09/2021. This itself shows that the Authority considered the industry to be fragmented.

iii. The interested parties have failed to show that there is a legal requirement to explicitly mention in the initiation notification that the present case is that of fragmented industry, failing which the present initiation is bad in law.

iv. The application was supported by nine domestic producers.

v. The applicant domestic producers constitute a major proportion of 72% of the total domestic production. Along with supporters they account for 85% of the total eligible Indian production.

vi. A few producers of the subject goods which have imported the subject goods in India, and should be considered ineligible to constitute domestic industry, as done in the preliminary findings.

vii. Shree Electromelts Limited and Bengal Energy Limited have clarified that they have imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation.

viii. The intention of providing for exclusion under Rule 2(b) for domestic producers that are importing is not to automatically exclude any producer that has imported the product, irrespective of the nature or volume of import. The Designated Authority has been conferred discretion in this regard, which must be exercised in accordance with the past practice and established principles and jurisprudence in this regard.

ix. In the case of State of Gujarat Fertilizers & Chem. Ltd. Vs. Addl. Secy. & Designated Authority, the High Court found a producer importing upto 15% of its production as eligible to constitute domestic industry.

x. The past findings of the Authority show that the Authority has treated domestic producers importing the subject goods as eligible to constitute domestic industry if the focus of such producers has not shifted to importation of the subject goods.

xi. While the applicant considered Bengal Energy Limited and Mothersons Limited ineligible in the petition, the Authority after examining information supplied by all parties, found them eligible to constitute domestic industry as the quantum of imports by these companies was quite low.

xii. While production of Mothersons Consolidate and Shreeji Coke and Energy has been considered for determination of total eligible Indian production, such producers have not been considered as part of the domestic industry.

xiii. Contrary to submissions of the interested parties, the preliminary findings identify the companies which have been considered ineligible. It is evident that the total Indian production includes production of all producers, barring those that have been considered ineligible from constituting domestic industry.

xiv. None of the interested parties have questioned that the list of domestic producers identified in the application was incomplete. The Authority has correctly relied upon the list of domestic producers provided by the domestic industry, and thereafter, excluded domestic producers which it found ineligible to constitute domestic industry.

xv. The domestic producers presently considered eligible have been predominantly engaged in manufacturing the subject goods in India, and the volume of subject goods imported has not been significant as compared to the volume of production by the producers in India. Further, the exclusion of the domestic producers would result in a distortion of the injury findings. The interested parties have also not shown any jurisprudence demonstrating that the volume of imports should not be considered in deciding the matter.

xvi. Jindal Coke Limited is not a captive consumer of the subject goods. It has sold the subject goods produced by it only in the merchant market during the injury period.

xvii. Jindal Coke cannot be considered ineligible since it has not imported the product under consideration from the subject countries. The same may be verified from DG Systems data.

xviii. The Authority considered Jindal Coke Limited as part of the domestic industry at the time of initiation and not post initiation.

xix. Jindal Coke acquired coke oven from Jindal Stainless Limited in 2015, well before the injury period in the present investigation.

xx. Jindal Coke Limited and Jindal Stainless Limited are not related entities in terms of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. While Jindal Coke Limited and Jindal Stainless Limited are part of the Jindal Group, they are independent entities and are not controlled by each other or any third person. Mere ownership or common directorship is not relevant, as held in Caustic Soda and Circular Weaving Machines.

xxi. Jindal Coke and Jindal Stainless have only one common director, Mr. Ratan Jindal. He is only a non-executive director in Jindal Coke Limited and does not have control over day-to-day activities of Jindal Coke Limited. Jindal Coke Limited has 6 directors on its Board of Directors, while Jindal Stainless Limited has 17 directors.

xxii. The captive consumption of Bengal Energy Limited during the injury period is quite limited in relation to the total production of the subject goods by the said producer.

xxiii. Only one of the applicant domestic producers, that is, Bengal Energy Limited operates a blast furnace and has captively consumed the product. Considering Bengal Energy Limited as a captive producer will distort the analysis as it is one of the largest merchant producers of the subject goods in India. Even when only domestic merchant sales of Bengal Energy are considered, it accounts for a major share of sales of domestic producers and domestic industry.

xxiv. Bengal Energy Limited has confirmed that it has imported only one shipment of the subject goods from the subject countries during the period of investigation,

for captive consumption. The quantum of such imports is quite low when compared to the total imports into India, demand in India and domestic production in India and the focus of the producer has not changed from manufacturing to importation. It has correctly been considered eligible by the Authority to constitute domestic industry.

xxv. In India, met coke is either produced as an intermediate in manufacturing of steel or is produced as a product for production and sale in the market or is partly produced for sale and partly consumed in-house.

xxvi. There are at least 17 producers of the product producing met coke captively. Steel manufacturers producing met coke for captive use must not be considered for the purpose of the present investigation as they are essentially consumers of the product, they do not recognize met coke as a product, they do not compete in the merchant market, met coke is a raw material for them and not a product for sale and are insulated from the merchant market situation.

xxvii. The steel manufacturers do not specify met coke as a product on their website.

xxviii. Captive producers should not be considered for determining the scope of the domestic industry as done in the previous investigations on imports of the subject goods into India. The Tribunal in Pig Iron MRs. Assocn. Vs. Designated Authority upheld the findings issued by the Authority and held that steel producers which produce for captive consumption should not be considered as a part of the domestic industry.

xxix. Further, the economics of producers producing for self-consumption of the product and those producing for sale in merchant market are quite different as while the producers in the merchant market inter-se compete with each other as well as the imports, such competition is totally absent in case of producers who captively consume the product.

xxx. The Authority in the previous anti-dumping investigation and the Tribunal have held that the consideration of merchant market and captive market as different markets under Rule 2(b) is consistent with the Anti-Dumping Rules. Such Rules have been made in consonance with the Anti-Dumping Agreement. Since the Authority is a quasi-judicial body, it would follow its past decisions in this regard. No cause has been shown for a different view in the matter.

xxxi. The reliance placed on the decision of the Appellate Body in the US-Hot Rolled Steel is not appropriate since, in that case, the dispute was regarding the determination of injury to one part of the domestic industry and not the definition of the domestic industry. The Appellate Body in the said dispute stated that the injury analysis has to be done for the domestic industry as a whole and not for a segment of the domestic industry. However, such facts are not applicable in the present investigation as the Authority has not excluded certain parts of the domestic industry from injury analysis, but defined the domestic industry based on the proviso in the definition of the domestic industry.

xxxii. Reliance placed on the case of US-Cotton Yarn is misplaced as in that case the Panel held that the finding that vertically integrated fabric producers were not in competition with the imported yarn from Pakistan was incorrect. However, in the

present case, the steel manufacturers are opposing the anti-dumping duty on imports of the product under consideration as they are consumers of the product. Such manufacturers are not competitors in the merchant market but are procuring the subject goods from the merchant market, and consideration of merchant manufacturers for the determination of the domestic industry would be akin to consideration of consumers as part of the domestic industry.

xxxiii. The facts in the EC-Salmon case do not apply to the present investigation, as in that case, the producers of the product which purchased salmon were not considered part of the domestic industry, and only producers which farmed salmon were considered.

xxxiv. In the case of Morocco – Hot Rolled Steel, the investigating authority did not consider the market share of the producer, which was consuming the product under consideration captively as well as selling in the merchant market, for the determination of the fact whether the domestic industry was established in the said investigation. The facts of such dispute do not apply to the present investigation.

xxxv. Decisions cited by other interested parties are not recent decisions, which have not been previously considered. No cause has been shown to deviate from past practice of the Authority, especially when the practice has been upheld by the Tribunal.

xxxvi. The submission that the purchase or sale of plants or entrance of vertically integrated producers in merchant market would lead to a change in the constitution of the domestic industry is unfounded as the analysis for the determination of the domestic industry, as well as injury to the domestic industry, has to be conducted for the period of investigation and not based on a future scenario.

xxxvii. The injury margin is determined for the period of investigation. The captive producers cannot be considered for determination of injury margin till such time they sell the subject goods in the merchant market.

xxxviii. It is quite possible for the constitution of the domestic industry to change from period to period in any case. Reliance is placed on the findings of the Authority in the sunset review of anti-dumping duty on imports of Seamless Tubes, Pipes & Hollow Profile of Iron, Alloy or Non-Alloy Steel for China PR.

xxxix. Since Visa Coke has been considered ineligible, consideration of such an entity as a merchant or a captive producer would be completely irrelevant to the present investigation. Both Vedanta and Visa Coke sell to their related parties, which are independent entities, at arm's length basis. Such sales cannot be termed as captive consumption. Reliance is placed on the anti-dumping investigation into imports of Vinyl Tiles.

xl. Even if sales have been made to related parties, the sales are catering to the consumption in India. Had Visa Coke not supplied, the users would have procured from domestic market or through imports.

xli. The domestic industry has sent communication to all domestic producers to confirm their capacities, production and sales. Since there is no publicly

available information with regard to Indian production of the subject goods, the Authority may approach the domestic producers to verify the estimates provided by the applicant.

xlii. The Anti-Dumping Agreement does not provide for sampling of domestic producers, because it does not envisage determination of non-injurious price for calculation of injury margin. If Anti-Dumping Agreement is to be applied, then the duty should be applied to the full extent of dumping.

xliii. There is no legal requirement for the Authority to give a notice to other interested parties or seek comments for sampling in the present investigation.

xliv. In all past investigations, the Authority seeks comments from interested parties for sampling of foreign producers. However, in case of sampling of domestic producers, the Authority has not sought comments from interested parties in past cases, such as the case of Vitrified Tiles or Welded Tubes and Pipes.

xlv. Since the present application was filed under Trade Notice 09/2021, the other interested parties were well aware that the Authority would sample the domestic producers.

xlvi. The sampled producers account for 53% of the total production of the domestic industry in the period of investigation, and thus, represent a reasonable proportion.

xlvii. Selection of Bengal Energy Limited in sampled producers is appropriate since it is a merchant producer, notwithstanding its captive consumption, and is one of the largest merchant producers of the subject goods in India.

xlviii. The arguments concerning sampling are not tenable as the injury analysis is concerning the domestic industry as a whole and not just for the sampled producers, since the sampling is undertaken only for the purpose of determining a non-injurious price.

xlix. Since injury analysis is conducted for the complete domestic industry and not merely sampled producers, no separate Proforma IV-A was required consolidating the data for the sampled producers.

l. Shreeji Coke and Motherson Consolidated have not provided their data for the purpose of the present investigation, and accordingly, such producers cannot be considered as part of the domestic industry.

li. The scope of domestic industry is required to be determined in each investigation, and may change from investigation to investigation. There have been several investigations in the past for same products, wherein the scope of domestic industry was changed. The scope of domestic industry has changed compared to safeguard investigation only since Visa Coke has been treated ineligible in present investigation.

lii. None of the applicant domestic producers are related to the exporters of subject goods in the subject countries or importers of the subject goods in India.

liii. The applicant domestic producers account for major proportion of the total domestic production in India and hence, constitute domestic industry under Rule 2(b).

D.3 Examination by the Authority

36. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as follows:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers.*
>
> *Provided that in exceptional circumstances referred to in sub-rule (3) of Rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each of such market a separate industry, if -*
> *(i) the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market: and*
> *(ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory."*

37. The application for initiation of the present investigation has been filed by Indian Metallurgical Manufacturers Association ("IMCOM") on behalf of the domestic industry under Trade Notice 09/2021. The following members of the applicant association have provided injury data as per Annexure I to the Trade Notice 09/2021.
    i. Bhatia Coke and Energy (Aquaterra Coke & Energy Limited),
    ii. Bengal Energy Limited
    iii. BLA Coke Private Limited
    iv. Jindal Coke Limited
    v. Pawanputra ECoke Private Limited
    vi. Saurashtra Fuels Private Limited
    vii. SU Mangala Coke Private Limited
    viii. United Coke Private Limited, and
    ix. Vedanta MALCO Energy Limited

38. The other interested parties have submitted that the Authority has not examined whether the present case qualifies as that of fragmented industry and excessively large number of producers. The Authority notes that the application was filed by the applicant under Trade Notice 09/2021. Only after examining the nature of the industry, the Authority initiated the present investigation based on the application filed by association on behalf of industry. There is no legal requirement that the initiation notification should explicitly mention the nature of industry. The other interested parties were provided the non-confidential version of the petition filed by the applicant. The

initiation has to be read along with the application filed. The Authority considers that there are a large number of domestic producers of this product in India.

39. The Authority notes that in India, there are two competitive markets for the product under consideration. The first set of market comprises of captive producers of the subject goods which produce met coke as part of steel manufacturing process. It is noted that these manufacturers do not compete in the domestic merchant market as they usually do not sell met coke in the market. For such producers, met coke is an intermediate product for production of steel and such manufacturers are actually consumers of the product under consideration. Some of such manufacturers even purchase coke from the merchant market or import the same into India. The second market comprises of manufacturers whose final product is met coke. These producers manufacture the subject goods for selling in the merchant market. Such producers compete in the merchant market inter se as well as with the imports being made into India. For the purpose of the present investigation, the Authority has considered these as separate competitive markets and the producers within each of such market are a separate industry. Accordingly, the production of captive producers is not being considered for determination of total Indian production for the purpose of defining the domestic industry in the present investigation.

40. The Authority further notes that in the previous investigations on imports of the product under consideration, the Authority has considered merchant market and captive market as separate competitive markets and producers within each of these markets have been considered to constitute separate industry. The Tribunal, in case of, Pig Iron Mfrs. Assocn. Vs. Designated Authority upheld the findings issued by the Authority and held that steel producers comprise of a separate market.

41. With regard to the submissions that reference to two or more competitive markets under Rule 2(b) should be construed only as territorial as per the WTO Anti-Dumping Agreement, the Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules does not restrict bifurcation only based on geographical location but simply refers to "market". The Tribunal in India has already upheld the bifurcation of markets between captive and merchant markets for the purpose of determination of domestic industry. The Authority also notes that the Authority has treated captive and merchant producers and market as different in past investigations relating to this product. Further, the Authority has treated captive market as separate market in a large number of investigations.

42. The other interested parties have submitted that the captive producers can also compete with imported goods and may enter into the merchant market and bifurcation between partly captive and fully captive producers may lead to a situation where some producers are considered eligible as domestic industry in some periods and ineligible in some other periods. The Authority notes that the domestic industry is determined for the operations in the period of investigation only. The Authority determines whether the product was dumped in Indian market in this period and whether the domestic industry

suffered material injury in this period. Since no evidence has been provided on record to show that the captive producers have actually sold the subject goods in the merchant market, such producers have not been considered for determination of total Indian production for the purpose of determination of standing.

43. As regard the submissions that since captive producers have not been considered, the Authority should also not consider Bengal Energy Limited and Jindal Coke Limited, the Authority notes that Jindal Coke Limited has not consumed the product captively during the injury period including the period of investigation. The other interested parties have also submitted that Jindal Coke Limited has purchased furnace from Jindal Stainless Limited. However, as per the evidence on record, such furnace was acquired in 2015 and well prior to the injury period in the present investigation. Thus, such acquisition does not impact the merits of the present investigation.

44. With regard to Bengal Energy Limited, it is noted that the said producer has captively consumed as well as sold the subject goods in the merchant market during the injury period. Bengal Energy has majorly sold the subject goods in the merchant market and the captive consumption of the said company is less than 20% of its total production over the injury period. The Authority has hence, considered Bengal Energy Limited as merchant producer of the subject goods. Further, exclusion of the said producer will materially distort the analysis of the Authority as it is one of the largest merchant producers in the country. Even if only merchant sales of the said producer is considered, it alone accounts for ***% of the total merchant sale in India. The Authority also considers that domestic producers having captive consumption and merchant sales are required to be seen different from domestic producers who produce a product entirely for captive consumption and as an intermediate or input to the production of their finished product.

Particulars	Unit	
Production of BEL in the injury period	MT	***
Captive Consumption of BEL	MT	***
Share of captive consumption in production	%	10-20%

45. The Authority notes that the other interested parties have submitted that certain producers are in the process of setting up blast furnaces and should not be considered merchant producers. The Authority notes that during the injury period, only Bengal Energy Limited was operating a blast furnace and captively consuming some volume of subject imports. None of the other domestic producers captively consume the subject goods. Any future development with regard to setting up of blast furnaces and captive consumption of the subject goods are not relevant for the purpose of determination of domestic industry in the present investigation.

46. As regard the submissions that Visa Coke and Vedanta Malco Energy should not be considered as merchant producers as they have sold to group companies, the Authority notes that both Visa Coke Limited and Vedanta Malco Energy Limited have sold to their related parties which are independent entities. Such sales cannot be termed as captive consumption. Such sales cannot be termed as captive consumption. In any case, Visa Coke has been considered ineligible to constitute domestic industry in the present investigation due to the fact that it has imported significant quantity of subject goods from the subject countries during the period of investigation.

47. The Authority notes that at the time of filing the application for initiation of the present anti-dumping investigation into imports of subject goods from the subject countries, the following members of the applicant association provided data as per Annexure I of Trade Notice 09/2021.

1. Bhatia Coke and Energy (Aquaterra Coke & Energy Limited),
2. BLA Coke Private Limited
3. Pawanputra ECoke Private Limited
4. Saurashtra Fuels Private Limited
5. SU Mangala Coke Private Limited
6. United Coke Private Limited, and
7. Vedanta MALCO Energy Limited

48. The Authority notes that none of the abovementioned applicant domestic producers have imported the subject goods into India during the period of investigation. Further, the said producers are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importers in India.

49. The applicant further submitted that the following domestic producers have imported the product under consideration, and thus, should not be considered as part of domestic industry.

1. Shree Arihant Trade Links Private Limited
2. Shreeji Coke and Energy Private Limited
3. Motherson Consolidate
4. Bengal Energy Limited
5. Mahalakshmi Ennor Coke and Power Private Limited
6. Mahalakshmi Wellman Fuels LLP
7. Jindal Coke Limited
8. Visa Coke Limited

50. The Authority issued letters, dated 25th March 2025, to all domestic producers in India prior to initiation of the present investigation seeking information with regard to their capacities, production, sales, captive consumption and imports made by the producers during the injury period. The Authority also sought information on whether the producers support, oppose or are neutral to the application filed for initiation of the

investigation. The following producers supported the application and filed support letters.

1. Bengal Energy Limited
2. Carbon Edge Industries Limited
3. Coromandel Met Coke Industries
4. Harsh Fuels Private Limited
5. Jindal Coke Limited
6. Narayani Coke Private Limited
7. Nilachal Carbo Metalicks Limited
8. Shree Electromelts Limited
9. Tirupati Traders
10. Tamil Nadu Coke and Power Limited
11. Usha Fuels Private Limited
12. Varah Ventures (Foremerly known as Girdhari Coke)

51. The Authority notes that prior to initiation, Jindal Coke Limited has filed data as per Annexure I of Trade Notice 09/2021 and requested the Authority to consider it as part of the domestic industry. Since complete data as per Trade Notice 09/2021 has been provided by Jindal Coke Limited, the Authority has considered it as a part of the domestic industry in the present investigation. It has been further clarified by Jindal Coke Limited, that it has not imported the product under consideration into India from the subject countries during the period of investigation and it is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer in India.

52. Post initiation of the investigation, Bengal Energy Limited has filed data as per Annexure 1 of Trade Notice 09/2021 and has requested that it may be considered as part of the domestic industry for the purpose of the present investigation. The Authority notes that Bengal Energy Limited has imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. The producer has submitted that it imported only a single vessel from the subject countries during the injury period and is not a regular importer of the product under consideration. Further, the product imported has been captively consumed and not sold in the domestic market. The Authority further notes that the imports by Bengal Energy Limited are negligible as compared to subject imports, domestic production in India and demand in India. Bengal Energy is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer in India. Accordingly, the Authority has considered Bengal Energy Limited as part of the domestic industry for the purpose of the present investigation.

Particulars	Unit	POI
Imports by Bengal Energy Limited	MT	***
Subject imports	MT	34,34,806
Domestic production	MT	25,15,366
Demand	MT	66,10,837

Imports in relation to		
Subject imports	%	<2%
Domestic production	%	<2%
Demand	%	<1%

53. As per the information on record, the following producers have imported the subject goods from the subject countries in India during the period of investigation.

SN	Particulars	Production	Imports	Imports in relation to production
1.	Bengal Energy Limited	***	***	5-15%
2.	Mahalakshmi Ennor Coke and Power Private Limited	***	***	70-80%
3.	Mahalakshmi Wellman Fuels LLP	***	***	150-160%
4.	Motherson Consolidate	***	***	5-15%
5.	Shree Arihant Trade Links Private Limited	***	***	50-60%
6.	Shree Electromelts Limited	***	***	15-25%
7.	Shreeji Coke and Energy Private Limited	***	***	0-10%
8.	Visa Coke Limited	***	***	20-30%

54. The Authority notes that since imports by Bengal Energy Limited, Motherson Consolidate and Shreeji Coke and Energy Private Limited are not significant in relation to their production, total production in India and demand in India, such producers have been considered eligible to constitute domestic industry in the present investigation.

55. As regard the submissions that while Mothersons Consolidate and Shreeji Coke and Energy Private Limited have been considered as eligible but it is not clear whether they are part of the domestic industry, the Authority notes that as the import volume by such producers is negligible, they have been considered eligible to constitute domestic industry. However, such producers have not provided their data for the purpose of the present investigation and hence, the Authority has not considered them as part of the domestic industry. The production of such producers has been considered for determining the standing of the applicant domestic producers in the present investigation.

56. With regard to the submissions by the other interested parties that Jindal Coke Limited should not be considered as part of the domestic industry as it has imported the product under consideration into India, the Authority notes that while the applicant at the time of filing the application identified Jindal Coke Limited as an importer of the subject

goods, Jindal Coke Limited clarified that it has not imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. Further, the Authority has verified the claims made by the producer from the DG Systems data. Only after examining that Jindal Coke Limited has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation, the Authority has considered Jindal Coke Limited eligible to constitute domestic industry in the present investigation.

57. The other interested parties have submitted that Jindal Coke Limited is related to Jindal Stainless Steel as the said entities have two common directors. The Authority notes that as per the explanation in Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, a producer can be said to be related to an importer only when one of them controls the other or is controlled by a third period or together they control a third person due to which they behave differently from non-related producers. The applicant has submitted that while Jindal Coke Limited and Jindal Stainless Limited are part of Jindal Group, they are independent entities and are not controlled by each other or any third person. The Authority notes that there is only one common director in both the entities. Further, such director is a non-executive director in Jindal Coke Limited and hence, does not have control on day-to-day operations of the entity. While Jindal Coke Limited has 6 directors, Jindal Stainless Steel has 17 directors. The domestic industry has submitted that single non-executive director cannot exercise influence or control on both of the entities. Thus, the Authority holds that Jindal Coke Limited and Jindal Stainless Steel Limited are not related entities as per Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

58. The Authority notes that the domestic producers considered as part of the domestic industry in the present investigation account for 71% of the total eligible Indian production and along with supporters account for 84% of the total eligible domestic production. Since the domestic producers account for major proportion of total domestic production in India, the Authority concludes that the said domestic producers constitute domestic industry under Rule 2(b).

59. The Authority has undertaken sampling of the domestic producers in the present investigation. The following three domestic producers have been sampled based on the largest production volumes. The said producers have provided all information relevant as specified under Trade Notice 05/2021 for the present investigation. The other interested parties have submitted that it is not clear whether sampling has been undertaken for injury analysis. The Authority clarifies that the injury analysis has been conducted for domestic industry as a whole, which includes data provided by 9 producers. Sampling has been undertaken only for the purpose of determination of non-injurious price in the present investigation, where following three companies data have been considered.

a. Bengal Energy Limited
b. Bhatia Coke and Energy Limited (Aquaterra Coke & Energy Limited)
c. Jindal Coke Limited

60. With regard to the submissions that the sampling methodology is erroneous as no notice was given to other interested parties, the Authority notes that there is no requirement for giving a prior notice to other interested parties for sampling of domestic producers for NIP purposes. The application in the present case was filed under Trade Notice 09/2021 which mandates the Authority to select a sample of domestic producers for NIP purposes. The other interested parties were provided the non-confidential version of the petition and were fully aware that the procedure of such investigation would include sampling of domestic producers for the purpose of determination of non-injurious price.

61. As regard the submissions that Anti-Dumping Agreement does not allow sampling of domestic producers, the Authority notes that the same is due to the fact that the Anti-Dumping Agreement allows imposition of anti-dumping duty to the full extent of dumping margin. However, in India, the Rules mandate imposition of anti-dumping duty to the extent of injury margin or dumping margin whichever is lower. The sampling has been undertaken for the purpose of determination of injury margin. The injury analysis has been conducted for the domestic industry as a whole and no sampling has been undertaken for such analysis.

62. With regard to the submissions that the sampled producers should represent a reasonable proportion of domestic production, the Authority notes that the sampled producers account for more than 50% of total production of the domestic industry in the period of investigation. Thus, the sampled producers represent a reasonable proportion of the domestic industry.

63. The other interested parties have submitted that injury margin cannot be based on data by Jindal Coke Limited and Bengal Energy Limited as they may consume met coke captively in the future. The Authority notes that the submissions by the other interested parties do not find any merit under the law. Jindal Coke Limited has not consumed the subject goods captively during the period of investigation and Bengal Energy Limited has consumed a limited volume of its production captively. Any future event that may or may not happen does not distort the injury margin determined for the period of investigation wherein major sales of the sampled entities have been in the merchant market. The Authority also notes that NIP is based on production and is not impacted by utilisation of such production – whether for captive consumption or for sale in domestic or export market.

64. As regard the submissions that Bhatia Coke should not be considered as sampled entity as the same is under Insolvency process, the Authority notes that Bhatia Coke was under Corporate Resolution Process till 2022 and thereafter, was purchased by Aqua Terra. Since, the company is under a new management and not under insolvency in the period of investigation, consideration of Aqua Terra as a sampled entity is not inappropriate.

65. With regard to the submissions that the entities which have been considered part of the domestic industry have not been identified, the Authority notes that in the preliminary findings, the Authority has already noted the producers which have provided their data for the purpose of the present investigation. Further, the producers considered ineligible have also been identified in the preliminary findings. In any case, the Authority clarifies that the following table shows the standing of the domestic industry in the present investigation.

SN	Particulars	Unit	POI	Share
A	**Production of producers constituting domestic industry**	**MT**	**14,42,008**	**71.40%**
1.	Aqua Terra Coke & Energy Limited	MT	***	***
2.	BLA Coke Private Limited	MT	***	***
3.	Jindal Coke Limited	MT	***	***
4.	Pawanputra Ecoke Private Limited	MT	***	***
5.	Saurashtra Fuels Private Limited	MT	***	***
6.	Su Mangala Coke Private Limited	MT	***	***
7.	Vedanta Malco Energy Limited	MT	***	***
8.	United Coke Private Limited	MT	***	***
9.	Bengal Energy Limited	MT	***	***
B.	**Production of Supporters**	**MT**	**248,213**	**12.29%**
1.	Carbon Edge Industries Limited	MT	***	***
2.	Coromandel Met Coke Industries	MT	***	***
3.	Narayani Coke Private Limited	MT	***	***
4.	Neelanchal Carbo Metalicks Limited	MT	***	***
5.	Tirupati Traders	MT	***	***
6.	Varah Ventures (Girdhari Coke)	MT	***	***
7.	Harsh Fuels Private Limited	MT	***	***
8.	Tamil Nadu Coke & Power Private Limited	MT	***	***
9.	Usha Fuels Private Limited	MT	***	***
C.	**Production of Other Producers**	**MT**	**329,292**	**16.31%**
1.	Sandur Manganese & Iron Ores Limited	MT	***	***
2.	Vimla Fuels and Metal Limited	MT	***	***
3.	A-One Steels India Limited	MT	***	***
4.	Krishna Coke India Private Limited	MT	***	***
5.	Genus Paper and Coke Limited	MT	***	***
6.	MV International	MT	***	***
7.	Shreeji Coke and Energy Private Limited	MT	***	***
8.	Jagganath Combine Coke Limited	MT	***	***
9.	Mindspace Coke Private Limited	MT	***	***
10.	Motherson Consolidate	MT	***	***
D.	**Total Eligible Production**	**MT**	**2,019,514**	**100.00%**

66. As regard the submissions that the composition of domestic industry has been changed from the previous trade remedial investigation, the Authority notes that the domestic industry is determined for each investigation separately. The requirement under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules is that the domestic producers constituting domestic industry should account for a major proportion of Indian production. Since the domestic producers considered as part of the domestic industry in the present investigation account for a major proportion, the domestic industry has been correctly defined. In any case, the Authority notes that the scope of the domestic industry has been enhanced in the present investigation as compared to the safeguard investigation. While only 5 producers were considered as part of domestic industry in the previous investigation, 9 producers as listed in the SN "A" of the above table constitute the domestic industry in the present investigation.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submission of other interested parties

67. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.

i. While the applicants have submitted that Jindal Coke Limited is an importer of the product under consideration, the Authority has noted that it has not imported the product under consideration. In case, any clarification was filed by the applicant, the same was not circulated to the other interested parties.

ii. The applicant has claimed excessive confidentiality as actual figures for PBIT have not been provided. Further, calculation for non-injurious price has not been provided.

iii. The domestic industry in its petition has not disclosed the non-injurious price in the range of +/- 10%, and such information has also not been disclosed in the preliminary findings.

iv. The non-confidential version of the costing information of the domestic industry has excessively confidential and lacks reasonable summary.

v. The domestic industry has claimed excessive confidentiality regarding technical specifications; sales, capacity and production of application; actual demand in India; market share in India; and projected growth and evidence establishing material retardation.

vi. Even though the entire submission of the applicant is based on material retardation, blanket confidentiality has been claimed on the alleged project reports submitted.

vii. The transaction-wise import data was not provided by the Authority despite being requested by the other interested parties.

viii. Annexure II of Trade Notice No. 09/2021 sets forth certain requirements, one of which is a complete list of members of Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association. A non-confidential version of this list has not been made available to the interested parties by the domestic industry.

ix. The interested parties also do not have access to Proforma IV-A, if any, filed on behalf of the sampled producers. Injury data provided by Jindal Coke has not been provided to interested parties.

x. The applicant has claimed the normal value calculations confidential in its entirety and have not provided any non-confidential summary of the same. Thus, the other interested parties have been unable to verify the accuracy of the information submitted.

xi. The basic data from which the impact of duty has been quantified in the preliminary findings should be disclosed to all interested parties.

xii. The asserted minimal downstream price impact should be disclosed in non-confidential form with underlying assumptions and factors, including consumption factors, captive versus merchant shares and a sensitivity analysis for specialized grades. Further, a comparable metrics for ferroalloy and foundries should be shared.

xiii. There is excessive confidentiality of information in the preliminary findings since the Authority has not disclosed the landed price. As held by the Supreme Court in Union of India vs Meghmani Organics Ltd & Ors, the Authority cannot claim information confidential.

xiv. Other injury parameters have not been disclosed, despite the fact the injury parameters relate to 9 producers, and disclosure of aggregate data would not prejudice interests of individual producers.

xv. The facts used for determination of export price have not been disclosed in the preliminary findings.

xvi. The blanket confidentiality claimed on Annexure 3 is grossly prejudicial to the interested parties, as it is not possible to ascertain the correctness of the import data.

xvii. The data of Bengal Energy Ltd. was not circulated to all parties. No information was provided regarding claimed non-injurious price and injury margin, as consolidated information as per Formats has not been supplied.

E.2 Submissions made by the Domestic Industry

68. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:

i. A number of foreign producers have claimed the names of traders and exporters which have exported their product to India confidential.

ii. A number of producers / exporters have claimed excessive confidentiality as they have not disclosed the distribution and marketing channel as well as details about related companies, nature of expenses claimed as adjustment, production process and names of raw material.

iii. Product catalogue and brochure as well as list of products sold which is routinely shared with the customers have been claimed confidential.

iv. A number of parties have not provided justification for confidentiality in accordance with Trade Notice 01/2013.

v. A number of producers and exporters have claimed company affiliations, shareholding and names of producers of the product exported by them as confidential.

vi. Details and nature of post invoicing discount given has been claimed confidential.

vii. The other interested parties have not adhered to the requirement of Trade Notice 10/2018.

viii. The other interested parties have even claimed their submissions confidential in entirety due to which the domestic industry has not been able to defend its interest.

ix. The applicant has not claimed blanket confidentiality and has provided detailed justification for confidentiality claimed for each parameter.

x. Since the impact analysis is based on the selling price and non-injurious price, the same is confidential. Disclosure of such information would adversely impact the interests of the domestic industry. An appropriate non-confidential summary has been provided.

xi. A non-confidential version of impact has already been disclosed, and the Authority has disclosed the consumption factor and share of merchant production considered for such calculation.

xii. The costing information of the sampled domestic producers is business proprietary information, disclosure of which will adversely impact the interest of the producers in the domestic market. Even the other interested parties including Nippon Coke and BlueScope have claimed such information confidential.

xiii. The Authority has already disclosed volume related injury parameters in the preliminary findings. As regards profitability parameters, the same constitute confidential business sensitive information, disclosure of which will adversely impact the interest of the domestic producers in the Indian market and provide undue advantage to the competitors. The applicant has duly justified its confidentiality claims in this regard in its application itself.

xiv. Disclosure of actual selling price and cost of sales information would allow customers to negotiate based on average prices in the market. Further, other domestic producers may redraw their marketing and pricing strategies having regard to prices of the domestic industry. As a result, the position of the domestic industry would be severely compromised and may result in loss of sales, if such information is disclosed.

xv. The applicant has relied upon impot data from third parties, which the applicant has not been authorized to share. The applicant provided summary of import data in form of country wise information. None of the interested parties have contended that the data submitted by the domestic industry is incorrect.

xvi. The Authority has not relied upon the import data submitted by the domestic industry, but relied on DG Systems data.

xvii. The domestic industry has not provided technical specifications and has not based its submissions on the same. The domestic industry has provided technical parameters wherever submissions have been made in this regard, and has not claimed the same as confidential.

xviii. The present case is not that of material retardation and the submissions are irrelevant insofar as they relate to project growth and evidence.

xix. The other interested parties must be directly to clarify which Annexure 3 they are referring to.

E.3 Examination by the Authority

69. Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

> *"7. Confidential Information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, subrule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
> *(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

70. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

71. A list of registered interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

72. As regard the submissions that the domestic industry has not shared transaction wise import data, the Authority notes that the domestic industry has relied upon market intelligence to provided information with regard to imports of subject goods in India. A non-confidential summary of the same has been shared with all interested parties. In

any case, no prejudice is caused to the interest of any interested party by not sharing transaction wise information as the Authority has relied upon DG Systems data and not the data provided by the domestic industry.

73. The other interested parties have submitted that a non-confidential version of list of members of the association has not been provided by the domestic industry. Further, the domestic industry has claimed that the other interested parties have not provided the distribution channel and adjustments claimed for fair comparison. The Authority notes that the domestic industry as well as the other interested parties have claimed excessive confidentiality. The Authority has directed all interested parties including the domestic industry vide email dated 24th October 2025 to disclose the said information.

74. With regard to the submissions that the domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to actual figures of PBIT and normal value calculations, the Authority notes that the domestic industry has submitted that normal value has been determined based on cost of production of the domestic industry. Since cost of production is confidential business proprietary information, the same has been claimed confidential. The Authority has accepted the confidentiality claims in this regard. The domestic industry has further submitted that the information with regard to profitability of the domestic industry is confidential business proprietary information disclosure of which will provide competitive advantage to the competitors and provide an edge for negotiation of prices to the users and hence, claimed confidential. The Authority has accepted the confidentiality claims in this regard.

75. As regard the submissions that the domestic industry has not shared the clarification based on which the Authority has noted that Jindal Coke Limited has not imported the subject goods in India, the Authority notes that Jindal Coke Limited has filed support letter in the present investigation post filing of the petition. The non-confidential version of such letter has been circulated to all interested parties. Jindal Coke Limited has stated that it has not imported the product under consideration into India during the period of investigation from the subject countries.

76. The other interested parties have submitted that non-injurious price determined has not been shared in range. The Authority notes that the application for the present investigation has been filed under Trade Notice 9/2021. The non-injurious price and injury margin in an investigation for fragmented industry is determined for the sampled producers. Since the Authority did not conduct sampling at the time of filing of petition, the applicant did not determine non-injurious price and injury margin. The Authority has determined the non-injurious price and injury margin for the domestic industry based on costing data of sampled producers. The injury margin has been disclosed in the preliminary findings as well as the present disclosure statement.

77. As regard excessive confidentiality with regard to costing information filed by the domestic industry, the Authority notes that the said information is confidential business

proprietary information of individual domestic producers and disclosure of such information will be prejudicial to the interest of the domestic producers. Further, the other interested parties have also claimed their costing information confidential. The Authority has accepted such claims for both domestic industry and other interested parties.

78. Neo Metaliks Limited has submitted that the domestic industry has claimed information with regard to projected growth and evidence for material retardation confidential. The Authority notes that the domestic industry has not claimed material retardation in the present case and thus, such submissions are factually incorrect.

79. With regard to the submissions that the domestic industry has not provided Proforma IV-A for sampled producers and data of Jindal Coke Limited and Bengal Energy Limited, the Authority notes that non-confidential version of data filed by Jindal Coke Limited has been circulated to all interested parties. Further, injury has been determined for domestic industry as a whole and Proforma IV-A for domestic industry as a whole has been provided to the other interested parties.

80. The Authority notes that impact analysis is based on the selling price and non-injurious price of the domestic industry. Such information is confidential business proprietary information of the domestic industry and cannot be disclosed to the other interested parties. However, a non-confidential version of impact has been shared.

81. With regard to disclosure of aggregate data, the Authority notes that the volume information for the domestic industry has already been disclosed to the other interested parties. The domestic industry has claimed that disclosure of actual selling price and cost of sales information would allow customers to know the level of profits earned by the domestic industry on (a) average selling price, (b) selling price being paid by the users. This would provide customers higher negotiation powers. The disclosure of such information will also allow the competitors to adjust their prices in the domestic market. Accordingly, the Authority has accepted the confidentiality claimed of the domestic industry in this regard.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submissions by other interested parties

82. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.

i. The petition filed is deficient as it does not contain non-injurious price, injury margin, formats VI-1 to VI-5, Annexure I for each producer as well as actual figures for PBIT.

ii. There is no need for a preliminary findings in the present investigation as the domestic industry has earned cash profits which do not reflect a situation of grave

injury to the domestic industry. There is no evidence of intensified imports post initiation of the present investigation.

iii. The preliminary findings do not explain why the imposition of provisional duties was necessary, as required under Article 7.1(ii). Simply because an investigation has been initiated and the Authority has preliminarily undertaken an examination is not sufficient reasoning for imposition of provisional duties.

iv. In accordance with the Manual of Operating Procedures a provisional duty may be considered if there arises an 'urgent need' for protection of the domestic industry from injury on account of intensified dumped imports.

v. There is an overlap of injury period between the safeguard investigation and the anti-dumping investigation. The injury caused to the domestic industry will be addressed by the quantitative restrictions in force.

vi. The domestic industry has already obtained a safeguard measure based on an overlapping injury period. The domestic industry cannot indulge in "shopping" for trade remedies by merely extending the period by 15 months and presenting nearly the same fact situation to seek anti-dumping duties when there has been no substantive change in circumstances. The domestic industry should have considered the price suppression and depression due to low priced imports in the previous period, before seeking safeguard measures.

vii. The petition and the preliminary findings do not provide any explanation as to why the existing quantitative restrictions failed to remedy the situation, thereby necessitating the initiation of an anti-dumping investigation in the very year in which restrictions continued to remain operative.

viii. The Manual of Operating Practices requires intensified dumping to be a criterion for imposition of duty, which is absent in the present case.

ix. The initiation of the present investigation is without any basis as the applicants have not presented substantive evidence to prove condition of initiation for an anti-dumping investigations.

x. The applicants are taking undue advantage of the trade remedial process. The product under consideration is currently subjected to safeguard measures and was previously subject to anti-dumping duty.

xi. In the sunset review initiated in 2019, the Authority did not recommend continuation of duty since it was satisfied that sufficient protection had already been granted to the industry.

xii. The Met Coke industry in Japan is operating under severe conditions due to excessive expansion of capacity by Chinese-capital enterprises in Indonesia. This has displaced Japanese Met Coke globally, forcing Japanese producers to reduce capacity. The Japanese industry does not engage in dumping, but rather adopts a differentiation strategy, specializing in high-quality Coke sold at stable prices based on raw material costs. Thus, 80% of Met Coke from Japan is imported by two Indian companies for their highly specialized blast furnace operations, under long-term supply relationships and at fixed prices not impacted by the demand-supply principles.

xiii. Following production cuts, the primary goal of Japanese producers is survival and maintaining profitable operations, and thus, they would not engage in dumping by selling at loss. Since there is no intention to add capacity, there is no long-term strategic rationale to gain market share in India.

xiv. Due to the deficiencies in the evidence for export price including ocean freight considered at stage of initiation, the initiation itself is bad in law, and the investigation must be terminated.

xv. Since AMNS only imports Met Coke for its own consumption and does not resell in the market, the Authority should exempt such actual users from the duties. In any case, AMNS is in the process of commissioning its own coke oven battery.

xvi. Since the domestic industry submitted an adjustment plan, acknowledging issues and factors which need improvement; the Authority should examine the degree and extent of the injury claimed attributable to such inefficiencies.

xvii. Since remedial effects of quantitative restrictions would be visible in January to September 2025, the performance for such period should be analysed.

xviii. The factual inconsistency prior to initiation with regard to imports by Jindal Coke renders the process violative of Rule 5(3)(b), since the Authority did not examine adequacy and accuracy of information.

xix. The domestic industry also approached the DGFT for import restrictions, which were withdrawn once provisional duties were imposed. This shows that the domestic industry is only running on the mercy of the government, rather than enhancing its output, quality and competitiveness.

xx. Since the application was not for the period of investigation, the petition cannot form basis for an accurate analysis of dumping, injury and causal link.

xxi. There is diversification in the conditions of competition between domestic and foreign supplies as well as the supplies from foreign sources inter se, depending on the type of sector. The subject goods supplied for steel are under different conditions than that supplied to other sectors, including pig iron and sponge iron manufacturers as, in such sectors, sales are concluded based on long-term contracts or spot basis. However, despite repeatedly approaching all major domestic suppliers, none of the domestic suppliers have agreed to enter into a long-term supply agreement with Neo Metaliks or even replied to their request. Even foreign producers did not supply on long-term contract basis and focus on their own joint ventures and related entities.

xxii. Since the domestic industry favoured spot sales and rejected long term contracts, there was an acute shortage of ascertained supply of subject goods domestically for non-steel sectors and the availability is limited to 'spot market' basis, hampering a sustained production plan.

xxiii. Since the volume-based injury is already addressed by safeguard measures, any current injury should be corrected through a reference price-based duty or a trigger price duty, particularly in view of the demand-supply gap and the increasing demand for the downstream product.

xxiv. The imposition of duties would be inconsistent with the Anti-Dumping Agreement, and with the spirit of the CEPA between Japan and India, to liberalize and facilitate trade.

F.2 Submissions made by the Domestic Industry

83. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.

i. The import price has continued to decline even post the period of investigation especially from Indonesia

ii. There is a need for imposition of provisional anti-dumping duty as the decline in prices post period of investigation has caused significant injury to the Indian industry.

iii. No new material submissions have been made by the other interested parties post issuance of the preliminary findings, and thus the preliminary findings should be confirmed in the final findings.

iv. The law does not require any special circumstances to be fulfilled before preliminary findings are issued. The global practice, including in jurisdictions such as USA, Canada, European Union and Australia, is to record preliminary findings in all investigations.

v. Considering that the domestic industry has suffered injury in three out of four years during the injury period, there was sufficient justification for imposition of provisional duties.

vi. The imposition of interim anti-dumping duty shows that the Government of India acknowledges that there is intensive dumping of the subject goods in the Indian market, causing material injury to the domestic industry in India.

vii. The period of investigation considered for the anti-dumping investigation and the most recent period in the safeguard investigation are different. After the safeguard investigation period, the producers in the subject countries have engaged in dumping of the product under consideration in India.

viii. If the performance of the domestic industry is evaluated in the period of investigation as compared to the previous year, it will show deterioration and material injury due to dumping from the subject countries. The domestic industry is not claiming injury in the same period and requesting two types of measures simultaneously.

ix. While the safeguard investigation showed that imports had increased due to unforeseen circumstances, the present investigation shows dumping. Thus, appropriate remedy has been sought, as applicable.

x. There are multiple cases where investigating authorities, including DGTR, has found it appropriate to apply safeguard measures and anti-dumping duty simultaneously on the same product. By contrast, the domestic industry has only sought imposition of anti-dumping duty after expiry of safeguard measures.

xi. The quantitative restrictions were in force for only a period of one year. Even if the domestic industry could have recovered under the quantitative restrictions, the effect of such measures has already lapsed.

xii. Considering that the quantitative restrictions were not in force both during the period of investigation and when the anti-dumping duty was imposed, the reliance on the quantitative restrictions is unnecessary.

xiii. There was no legal requirement for the petition or the preliminary findings to explain why quantitative restrictions were insufficient to address injury.

xiv. Since the Indian industry had requested safeguard measures for a period of only one year, an adjustment plan was not submitted. In any case, the domestic industry cannot be expected to adjust to safeguard measures if the foreign producers engage in dumping as soon as the Authority recommends the imposition of quantitative restrictions.

xv. The Authority determines weighted average non-injurious prices for sampled producers and not for the domestic industry as a whole. At the time of filing of data by Bengal Energy Limited, the Authority had not undertaken sampling and hence, non-injurious price and injury margin were not quantified.

xvi. The domestic producers have only filed their costing information. The non-injurious price and injury margin has been determined by the Authority, and shared in the preliminary findings. However, no party has made any comments with regard to the same.

xvii. The data for Bengal Energy Limited and updated consolidated data as per Trade Notice 9/2021 was circulated by the domestic industry on 24th April 2025.

xviii. Since Mundra Petrochem Limited did not participate within the prescribed timelines prescribed, the belated participation should not be entertained. It is well settled that where a party sleeps on its rights, it cannot demand a remedy.

F.3 Examination by the Authority

84. With regard to the contention that the application filed is deficient, the Authority notes that the application has been filed under Trade Notice 09/2021 by the association of domestic producers in India. The applicant domestic producers have provided data in form of Annexure I to Trade Notice 09/2021. As per the requirements of the Trade Notice, the applicant domestic producers are not required to file detailed information in form of Formats VI-1 to VI-5. The Authority has undertaken sampling of domestic producers in the present investigation and the detailed formats VI-1 to VI-5 have been filed by the sampled producers. Based on the detailed formats filed, the Authority has determined the non-injurious price as well as the injury margin.

85. The Authority does not find merit in the contention of the other interested parties that the present investigation is initiated without any basis. The Authority notes that the domestic industry had submitted the *prima facie* evidence of dumping, injury and causal link in the application filed. Only after examining and being satisfied with regard to the *prima facie* evidence of dumping, injury and causal link, the Authority proceeded to initiate the present investigation.

86. With regard to the submissions that due to deficiency in evidence with regard to ocean freight the initiation is itself bad in law, the Authority notes that the present investigation was initiated based on prima facie evidence of dumping, injury and causal link. The domestic industry has submitted evidence which was reasonably available to it at the time of initiation of the investigation. None of the interested parties have made any comments with regard to appropriateness of the evidence provided until issuance of preliminary findings. The Authority based on the submissions made by the other interested parties has now considered the evidence for ocean freight provided by the interested parties. Even after consideration of said evidence, the data on record shows that the producers in the subject countries have engaged in dumping which has caused injury to the domestic industry. Thus, dumping is evident even based on the evidence provided by the other interested parties.

87. As regard the submission that the Authority has not examined the accuracy and adequacy of the evidence prior to initiation as there was inconsistency in the application regarding imports by Jindal Coke Limited, the Authority notes that prior to initiation of the investigation, the submissions and evidence provided by the domestic industry were sufficiently examined. While the applicant submitted that Jindal Coke Limited was importer of the subject goods, the Authority sought information from Jindal Coke Limited and verified that the said producer has not imported the subject goods from the subject countries into India during the period of investigation. Accordingly, the same was considered eligible to determine domestic industry in the present investigation.

88. With regard to the submissions that there is no justification for imposition of provisional duties, the Authority notes that the domestic industry has suffered material injury due to dumping of subject imports into India. The domestic industry has incurred financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed in the period of investigation. The domestic industry has submitted that the import price has declined even post period of investigation causing intensified injury to the domestic industry. In such a case, there is an immediate need for remedying the material injury being caused to the domestic industry due to dumping of subject imports from the subject countries.

89. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that in the past the subject goods have been subject to anti-dumping duty. The Authority recommended imposition of anti-dumping duty after examining and determining that the producers in the subject countries were dumping the subject goods in India due to which the domestic industry suffered material injury. In the previous findings, the Authority had come to a conclusion that the exporters have engaged in unfair trade practice of dumping. Accordingly, the anti-dumping duty had been recommended. Further, the safeguard measures were recommended after concluding that the imports increased in such quantities that the same cause serious injury to the domestic industry.

90. The other interested parties have submitted that the Authority in 2019 did not recommend continuation of anti-dumping duty pursuant to a sunset review as the domestic industry had already been sufficiently protected. The Authority notes that there was no sunset review conducted in 2019 and such submissions are factually incorrect.

91. As regard the contention that the injury period of present investigation overlaps the injury period in the safeguard investigation, the Authority notes that the period of investigation in the present investigation is October 2023 – September 2024. The most recent period considered in the safeguard investigation was April 2022 – March 2023. Further, the Authority has determined dumping only for the period of investigation. In such a case, overlap of the period does not change the merits of the present investigation.

92. With regard to the submissions that performance of the domestic industry should be seen for the period in which safeguard measures were in force, while there might be a slight improvement in the performance of the domestic industry due to imposition of safeguard measures, such measures were for a temporary period. Since the producers in the subject countries have engaged in unfair trade practice, there is a need for imposition of anti-dumping duty based on the period of investigation in the present investigation.

93. The other interested parties have submitted that the Japanese industry is operating under severe conditions and do not engage in dumping. The Authority notes that as per the data on record, the Japanese producers have dumped the subject goods in India during the period of investigation. Even if the Japanese producers are struggling due to Chinese investment, they are nevertheless engaging in unfair trade practice of dumping in the Indian market. While it has been submitted that the Japanese producers are supplying to only two consumers in India under long term contracts, the information on record shows that at least 10 importers have imported the product under consideration from Japan during the injury period.

94. As regard the submission that AMNS imports for its own consumption and does not resells the product under consideration in the domestic market, hence, should be excluded from the anti-dumping duty, the Authority notes that such submission is legally unsustainable. Anti-dumping duty is applicable to both consumers and traders of the product under consideration where the Authority finds that the foreign producers have engaged in dumping which has caused injury to the domestic industry.

95. With regard to the submission that the adjustment plan submitted during the safeguard investigation should be considered, the Authority notes that the domestic industry had requested safeguard measures only for a period of 1 year and accordingly, there was no need for provision of an adjustment plan.

96. The other interested parties have submitted that the DGFT had withdrawn import restrictions once the provisional duties were levied by Ministry of Finance and the domestic industry is operating at mercy of the government. The Authority notes that the purpose of the present investigation is to examine whether the producers in the subject countries have engaged in unfair trade practice of dumping and if such dumping has caused material injury to the domestic industry. The measures recommended by the Authority are not protective in nature but only remedial with regard to the injury suffered by the domestic industry due to dumping in India.

97. Neo Metaliks Limited has submitted that the petition filed by the domestic industry was not for the period of investigation. The domestic industry has filed the petition in the present investigation as per the period of investigation considered by the Authority.

98. Neo Metaliks has submitted that the domestic producers have refused to enter into long term contracts and prefer spot sales. The Authority notes that different preference in terms of sales is not a justification for dumping of the goods causing injury to the domestic industry. Further, the user has itself stated that even the exporters have refused to enter into long terms contracts. Hence, the user is not at a disadvantage in procuring from the domestic industry.

99. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty will not be against the spirit of CEPA between India and Japan as the spirit of India-Japan CEPA is not to allow dumping in any of the markets or destruction of fair market conditions in India or Japan.

100. With regard to the submissions that there is demand-supply gap in the market and reference price duty should be imposed, the Authority notes that there is no demand-supply gap in India and there is no justification for imposition of reference price duties. The Ministry of Finance has already imposed provisional anti-dumping duty in fixed form and the same form is appropriate.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by the other interested parties

101. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the market economy treatment, normal value, export price and dumping margin.

i. The applicant has failed to provide sufficient explanation that it was appropriate to proceed with construction of the normal value.

ii. The application does not contain sufficient evidence of dumping to justify initiation of the investigation and imposition of provisional measures. The applicant has not furnished any evidence for the computation of the normal value as per Section 9A(1)(c). The cost of production provided does not relate to the

cost in the subject countries. The Panel has observed in Morocco – Definitive AD Measures on Exercise Books (Tunisia) that sufficient evidence must be provided in application regarding normal value, export price and adjustments for fair comparison.

iii. The Authority has accepted the normal value claimed based on cost of production. This is inconsistent with the observations of Panel in the case of Colombia – Frozen Fries, wherein the Panel found that the investigating authority had not discharged its obligation, by relying on exports to third country for determination of normal value, without satisfying the conditions under Article 5.2.

iv. While the Authority has noted in the initiation notification1 that the normal value has been computed based on representative cost of production in the subject countries, the normal value has been calculated with respect to cost of production of the domestic industry only.

v. The adjustments to export price are not substantiated, including for ocean freight. The ocean freight is inflated since the applicant has considered ocean freight for container cargo, whereas Met Coke is exported in bulk.

vi. The ocean freight claimed for Colombia is the lowest, despite the country being the farthest, which shows the unfounded claims made regarding freight.

vii. If the Authority appropriately adjusts ocean freight charges, the dumping margin for Japanese exporters would be nil. Additionally, if the adjustments towards commission, credit costs and inventory carrying costs are disregarded, the dumping margin for all subject countries would be very low or de minimis.

viii. Multiple interested parties including AMNS and MCC had placed actual freight invoices on record showing actual bulk freight. Further, certain producers from Japan had furnished a response. The same should be considered, as the export price can only be determined after considering actual freights.

ix. Any submission by domestic industry for reliance on incorrect ocean freights should be rejected since (a) there is no statutory or customary law backing to such claim, (b) the domestic industry misled the Authority, (c) MCC brought the issue to the notice of the Authority at the first opportunity itself, in the comments to the preliminary findings.

x. Even though the response filed by the responding producers was rejected, the freight cost furnished should have been accepted. The interested parties are furnishing the actual freight incurred for Met Coke, which is significantly lower than that presently considered.

xi. There are no commission agents involved in the sale of the subject goods, as the importers purchase Met Coke directly from the producers. Further, the importers purchase Met Coke based on Letters of Credit and advance payment, and thus, there is no credit cost involved.

xii. Since inventory carrying cost is not a logistics cost, it shall not be deducted from the export price.

xiii. BlueScope has exported through two unrelated entities, Noble and Trafigura. Nobel has been acquired by Vitol during the period of investigation and hence,

was unable to participate. Trafigura has sold the subject goods to Tata Steel Limited which has participated in the present investigation and hence, the information is available with the Authority.

xiv. In case the Authority does not grant individual margins to BlueScope, imports from Whyalla Steelworks in Australia should be excluded from calculation of landed price as it is not related to BlueScope and has permanently closed operations prior to the period of investigation. Such imports are not representative of current Australian production or export behaviour.

xv. Even in application of facts available, the discretion of Authority does not extend to punishing a non-cooperative exporter with an extremely adverse rate of duty. The same view was taken by the Panel in US – Anti-Dumping and Countervailing Duties (Korea), and by the Supreme Court of India in Dye Stuffs Manufacturers' Association vs. Government of India.

xvi. The mass rejection of the questionnaire responses is arbitrary and unjustified. The Authority should have sought clarifications regarding any missing information, instead of summarily rejecting the data. As held by the Appellate Body in United States – Anti-dumping duty and countervailing measures on steel plate from India, the unavailability of certain information does not justify the automatic rejection of the entire submission.

xvii. Since the exporters submit their data timely, and there is no finding that data was unusable or unverifiable, the response could not have been rejected merely due to incomplete value chain. The Panel in US – Anti-dumping and Countervailing Duties (Korea) has observed that even if the investigating authority found certain information missing or that the interested party impeded the investigation, the authority was required to consider the information that was furnished directly in response to the request of the authority, and met the criteria laid down under the Agreement.

xviii. As per para 8(v) of the Questionnaire, the Authority was required to evaluate the case on facts and merit, before rejecting the response. The Authority cannot impose more stringent burden than as mandated by questionnaire or under Article 6.8.

xix. While the procedure requires participation of entire export chain, the cooperating producer cannot be penalized for non-cooperation of an unrelated third-party trader that operate independently and would not share confidential information with the producers.

xx. Authority should have calculated the individual margin based on information submitted on record, as done in the case of Polyester Spun Yarn.

xxi. Risun Group has cooperated with the Authority and responded to all queries raised. The names of customers as recorded in commercial documents were furnished. The Authority should have informed the deficiencies to the parties and provided an opportunity to cure such deficiencies before resorting to rejection.

xxii. Even if the export price information is not complete, the information regarding normal value cannot be rejected.

xxiii. The exporters did not misguide Designated Authority as the names of all unrelated parties were transparently disclosed, and all sales documents were provided on record. Such sales documents show that the consignee was an Indian customer, which establishes the destination of the goods.

xxiv. The three trading channels were disclosed in good faith to the Authority, including the exports through unrelated traders. Such traders should not have been treated as related parties, and therefore, their failure to respond cannot be grounds for rejection. In case it was considered that a trader is related, appropriate clarifications should have been sought.

xxv. Traders which do not satisfy criteria of 'related party', are not controlled by respondent and cannot be arbitrarily labelled related by authority.

xxvi. Information submitted by the exporters, including related traders, was sufficient for determination of export price, dumping margin and injury margin. In case of PT Kinrui, the export price could have been determined based on first sale or resale by the related trader, as the case may be, to an independent customer.

xxvii. Section 9A(1)(b) of the Act or Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement do not require participation by unrelated traders, or that the independent buyers be located in the importing country.

xxviii. The Authority has committed grave procedural and substantive errors in preliminary findings, by failing to conduct an independent review of the specific data submitted by PT Kinrui, and instead mistakenly reproduced the analysis of another company PT Detian.

xxix. If the Authority is relying on information from unrelated intermediaries to reach conclusions on dumping margin and injury margin, the methodology and computation should be disclosed, as held in Nirma Limited vs. Union of India and in Viztar International Pvt. Ltd. v. Union of India.

xxx. In Farmsons Pharmaceuticals Gujarat Pvt. Ltd. v. Union of India, it was held that final findings contrary to Disclosure Statement, where no additional information post disclosure was provided to parties, was violative of natural justice. Even in the present case, the Authority has failed to supply proper reasoning or disclosure leading to adverse conclusions.

xxxi. Even if the export chain is not 100% complete, the Authority cannot discard the actual export price of export volume for which information has been submitted.

xxxii. Article 6.2 of the Anti-Dumping Agreement enshrines principles of natural justice, as the right to be heard, and the right to access adverse information, subject to confidentiality requirements.

G.2. Submissions made by the Domestic Industry

102. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to market economy treatment, normal value, export price and dumping margin:

i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's accession protocol, and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.

ii. The applicant does not have access to selling price or cost in an appropriate market economy third country as it is not available in the public domain. Imports into India cannot be considered as goods are majorly being dumped in India. Imports other than Poland are negligible and hence, cannot be used for normal value determination.

iii. Majority of imports from Poland are by Arcelormittal Nippon Steel India under a long-term agreement. Therefore, such price is influenced and not based on demand-supply principles. Furthermore, the product under consideration has been imported under several different codes and hence, exports from such countries to other countries cannot be considered.

iv. The normal value for China PR has been determined on price payable in India, based on cost of production of the domestic industry duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

v. Since the price lists or commercial invoices for sales in the local market of other countries were not available to the applicant, the normal value has been determined on alternate basis.

vi. The dumping margin does not cover the full extent of dumping as the normal value is understated, being based on the lowest optimised cost of one of the sampled domestic producers in the present investigation.

vii. Optimized cost of production is required to be considered only for determination of non-injurious price under Annexure – III. However, normal value is determined under Annexure – I, and the provisions of Annexure – III are not applicable.

viii. The lowest cost of production amongst the sampled domestic producers cannot be considered as such a practice essentially rewards producers / exporters for their non-cooperation and discourages participation in a situation where normal value is higher than the cost of production of the domestic industry

ix. The applicant is required to provide only such information as is reasonably available to them, including with regard to the normal value. In the present case, the applicant had already provided such information as was reasonably available to them at the stage of application itself and thereby discharged its obligations.

x. The applicant constructed the normal value based on the cost of production. The other interested parties have failed to provide any information to show that there was alternative information available, which the domestic industry did not furnish.

xi. The Authority has accepted normal value based on the cost of production in India in several investigations, where alternative information was not available. Such normal value has also been found appropriate by Tribunal in Automotive Tyre Manufacturers' Association. vs. Designated Authority.

xii. The interested parties are misinterpreting Colombia – Frozen Fries Case since in that case the applicant did not state the reason why the domestic selling price was not considered for determination of normal value and directly determined normal value based on exports to third countries. However, in the current case the applicant has clarified that while it made efforts to obtain comparable prices of

like product, the price lists or commercial invoices for sales in local market were confidential and it did not have access to the same and therefore, the normal value was determined based on available information.

xiii. Adjustments have been made with regard to ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges, inland freight, credit costs and inventory carrying costs for determination of net export price.

xiv. The evidence of ocean freight was provided and circulated to all interested parties on 6th May 2025 and was not disputed by any party. Since the only evidence available on record was the ocean freight provided by the domestic industry, the reliance thereupon cannot be considered inappropriate.

xv. The other adjustments to export price have been claimed as per the consistent practice followed by the Authority, and such adjustments cannot be considered as excessive.

xvi. Only prima facie evidence is required at the stage of initiation, as held in Rajasthan Textile Mills Association vs. Dir. General of Anti-Dumping and decisions of Tribunal.

xvii. It is well settled that quantity and quality of evidence improves as investigation proceeds. In case better information with regard to ocean freight became available, the Authority may consider the same.

xviii. While AMNS has claimed that imports are directly from producers and on advance payment basis, it cannot be is aware of such the sales terms agreed upon by every exporter or importer. Contrary to claim of AMNS, 87% of imports into India during the period of investigation have been made through traders and not directly by producers.

xix. Even the preliminary findings show that contrary to the claim of AMNS, the foreign producers have exported the subject goods to India through traders.

xx. The contention that inventory carrying cost is not a logistics cost and shall not be deducted from the export price is untenable since a producer maintains inventory for the purpose of selling the product to its customers. While inventory carrying cost may not be a logistics cost, it is still a selling expense. Multiple jurisdictions such as USA and Brazil seek information from the exporters with regard to inventory carrying costs in order to make adjustments to determine the net export price, and there is no justification for the Indian Authority not to consider the same.

xxi. The submissions that, in case commission, credit costs and inventory carrying costs are disregarded, the dumping margin will be de minimis, cannot be accepted since the submission have been made by importer and not by the producer/exporter. Disregarding such expenses will distort the actual price.

xxii. Contrary to claim of the interested parties, the responses were not rejected merely due to missing information. The responses were rejected because the producers furnished false and misleading information, including failing to disclose fact of exports through traders, not providing complete names of customers.

xxiii. The non-confidential version of the responses filed clearly indicate that the exporters had claimed to have directly exported to India, which is a clear

misrepresentation of facts, when the goods have been exported through non-cooperative traders.

xxiv. Since the preliminary findings show that the Authority issued a supplemental to the parties, it cannot be considered that opportunity or sufficient disclosure was not given to parties. Since no Disclosure Statement has been issued, no fresh disclosure was required.

xxv. In case of BlueScope and Mitsubishi Chemicals Limited, the traders involved in the channel did not participate. Therefore, the response cannot be accepted.

xxvi. Since the response filed by BlueScope was rejected in previous investigation concerning Met coke due to non-participation of trader, it was well aware that response of trader was required.

xxvii. In the anti-dumping investigation into imports of HIIR, the Authority explained the relevance of response of trader.

xxviii. Since the Indian Authority follows the lesser duty rule, it requires accurate information regarding landed price in India. By contrast, the Anti-Dumping Agreement refers to dumping margin only.

xxix. The practice of other investigating authorities also supports consideration of response of traders.

xxx. In case of exports through a related exporter, even if a small volume is exported through the said exporter, an individual duty may be allowed to the producer only if a response is filed by such exporter.

xxxi. As per Manual, in case of non-cooperation of unrelated exporters accounting for more than 30% of the exports to India, or in case of non-cooperation by a related exporter, the response would be rejected.

xxxii. The interested parties have already been provided an opportunity to be heard in the oral hearing as well as by the way of issuance of supplementals to them. All principles of natural justice have been complied with and no further opportunity should be provided to the parties.

xxxiii. Article 6.8 provides that investigating authorities may use facts available in case interested parties significantly impede investigation.

xxxiv. While the interested parties have heavily contended that the Anti-Dumping Agreement does not permit such rejection of responses, they have not cited the findings of any jurisdiction, wherein the response would be accepted, notwithstanding such blatant misrepresentation of facts.

xxxv. In a case where the foreign producers have submitted misleading information and have not come before the Authority with clean hands, they cannot question why the information regarding normal value could not be accepted.

xxxvi. If the Authority were to rely on selective information, as suggested by other interested parties, it would lead to a situation wherein the exporters would deliberately furnish response only in respect of volumes having higher prices.

xxxvii. Since the response was not accepted due to misleading and deficient information provided, the Authority considered the next best facts available on record for the determination of margins. However, the duties imposed can in no

way be considered punitive, since usually other jurisdictions apply much higher duties when applying adverse facts.

xxxviii. The dumping margin and injury margin quantified by the Authority is quite significant, showing extensive dumping in India.

xxxix. The prices from Indonesia have declined even further, without a commensurate decline in prices of coking coal, and the volume of imports has increased. The dumping margin and injury margin for Indonesia have increased.

xl. The plants set up in Indonesia are essentially an investment by Chinese companies and exceed the demand in Indonesia. Such capacities are meant for exports markets only.

xli. Irrespective of any natural advantage to the producers in the subject countries, the same has not stopped them from dumping in the Indian market.

xlii. The natural advantages identified by interested parties relate to only China and Australia, and not other countries. However, there is dumping from multiple countries. Moreover, foreign producers from China and Australia have been found to be dumping by the Authority previously as well.

xliii. Contrary to the submissions made by the other interested parties, the producers and exporters in the subject countries are trying to limit competition in India by continuously engaging in unfair trade practices of dumping in an attempt to wipe out the Indian merchant met coke industry.

xliv. Dumping is not based on whether the exports are at losses, but whether the exports are below the normal value.

xlv. The dumping margin is positive and significant.

G.3. Examination by the Authority

103. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

> *"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
> *(a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
> *(b)Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the*

country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

104. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:
   i. BlueScope Steel Limited
   ii. China Risun Group (Hong Kong) Limited, Hong Kong
   iii. Hong Kong Jinteng Development Limited
   iv. Mitsubishi Chemical Corporation, Japan
   v. Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd.
   vi. PT Detian Coking Indonesia
   vii. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia
   viii. PT Risun Wei Shan Indonesia
   ix. Risun Marketing Limited
   x. Risun Materials Co., Limited (Japan)
   xi. Risun Weishan Engineering (Hainan) Limited, China

105. With regard to the submissions that the application did not contain sufficient evidence of dumping justifying initiation of the investigation, the Authority notes that the present investigation was initiated based on prime facie examination of the evidence provided by the domestic industry. Further, none of the interested parties furnished any comments on inappropriateness of initiation at the stage of initiation and even till the issuance of preliminary findings. The domestic industry has submitted that it has provided information which was reasonably available to it for the purpose of initiation.

106. The Authority notes that the domestic industry has submitted that the information regarding cost and prices of the product in the subject countries was not available in public domain. This has not been disputed by interested parties by showing public evidence of prices in the domestic market of the exporting countries. It has been further submitted that both the product and its raw materials do not have a dedicated tariff code, which would have allowed the applicant to determine export price, or construct the cost of production in the subject countries. Accordingly, the normal value has been constructed based on facts available with regard to cost of production along with reasonable selling general and administrative expenses and reasonable profits. Accordingly, the Authority has accepted the methodology adopted by the domestic industry for determination of normal value in the present investigation.

107. With regard to the submissions that the evidence provided by the domestic industry for ocean freight is incorrect and unreliable, the Authority notes that the ocean freight claimed by the domestic industry is higher than the ocean freight actually paid for exporting the subject goods. The Authority further notes that the evidence provided by the domestic industry was circulated to all interested parties at the time of initiation of the present investigation. The domestic industry did not claim this information

confidential. However, no comments on alleged inappropriateness of such evidence was filed by any interested party prior to issuance of the preliminary findings. In any case, since the other interested parties have now submitted evidence regarding ocean freight, the same has been appropriately considered for determination of net export price.

108. MCC has submitted that the issue with regard to ocean freight was bought to the notice of the Authority at the first opportunity itself. The Authority notes that the present investigation was initiated on 29th March 2025 and the evidence regarding ocean freight was circulated to all interested parties including MCC. The Authority issued preliminary findings on 14th November 2025. Even though there was substantial time between the initiation and preliminary findings, MCC did not file comments on the ocean freight. The issue has been raised only after issuance of preliminary findings.

109. As regard the submissions that due to deficiency in evidence with regard to ocean freight provided by the domestic industry, the initiation has become bad in law, the Authority notes that even after considering the evidence provided by the other interested parties, the dumping margin is positive and significant in the present investigation. Thus, the higher ocean freight considered by the domestic industry has not made initiation infructuous.

110. The other interested parties have submitted that if inventory carrying cost, commission and credit cost are disregarded, the dumping margin from Japan will be de-minimis. The Authority notes that inventory carrying cost has not been considered for determination of net export price. However, commission and credit cost cannot be disregarded as the same is an expense undertaken by the producers of the product under consideration. In order to appropriately determine the net export price, the Authority has considered such expenses. In fact, it is seen that if the selling price in Japan reported by the exporters in their questionnaire responses are considered, the dumping margin is much higher than the dumping margin now determined. In fact, the Authority has considered normal value much lower than the selling price reported by the Japanese producers.

111. As regard the submissions that there are no commission agents and credit cost as the importers purchase directly from the producers and based on advance payment, the Authority notes that as per the information on record, imports into India are not only from producers but also from traders. Further, there is no information on record to show that all importers in India are making advance payments.

112. With regard to the submissions that rejection of questionnaire responses is arbitrary and unjustified and the exporters should not be punished, the Authority notes that as noted in the relevant section of the present disclosure statement, the producers and exporters were provided due opportunity to provide a complete and accurate response in the present investigation. However, the producers and exporters have filed an incomplete response and have even attempted to mislead the Authority. Accordingly, the response

filed by the exporters have been rejected and the margins have been quantified as per facts available. Further, such facts were already disclosed to all interested parties in the present investigation. The Authority notes that failure to provide an accurate and complete response even after providing opportunity to rectify deficiencies, casts a doubt on the accuracy of the information filed by the producers and exporters.

113. The other interested parties have placed reliance on the anti-dumping investigation into imports of Polyester Spun Yarn wherein the Authority accepted the responses by the producers even when its unrelated entities have not participated. The Authority notes that in the said investigation, the volume of imports from unrelated entities was quite low and accordingly, the responses were accepted. However, in the present investigation, significant volume of imports into India is from unrelated entities which have failed to participate and hence, the Authority holds that such responses cannot be accepted.

114. With regard to the submissions that facts available should not be used due to non-cooperation of unrelated exporters, the Authority notes that in a situation where full information with regard to exports to India is not on record and when the exporter concerned has not filed questionnaire response, the Authority is not in a position to precisely determine export price and landed price for the producer concerned. It is established practice of the Authority that the Authority determines export price and landed price only when the producer and the exporters concerned have filed questionnaire responses. Since the export price from non-cooperative producers/exporters is not available, the Authority has determined net export price based on facts available.

115. As regards to the submission that even if export price information is incomplete, normal value can be determined based on the responses filed, the Authority notes that the response filed by the other interested parties is not only incomplete but also inaccurate and some of the other interested parties have even tried to mislead the Authority. Since the response filed is inaccurate, as noted in the relevant parts, there is doubt on the accuracy of entire information filed by the producers and exporters.

116. The other interested parties have submitted that Article 6.2 enshrines the principles of natural justice, right to be heard and right to access adverse information, the Authority notes that all interested parties in the present investigation have been provided an opportunity to defend their interest. The Authority conducted an oral hearing wherein all parties participated and were heard by the Designated Authority. Further, all interested parties were provided opportunity to file comments on the preliminary findings, offer written and rejoinder submissions post the oral hearing and thus, had enough opportunity to defend their interest.

117. The other interested parties have submitted that the prices of imports from some of the countries is lower in India due to natural advantage, the Authority notes that the based

on the data and information on record, the producers in the subject countries have engaged in unfair trade practice of dumping and the dumping margin is positive in the present investigation.

1. PT Detian Coking Indonesia

118. PT Detian Coking Indonesia (PT Detian) has claimed to have exported *** MT of the product under consideration to India directly during the period of investigation.

119. The Authority asked for supplemental information from the producer vide email dated 30th July 2025 and allowed time till 11th August 2025. The producer furnished a partial response on 27th August 2025 and supplemented the same on 18th September 2025. In its supplemental, the Authority specifically queried regarding the channel of distribution and whether all exporters forming part of channel have furnished a response. The producer did not confirm whether all exporters forming part of channel of distribution have furnished a response. Further, the producer declared that it has only directly exported to India.

120. The Authority thereafter further raised certain queries on 11th September 2025, seeking additional information, including sample invoices. The Authority examined the invoices submitted and the customer details provided in Appendix 3A. On perusal of the information, the Authority finds that the customers, to which PT Detian has sold, are not Indian entities. On the contrary, the sample invoices provided and the DG Systems data show that the customers reported are actually located in ***.

121. This shows that PT Detian has not exported the subject goods directly to India, as declared. On the contrary, the product under consideration has been exported to India through traders / exporters. That being the case, the complete channel of distribution for exports to India is not before the Authority. The Authority notes that specific directions were given in the questionnaire advising that where exports are made through an exporters, the exporter must furnish response to Part-I and Part-II, as well as Appendix 5. Instead of furnishing the required information, the producer has mis-declared that it only exported to India directly. Even upon a repeated query from the Authority in this regard, the producer did not place correct facts before the Authority.

122. In view of the same, the Authority finds that that the response filed by PT Detian does not provide adequate and accurate information for the calculation of dumping margin and injury margin. Further, traders constituting ***% of the exports to India have not participated. Therefore, the Authority has not allowed an individual duty rate for the producer and confirms the preliminary findings.

2. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia

123. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia ("PT Kinrui") claimed that it has exported *** MT of the product under consideration to India, out of which *** MT has been exported directly. Further, the producer has also sold the subject goods to related trader, *** which has eventually exported the subject goods to India.

PT Kinrui → Unrelated customers in India
PT Kinrui → *** → Unrelated customers in India

124. The Authority asked for supplemental information from the producer vide email dated 30th July 2025 and allowed time till 11th August 2025. The producer furnished a partial response on 27th August 2025 and supplemented the same on 18th September 2025. In its supplemental, the Authority specifically queried regarding the channel of distribution and whether all exporters forming part of channel have furnished a response. The producer did not confirm whether all exporters forming part of channel of distribution have furnished a response. Further, the producer reiterated that it had exported the subject goods to India through the aforesaid channels of distribution.

125. The Authority thereafter further raised certain queries on 11th September 2025, seeking additional information. The Authority examined the information submitted by the producer, the invoices submitted and the customer details provided in Appendix 3A. On perusal of the information, the Authority finds that many of the customers, to which PT Kinrui has sold, are not Indian entities. On the contrary, the sample invoices provided and the DG Systems data show that many of the customers reported are actually located in other countries, such as *** and ***. It appears that such traders constitute more than ***% of the exports to India.

126. This shows that PT Kinrui has not only exported the subject goods directly and through related trader to India, as declared. On the contrary, the product under consideration has also been exported to India through traders / exporters. That being the case, the complete channel of distribution for exports to India is not before the Authority. The Authority notes that specific directions were given in the questionnaire advising that where exports are made through an exporter, the exporter must furnish response to Part-I and Part-II, as well as Appendix 5. Instead of furnishing the required information, the producer has mis-declared that it only exported to India directly and through related exporter. Even upon a repeated query from the Authority in this regard, the producer did not place correct and complete facts before the Authority. This casts a doubt on the veracity of information provided by the producer.

127. In view of the same, the Authority finds that that the response filed by PT Kinrui does not permit adequate and accurate information for the calculation of dumping margin and injury margin. Further, traders making significant exports to India have not

participated. Therefore, the Authority has not allowed an individual duty rate for the producer and confirms the preliminary findings.

3. PT Risun Wei Shan Indonesia

128. As per the response filed by PT Risun Wei Shan Indonesia ("Risun Wei Shan") has exported *** MT of the product under consideration to India. The producer has not exported the product under consideration directly to India. The subject goods have been sold for exports to India to related entities namely, ***, ***, *** and ***. *** has further sold the subject goods to unrelated trader, namely, *** which has further sold to ***. The eventual exporter of the subject goods produced by Risun Wei Shan is Risun HK.

Risun Wei Shan → Risun HK (related) → Unrelated customers in India
Risun Wei Shan → *** → Risun HK (related) → Unrelated customers in India
Risun Wei Shan → *** → Risun HK (related) → Unrelated customers in India
Risun Wei Shan → *** → *** → Risun HK (related) → Unrelated customers in India

129. The Authority asked for supplemental information from the producer vide email dated 30th July 2025 and allowed time till 11th August 2025. In its supplemental, the Authority specifically queried regarding the channel of distribution and whether all exporters forming part of channel have furnished a response. The producer did not specifically confirm whether all exporters forming part of channel of distribution have furnished a response. Further, the producer reiterated its claim that it had exported to India through the aforesaid channels of distribution. The Authority thereafter further raised certain queries on 11th September 2025, seeking additional information. Therefore, as per the producer, all exports to India have been made through Risun HK, to unrelated customers in India.

130. The Authority examined the information submitted by the producer and the customer details provided in Appendix 3A, and compared the same to DG Systems data. On perusal of the information, the Authority finds that many of the customers, to which Risun HK has sold, are not Indian entities. On the contrary, the DG Systems data show that many of the customers reported are actually located in other countries, such as ***, ***and ***. It appears that such traders constitute more than ***% of the exports to India.

131. This shows that the goods produced by Risun Wei Shan have not only been exported through Risun HK directly to customers in India. On the contrary, the product under consideration has also been exported to India through traders / exporters. That being the case, the complete channel of distribution for exports to India is not before the Authority. The Authority notes that specific directions were given in the questionnaire advising that where exports are made through an exporter, the exporter must furnish response to Part-I and Part-II, as well as Appendix 5. Instead of furnishing the required

information, the producer has mis-declared its channel of distribution to claim that Risun HK has exported to customer in India. Even upon a repeated query from the Authority in this regard, the producer and its related did not place correct and complete facts before the Authority.

132. It is further noted that in Appendix 3A, Risun HK did not give the complete names of the customers. It appears that the identifiers which would have permitted the Authority to identify that the customer is not located in India, such as "***", "***", "***.", and "***" have been removed. For instance, for sales to "***", located in ***, have been written as "***". Likewise, sales to "***", located in ***, have been reported as sales to "***". This casts a doubt on the veracity of information provided by the producer.

133. In view of the same, the Authority finds that the response filed by Risun Wei Shan does not permit adequate and accurate information for the calculation of dumping margin and injury margin. Further, traders constituting more than ***% of the exports to India have not participated. Therefore, the Authority does not allow an individual duty rate for the producer and confirms the preliminary findings.

4. BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd

134. As per response filed by BlueScope **Steel (AIS) Pty Ltd** (BlueScope), it has exported *** MT to India, of which *** MT has been exported directly. The balance has been exported through two traders, *** and ***.

BlueScope → Unrelated customers in India
BlueScope → ***
BlueScope → ***

135. The Authority notes that BlueScope has exported significant volumes of the product under consideration, equivalent to almost *** of the total volume, through unrelated traders. The unrelated traders have not cooperated in the present investigation by filing a questionnaire response. Since, the information in respect of significant exports to India is not available, the Authority finds that an individual dumping margin and injury margin cannot be allowed to the producer and confirms the preliminary findings.

136. BlueScope has submitted that *** has been acquired by another company during the period of investigation and *** has only exported to *** which has participated in India and the import price can be verified from the data filed by ***. The Authority notes that as per information on record *** has also sold to other parties and since the said exporter has not participated in the present investigation, the claims of BlueScope cannot be verified. Further, while *** has participated in the present investigation, it has not filed response to importer's questionnaire and hence, such information is not available on record.

137. With regard to the submissions that imports from Whyalla Steelworks in Australia should be excluded from calculation of landed price, the Authority notes that as per the practice of the Authority, imports into India from Australia have been considered for determination of landed price. Even if a producer has closed down production, it has nevertheless exported the product under consideration to India during the period of investigation and hence, the Authority holds that there is a need to consider exports by such producer. In any case, as per the data available with the Authority, no direct exports have been made by Whyalla Steelwords from Australia.

5. Mitsubishi Chemical Corporation

138. As per the response filed by Mitsubishi Chemical Corporation, it has exported *** MT of the product under consideration to India directly and through its related traders, namely, ***. *** has in turn exported the product under consideration to India directly and through a related party, ***. *** has further resold to unrelated trader, which has in turn exported to India.

Mitsubishi Chemical Corporation → *** → Unrelated customer in India
Mitsubishi Chemical Corporation → *** → *** → Unrelated trader → Unrelated customer in India

139. While Mitsubishi Japan has participated in the present investigation, *** has failed to file a response and cooperate in the present investigation. The Authority notes that ***% exports have been made by ***, which has failed to participate in the present investigation. The Authority also notes that *** has filed the resale information of *** in its response. However, the same is not sufficient, as the Authority also requires additional information in Part I and Part II, including Appendix 5 to be filed by the related trader. The instructions of the Authority are clear that any other "*any other non-producer related entities involved in export of the PUC are required to submit response in part I and part II along with Appendix-5*". Moreover, *** has in turn sold the product to an unrelated trading entity, and has not directly exported to India. Such unrelated trader has also not cooperated before the Authority. In light of the failure of the related party and the further trader to furnish a complete response, as required, the Authority finds that an individual dumping margin and injury margin cannot be allowed to the producer and confirms the preliminary findings.

Determination of normal value and export price

Normal value for Australia

140. None of the producers or exporters, barring BlueScope Limited, have participated in the present investigation and filed a response. As noted above, the response filed by BlueScope Limited cannot be considered for determination of individual margins. Accordingly, the Authority has, therefore, constructed the normal value for Australia on

the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Australia

141. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Australia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for China PR

142. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and

conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

143. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product under with regard to production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their cost and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.

144. In the present case, no producer from China has participated in the investigation by furnishing a response. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexures I of the Rules which state as follows:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid

selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

145. The applicant has claimed that the selling price or cost in appropriate market economy third country is not available. Further, price of imports into other countries cannot be considered as the imports are under various codes. Price of imports into India cannot be considered as the same are being dumped in India. Thus, the applicant has claimed that the normal value should be determined on the basis price payable in India. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

Export price for China PR

146. The Authority notes that none of the producers from China PR have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers and exporters from China PR has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Colombia

147. The Authority notes that none of the producers/ exporters from Colombia have filed exporter's questionnaire responses. In view of non-cooperation from all producers/ exporters in Colombia, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has, therefore, constructed the normal value for Colombia on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Colombia

148. The Authority notes that none of the producers/exporters from Colombia have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Colombia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Indonesia

149. None of the producers or exporters, barring PT Detian, PT Kinrui and Risun Wei Shan, have participated in the present investigation and filed a response. As noted above, the responses filed by the said three producers cannot be considered for determination of

individual margins. Accordingly, the Authority has, therefore, constructed the normal value for Indonesia on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Indonesia

150. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Indonesia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Japan

151. None of the producers or exporters, barring Mitsubishi Chemical Corporation, have participated in the present investigation and filed a response. As noted above, the response filed by Mitsubishi Chemical Corporation cannot be considered for determination of individual margins. Accordingly, the Authority has, therefore, constructed the normal value for Japan on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Japan

152. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Japan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for Russia

153. The Authority notes that none of the producers/ exporters from Russia have filed exporter's questionnaire responses. In view of non-cooperation from all producers/ exporters in Russia, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has, therefore, constructed the normal value for Russia on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Russia

154. The Authority notes that none of the producers/exporters from Russia have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers

and exporters from Russia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.4. Dumping margin

155. In the preliminary findings, the dumping margin and injury margin in percentage were expressed as percent of normal value and non-injurious price respectively. The same has been revised to express as percent of export price and landed price respectively. However, the same has no impact on quantum of duty notified in the preliminary findings, which was based on dumping margin and injury margin in absolute terms. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, for all producers and exporters from the dumping margin determined for the subject countries is as follows:

Dumping margin Table

Particulars	Unit	Australia	China	Colombia	Indonesia	Japan	Russia
Constructed Normal Value	USD/MT	***	***	***	***	***	***
Export Price	USD/MT	***	***	***	***	***	***
Dumping Margin	USD/MT	***	***	***	***	***	***
Dumping Margin	%	***	***	***	***	***	***
Dumping Margin	Range	20-30%	50-60%	50-60%	20-30%	10-20%	55-65%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the other interested parties

156. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. The injury analysis undertaken by the Authority is based on data from only three domestic producers, despite the domestic industry comprising a larger number of producers, which is not appropriate.

ii. Imports from Japan should not be cumulatively assessed with other subject countries particularly China and Indonesia, as imports from Japan have declined over the injury period, are much lower than imports from other subject countries and are priced higher.

iii. The conditions of competition between the met coke imported from Japan and particularly MCC and the domestically produced goods are not similar on account of the quality differences between the Met Coke imported from Japan and locally produced met coke.

iv. Met coke imported from Japan cannot be obtained locally and ArcelorMittal is one of the only importers of Met Coke from Japan. Therefore, the Japanese goods are not in competition with the domestically produced goods.

v. The imports from Japan have declined and were about half of the quota allocated to the country. Since the imports are lower than the quota determined based on historical volumes, the volume cannot be construed as having increased.

vi. The price of imports from Japan is amongst the highest. Indonesia and China, which account for 62% of the imports are priced below Japan. The price undercutting for Japan is only 0-20%.

vii. The selling price of Japan is higher than their cost of production, and they export only high grade Met Coke under long term contracts. Poland has not been considered as a subject country, since imports from Poland are under a contract.

viii. Imports from Japan are concentrated primarily to two buyers, are higher in quality and have a niche and specific utility. In view of the decline in imports from Japan, such imports of high quality, Japan should be excluded.

ix. Since the product produced by Nippon Coke and Engineering Co., Ltd. is of higher quality and not technically or commercially substitutable with that of the product produced by the domestic industry or imported from other subject countries, imports from Japan should not be cumulatively assessed.

x. There is no injury to the domestic industry due to imports as imports from Japan increased modestly in 2022-23 due to significant increase in demand. Overall imports from Japan have declined. Sales of domestic industry and imports from Australia moved independently. Increase in imports is a result of increased demand.

xi. If historical trends are considered, it would be seen that demand has increased from 6.5 million MT in 2013-14 to 6.6 million MT during the period of investigation. The increase in imports is a natural result of the same.

xii. As against a demand of 6.6 lakh MT, the merchant producers have a capacity of only 3.6 million MT, thereby necessitating imports.

xiii. Except Indonesia and China, the imports from subject countries have majorly declined.

xiv. Though imports increased in period of investigation, since the product has been subject to quantitative restrictions since January 2025, it is not possible to find any increase in imports thereafter, that would provide a meaningful basis for current injury.

xv. The domestic industry is deliberately diverting production to captive consumption as evidenced by significant increase in captive consumption versus sales. This creates a demand-supply gap because of self-consumption, necessitating imports.

xvi. In the absence of country-wise disclosure of landed price, the interested parties are unable to comment.

xvii. While imported Met Coke prices have aligned with the prices of Australian Coking coal, the prices of domestic industry have remained stable.

xviii. Australian prices are higher than prices from other subject countries even though the subject goods are imported from Australia duty free. Thus, imports from Australia are likely to not undercut the prices of the domestic industry.

xix. In the safeguard investigation, the Authority found that the landed prices of coking coal were high in 2022-23 and 2023-24, due to Russia-Ukraine conflict. Subsequently, the landed price of met coke was higher in this period. Any corrections subsequently cannot be considered a decline in prices.

xx. Even when imports increased between base year and 2022-23, the prices of the domestic industry increased. Thus, the imports did not force the domestic industry to reduce prices.

xxi. The landed price is lower than cost of sales of the domestic industry due to natural advantages favouring the foreign producers. The same was noted in the safeguard investigation that the producers in China and Australia source coking coal domestically, which reduces logistics costs in those countries, whereas Indian companies import coal, incurring heavy costs.

xxii. Since the cost of the domestic industry has remained higher than selling price, the alleged price suppression / depression is attributable to higher raw material prices, operational inefficiencies and scale and nature of investments.

xxiii. Met coke prices have declined in response to a decline in coking coal prices by 40%.

xxiv. Despite being shielded by Quantitative Restrictions, the domestic industry remained incompetitive and difference between cost and price did not reduce.

xxv. Since the share of imports from Japan and Australia was lower than that from China and Indonesia, they could not have exerted any meaningful impact on domestic prices.

xxvi. The selling prices of the domestic industry have moved in line with the cost of sales through most of the injury period. Therefore, this shows absence of any price injury on account of imports from subject countries.

xxvii. The import prices in India are based on international market prices of the product under consideration.

xxviii. The applicant has not provided any information with respect to price undercutting for the first three years of the injury period.

xxix. Financial disclosures of Vedanta Malco Limited show global swings in Met Coke prices over the injury period.

xxx. Overall, benchmark coking coal prices fell by 40%, which was accompanied by fall in the prices of Met Coke. The performance of domestic industry aligns more closely with raw material cost movements, than with import volumes or prices.

xxxi. While the capacity, production, sales volume and value has increased, the export sales have declined. The decline in profitability is due to decline in exports of the domestic industry.

xxxii. The capacity utilization of the domestic industry has declined due to expansion of capacities over the injury period.

xxxiii. While export sales have declined, the increase in inventory has been attributed to domestic sales alone. Further, the preliminary findings do not confirm that the profitability and sales reported do not include sales from exports.

xxxiv. The domestic industry was profit-making in the first year of the injury period. Jindal Coke Limited has reported significant profit margins and also improved capacity utilization.

xxxv. The decline in profitability of the domestic industry is due to price fluctuations in upstream value chain of the product under consideration.

xxxvi. While losses of the domestic industry increased in 2023-24, the return on capital employed increased.

xxxvii. The profitability of the domestic industry would improve post POI due to further reduction in coal prices.

xxxviii. The Preliminary Determination acknowledges that imports from Poland are in significant volumes during the period of investigation, but despite this, the Authority, as well as the applicant, have excluded Poland as part of the subject countries based on higher import prices. However, the imports from Poland are below the non-injurious price.

xxxix. In case the freight cost is adjusted, the landed price of Japanese imports will be more than landed price of imports from Poland. Thus, there is a need for exclusion of imports from Japan.

xl. The injury to the domestic industry, if any, is due to imports from countries other than Japan.

xli. The injury to the domestic industry is due to reduction in MFN duty rates and tariff liberalization in FTAs with Indonesia, China, Australia and Japan. The injury to the domestic industry is only due to imports from such countries.

xlii. The recommended duty quantum far exceeds the difference between prices of Poland and Russia. If Polish imports are not causing injury, the duty exceeds the quantum required to remove the alleged injury and would result in over-protection of the domestic industry, imposing an unjustified burden on downstream users.

xliii. Injury to other domestic producers stemmed from internal inefficiencies. Jindal Coke which accounts for one-third of total data showed profits throughout the injury period.

xliv. High inventories of the domestic industry suggest that the domestic industry is facing operational inefficiencies due to other factors like quality.

xlv. Increase in losses is not on account of the imports, but due to inefficiencies of the domestic industry, since it has never operated at more than 50% of its capacity, leading to higher fixed costs and operational inefficiencies.

xlvi. The domestic industry operates at low-capacity utilization due to structural limitations, such as outdated technology, fragmented capacity, limited coal availability and significantly higher production costs, and not because of subject imports.

xlvii. The profitability of the domestic industry has reduced due to decline in exports, high interest costs, increase in inventories, and increase in expenses for commissions, freight and discount.

xlviii. The domestic product is supplied via trucks which increases cost while imports arrive in bulk shipments, therefore creating certain challenges in domestic supply and causing injury to the domestic industry.

xlix. The decline in profitability of the domestic industry may be attributed to capacity expansions due to which the depreciation and interest costs have increased over the injury period.

l. Bhatia Coke and Energy has been subject to insolvency proceedings in the injury period for non-payment of dues of about ₹ 125.9 crores to a consortium of banks. Under such proceedings, the corporate debtor operates the company as a value-preservation estate, and not with a profit seeking objective. Thus, the injury is not due to the subject imports.

li. The Authority has not given any reasons why insolvency proceedings on Bhatia Coke will not have a bearing on injury analysis.

lii. The injury suffered by the domestic industry is due to own inefficiencies and not due to imports from subject countries. The domestic industry is not cost competitive.

liii. There is significant volatility in prices of raw material, which coupled with fall in selling price impacted profits, as recorded by credit rating agencies for BLA Coke Pvt. Ltd. and MALCO Energy Limited.

liv. The foreign producers of Met Coke have integrated manufacturing facilities, including captive power plants and recovery-type ovens, that generate significant by-products. The cost reduction through realization of these by-products is passed on to the customers. By contrast, domestic producers have presented data without accounting for by-product realization or power-generation efficiencies. The structural inefficiency of the domestic industry cannot be attributed to dumping.

lv. As noted by the Ministry of Steel and Ministry of Coal, coking coal is not available in India in sufficient quantity and quality. If domestic industry procures coal domestically, it incurs additional costs in washing the product.

lvi. As noted in the annual report of Saurashtra Fuels, the product is prone to moisture variation, and variation in the same disrupts operations, increases handling costs and reduces yields.

lvii. While domestic producers incur freight for (a) mine to port, (b) port to storage yarn or factory and (c) factory to consumers, foreign producers have backward integration or procure raw materials using conveyor belts, which reduces freight costs.

lviii. The non-injurious price is improper since two out of the three sampled producers captively consume Coke.

lix. Large charges for exceptional items recorded by Bhatia Coke should be examined.

lx. The high depreciation and interest costs should be adjusted while assessing non-injurious price and injury claims of the domestic industry.

H.2. Submissions made by the domestic industry

157. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

i. The injury claimed by the domestic industry is not just based on increase in volume of imports but also based on the low price of imports. Since the safeguard measures restricted volume, the injury continued even when such measures were in force.

ii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate in the present case as all conditions of cumulation have been met.

iii. The conditions mentioned in the Anti-dumping Agreement for cumulation of imports have been met. The Authority is not required to conduct a country-wise analysis of volumes and prices to determine the conditions of competition, as also observed by the Appellate Body report in EC – Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings.

iv. Since conditions for cumulation have been met, the injury is required to be examined for subject countries as a whole, and not individually for Japan.

v. Multiple consumers in the country use the product from Japan and India interchangeably, demonstrating that the domestic industry is competing with the Japanese imports for these products.

vi. No evidence has been placed on record to show that the imports from Japan are under contract. Several parties are importing the subject goods from Japan, many of whom do not have long-term contracts with the Japanese producers. Further, it has not been demonstrated that such long-term contracts cannot be altered, or the supply cannot be shifted to the domestic producers.

vii. While the interested parties have contended that the Japanese exports are only to two companies, at least 10 importers have imported the product from Japan.

viii. Even if Japanese industry is working under severe conditions, the dumping from Japan has destroyed the fair market conditions in India and there is a need to impose anti-dumping duty on imports of subject goods from Japan.

ix. If the Japanese producers are struggling, the situation is not for the Indian Government to redress. The Japanese producer should focus their production on their own markets, instead of dedicating their capacities to the Indian market.

x. The volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India over the injury period.

xi. The subject imports account for majority of imports into India.

xii. The imports have increased much more than the increase in demand. While demand has increased by 40% over the injury period, the subject imports have increased by 179%. Thus, the increase in imports is not in response to increased demand.

xiii. The comparison of trend of imports between 2013-14 and present is not appropriate, since the imports had already increased during this period, prompting the Authority to recommend anti-dumping duty. If the imports are compared

between 2012-13 versus the present period of investigation, it would be seen that while the merchant demand has increased by 2%, imports have increased by 25%.

xiv. Contrary to the claim of the interested parties, there were no quantitative restrictions applicable during the present investigation period. The volume of imports during the investigation period was unaffected by any factors, barring dumping.

xv. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.

xvi. The landed price of the subject imports is below the selling price as well as the cost of sales of the domestic industry.

xvii. As against the submissions of interested parties, the domestic selling price are only slightly above the landed price of imports. Even though the domestic industry has sold at losses, the imports were priced below the selling price of the domestic industry.

xviii. While both cost of sales and selling price of the domestic industry have increased, the selling price has increased less than increase in cost of sales of the domestic industry. Thus, subject imports have suppressed the prices of the domestic industry.

xix. While landed price has remained below cost of sales since 2022-23, the difference between cost of sales and landed price has increased every year.

xx. Even if the producers in the subject countries enjoyed cost advantages throughout the injury period, the landed price of the subject goods was above the cost of sales of the domestic industry in 2021-22. However, the situation has changed subsequently.

xxi. Contrary to the claim of the interested parties, the Authority in the safeguard (quantitative restrictions) investigation held that the domestic industry was unable to increase its prices since the imports entered the Indian market at prices which were not commensurate with changes in the cost of sales of the domestic industry.

xxii. The fact that the difference between cost and price did not reduce after imposition of quantitative restrictions is a result of the significant dumping of the subject goods in India.

xxiii. The domestic industry procures the raw material majorly from Australia and Indonesia. Since the import price from the subject countries is below the cost of raw material, the submission that such price is aligned to coking coal prices, is factually incorrect.

xxiv. Price undercutting has to be seen for the period of investigation and not the entire injury period. The domestic industry has provided information with regard to price suppression and depression for the entire injury period.

xxv. Even when selling price of the domestic industry is considered without accounting for commissions, freight and discount, the same is below the cost of sales of the domestic industry.

xxvi. While the capacity of the domestic industry has increased, the capacity utilization, production and sales of the domestic industry has declined over the injury period.

xxvii. There is enough demand in the country for domestic industry to completely utilise its capacities, even then the production and sales of the domestic industry has declined.

xxviii. The domestic industry has increased capacities in light of increase in demand. Its production and sales have increased, since it sold at losses. The total losses of the domestic industry have increased with each ton of sale made.

xxix. The production of the domestic industry has declined over the injury period. Such decline is starker in light of the fact that the domestic industry has been selling at losses.

xxx. While the production has declined and the domestic industry has sold the subject goods at losses, the inventories of the domestic industry have increased substantially over the injury period. The inventories of the domestic industry have actually declined in the period of investigation as compared to the previous year, as the domestic industry has sold the subject goods at even deeper losses.

xxxi. The imports from subject countries account for half the market share in demand. The market share of the Indian industry as well as imports from other countries has declined over the injury period.

xxxii. The market share of domestic industry and Indian industry as a whole has declined over the injury period.

xxxiii. While subject imports accounted for only 26% or one-fourth of the Indian market in 2021-22, the subject imports now account for more than 50% of the demand in India.

xxxiv. Even though the domestic industry has compromised on profitability and sold the subject goods at losses, the inventories of the domestic industry have increased.

xxxv. The domestic industry has suffered losses since 2022-23. While the profitability of the domestic industry recovered slightly in 2023-24 and the period of investigation, with an increase in landed price, the increase was not sufficient to recover to a profitable level.

xxxvi. The profitability of the domestic industry has declined substantially over the injury period. While the domestic industry was earning profits in the base year, it has incurred financial losses thereafter. Further, the losses of the domestic industry have increased year on year and were the highest in the period of investigation.

xxxvii. The domestic industry has suffered cash losses in the period of investigation.

xxxviii. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed during the period of investigation.

xxxix. The domestic industry earned a negligible return during 2023-24, which cannot be considered as “increased” return.

xl. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been hampered as it has incurred financial losses as well as cash losses in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

xli. Once Jindal Coke forms part of the domestic industry, its individual performance is irrelevant, and it cannot be segregated from the performance of other constituents of the domestic industry. This is because injury analysis is required to be conducted for the domestic industry as a whole, and not parts or constituents thereof.

xlii. The profits of the Jindal Coke have declined significantly over the period.

xliii. While there might be a slight improvement in the performance of the domestic industry due to the imposition of safeguard measures, such measures were for a temporary period. Since the producers and exporters have engaged in dumping in the period of investigation, which is subsequent to the period considered in safeguard investigation, and caused material injury to the domestic industry, there is a need for the imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

xliv. Since raw material costs account for 90% of the cost of production, the price of finished goods should fluctuate with the cost of raw material. However, the same has not been the case.

xlv. The injury to the domestic industry is due to dumping of subject imports into India. None of the other known factors have caused injury to the domestic industry.

xlvi. The landed price from Poland is above the selling price and cost of sales of the domestic industry, as well as the landed price of subject imports.

xlvii. The landed price of imports from Poland is above the cost of sales and selling price of the domestic industry, as well as price of subject imports.

xlviii. The request for inclusion of Poland as subject country has been filed by a consumer. However, no prejudice can be caused to a consumer by non-inclusion of Poland as subject country.

xlix. The anti-dumping duty on Russia has been recommended based injury margin, and thus, is lower than the actual dumping being done by the Russian producers. The duty is not required to be quantified with reference to price of imports from other countries.

l. Since met coke is a commodity product, the prices from Poland are likely to also increase with an increase in price from subject countries due to the imposition of anti-dumping duty. In case they do not increase, the applicant is free to approach Authority for imposition of duty on imports from Poland.

li. The domestic industry has not suffered injury due to the factors identified by the other interested parties.

lii. There is no evidence on record to show internal inefficiencies and the domestic industry not being cost-competitive.

liii. The major cost of production of subject goods is coking coal, which accounts for more than 90% cost of production, which is procured by domestic industry from the international market at international costs. Thus, there is no question of the domestic industry not being cost-competitive.

liv. The non-availability of coking coal in India is an inherent feature of the domestic industry, which has remained unchanged over the period. Reliance of the

domestic industry on imports of the raw material is not relevant in conducting a causal link analysis, as held in European Union-Biodiesel (Argentina) case.

lv. Contrary to the submissions of the other interested parties, the landed price has remained lower than the cost of sales of the domestic industry, forcing the domestic industry to compete with it. Since the landed price is below price of coking coal, it cannot be said that the injury to the domestic industry is due to higher raw material prices.

lvi. Coking coal is only available in Australia and Indonesia. Foreign producers in other subject countries are also importing coal and are not backward integrated, as claimed.

lvii. No evidence has been provided to demonstrate that the foreign producers are connected to the mines through conveyor belts.

lviii. The interested parties have not identified any new inefficiency which started affecting the domestic industry during the injury period. It is a well settled position that the injury to the domestic industry has to be seen as it exists, and the Authority is not required to conduct a non-attribution analysis for factors inherent to the domestic industry.

lix. Factors such as moisture variation are not new, but are an inherent feature of the product. The injury cannot be attributed to the same.

lx. Since the technology with the domestic industry has not changed over the injury period and the domestic industry was profitable in base year, the injury is not attributable to the manufacturing facilities of the domestic industry.

lxi. The investment and operational costs in a recovery plant are huge. If the domestic industry had recovery-type plants, the cost of production and non-injurious price would have been higher than that at present.

lxii. In case of any subsequent improvement of profitability and cessation of dumping, the other interested parties may apply for a mid-term review.

lxiii. Bhatia Coke was under Corporate Resolution Process till 2022, and thereafter purchased by Aqua Terra. During the period of investigation, it was run by independent and new management, with the same profit maximization objectives as other businesses.

lxiv. The exceptional items recorded in the financial statements of Bhatia Coke have not been considered as a part of the costing formats submitted to the Authority.

lxv. Since the EBIDTA of the domestic industry has also declined, the injury is not on account of interest costs.

lxvi. Since the domestic industry has provided segregated parameters with regard to its domestic and export performance, the claimed injury is not on account of exports.

lxvii. COVID-19 was 6 years ago, and the other interested parties should not be permitted to use the same for any public interest analysis in any of the cases at this stage.

lxviii. The injury margin has intensified in the subsequent period. Thus, in the event of non-imposition of duty, the domestic industry shall suffer further.

H.3. Examination by the Authority

158. The Authority has examined the arguments and counterargument of the interested partied with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder address the various submissions made by the interested parties.

159. With regard to the submissions that one of the domestic producers is under insolvency proceedings, the Authority notes that DGTR is not the right authority for such issues. The other interested parties may approach the relevant authority. Further, as per the information on record Bhatia Coke was under insolvency proceedings till 2022. The producer was thereafter purchased by Aqua Terra Coke & Energy Limited and is being run by a new independent management. Since the producer is not under insolvency proceedings during the period of investigation, the injury analysis is not impacted due to such proceedings in the past.

160. With regard to the submissions that the injury analysis is not appropriate as the same has been conducted only for three sampled producers, it is clarified that the injury analysis has been conducted for domestic industry as a whole. The domestic industry comprises of nine producers in the present investigation and cumulative performance of such producers has been examined for the purpose of injury analysis. The sampling has been undertaken only for limited purpose of determination of non-injurious price in the present investigation.

1. Cumulative assessment of injury

161. Article 3.3 of the WTO Agreement and Para (iii) of Annexure II of the Rules provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

ii. A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.

162. The Authority notes that:

i. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more that the *de minimis* limits as prescribed under the Rules.

ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more that 3% of total volume of imports.

iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries are not only directing competing with the product offered by each of the subject countries but also the like article offered by the domestic industry in the Indian market.

163. In light of the above, the Authority considers it appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan, and Russia on the domestic industry cumulatively.

164. With regard to the submissions that imports from Japan should be de-cumulated, the Authority notes that the volume of imports from Japan is more than 3% of total volume of imports, the dumping margin for producers in Japan is more than de-minimis and there is no evidence on record which establishes that such imports do not compete with imports from other subject countries or the product produced by the domestic industry. The Authority notes that while the producers from Japan have stated that the product produced by the domestic industry is not a like article to product exported by them, the Authority has not accepted the same as the evidence on record shows that the domestic industry has produced like article to such product. Further, there is no evidence of difference in quality of product imported from Japan and that produced and supplied by the domestic industry. In case, the quality of the product supplied by Japanese producers would have been better, they were likely to charge better price for the same. However, the landed price of the subject goods from the subject country is lower than the selling price of the domestic industry. Thus, the Authority has considered cumulation of imports from all subject countries.

165. As regard the submissions that the subject goods from Japan are imported by only one consumer in India, the Authority notes that as per DG Systems import data, a number of entities have imported the subject goods from Japan. Further, as per the evidence on record, the entities which have imported the subject goods from Japan have also procured the subject goods from the domestic industry. Thus, the subject goods imported from Japan and the subject goods produced by the domestic industry as well as products imported from other subject countries, are used interchangeably by the same consumers and thus, compete in the same market.

166. With regard to the submissions that the import price from one of the subject countries was higher than other subject countries and the volume was lower, the Authority notes that there is no requirement to assess the same for cumulation of imports. The Authority notes that in all investigations where imports from more than one country are simultaneously being assessed, the import price from one of the countries will always be higher than the other and the volume may be higher or lower than the other countries. If such a comparison were to be necessary for cumulative assessment, there will be no possibility to cumulatively assess the imports in any investigation.

167. The other interested parties have submitted that the imports from Japan should be excluded as the same are under contract and the situation is similar to that of Poland. The Authority notes that the landed price of Poland is much higher than the price of imports from Japan. Further, the landed price of imports from Poland is above the cost of sales, selling price as well as price of imports from all subject countries.

Particulars	Unit	POI
Landed price from Japan	₹/MT	29,941
Landed price from Poland	₹/MT	34,090
Selling price of the domestic industry	₹/MT	***
Cost of sales of the domestic industry	₹/MT	***
Price undercutting		
Poland	₹/MT	Negative
Japan	₹/MT	Positive
Cost Undercutting		
Poland	₹/MT	Negative
Japan	₹/MT	Positive

2. Volume Effect of Dumped Imports

a. Assessment of demand/apparent consumption

168. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the India producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Sales of domestic industry	MT	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083
Captive consumption	MT	6,662	0	1,37,268	2,17,230
Sales of other domestic producers	MT	11,98,008	10,35,742	9,12,230	9,39,285
Subject imports	MT	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
Other imports	MT	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
Total Demand	MT	47,31,503	57,58,934	59,32,081	66,10,837

169. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased in India throughout the injury period and was highest during the period of investigation.

b. Import volumes from the subject countries

170. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject countries,

either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
Australia	MT	1,16,925	2,96,324	1,69,401	1,36,749
China PR	MT	1,24,044	9,44,638	6,80,467	7,39,508
Colombia	MT	5,28,332	5,55,586	5,67,205	3,61,969
Indonesia	MT	69,932	2,53,672	8,59,057	17,52,886
Japan	MT	3,45,603	3,80,420	2,63,742	2,19,726
Russia	MT	47,168	1,73,944	2,60,383	2,23,968
Other imports	MT	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
Total imports	MT	24,28,939	35,47,220	36,26,196	42,47,239
Subject imports in relation to					
Production	%	50%	124%	140%	172%
Consumption	%	26%	45%	47%	52%
Total Imports	%	51%	73%	77%	81%

171. The Authority notes that:

i. The volume of imports from subject countries have increased throughout the injury period. The subject imports have increased by 179% over the injury period.

ii. Imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period. The subject imports account for 52% of the consumption in India during the period of investigation.

iii. While the subject imports comprised 51% imports into India during the base year, the volume of subject imports has more than doubled over the injury period. The subject imports account for 81% of imports into India during the period of investigation.

iv. The subject imports have increased at a pace higher than the increase in demand. The demand in India has increased by 40% in the period of investigation as compared to the base year, while the subject imports have increased by 179% over the same period.

172. With regard to the submissions that the increase in imports has not caused any injury to the domestic industry as the sales of the domestic industry have increased, the Authority notes that the domestic industry has sold the subject goods at losses. The increase in volume parameters of the domestic industry is due to compromising on profitability by the domestic industry.

173. The other interested parties have submitted that if historical trends are considered, the demand has increased since 2013-14 and the imports have increased due to such increase in demand. The Authority notes that there is no justification for comparison of demand and import volume in the period of investigation as compared to 2013-14. In

any case, the merchant demand in the country has declined as compared to 2013-14, however, the imports into India have not declined commensurately.

Particulars	2013-14*	POI	Change
Imports into India	39,26,125	42,47,239	+8%
Merchant Demand	64,98,780	63,93,607	-2%

**As considered by the Authority in anti-dumping investigation into imports of Met Coke from Australia and China [No. 14/9/2015-DGAD]*

174. The Authority further notes that 2013-14 was the period in which the imports had increased in India due to dumping and the Authority recommended imposition of anti-dumping duty based on imports in the said period. If the period immediately preceding the year is considered, the imports have increased in India much more than increase in demand since 2012-13.

Particulars	2012-13*	POI	Change
Imports into India	31,34,149	42,47,239	+36%
Merchant Demand	59,63,382	63,93,607	+7%

**As considered by the Authority in anti-dumping investigation into imports of Met Coke from Australia and China [No. 14/9/2015-DGAD]*

175. As regard the submission that the domestic industry has capacities much less than the demand in India, the Authority notes that the merchant capacities in India are more than the merchant demand in India. The Authority has examined the same in the relevant part of this disclosure statement.

176. With regard to the submissions that imports are subject to quantitative restriction since January 2025 and it is not possible for the same to increase, the Authority notes that the injury analysis in the present investigation has been conducted for the period of investigation. The imports were subject to quantitative restrictions post the period of investigation. Further, such measures have expired at the time of issuance of the present disclosure statement. Thus, imports during the tenure of the safeguard measures are not relevant for the present investigation.

177. As regard to the submissions that the domestic industry is deliberately diverting production to captive consumption due to which the there is a demand-supply gap and imports are necessary, the Authority notes that the captive consumption of the domestic industry is quite limited as compared to the capacity in India. Such insignificant captive consumption does not lead to demand-supply gap in the country.

Particulars	Unit	POI
Capacity	MT	36,16,031
Captive Consumption	MT	2,17,230
Captive consumption in relation to capacity	%	6%

3. Price Effect of Dumped Imports

178. With regard to the effect of the dumped imports on price of the domestic industry, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a. Price Undercutting

179. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries.

Particulars	Unit	Amount
Selling price	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	27,024
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	15-25%

180. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price undercutting is positive and significant. The domestic industry has submitted that the landed price of subject imports is not just below the selling price of the domestic industry but also the cost of sales of the domestic industry.

181. The other interested parties have requested disclosure of country wise landed price. The Authority notes that the price undercutting is positive for subject countries as a whole as well as individual countries subject to the present investigation.

Particulars	Unit	Australia	China	Colombia	Indonesia	Japan	Russia
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Landed price	₹/MT	28,563	24,059	24,999	28,096	29,941	27,897

Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20%	30-40%	25-35%	10-20%	0-10%	10-20%

b. Price Suppression and Depression

182. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	105	102
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	124	122
Landed price	₹/MT	32,618	37,733	28,916	27,024
Trend	Indexed	100	116	89	83

183. The Authority notes that in 2022-23, both the cost of sales and selling price of the domestic industry increased. However, the increase in selling price was lower than the increase in cost of sales of the domestic industry. The import price increased less than increase in cost of sales and selling price in 2022-23. In 2023-24, the selling price and cost of sales of the domestic industry decreased, but the decline in selling price was higher than decline in cost of sales of the domestic industry. During the period of investigation, the cost of sales and selling price declined further. The landed price was below the cost of sales and selling price during the period of investigation, forcing the domestic industry to reduce its prices, despite the same already being below the cost of sales. On overall basis, while both cost of sales and selling price have increased over the injury period, the increase in selling price is much less than the increase in cost of sales. Thus, the imports have depressed the prices of the domestic industry and have prevented price increases, which otherwise would have occurred.

184. The other interested parties have submitted that import price is aligned with coking coal prices. The Authority notes that the landed price of the subject imports in India is lower than the raw material, that is, coking coal prices in India. While the cost of sales of the domestic industry has moved in tandem with the change in cost of raw material, the landed price has declined significantly in India and to a point that the same is even below the raw material cost of the domestic industry.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	124	122
Landed price	₹/MT	32,618	37,733	28,916	27,024
Coking coal price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	123	121

185. The Authority further notes that the other interested parties have submitted that it was already noted that the landed price of coking coal was higher in 2022-23 and 2023-24 due to Russia-Ukraine conflict and consequently the prices of met coke were higher. The decline in landed price is only a price correction. In this regard, it is noted that a price correction, if any, cannot be to a degree where the landed price of the final product falls below the cost of the raw material for the said product in India and where export price is lower than normal value.

186. As regard the submissions that while imports increased in 2022-23 as compared to the base year, the domestic industry was able to increase its prices and imports did not exert price pressure on the domestic industry, the Authority notes that as compared to the base year, the cost of sales of the domestic industry increased by 46%, however, the domestic industry was able to increase its selling price only by 25%. Thus, the increase in imports at low prices suppressed the prices of the domestic industry even in the said period.

187. The other interested parties have submitted that the landed price is lower than the cost of sales of the domestic industry due to natural advantage. The Authority notes that such natural advantages have existed throughout the injury period. In the base year, the landed price of the subject imports was higher than the cost of sales of the domestic industry. Further, as per the data on record, even though the foreign producers have a natural advantage, they have resorted to dumping in the Indian market. Further, as per submissions of the other interested parties, the natural advantages are only to producers in Australia and China, however, such producers have engaged in dumping in the present as well as previous investigations. The subject goods were subjected to anti-dumping duty in the past from such countries due to the fact that producers from the said countries engaged in unfair trade practices.

188. With regard to the submissions that the domestic industry is uncompetitive as the difference between cost and price did not reduce despite quantitative restriction in force, the Authority notes that the subject goods were not subject to quantitative restriction measures during the period of investigation.

189. As regard to the submissions by other interested parties that financial statements of Vedanta Malco Energy show global swings in prices, the Authority notes that the producers in the subject countries have dumped the product in India. In case, the low

prices would have been due to the global swing in prices, the price in the domestic market of the foreign producers will also have been low.

4. Economic Parameters of the Domestic Industry

190. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the prices of the domestic industry. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

191. The injury parameters have been examined objectively taking into account various facts and submissions made.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales

192. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	MT	31,61,750	33,48,531	34,38,531	36,16,031
Production	MT	16,26,523	14,47,193	14,45,028	14,42,008
Capacity utilization	%	51%	43%	42%	40%
Domestic sales	MT	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083

193. The Authority notes that:
   i. While the capacity of the domestic industry has increased over the injury period, the production has declined.
   ii. The demand in India is higher than the capacities of the domestic industry and hence, the demand is enough for the domestic industry to utilise its capacities fully. Even then, the capacity utilization of the domestic industry has declined.
   iii. The domestic sales of the domestic industry has increased. The domestic industry has submitted that the said increase is only due to compromising on profitability.

194. With regard to the submissions that the capacity utilization of the domestic industry has declined due to addition of capacities, the Authority notes that not just the capacity utilization but the actual production of the domestic industry has also declined. While

the domestic industry has increased capacities and the demand in India has also increased, the production has declined. Thus, the decline in capacity utilization cannot be considered to be due to increase in capacities.

b) Market Share

195. The market share of the domestic industry, other domestic producers, subject imports and imports from the other countries are given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	23%	20%	23%	22%
Other Indian producers	%	25%	18%	15%	14%
Subject imports	%	26%	45%	47%	52%
Other imports	%	25%	16%	14%	12%

196. The Authority notes that:
   i. The share of the domestic industry as well as the Indian industry as a whole has declined over the injury period.
   ii. The share of imports from other countries has also declined.
   iii. The share of the subject imports in demand has increased, and the subject imports account for half the share of the market. The subject imports have taken over the market share of the Indian industry as well as imports from other countries.

c) Inventories

197. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	1,04,260	1,64,201	2,19,746	1,99,085

198. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased over the injury period. While the domestic industry has sold the subject goods at losses during the period of investigation and the production of the domestic industry has reduced, the inventories of the domestic industry have increased.

d) Profitability, return on investment and cash profits

199. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	124	122
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	105	102
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(18)	(22)	(37)
Total Profit/(Loss)	₹/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(19)	(26)	(41)
Cash Profit	₹/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(2)	(2)	(14)
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	%Indexed	100	2	10	(10)

200. The Authority notes that:

a. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. While the domestic industry earned profits in 2021-22, it has incurred only losses thereafter. Further, the losses of the domestic industry have increased year after year post 2022-23.

b. While the domestic industry was able to increase its sales as it was selling at losses, the total losses of the domestic industry have increased.

c. The cash profits have declined significantly and to such an extent that the domestic industry has incurred cash losses not just in the period of investigation but also in 2022-23 and 2023-24.

d. The return on capital employed of the domestic industry has also followed the same trend. The return on capital employed has declined significantly over the injury period. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

e) Employment, productivity and wages

201. Employment, productivity and wages of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of Employees	Nos	1,809	1,822	1,942	1,900
Wages	₹/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	97	93
Productivity per day	MT/days	4,647	4,135	4,129	5,341
Productivity per employee	MT/No.	899	794	744	759

202. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry have increased over the injury period with increase in capacities. The productivity per employee as well as salaries and wages have declined over the injury period.

f) Growth

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	%	-	6%	3%	5%
Production	%	-	(11)%	(0.1)%	(0.2)%
Domestic Sales	%	-	7%	7%	(4)%
Profit/Loss	%	-	(118)%	(23)%	(65)%
Cash profits	%	-	(102)%	(11)%	(495)%
Return on capital employed	%	-	(98)%	307%	(198)%

203. The Authority notes that:

i. The capacity of the domestic industry has increased year on year till the period of investigation.

ii. The volume parameters of the domestic industry including production and domestic sales of the domestic industry have declined in the period of investigation.

iii. The profitability parameters of the domestic industry have declined year on year during the injury period. The domestic industry has suffered financial losses and cash losses in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. Further, the losses of the domestic industry have increased and shown a negative growth over the injury period.

iv. The return on capital employed showed a negative growth in 2022-23, however, the same improved in 2023-24. The return on capital employed has shown negative growth once again in the period of investigation.

g) Factors affecting domestic prices

204. Since the price of subject imports is lower than the selling price of the domestic industry, the same has created a strain on the prices of the domestic industry. Further, the imports are below the non-injurious price and cost of sales of the domestic industry. This has forced the domestic industry to sell at prices below their cost, resulting in financial and cash losses. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry and have prevented price increases, which otherwise would have occurred. Therefore, the Authority concludes that the imports are adversely impacting the prices of the domestic industry.

h) Magnitude of dumping and dumping margin

205. The Authority notes that the subject goods from the subject countries are being dumped in India and the dumping margin is positive and significant.

i) Ability to raise capital investment

206. The Authority notes that the domestic industry has incurred financial losses and cash losses in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. Further, the domestic industry has recorded a negative return on capital employed. In such a case, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

B. Magnitude of Injury Margin

207. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

208. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

209. With regard to the submission that large charges for exceptional items with regard to Bhatia Coke should be examined for the purpose of determination of non-injurious price, the Authority notes that it has not considered exceptional items reported in the financial statements of the company for determination of non-injurious price.

210. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Particulars	Unit	Australia	China	Colombia	Indonesia	Japan	Russia
Non-Injurious Price	USD/MT	***	***	***	***	***	***
Landed Price	USD/MT	338.95	285.50	296.66	333.41	355.30	331.05
Injury Margin	USD/MT	***	***	***	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***	***	***	***
Injury Margin	Range	20-30%	40-50%	35-45%	20-30%	10-20%	20-30%

C. Non-attribution analysis and causal link

211. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third countries

212. It is noted that apart from the subject countries, imports are in significant volumes only from Poland during the period of investigation. However, imports from Poland are priced higher than the price of imports from the subject countries. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

213. With regard to the submissions that the imports from Poland have been excluded even though they are causing injury to the domestic industry, the Authority notes that the landed price of imports from Poland is higher than the selling price as well as cost of sales of the domestic industry. In case, the domestic industry would have sold at prices equivalent to prices from Poland, it would have incurred profits. Further, such prices are also more than the landed price of imports from the subject countries. Thus, imports from Poland cannot be considered as causing injury to the domestic industry.

214. The other interested parties have submitted that the anti-dumping duty recommended on imports from Russia is higher and prices of Poland should be considered as benchmark for imposition of anti-dumping duty. The Authority notes that there is no legal provision for consideration of prices of another country as benchmark for recommendation of anti-dumping duty. The Authority has followed the lesser duty rule in the present case. While the exporters from Russia have not cooperated with the Authority, the Authority has recommended duties based on injury margin, even though dumping margin was higher.

b. Contraction in demand

215. The demand for the subject goods has increased over the injury period. Thus, injury cannot be attributed to any contraction in demand.

c. Pattern of consumption

216. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

217. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

218. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury. The other interested parties have submitted that the domestic industry uses outdated technology. The Authority notes that there is no evidence on record with regard to developments in technology over the injury period which may have caused material injury to the domestic industry. Further, the domestic industry was profitable in the base year even when it was using the same technology.

f. Productivity

219. The productivity of the domestic industry has changed with change in production of the domestic industry. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry

220. The injury information examined hereinabove related only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products

221. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

i. FTAs with some subject countries

222. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to reduction in MFN duty rates due to FTAs signed by India with Australia, China, Indonesia and Japan, the Authority notes that the landed price of imports from all subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry. Thus, the injury is not due to low price of imports only from the countries with which India has signed an FTA.

223. The Authority further notes that the customs duty was reduced to the minimum levels from all countries barring Australia prior to the period of investigation. The domestic industry was profitable in 2021-22, when the custom duties were the same as that in the period of investigation. As regard, Australia, the landed price of imports from Australia

is higher than most of the countries even though the same is not subject to customs duty.

j. Internal Inefficiencies

224. The Authority notes that the other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to internal inefficiencies, however, no evidence has been placed on record regarding the same. It is further noted that the nature of the product in the present case is such that the raw material, that is, coking coal cost entails more than 90% cost of production. In such a case, internal inefficiency, if any, is quite limited. Further, the subject imports are priced below the raw material cost of the domestic industry. The Authority has already noted that the quality of the product produced by the Indian industry is comparable to that imported from the subject countries. Thus, it cannot be concluded that the injury is due to internal inefficiency or quality of the product produced by the domestic industry and not due to dumping in India.

k. High interest and depreciation cost

225. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to high interest costs, the Authority notes that the EBIDTA of the domestic industry which does not include interest or depreciation cost has also declined over the injury period. Further, the EBIDTA of the domestic industry is negative in the period of investigation. Thus, the domestic industry has incurred losses even before meeting its interest obligations.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
Depreciation	Indexed	100	113	143	162
Interest	₹/MT	***	***	***	***
Interest	Indexed	100	153	232	212
EBIDTA	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	2	9	-8
EBIDTA	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	2	8	-8

l. Increase in commissions, freight and discount

226. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to increase in commissions, freight and discount, the Authority notes that even if selling price of the domestic industry without considering such expenses is considered, the same is below the cost of sales of the domestic industry. Thus, the injury is not attributable to such costs.

m. Operations of Bhatia Coke and Energy not for profit objectives

227. The other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to the fact that Bhatia Coke and Energy was under insolvency proceedings and run

by corporate debtor and not for profit objectives. The Authority notes that the said producer was under insolvency proceedings till 2022 and thereafter purchased by Aqua Terra Coke & Energy Limited. As per information on record, the said producer is run by an independent management with objectives of making profits. Thus, the insolvency proceedings in the past do not change the merit of the present case.

n. Volatility in raw material prices

228. The other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to volatility in raw material prices. In this regard, the Authority notes that the raw material cost entails more than 90% of cost of production in the subject goods. In such a case, the prices of the subject goods should change in accordance with the change in prices of the raw material. Since, the domestic industry has not been able to charge prices in accordance with the fluctuation in raw material cost, and imports have remained below the raw material cost, the injury is attributable to subject imports.

o. Factors inherent to the domestic industry

229. The other interested parties have submitted that while the foreign producers have integrated manufacturing facilities with recovery type ovens, the domestic industry have standalone plants due to which it has suffered injury. Further, it has also been submitted that due to non-availability of coking coal in India, the domestic industry has suffered injury. The Authority notes that the type of plants of the domestic producers as well as the raw material availability are inherent features of the domestic industry. There has been no change in such features over the injury period due to which it may have suffered injury. There is no non-attribution analysis required to be conducted for factors inherent to the domestic industry, which have remained unchanged over the period. The injury to the domestic industry is required to be seen as it exists.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

I.1 Submissions by other interested parties

230. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest.

i. The imposition of anti-dumping duty is against public interest and will not remedy alleged injury.

ii. Imposition of anti-dumping duty may disincentivize the domestic industry from improving operational efficiencies and adopting advance technologies.

iii. The domestic industry is abusing the trade remedial investigations as there is over reliance by the domestic industry on trade remedial measures.

iv. The roll back of import restrictions shows a conscious policy determination that continued protection was not considered necessary and in public interest.

v. The world economy, including Indian economy, are in bad shape due to Covid-19 pandemic. Considering the mission towards affordable access to alternate

renewable energy, the imposition of duty would make the subject goods uneconomical.

vi. The domestic industry is already protected by safeguard measures in force.

vii. As a result of quantitative restrictions, the domestic industry increased their prices from ₹ 28,500 per MT in July 2025 to ₹ 32,000 per MT in December 2025. A recent report from the Indian Steel Association highlighted that several non-integrated steel producers have been forced to cut back production by an average of 15% in the last quarter of 2025.

viii. The Preliminary Findings relied on historical losses to justify provisional duties. However, since then, the prices of the domestic industry have increased, and consequently, the performance of the domestic industry would have improved significantly during 2025.

ix. Imposition of anti-dumping duty will result in increase in price of the product under consideration which will raise input cost of the downstream industry and lead to decline in profitability, competitiveness and employment levels of the steel producers.

x. Any disruption in supply chain of steel would adversely impact national economic growth, infrastructure development, and GDP. It has developed from a capacity of 22 MT in 1991-92, to third largest producer in world. It contributes to 2% of the GDP and employs 5 lakh people directly and 20 lakhs indirectly. The Authority has observed the importance of steel industry in the safeguard investigation concerning Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products.

xi. The imposition of duty would hurt the export competitiveness of the steel industry and derived goods. It would reduce opportunities for Indian steel makers, in favour of competitors such as Vietnam, China, Türkiye, Korea and European Union.

xii. There is a critical need to ensure stability in supply of raw materials, to achieve the target of National Steel Policy 2017, which requires additional investments of ₹ 10 lakh crores. Domestic met coke faces problems such as high energy costs, environmental restrictions and technological limitations, which disrupts supply.

xiii. Continued imposition of trade remedy measure on a key raw material would prevent the industry from achieving the target steel production of 300 million MT, under the National Steel Policy.

xiv. While AMNS had requested for imposition of a safeguard duty of 25%, the Authority recommended 12%, which shall be progressively liberalized. In such a situation, the imposition of anti-dumping duty on a crucial raw material shall compound the challenges faced by steel industry.

xv. Since steel is widely used product, the imposition of duty may result in elevated prices of steel products, affecting downstream industries and consumers alike.

xvi. Since there are no trade remedy measures on imports of alloy steel long products, the imposition of duty on Met Coke would lead to increased imports of allow steel products.

xvii. Neo Metaliks has expanded its capacity for manufacture of subject goods in India and require assured supply of goods under long term contracts. Neo

Metaliks has been procuring from domestic producers, and also imports minimal quantity from subject countries, due to inadequate and inconsistent supply and absence of long-term contracts. Imposition of duty would limit viable sources.

xviii. Neo Metaliks has a capacity of 4,00,000 MT per annum, employs around 1,500 personnel and has invested ₹ 1,000 crores. Neo Metaliks is also a significant domestic industry, and the Authority should consider impact on it.

xix. There is a demand-supply gap in India and imports are essential to fulfil the same.

xx. The Authority should have relied upon eligible production or capacity of domestic industry to assess demand-supply gap.

xxi. The analysis of demand-supply gap relies on unverified capacity of other producers, while understating demand. As per information submitted by users to DGFT, the current demand in India is 100 lakh MT, implying a demand-supply gap of at least 50 lakh MT.

xxii. Imports in India are essential to bridge the demand-supply gap and support the Indian steel industry, which has significant capacity expansion plans.

xxiii. A significant share of sales of Jindal Coke is made to group companies, and thus, any increased production by Jindal Coke would not address the demand-supply gap.

xxiv. The domestic merchant capacity for Met Coke is limited, concentrated and technologically insufficient to meet national demand, especially as capacity of steel expands. Imposition of duty may create shortages, as international suppliers ensure uninterrupted supply to Indian users.

xxv. Imports are necessary due to significant quality and logistical issues with the domestic supply, since the domestic goods have low Coke Strength after Reduction and high Coke Reactivity Index.

xxvi. Since 9 domestic producers account for 72% of Indian production, it is unreasonable to conclude that the Indian capacity is 6.7 million MT, when the capacity of the 9 producers was only 3.6 million MT. It appears that the capacity of 6.7 million MT considered in the preliminary findings includes capacity of captive producers, which is not appropriate, since they do not sell the product in the merchant market.

xxvii. The Authority has relied upon findings in safeguard investigation to determine that there would be no impact of duties, which is not appropriate since the safeguard investigation did not impose additional duties on the product.

xxviii. Met Coke constitutes 30-50% of the cost of producing downstream steel products. The imposition of duty would be a significant shock to the cost structure of the industry.

xxix. The impact calculation suffers from multiple errors, and the impact calculated by AMNS should be considered instead. The price of HR Steel is inflated since in the recently concluded safeguard investigation, the Authority has itself determined the price to be ₹ 50,000 to ₹ 55,000 per MT. No evidence has been provided to establish that share of merchant producers and imports in total

demand is 10%. Further, it is not clear whether imports account for 10%, or domestic producers.

xxx. Duty impact must be assessed in relation to costs incurred by each individual importer/ steel producer. The impact cannot be apportioned between share of merchant producers and import in demand.

xxxi. The ASPA members do not have captive production of Met Coke and would be significantly impacted by the duties.

xxxii. The adverse impact of anti-dumping duty on the user industry is much higher than the adverse impact noted by the Authority in its preliminary findings, since it assumes that if 5 MT of Met Coke is required to produce 10 MT of Hot Rolled Coil, 4.5 MT of Met Coke would not be impacted by duty. Further, the Authority has accepted the consumption norms claimed by applicant, which is in contrast with the information supplied by user industry that 500 to 600 kg of Met Coke is required for production of 1 MT of steel. Lastly, the price of Steel considered is significantly higher than the actual price.

xxxiii. The cost of imported met coke required for producing 1 MT of HR steel is likely to increase by 32% for met coke imported from Japan and by 104% for that imported from China, with a total impact of approximately USD 300 million annually. Such an increase will squeeze the already low profit margins of the steel industry.

xxxiv. SLR has submitted the impact of duty, which would be in the range of 5-15%.

xxxv. As highlighted by users, a 20% duty translates to an overall cost increase of about 5-11% for users. The users' submissions should not be rejected solely on the ground that there is no evidence to show that the profitability of the users was hampered due to higher prices in previous year.

xxxvi. The impact of imposition of duty on manufacturing of pig iron is about ₹ 3,000 to ₹ 5,000 per MT.

xxxvii. Even if domestically sourced met coke is required to be purchased, ArcelorMittal would have to create a blend of met coke containing a suitable quality of met coke, which is not available in India and which must be imported. While the safeguard measure on imports of met coke was in force, ArcelorMittal suffered production loss due to poor quality of domestic coke replacing good quality imported coke.

xxxviii. Since Coke is used in a blend and the parameters of Coke may vary from producer to producer, it is not advisable to procure different sizes from different suppliers, even if it is assumed that the domestic producers could collectively meet the entire demand.

xxxix. Since a single domestic producer cannot supply in bulk, users are forced to approach multiple suppliers and rely on imports to secure a stable supply of high-quality raw material.

xl. The domestic price of Coke is higher than that of the imported Coke by ₹ 8,000-10,000 per MT, which creates a significant cost disadvantage for small blast furnace operators.

xli. The user industry would not be able to pass on the increase in cost of production to the customers without incurring loss of sales, and this would ultimately increase imports of products manufactured by the user industry.

xlii. The continued imposition of measures undermines efficiency improvements and technology upgradation, and chills investment and competitiveness in user industry.

xliii. The imposition of measures would have an inflationary effect on construction, infrastructure, and automotive.

xliv. There is regional imbalance in the availability of Coke in India since southern and western regions have surplus capacities, and these producers are unable to effectively supply to eastern regions. Most domestic coke manufacturers rely on road transport, which escalates logistic burden for users.

xlv. While the cost of inland transport of Coke to eastern region is about ₹ 4,000 to ₹ 5000 per MT while the quality deteriorates in transit, leading to an overall impact of ₹ 7,000 to ₹ 9,000 per MT.

xlvi. The users of 20-40 mm product under consideration are located in backward regions of Jharkhand and West Bengal. In case of imposition of anti-dumping duty on imports of such product the producer will be pushed into financial distress which will lead to closure of operations and large scale unemployment.

xlvii. Imposing anti-dumping duty would run counter to the broader objective of fostering long-term industries and investment collaboration. Increased costs and policy unpredictability will undermine viability of existing key Japanese investments in India like AM/NSI and discourage new investment.

xlviii. While foreign investors have expressed interest in expanding operation, cooperation and downstream investments in India, unpredictability in trade policy creates uncertainty for long-term investment decisions.

xlix. Supporting imported Coke, which is produced in technologically advanced facilities with lower efficiencies, would align with the long-term environmental goals of the country under the Paris Agreement.

l. Even if the domestic producers can ramp up production immediately, it would take 6 to 8 months of lead time for procuring raw materials, for the domestic industry to start operating at its full capacity.

li. The cumulative protection afforded to domestic industry in the past through anti-dumping duty and safeguard measures risks exceeding the remedial purpose envisaged under the WTO Framework.

lii. Even if duties are imposed, a balanced approach in the form of lower duties in the range of USD 20-30 per MT, and exemptions or reduced duties for sales to verified end users such as steel plants and ferro alloy producers should be considered. Further, a monitoring mechanism should be adopted to ensure supply stability, while preventing market abuse.

I.2 Submissions by the domestic industry

231. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.

ii. The imposition of trade remedial measures is not a protection, but a remedial action arising out of unfair trade practices by the producers and exporters in the foreign country.

iii. There will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty which is evident from the fact that there has been no adverse impact of anti-dumping duty in the past.

iv. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition. The prices in the market will remain fair and competitive only in presence of domestic production.

v. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material, whereas the inventory holding can be kept at much lower levels in case of procurement from domestic industry.

vi. Even though the product was subject to anti-dumping duty and safeguard measures in the past, the downstream industry has not suffered due to previous measures. The users should be asked to furnish the adverse impact of previous measures on their performance.

vii. The downstream industry is much bigger than the Indian industry manufacturing met coke.

viii. The major demand for the product under consideration is in steel segment, where major manufacturers have captive coke oven plants and will not be impacted by the duty. The product used by the Ferroalloy industry has been excluded from imposition of measures and thus, industry will also not be impacted by duty.

ix. The imposition of duty shall not affect the target steel production as the domestic merchant producers of the product already have the capacity to cater to the entirety of the merchant demand in India. Further, 90% of the steel manufacturers in the country are not dependent upon the merchant market.

x. While the domestic producers are suffering due to dumping, the downstream industry is well protected by the Government of India, under Policy for Providing Preference to Domestically Manufactured Iron and Steel Products in Government Procurement and the PLI incentive scheme, as well as through safeguard duties.

xi. If despite such support, the Steel industry still finds itself incompetitive, it needs to make efforts to improve its own efficiencies. The domestic industry cannot be penalized for the inefficiencies of the Steel industry.

xii. The Steel industry should be expected to be competitive enough, that it can procure raw materials at a fair undumped competitive price, at par with the other countries in the world.

xiii. While the domestic industry is not seeking any support, barring that unfair dumping be addressed, the Steel industry by contrast, requires access to raw materials, at cheaper rates than their foreign competitors, in addition to existing Government support.

xiv. Since coking coal is not available in India, and the steel producers which manufacture met coke captively are importing coking coal, the cost of production of such steel producers is higher as met coke is being imported into India at prices lower than coking coal. The imposition of anti-dumping duty on Met Coke would merely put the merchant users of Met Coke at par with such captive producers.

xv. The downstream industry procuring from merchant market is benefiting from dumping of met coke in India as they have access to coke below the import price of coking coal in India. Re-establishing fair prices of the product in India cannot be construed to impact the profitability of such consumers.

xvi. The Authority has imposed safeguard duties on steel based on the data submitted by the producers in the safeguard investigation. If the domestic producers submitted an inflated claim in their application, they cannot claim a grievance due to the reduction in the quantum of duty.

xvii. While the steel industry is an important industry for the Indian economy, the industry manufacturing the raw material for the steel industry is equally important.

xviii. Since AMNS is in the process of commissioning its own plant, it shall feel the effect of duties for only a short period of time.

xix. The duties shall not impact export competitiveness, as the downstream industry can import the product under consideration under advance authorisation without payment of anti-dumping duty, to export the downstream product.

xx. The argument that actual users be exempt from anti-dumping duty cannot be accepted, since users cannot seek access to unfair imports for own consumption.

xxi. If both domestic producers and foreign producers have refused to enter into long term contracts with the user, it implies that the users are not at a disadvantage in any form, when procuring from the domestic industry.

xxii. Major steel manufacturers have captive coke oven plants and will not be impacted by any measures on imports of the product under consideration.

xxiii. The downstream industry is insulated and well-protected by the Government of India under various schemes and measures.

xxiv. The downstream product is subject to higher basic customs duty as compared to the subject goods.

xxv. There are no quality issues in the product manufactured by the Indian producers, and the Indian producers are providing the product of quality equivalent to, if not better than that imported from the subject countries.

xxvi. Even after imposition of duties, the users are free to import the subject goods at fair prices.

xxvii. Since the quality of met coke depends on the quality of coking coal, and the domestic industry relies on imported coal, there can be no concern with regard to quality of the product produced by the domestic industry.

xxviii. The parameters of coke may vary from batch to batch, as well as when the same is procured from the same producer. The parameters depend upon the quality of coking coal used.

xxix. Each producer produces the product as per specifications provided by consumers at the stage of placing the order. Even if goods are procured from different sources, it will be as per the specification required by the users.

xxx. Even at present, importers such as AMNS, India Coke and Power and Orissa Metaliks are procuring the product from several sources. Even after imposition of duty, they can continue to procure from multiple sources.

xxxi. The logistics required for importing the product is higher in case of imports as the product is first transported by rail / road to the port, thereafter, it is loaded onto a cargo ship, then to a jetty and brought to a port, thereafter it is loaded on trucks and off loaded again in the user's premises. If the quality does not deteriorate in such transit, the quality of domestic product cannot be construed to deteriorate as well in transit.

xxxii. The impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry is less than 1%.

xxxiii. Since the impact of the anti-dumping duty is minimal, it is likely to be borne by the downstream industry and not passed on to the users.

xxxiv. The downstream industry does not change the price of its product based on the fluctuation in prices of the product under consideration.

xxxv. The impact of duty has to be quantified for India as a whole and not individually for each producer and importer. Since 90% of the demand for the product under consideration is met through captive consumption of met coke, which does not compete in the market, there will be no impact of the imposition of anti-dumping duty on such demand.

xxxvi. Some of the users would be completely unaffected, because they are purchasing from other countries, or are located in SEZs, or are EOUs, or imported under Advance Authorization. It is not feasible to calculate impact on each individual user.

xxxvii. Members of ASPA include producers like Tata Steel Limited, Jindal Stainless Limited, Steel Authority of India, Jayaswal Neco Industries Limited, Kirloskar Ferrous and Kalyani Steels Limited, which have captive met coke plants. Even SLR Metaliks is on the verge of commissioning their captive Coke plant.

xxxviii. The domestic industry has provided evidence that the price of HR Steel claimed by it is consistent with the prices prevailing during the period of investigation, as per the monthly summary issued by the Ministry of Steel.

xxxix. The share of 10% in merchant demand was adopted in the safeguard investigation as well, and not controverted by any party. Even in the present investigation, the interested parties have not provided an alternative estimate of the share of merchant producers in overall demand.

xl. Even if the impact of steel is calculated after considering the submissions of AMNS, the impact would be 2.8% for Japan and 6.1% for China, and not 32% and 104% respectively as claimed by AMNS.

xli. There are no specialized grades of the product under consideration for which there is a need to evaluate impact individually.

xlii. There is no evidence on record that shows that the increase in minimal cost due to the imposition of anti-dumping duty can be passed on to the users of the product.

xliii. Generally, the downstream industry does not increase or reduce its prices in proportion and as a result of increase in the prices of coke. Even in case of price increase, the impact on the downstream industry will be minimal.

xliv. The Indian industry holds sufficient capacities to cater to the entirety of the merchant demand in India.

xlv. The current capacities of the domestic industry are higher than the demand in India therefore, imposition of duties will not lead to shortage of the product under consideration in India.

xlvi. The imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that the same are at fair prices.

xlvii. The demand-supply gap has to be seen in light of the capacity in India and not production.

xlviii. Since 90% of the producers in India captively produce met coke and the merchant met coke producers have the capacity to cater to the entire domestic merchant demand in India, there will be no impact on availability of the product. The National Steel Policy covers both type of producers of steel, that purchase met coke, and have their own met coke.

xlix. Since several merchant producers are importing the product under consideration in India, their production has not been considered in the determination of eligible Indian production. However, their capacity will be considered for the determination of total merchant capacity in India.

l. Contrary to claim of interested parties, the total merchant capacity in India is 67,15,931 MT as against a demand of 63,93,607 MT.

li. Even if Jindal Coke Limited has increased production to supply to group companies, it has catered to demand in India. Such group companies would have procured from domestic producers or imported, in absence of supply by Jindal.

lii. Future captive consumption of the product by any producer is not a ground for non-imposition of anti-dumping duty. In case of non-availability of the product in the future post imposition of anti-dumping duty, the interested parties have the option to approach the Authority for a mid-term review.

liii. It is well-settled that demand-supply gap is not a ground for non-imposition of anti-dumping duty. This is especially because if dumping is allowed to destroy the competition in the market, it would discourage future investment in the product, and the demand-supply gap would only widen.

liv. Since most of the steel manufactures expand capacities along with capacity for production of met coke captively, there will be no shortage of the product and captive met coke capacities will also increase. In any case, the Indian merchant met coke industry also expands its capacity regularly with increase in demand.

lv. Since the return on capital employed in the present case is negative, the market situation in India is not conducive to any investments which could lead to improved efficiencies or adoption of advanced technology. The industry has to first be profitable in order to invest further in the business.

lvi. While certain parties may have claimed a demand of 100 lakh MT before DGFT, there is nothing to show that such demand figures were accepted by DGFT. The total demand includes merchant demand and captive demand.

lvii. There are at least 8 domestic merchant producers of the subject goods in the Eastern Region, which are capable of catering to the entire demand of Met Coke in this area, with some of the largest producers having capacities in this region.

lviii. The domestic producers supply using railways and sea routes to the users. AMNS has sourced significant quantities of Met Coke from the domestic manufacturers in the Eastern Region via sea mode for its unit located in the western region.

lix. If the situation of industry is not remedies, it will lead to closure of merchant met coke industry, creating shortage of the subject goods. The foreign producers are likely to increase prices to derive maximum profits out of the Indian market.

lx. The domestic industry has suffered significantly due to subject imports leading to unfavourable market conditions for any further investments.

lxi. A number of producers ceased operations due to dumping in India. The producers suffered due to accumulated inventories and were forced to shut down their operations.

lxii. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive domestic production of the product, which would not be possible if the industry continues to suffer injury.

lxiii. The imports of the product at prices below the cost of sales of the domestic producers have destroyed the fair market conditions and imposition of measures is necessary to maintain a fair playing field.

lxiv. Due to surge in imports at prices much lesser than the cost of sales of the domestic industry, a number of Indian producers, such as Saurashtra Fuels Private Limited, Jindal Coke Limited and Usha Fuels Private Limited faced shutdowns.

lxv. There is a need for imposition of duty, to encourage the investment required to fulfil the vision of AatmaNirbhar Bharat with respect to the product. The current market conditions are not conducive for any further investment in the product.

lxvi. Since steel is expanding capacities continuously, as highlighted by other parties, there is a need for the raw material industry to also expand capacity. However, the same is not possible at present.

lxvii. Met Coke is not a raw material, but a utility for production of products. As witnessed during COVID-19 pandemic, dependence on imports may adversely impact production in the country.

lxviii. The Indian industry producing the subject goods is adhering to all Environmental Laws and Rules in India, whereas there is no reason to believe that the foreign producers are following a more environmentally friendly process. In fact, due to non-availability of coking coal, there is no mining done for the raw material in India, which may cause adverse impact on the environment.

lxix. Since the import price of goods is even below the cost of raw material of the domestic industry, it has rendered domestic production unviable. However, in the absence of domestic production, the prices of met coke are likely to increase as the competition would be eliminated from the market.

lxx. The alleged price increase in the subsequent period is incorrect, as the domestic industry did not supply at a price of ₹ 28,500 per MT even during the period of investigation.

lxxi. The prices of the domestic industry have moved in tandem with the prices of coal. However, even though the coal prices increased by 18%, the domestic industry has not been able to increase its prices commensurately.

lxxii. While the interested parties have alleged that the domestic industry is selling at a price of ₹ 32,000 per MT, even such alleged price is lower than the cost of sales.

lxxiii. There are a large number of domestic producers in India and the capacities of the Indian industry is enough to cater to the entirety of the merchant demand in India. The inter se competition in India will ensure fair prices in the Indian market.

lxxiv. The Japanese producers cannot insist that once they have invested, that they must be allowed to dump in the country. The domestic producers of the subject goods have also invested a considerable sum in setting up capacities for the subject goods, and have a right to seek fair prices and fair competition in the market.

lxxv. The Ministry of Finance in the present case has imposed preliminary findings, which shows that the Government of India is aware of the adverse impact of dumping on the merchant met coke producers in India.

lxxvi. The fact that DGFT imposed import restrictions shows that DGFT understood the adverse impact of the imports in the Indian market and found it necessary to protect the domestic industry in India. This shows that the Government of India is concerned about the destruction of fair market conditions in the country due to unfair trade practices by the producers in the subject countries.

lxxvii. There is no justification or provision for imposing lower duties in the present case or specific duties for specific consumers. As regards exemptions or

reduced duties for sales to verified end users, such an exemption would defeat the very purpose of the duties as all users would switch to imports, and the duty levied would serve no purpose.

lxxviii. As regards the monitoring mechanism, the domestic industry has no objection to the same. The interested parties may consider the appropriate forum in this regard.

I.3 Examination by the Authority

232. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duty is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by unfair trade practice of dumping. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

233. The Authority notes, that the prices of the domestic industry as well as landed price of imports have declined significantly in the period of investigation. The prices were much higher in the past. Since there was no adverse impact on the performance of downstream industry in the past due to such high prices, there likely will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty.

234. As regard the submissions that there is a demand-supply gap in India, the Authority notes that the same is incorrect. As per the information on record, the capacity of the domestic industry is much more than the merchant demand in India. While imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India, even in case of cessation of imports, there will likely be no shortage of the product under consideration in India.

Particulars	Volume (MT)
Demand in India (Excluding Captive)	63,93,607
Total Indian Capacity of merchant producers	67,15,931
Demand-supply Gap (Excluding Captive)	(3,22,324)

235. With regard to the submission that the Authority should have relied on eligible production or capacity of the domestic industry to assess the demand-supply gap in India, the Authority notes that the eligibility of a domestic producer to constitute domestic industry is determined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, only for the purpose of determination of standing in an anti-dumping investigation. Even if a

producer is not eligible to constitute domestic industry in a particular investigation that does not mean that the production and capacity of such producer does not exist. While certain producers have been considered ineligible to constitute the domestic industry in the present investigation due to imports made by them, the plants of such producers are in operation. Thus, such capacities cannot be disregarded for assessment of demand-supply gap in India.

236. Submissions have also been made that the capacities considered by the Authority for merchant production are unreliable as 9 domestic producers account for 71% of production and have 36,00,000 MT capacities. The Authority notes that while determining the standing in the present case, production of entities which have imported the product under consideration have not been considered as such entities are ineligible to constitute the domestic industry under Rule 2(b). However, while determining the total capacities available in India which can be utilised to supply in the domestic market, capacities of all domestic producers has been considered.

237. The other interested parties have submitted that the demand in India is 100 lakh MT and the same has been submitted to DGFT. The Authority notes that even if such a submission has been made to DGFT, the DGFT has imposed safeguard measures in form of quantitative restrictions on imports of the subject goods. Further, the demand-supply gap in India has been quantified in the present investigation based on demand in merchant market only. Since the domestic industry producing the subject goods in the Indian market, only serves the merchant industry, the demand cannot be considered for both merchant and captive market. The Authority has not considered the capacities of captive producers for assessment of demand-supply gap.

238. As regard the submission that the steel industry is expanding capacities, the Authority notes that the steel industry is also expanding capacities for production of met coke which is used captively. In any case, non-imposition of anti-dumping duty is likely to lead to closure of merchant coke plants in India, which will lead to increase in demand-supply gap in the market.

239. With regard to the submission that a major share by Jindal Coke is sold to its related party and any increase in production by such producer would not address the demand-supply gap in India, the Authority notes that the demand quantified by the Authority includes the consumption of the consumers buying from Jindal Coke Limited. Thus, any increase in production of Jindal Coke Limited will lead to increase in supply in the Indian market.

240. The Authority has already noted that the product produced by the domestic industry is like article to the product imported into India. Wherever the domestic industry has not offered alike article, the same has been excluded from the scope of the product under consideration. Thus, imposition of anti-dumping duty would not lead to scarcity of a product type in India.

241. As regard the submissions that the parameter of the subject goods vary from producer to producer and even if domestic producers collectively have the capacity to fulfil the entire demand, it is not advisable to procure different sizes from different producer, the Authority notes that parameters of the product vary from batch to batch based on the coking coal used and not just from producer to producer. Further, the domestic industry produces and supplies against the orders received. The domestic producers in India as well as foreign producers produce the product under consideration as per the specifications provided by the consumers and the product is accepted by the consumers only if such parameters are met. Further, the consumers have sourced the product under consideration during the injury period from various sources and not from a single producer. Hence, the submissions that procurement is limited to a single producer cannot be accepted.

242. With regard to the submissions that imposition of anti-dumping duty will adversely impact the profitability of the downstream industry, the Authority notes that there is no evidence on record to show that the profitability of the users were hampered due to higher prices of the subject goods in previous years. In any case, as per the evidence on record, the impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry is less than 1%. In the safeguard quantitative restrictions investigation, the Authority has already held that 90% of demand in India is fulfilled by captive consumption of the product and only 10% demand is procured from the merchant market. In such a case, 90% of the market in India is immune to price of the subject goods in the merchant market.

Particulars	Unit	Amount
Present selling price of the domestic industry	₹/MT	***
Non injurious price of the domestic industry	₹/MT	***
Increase in price to reach non-injurious price	₹/MT	***
Price of Hot Rolled Coil Steel	₹/MT	63,959
Met Coke consumption per MT of Steel	Kg/MT	304
Share of merchant producers and imports in total demand in steel industry	%	10%
Met Coke consumption per MT of Steel (purchased from domestic producers of met coke + imports) in steel industry [***% of *** kg/MT]	Kg/MT	30
Increase in price to customer	₹/MT	***
Increase in price to customer	₹/kg	***
Share of increase in price due to anti-dumping duty in Hot Rolled Coil Steel	₹/MT	***
Impact of anti-dumping duty	%	<0.15%

**Hot Rolled Coil Steel of 2.5 mm*

243. The other interested parties have submitted that the impact must be quantified individually for each importer and steel producer. However, the Authority notes that the impact of imposition of anti-dumping duty has to be quantified for the country as a whole and not just with regard to a single producer or consumer. The Authority has undertaken import analysis in the present investigation accordingly.

244. With regard to the submissions that the prices considered for HR Steel is not appropriate, the Authority notes that the domestic industry has provided evidence in form of monthly summary issued by the Ministry of Steel showing prices of HR Steel in India. The average price of HR Steel as per the prices published by Ministry of Steel have been considered relevant for the purpose of impact analysis.

Month	Price (₹/MT)
Oct-23	67,850
Nov-23	65,990
Dec-23	65,900
Jan-24	65,440
Feb-24	64,670
Mar-24	63,290
Apr-24	64,900
May-24	64,610
Jun-24	63,720
Jul-24	62,250
Aug-24	59,890
Sep-24	59,000
Average	63,959

245. The Authority further notes that the importer of the subject goods have submitted that the cost of producing HR steel will increase by 32% for met coke from Japan and 104% for met coke from China. The Authority notes that the domestic industry has submitted that any impact on the merchant met coke consumers shall be passed on to the consumers of the product and the profitability of steel industry has already increased post imposition of a number of measures by the Government of India. The Authority notes that the impact analysis has to be seen for imports into India and not only from some of the subject countries. Further, impact analysis has to be conducted for the country as a whole and not only single segment of consumers in the country. In any case, the Authority has noted the submissions made by AMNS in this regard. Even if impact is quantified based on assumptions by AMNS, the impact on merchant coke consumers and only based on imports from China and Japan would be less than 4%.

Particulars	Unit	Japan	China
Anti-dumping duty	USD/MT	***	***
Anti-dumping duty	₹/MT	***	***
Met Coke consumption per MT of Steel	MT	0.304	0.304
Additional cost	₹/MT	***	***
Price of Hot rolled sheet	₹/MT	63,959	63,959
Impact	%	0-5	5-10
Average Impact	%	3.44%	

246. The Authority also notes that the major consumption of the subject goods is in steel industry. However, majority of steel producers have captive coke oven plants and are insulated by change in market price of the subject goods. Thus, there will be no adverse impact on such producers. Further, since the product used by ferroalloy industry has already been excluded, there is no adverse impact on the ferroalloy industry as well.

Segment	Consumption				Segment-wise Share %	
	Gross (KT)	Captive (KT)	Merchant (KT)	Share of Merchant	Overall	Merchant
Steel	34,147	30,522	3,625	11%	89%	54%
Pig Iron	2,018	1,064	954	47%	5%	14%
Zinc, Soda Ash & Others	736	0	736	100%	2%	11%
Ferro Alloys	525	0	525	100%	1%	8%
Foundry	266	0	266	100%	1%	4%
Others	629	0	629	100%	2%	9%
Total	38,320	31,586	6,734		100%	100%

247. The applicant has submitted that the downstream industry has been provided adequate support by the Government of India. Since the domestic industry is suffering intensified injury, it is essential to remedy the situation for the Indian industry producing subject goods as well.

248. With regard to the submissions that the government has already recognised the importance of steel industry and any disruptions in supply chain would adversely impact the GDP of the country, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not lead to restriction of imports into India and thus, will not cause any disruption in supply chain. Anti-dumping duty only ensures that the imports are available at fair market prices. The price prevailing in India in the past was higher and there is no evidence of adverse impact on the steel industry of such prices. In any case, it is noted that the subject goods are being dumped into the Indian market and causing injury to the Indian industry involved in manufacturing of the subject goods. The domestic industry has incurred significant financial losses and has recorded negative

return on its capital employed. In such a case, if the situation is not remedied for the domestic industry, the domestic industry might have to cease operations of the subject goods in India. This is likely to cause disruption in the supply chain of steel industry.

249. The other interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty would hurt the export competitiveness of the steel industry and derived products. The Authority, in this regard, notes that in case of export of downstream product, the consumers of the subject goods are free to import the product under advance authorisation without payment of any anti-dumping duty. Thus, there will be no impact on competitiveness of downstream industry in the export market.

250. As regard the submission that the domestic coke faces problems like environmental restrictions and technological limitations and imposition of ADD will not be in interest of National Steel Policy, the Authority notes that as per evidence on record, the domestic industry has supplied the subject goods to a number of major downstream consumers during the period of investigation. There is no evidence on record to show that the quality of subject goods produced by the Indian industry is technologically different from the subject goods imported into India. Further, steel producers predominantly produce met coke in India captively by procuring cooking coal from the same sources as the merchant coke producers. Since 90% of consumption of subject goods is captively produced in India, it cannot be said that there are limitations in the product produced in India. In any case, the consumers of the product under consideration can continue importing the product at fair prices even after imposition of anti-dumping duty and such imposition will not restrict imports into India.

251. The Authority notes that AMNS has submitted that it requested for safeguard duty of 25% but the Authority has recommended imposition of a lower quantum of safeguard duties on the downstream product. The Authority notes that the safeguard duty recommended by the Authority is as per the Safeguard Laws and Rules. Even in the present investigation, the Authority has followed the lesser duty rule and recommending imposition of provisional anti-dumping duty, only to the extent of injury margin, and not to the full extent of dumping margin.

252. As regard to submissions that there is no anti-dumping duty on certain steel products and imposition of anti-dumping duty may lead to increase in imports of downstream products as well as substantial increase in price of steel products, the Authority notes that the subject goods have been subject to anti-dumping duty in the past, however, there is no evidence of substantial increase in price of steel products due to imposition of such anti-dumping duty or increase in imports of downstream product during this period. It is also noted that the price of subject goods in the Indian market is lower only due to the fact of existence of domestic industry in India. In case of cessation of production by the merchant domestic producers, the exporters are likely to stop dumping and increase prices for exports to India. Such a scenario will destroy the fair

market prices for the raw material for the steel industry and would adversely impact the downstream industry in India.

253. The Authority notes that Neo Metaliks Limited has submitted that it requires consistent supply of the subject goods under long-term agreement and hence, imposition of anti-dumping duty would adversely impact its interests. The Authority, in this regard, notes that the said producer has already submitted that neither the Indian producers nor the foreign producers in the subject countries are offering the product under long-term contract. In such a case, there is no difference between the terms of sales of the Indian producers and the foreign producers which can adversely impact the interest of such producer. In any case, the importer can enter a long-term contract with foreign suppliers even after imposition of anti-dumping duty and can continue importing the product at fair prices.

254. The other interested parties have submitted that the prices of the domestic industry are above the landed price due to which procurement of domestic coke creates significant cost disadvantage for blast furnaces. The Authority notes that the domestic industry has sold the subject goods at losses during the period of investigation. Even though it has sold at losses, the subject imports are being dumped in India and are priced below the selling price as well as cost of raw material of the domestic industry. Access to such dumped prices is not justified by the downstream industry.

255. The Authority notes that the landed price of subject imports is below the price of imports of coking coal in India. The steel producers which captively produce and consume the subject goods are procuring the raw material at higher prices as compared to procurement of subject goods by merchant consumers of subject goods. Thus, even the captive consumers of the subject goods are at a disadvantage vis-à-vis steel producers which import the subject goods from the subject countries.

256. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that the anti-dumping duty has been imposed on imports of the product under consideration multiple times in the past, as a result of dumping of the product. The Authority has conducted detailed examination of dumping, injury and causal link and thereafter, recommended imposition of anti-dumping duty. The number of measures on imports of the product under consideration shows the pricing and unfair trade practice of the producers in the subject countries.

257. With regard to the submissions that the quantitative restrictions in force will address injury to the domestic industry, the Authority notes that such measures are temporary in nature. The producers in the subject countries have engaged in unfair trade practice and have dumped the product under consideration in India during the period of investigation. The period of investigation in the present investigation is after the most recent period in the safeguard investigation. Since unfair practice has continued in

India, there is a need for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

258. The other interested parties have submitted that the domestic industry has increased prices during the tenure of quantitative restrictions and the non-integrated steel producers have suffered production cuts because of the same. The Authority notes that as per the evidence furnished by the domestic industry in form of SBB Steel Markets Daily Reports, the coking coal prices have increased in India. The domestic industry has submitted that while the coking coal prices have increased by 18%, the domestic industry was able to increase its prices only by 12% in this period. The Authority notes that even if the prices stated by the other interested parties are considered and the cost of production of the domestic industry in the period of investigation is considered, the domestic industry has sold the subject goods at prices less than the cost of sales even in the period of investigation.

Particulars	Unit	POI
Cost of sales	₹/MT	***
Selling price*	₹/MT	***
PBT	₹/MT	(***)

**As per information provided by other interested parties*

259. The Authority notes that a number of producers shut down their operations due to extensive dumping in India. *** were forced to shut down. Further, the Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased even though it has reduced production and sold the subject goods at losses. In case, the present situation persist, other producers are also likely to shut down. The other interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty on imports of 20-40 mm coke will lead to closure of industry in Jharkhand and West Bengal. However, since the aforesaid product for specific end uses has been excluded, the imposition of duty shall have no impact on its availability. Further, the prices of the product under consideration was higher in India in the past and there is no evidence of adverse impact of such prices on the consumers of the product. Thus, there will be no adverse impact on the consumer or employment in the area. A number of plants of the coke industry have already shut down or suffered utilisation of production capacities due to dumping in India which has led to loss of employment in India.

260. The other interested parties have submitted that the roll back of import restrictions shows policy decision regarding continued protection to the domestic industry, the Authority notes the imposition and cessation of import restrictions are not a subject matter of this investigation. No conclusion can be drawn with regard to the actions by DGFT in this regard. In any case, as per the information on record, the restrictions were invoked and rolled back which demonstrates that the Government of India was concerned over damage to coke industry, but promptly withdrew the restriction once

ADD was imposed. Imposition of anti-dumping duty provides remedy to the domestic industry to the extent of lower of injury margin and dumping margin. Thus, there is no overprotection in the present case.

261. As regard the submissions that the Indian economy is in a bad shape due to COVID-19 and imposition of anti-dumping duty will lead to making renewable energy sources uneconomical, the Authority notes that there is no evidence of adverse impact of COVID-19 on the domestic industry or the user industry in the period of investigation. Further, the subject goods are not a renewable energy source and hence, such submissions are factually incorrect.

262. The other interested parties have submitted that there is regional imbalance in availability of domestically produced subject goods in the eastern regions of India. The Authority notes that as per the information on record there are at least 8 producers with sufficient capacities in the eastern region of the country. Further, the domestic industry has furnished information that the subject goods are being transported to various regions via road transportation, railways and sea routes. In fact, the producers in Eastern regions have supplied to consumers in western regions including Gujarat during the period of investigation.

SN	Name of Producer in Eastern Region	Unit	Capacity
1	VISA Coke Limited	MT	***
2	Jagganath Combine Coke Limited	MT	***
3	Usha Fuels Private Limited	MT	***
4	Bengal Energy Private Limited	MT	***
5	Jindal Coke Limited	MT	***
6	Krishna Coke India Private Limited	MT	***
7	MV International	MT	***
8	Neelanchal Carbo Metaliks Limited	MT	***
9	Total Capacity	MT	***

263. As regard the submissions that the quality of the product deteriorates during the transit and hence, procurement from domestic producers is not appropriate, the Authority notes that the domestic industry has submitted that the transit distance as well as the modes of transit for imports into India is much more than that required for transporting domestically manufactured product.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

J.1. Submissions by other interested parties

264. In their post-disclosure comments, the interested parties have reiterated their comments regarding scope of product under consideration including those with regard to CSR,

M40, ultra-low phosphorous coke, consideration of two markets for determination of domestic industry, captive consumption by producers considered part of domestic industry, rejection of responses, injury, causal link, impact of imposition of anti-dumping duty etc. Further, the following submissions have been made by the other interested parties post issuance of the disclosure statement.

i. The exclusion proposed by the Authority of 20-40 mm met coke is in line with the vision of the Government of India and Ministry of Steel to facilitate enhancement of production of Steel in India. This will also support production in East India as the actual users of such products have plants in Eastern region of the country.

ii. The disclosure statement does not address the argument of the exporters that coke breeze is a by-product, and thus, cannot form part of product scope. Further, the domestic industry has not been instructed to provide information with regard to contribution of coke breeze to its cost of production, and impact of imports of met coke on its operations concerning coke breeze.

iii. Claim of the domestic industry that it has produced coke breeze and coke fines in commercial volumes has been mechanically adopted, despite no evidence on record demonstrating the same. Further, the Authority has not explained its criteria to determine that such sales were in "commercial volumes".

iv. BlueScope has provided invoices showing exports of high CSR product to India, which shows demand exists for the product. Considering that the domestic industry has not received enquiries for a product, it follows that it has not produced and sold the product, warranting its exclusion.

v. With regard to product with CSR > 70%, the Authority is requested to consider actual production, instead of production capability, ability to produce, or end-use substitutability.

vi. It has not been examined whether blast furnace grade products with CSR in the 64–65 band have actually been supplied by the domestic industry.

vii. The product exclusion for ULP cannot be restricted based on end use, based on consistent practice of Authority. Further, potential commercial shifts in sourcing cannot justify inclusion of a products that are otherwise distinct.

viii. The Authority has not considered peer-reviewed study showing difference between high and low phosphorus content, which shows non-application of mind. Further, communications submitted by AMNS to show inability of domestic production to supply met coke with low phosphorus content have been disregarded.

ix. The Authority has not examined the request to exclude met coke with ash content less than 12%, which is also supported by the PCN methodology notified.

x. As noted in the Manual of SOP and in China – Broiler Products (US), the Authority is required to determine the total Indian production first, including production of captive producers. In the absence of such determination, the determination with regard to major proportion is unsupported.

xi. The Authority in its previous investigation found that Neelachal Ispat Nigam Limited having its own captive coking coal plant, started selling met coke in merchant market.

xii. While Jindal Coke is a vertically integrated steel producer which captively consumes met coke, it has been considered as domestic industry based on mechanical and irrelevant observations.

xiii. The Authority has erroneously determined Bengal Energy's captive consumption percentage over the injury period, rather than for the period of investigation.

xiv. In a situation where Bengal Energy Limited itself accounts for 10-20% of the merchant sales by domestic producers and the sampled producers comprise of 50% of the sales of the domestic industry, the share of few domestic producers shall constitute major proportion. It is, therefore, not a fit case for initiation of investigation as fragmented industry under the Trade Notice 9/2021, which applies for a situation where the industry comprises of excessively large number of producers.

xv. Since the Authority has arbitrarily excluded captive producers, the injury examination undertaken by the Authority is flawed and inconsistent with Article 3 of the Agreement and observations of WTO Panel and Appellate Body.

xvi. The submissions of parties seeking disclosure of country-wise landed price considered for injury margin has not been addressed. The landed price of subject countries has not been claimed confidential by interested parties and the same cannot be claimed suo moto by the Authority.

xvii. The methodology used for assessing import volume and prices has not been disclosed and such non-disclosure prevents parties from making any comment and violate principles of natural justice. The Authority must disclose the landed price and methodology for considering imports and allow opportunity to make further comments.

xviii. The Authority has not determined the non-injurious price in range in the preliminary findings or the disclosure statement.

xix. The name of BlueScope Steel (AIS) Pty Ltd may be corrected in the disclosure statement.

xx. The name of Rashmi Metaliks Limited and Orissa Metaliks Pvt. Ltd. may kindly be included in the procedure.

xxi. The figures for demand in different places have been noted differently.

xxii. Differential treatment provided to imports from Japan and Poland violate Article 14 of the Constitution of India which requires the State to treat all persons equal before law.

xxiii. Based on the information provided for freight incurred, the injury margin for MCC and MCR must be redetermined.

xxiv. The concern pertaining to ongoing safeguard measures have not been addressed in substance. The need for anti-dumping duty must be examined in light of the safeguard measures which have altered the market conditions. An absence of such examination would lead to duplicate remedy. Measures in force during 2025 have

restricted imports and allowed the domestic industry to improve. Thus, a recommendation of imposition of anti-dumping duty is not required.

xxv. In para 3.6 of procedure, the Authority has not considered the list of exporters that filed submissions.

xxvi. Since BlueScope and Japanese producers have provided complete information to the best of their ability with regard to normal value and export price, the normal value should be based on information provided by them; even if the export price cannot be so determined.

xxvii. The Authority has failed to consider the evidence provided by AMNS regarding ocean freight charges and has arbitrarily determined margins based on facts available, considering inflated ocean freight provided by domestic industry, without providing any reasons for the same.

xxviii. Contrary to the claim that the ocean freight evidence submitted by domestic industry was circulated to all, the decision to use such evidence was made known to the interested parties only at the time of preliminary findings, post which AMNS has made detailed comments.

xxix. If the evidence for ocean freight charges submitted by AMNS is considered, the dumping margin for Japanese exporters would be nil, and would lower for other countries.

xxx. It must be clarified as to whose data has been relied upon for the determination of ocean freight. If the data provided by the foreign producers has been relied upon for freight, it can also be relied upon for the determination of normal value.

xxxi. MCC cannot be considered as non-cooperative as it has provided all essential information, including its unrelated party's resale information. The threshold of refusing access to necessary information under Rule 6(8) has not been met.

xxxii. Mere non-filing of a separate response by [***] must not lead to treatment of MCC and MCR as non-cooperative. Since MCR and [***] are subsidiaries of MCC and [***] does not procure goods from MCC directly, the information provided by MCR discloses complete commercial flow.

xxxiii. The Authority has not justified the outright rejection of complete responses based on incomplete value chain when it has recorded submissions that even application of facts available require consideration of usable information on record to the maximum extent possible.

xxxiv. PT Kinrui and PT Detian provided complete responses identifying all sales channels, sellers and distributors. Participation of unrelated traders is beyond the exporter's control and cannot be grounds for rejection.

xxxv. As held by WTO Panel in Argentina – Ceramic Tiles, if certain information is required, the same must be asked from the interested parties, and failure to ask the same is in breach of principles of nature justice.

xxxvi. The Authority has no discretion to disregard submission under Section 9A or Rule 6(4) and 6(8) as well as Para 5 of Annexure II to the Agreement.

xxxvii. The Authority has not considered the information available on record to determine export price for non-cooperative producers and has simply applied facts available.

xxxviii. For sales made through related trader, the export price could have been constructed on the basis of the first resale to an independent buyer. For direct sales, invoice prices reported were reliable and could be used.

xxxix. Risun Group has provided comprehensive information and supplemental responses addressing the queries raised by the Authority. The record does not show that Risun has failed to provide complete information.

xl. The submissions regarding exports through Risun HK have been supported with transaction wise export information and any variation from DG systems data is not mis-declaration requiring rejection of response, since Risun has provided explanations for such differences.

xli. Rejection of response on incomplete value chain is an administrative practice rather than legal requirement. Risun cannot be penalised for non-participation of independent parties and must be treated as cooperative.

xlii. The application of available facts under Rule 6(8) is not warranted for Risun since it has provided all necessary information and clarifications as contemplated under the provision.

xliii. No specific query which remains unaddressed or in capable of clarification has been identified. In such a case, rejection of response in entirety is excessive and unjustified.

xliv. The acceptance of key arguments concerning ocean freight shows that there is a need to re-visit the determinations in preliminary findings and initiation. Despite the same, the injury analysis remains unchanged.

xlv. It is a well-established practice that post-POI developments are not ordinarily relied upon for the determination of injury in original investigation. This is especially since the post-POI data is unverified.

xlvi. The ongoing tensions leading to disruption in vessel traffic in Strait of Hormuz has caused substantial increase in freight rates and logistical costs. Further, coking coal prices have increased reflecting input price pressures. Such factors must be considered for a comprehensive injury analysis.

xlvii. Japanese imports are not merchant-market, competitive, or price responsive exports to India inasmuch as they are exported under fixed term contracts to two specified downstream heavy metal and steel manufacturing entities. Therefore, Japanese imports cannot be cumulated with imports from other subject countries.

xlviii. Since the price undercutting is lower than injury margin, it is clear that selling price of the domestic industry was higher than non-injurious price showing lack of price injury.

xlix. The increase in imports from subject countries cannot be attributed to Australia, particularly since the market share of Australia is much lower than Indonesia and China.

l. The disclosure statement shows that the price of the domestic industry has increased over the injury period, in line with the cost of sales in absolute terms, which is inconsistent with finding of suppression and depression. For most period, the domestic industry was able to price its product in accordance with cost, and the price suppression / depression is confined to specific periods.

li. The price undercutting has not been disclosed on a PCN-wise basis, and has not been disclosed for the past periods.

lii. The prices in India are set at international benchmark prices, and the landed price has followed the price of coking coal and domestic cost of sales.

liii. Import prices cannot always move in tandem with raw material price fluctuations as the prices are also affected by demand-supply gap, contractual terms and competitive pressures.

liv. The Authority has erroneously noted that import prices are lower than domestic industry's raw material cost as it fails to consider difference in sourcing and global cost advantages.

lv. The decline in production of the domestic industry is due to the fact that the domestic industry has consistently remained in overproduction, as evident from the fact that the sales volume is below production. As a result, the domestic industry consciously chose to reduce production, to reduce inventory.

lvi. The shift from profit to loss must be examined in light of own investment and capital structure decision of the domestic industry.

lvii. Apart from Saurashtra Fuels Private Limited, Malco Energy Limited, and BLA Coke Private Limited, all other coke producers have earned a significant amount of profit.

lviii. There is absence of correlation between import volumes and selling price, and the selling price of domestic industry has increased when import volumes were high.

lix. The domestic industry has suffered injury due to high moisture variation from seasonal and environmental influences.

lx. The domestic product is supplied by trucks, whereas the imported product is supplied via bulk shipping at sea, leading to higher logistics cost for domestic producers.

lxi. There is lack of confirmation that the profitability and sales of the domestic industry considered do not include export sales.

lxii. Injury margin for Japan must be determined as per practice and in case of absence of production by the domestic industry of certain PCNs, NIP must be based on closest PCNs with applicable adjustments.

lxiii. Simple comparison of CIF prices from Japan and Poland is not appropriate. If injury margin of Poland is considered as zero, the injury margin for Japan would be 7%, before adjustments, based on the difference in CIF prices from both countries. However, such a comparison is against the set practice which requires injury margin derived from CIF price with applicable adjustments. Actual injury analysis must be made on fair comparison of NIP and adjusted landed price.

lxiv. The Authority notes that the domestic industry would have earned profits if it would have sold at prices equivalent to that of Polish imports. Since the Polish imports are only 30-40 USD per MT higher than price of Russian imports, there is no warrant for imposition of higher duties than such level.

lxv. Financial losses, cash losses and negative returns are attributable to self-inflicted factors. The injurious effect of such factors must be segregated.

lxvi. The inability of domestic industry to utilize even half of its capacities, despite increased demand shows internal inefficiencies.

lxvii. The Authority has failed to consider the impact of Russia-Ukraine conflict which increased logistical costs for importers since 2022-23.

lxviii. The Authority has incorrectly considered the price of hot-rolled steel as per Ministry of Steel's statistics which include for price of hot-rolled steel coils and mill plates. In the recently concluded safeguard investigation on non-alloy steel flat products, the Authority held that hot-rolled steel was priced at Rs. 55,000 per MT for the same period. Such prices should be used for the impact calculation.

lxix. AMNS is likely to incur an additional cost of >100 million USD in duties are imposed on Japan.

lxx. The Authority has incorrectly determined that there is no demand-supply gap considering the total installed capacity of India, and not the capacity meant for merchant sales.

lxxi. The reasoning provided for rejecting quality concerns of the users ignores the procurement realities. Mere presence of sales of domestic industry does not establish that such goods are fully substitutable for all users and applications. The combination of quality consistency, specifications and quantity make imports necessary.

lxxii. The submission of steel producers raising concerns over impact of anti-dumping duty has been ignored on the basis that demand of the steel industry is majorly met by captive production. The observations on impact of duty does not address the increase in input costs for users with no captive production.

lxxiii. Considering that margins are in the range of 10-50%, examination of impact ignores the increase in price of downstream product by 12-18%.

lxxiv. There has been a significant depreciation in the Indian currency against US Dollars, from 84 in POI to 94 currently. This increases the price of imports by 10%. In view of such increase, there is no need for recommendation of duties.

lxxv. The disclosure statement is violative of natural justice, since it does not consider the submissions of exporters concerning Japanese investments. The imposition of duty on Japan shall directly undermine the interests of AM/NSI, a strategic investment by Japan and would run counter to the broader objective of fostering long-term industrial and investment collaboration between India and Japan.

lxxvi. Precedents demonstrate that the MoF has carefully weighed broader economic and trade considerations in similar cases, and the balance of public interest weighs against the adoption of such measures.

lxxvii. While blast furnaces may be commissioned earlier, the associated coke oven facilities become operational only after a gestation period of approximately 5–6 months. During this intervening period, steel producers remain dependent on external sources, including imports, to meet their requirements.

lxxviii. The imported product is priced significantly cheaper than the domestic product. Use of the latter creates significant cost disadvantage for small blast furnace operators, who shall operate at negative margins at such price levels.

lxxix. Considering the present exchange rate, and the conversion ratio of 500 kg of LAM coke for 1 MT of hot metal, the impact of duty is about approximately ₹ 3,765 per MT for pig iron.

lxxx. The demand for the eastern market is estimated at 97.26 lakh MT. Rashmi Group alone has an annual requirement of approximately 1 million MT, whereas the total estimated non-captive capacity available in the eastern market is only 5.28 lacs MT per annum. Procurement of LAM Coke by eastern consumers from manufacturers located in the southern, western, or northern regions of India is commercially unviable, since the inland transportation would increase the price by ₹ 4,000 to 5,000 per MT.

J.2. <u>Submissions by the domestic industry</u>

265. The following submissions have been made by the domestic industry post issuance of the disclosure statement.

i. The disclosure incorrectly notes that the domestic industry has not supplied Met coke with size 20-40 mm. Evidence of sales of various sizes has been provided on record to show that domestic industry has supplied the like article and exclusion of such products is not warranted.

ii. Any exclusion, if granted for Met Coke with size 20-40 mm (with a mean size of approximately 30 mm ± 2 mm) for use in blast furnace up to 130 m^3 for pig iron, must be clearly carved out allow imports for consumption only by eligible users and prevent potential misuse by traders based on frivolous declarations by users.

iii. Steel producers have started to exploit the provisional duties imposed on LAM coke, by importing the excluded ULP Met coke rendering the duties in force, futile. In view of this, it is requested that exclusion provided to ULP metallurgical coke for use in ferroalloy manufacturing, must be made contingent on imports for consumption by eligible users, based on legally enforceable undertakings before any Customs authorities and certifications showing products produced by users.

iv. The normal value must be considered based on weighted average cost of production of the domestic industry. Consideration of the lowest cost of production for construction of normal value understates the actual extent of dumping and rewards non-cooperating exporter/producers.

v. Weighted average cost of production must be considered instead of costs of Aqua Terra Coke & Energy Limited as costs of Aqua Terra is not representative and lower than that of other sampled domestic producers and import price in India. The purchase price of coal differs based on ash content and different sources, leading to variation in purchase prices of different producers. Further prices of coal have fluctuated during the period of investigation and purchase of coal by Aqua Terra is concentrated in the period with low prices. Further, Aqua Terra has purchased coal from Russia which are at extremely low prices due to Russian coal.

vi. The Authority may consider the imports prices into India or weighted average cost of production for construction of normal value.

vii. The domestic industry has submitted that the anti-dumping duty proposed in the disclosure statement requires upward revision to account for inflation, currency depreciation and increased input costs, particularly in respect of imports from Indonesia.

viii. The domestic industry has further submitted that the scope of exclusion relating to ultra-low phosphorous metallurgical coke is too broad and may lead to misuse. It has been requested that the phosphorous content be restricted to significantly lower levels (around 0.006%–0.0075%) and that appropriate end-use restrictions be imposed.

J.3. Examination by the Authority

266. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with sufficient evidence and considered relevant by the Authority are examined below.

267. With regard to the submission that coke breeze is a by-product and cannot be considered as part of the product under consideration, the Authority notes that there is no legal provision which provides that a by-product may not be considered as a part of the product under consideration. In the present investigation, since coke breeze has been produced and sold by the domestic industry as well as imported from the subject countries, the same has been considered a part of the product under consideration. The submission that there is no evidence to demonstrate production and sale of coke breeze on record is incorrect. The PCN wise information submitted by the sampled domestic producers shows that coke breeze has been manufactured and sold by the domestic industry in the merchant market.

268. The Authority further notes that there is no legal provision which governs the manner in which the product scope may be determined. The scope of product under consideration is determined having regard to the product that is being dumped in India, and the imports of which are causing injury to the domestic industry. It has not been disputed that coke breeze has been sold at dumped prices. Rather, the foreign producers contend that they are sold at lower prices, since they are a by-product. Further, coke breeze has been imported into India at prices, which are below the selling price of the domestic industry. Therefore, contrary to the submissions of the interested parties, the imports thereof are injuriously affecting the domestic industry.

269. The other interested parties have submitted that they have provided invoices for supply of high CSR product to India and the same should be excluded as the domestic industry

has not produced the same. The Authority notes that the domestic industry has provided test reports to show that it has produced high CSR product. However, it has been submitted that there is no commercial demand of the said product. The Authority further notes that the exporter has provided only 2 transactions showing exports of such product to India. This does not demonstrate existence of a commercial demand for the said product in India. In any case, since the domestic industry has produced the product, the same cannot be excluded from the scope of the product under consideration.

270. With regard to the submissions that it must be examined whether the domestic industry has supplied blast furnace grade with CSR in 64-65 band, the Authority notes that the domestic industry has regularly supplied the product under consideration for blast furnace application. Since the like article has been supplied by the domestic industry which is commercially and technically interchangeable with the imported product, there is no need to examine whether article identical in all aspects has been produced and sold.

271. The other interested parties have submitted that ULP cannot be excluded based on end use only. The Authority notes that the end use restriction is important in the present investigation as the said product is being imported only for the purpose of manufacturing of ferroalloys. Further, the domestic industry has the capacity to produce the said product, however, has opted not to produce it due to commercial consideration. In case of blast furnace operators, the domestic industry has produced and supplied the subject goods to said manufacturers during the period of investigation. Thus, the domestic industry produces and supplies like article to the product being imported by blast furnace operators and hence, the need for exclusion of the product under consideration arises only for ferroalloy manufacturing and not for blast furnace operators.

272. The Authority notes that it is well settled that the coverage of the product for levy of duty should be such that the purpose and intent of the levy is achieved. Anti-dumping duty is levied to safeguard the domestic producers from ill effects of dumping. In the present case, if ULP coke is excluded for all users, the purpose of duty itself would be defeated, as blast furnace operators would be able to shift to ULP grade, and use the same instead of the blast furnace coke.

273. As regard the submissions that the Authority has not examined the peer review provided by AMNS showing the need for lower phosphorous levels, the Authority notes that detailed examination regarding existence of like article in India has been made in the relevant part of the present final findings. Further, while AMNS has submitted that lower phosphorous contents are required for certain applications and such product has not been produced by the domestic industry, the other interested party has not provided any evidence with regard to the fact that such products have been produced by it during the period of investigation or low ash metallurgical coke with ash content upto 0.025% has even been imported into India.

274. With regard to the submissions that the request for exclusion of met coke with ash content 12% and below has not been examined, the Authority notes that the same has already been examined in the relevant part of the final findings. The domestic industry has already provided invoices showing sales of metallurgical coke with ash content below 12%. Since the domestic industry has manufactured and sold identical product in the domestic market, there is no justification to exclude the same from the scope of the product under consideration.

275. The domestic industry has been defined as per the provisions of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers.*
>
> *Provided that in exceptional circumstances referred to in sub-rule (3) of Rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each of such market a separate industry, if -*
> *(i) the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market: and*
> *(ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory."*

276. The Authority has considered existence of two competitive markets for the product under consideration in India, that is captive producers and merchant producers including those involved majorly in merchant production, with part captive production. Since two separate markets have been considered, the Authority has determined standing based on the total production of the merchant producers as well part merchant and part captive producers. There is no legal requirement for the Authority to determine total production of the captive producers which form a separate market in the present investigation. Further, the same is consistent with the practice of the Authority as well as past anti-dumping investigations.

277. As regard the submissions that the Authority in the previous investigation noted that Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) had sold the subject goods in the merchant market in the previous investigation, the Authority notes that the argument has been

raised at the very fag end of the investigation, despite multiple opportunities have been provided to the interested parties during the course of the investigation. The Authority notes that even at this stage, no evidence has been provided by the interested parties to demonstrate that NINL is a merchant domestic producer of the subject goods. Further, public information reveals that the participating user, Tata Steel, is the ultimate holding company of NINL. However, it has also not placed any information on record, claiming that NINL is a merchant domestic producer, which has not been considered for the purpose of determining scope of domestic industry.

278. With regard to consideration of Jindal Coke Limited as part of the domestic industry, the Authority notes that detailed examination has been made in the relevant part of this final findings. The other interested parties have not identified out how such examination of the Authority is erroneous or requires reconsideration.

279. As regard analysis of the captive consumption of Bengal Energy Limited, the same has been examined in detail in the relevant parts of this final findings. Further, it has also been noted that even when only merchant production of Bengal Energy Limited is considered, it is one of the largest producers of the subject goods in India and thus, exclusion of the same will materially distort the injury analysis in the present investigation.

280. It has been argued that since Bengal Energy itself comprises of 10-20% of the total domestic production, the case is not fit for consideration as fragmented industry. At the outset, it is noted that such a contention has been raised extremely belatedly. The interested parties were aware from the very beginning of the initiation that the present case has been considered as relating to fragmented industry. The interested parties were provided an opportunity to furnish submissions in response to the notice of initiation, post the preliminary findings and pursuant to the oral hearing. However, the interested parties have opted not to raise this argument till the very fag end of the initiation. The Authority notes that whether the industry is a fragmented one or not cannot be determined based on production of only individual producers. The industry in the present case comprises of more than 30 producers, and thus, the same has been considered as comprising of a fragmented industry. The contention that less producers could have been considered as comprising of domestic industry runs counter to the intention of the anti-dumping law, which provides for inclusion of as high a number of producers within the scope of domestic industry as practicable. That being the case, the Authority does not find merit in the fact that it should have considered the case to be non-fragmented, and allowed an application by only 3-4 producers; when participation of a higher number of domestic producers was possible.

281. The other interested parties have sought disclosure of landed price for calculation of injury margin. The Authority notes that country-wise landed price was already disclosed as part of price undercutting in the disclosure statement. Further, the Authority has now

disclosed country-wise landed price even for calculation of injury margin in the present final findings.

282. The Authority notes that the non-injurious price, normal value, and export price adopted for the determination of margins is consistently treated as confidential, as per practice. The same approach has been adopted in the present case.

283. With regard to non-disclosure of methodology for determination of import volume and price, the Authority notes that the same has been determined as per the practice of the Authority based on transaction wise DG Systems data. The summary of import volume and price has been provided by all interested parties including the domestic industry. None of the interested parties have submitted that the volumes and prices determined are incorrect. Thus, there is no need for providing a separate opportunity to comment on the same.

284. With regard to the submissions that different figures for demand have been mentioned at different places, the same has been consistently mentioned in the present final findings.

285. Certain interested parties have argued that the correction of freight does not remedy the defect at the stage of initiation. However, the Authority finds that, at the stage of initiation, the domestic industry is required to demonstrate the existence of dumping, injury and causal link. The Authority initiated the present investigation after prima facie satisfaction of the existence of dumping, injury and causal link. While undoubtedly, the quantum of dumping has undergone a change subsequent to initiation, the fact of dumping remains unchanged. It is well settled that the quality and quantity of evidence improves as the investigation proceeds. If the argument of the interested parties were to be accepted, and the Authority must necessarily conclude similar margins or similar facts as were determined at the time of initiation of investigation, it would defeat the very purpose of seeking responses and information from various interested parties, and allowing interested parties to file submissions during the course of the investigation. The same is naturally not the intent of the law. In fact, even in case where the dumping margin is found to be negative for certain subject countries amongst multiple countries, while the investigation is terminated for those countries, post such determination; the initiation of investigation itself does not become bad.

286. Therefore, the Authority does not find that the subsequent consideration of evidences placed on record by interested parties, in any manner, implies that the initiation itself was defective.

287. With regard to the submissions that the Authority has not considered the ocean freight provided by AMNS and applied facts available, the Authority notes that the said submissions are factually incorrect. The Authority has considered ocean freight as per the most accurate evidence provided by the interested parties. The Authority has

considered the ocean freight provided by AMNS to determine net export price from Australia, Indonesia, Japan and Russia. Further, the information provided by other importers such as Rashmi Metaliks has been considered to determine ocean freight from China and Columbia. Therefore, the Authority has considered the best information placed on record by various interested parties.

288. With regard to the submissions that the injury margin should be re-determined based on the ocean freight evidences submitted, the Authority notes that it has already re-determined dumping margin based on the ocean freight evidence provided. Since injury margin is not impacted by ocean freight, having been determined based on CIF price reported in DG Systems data, there is no need for re-determination of the same.

289. With regard to the submissions that the response filed by Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsubishi Rtm Japan Ltd, PT Kinrui, PT Detian and Risun Group should not be rejected, the Authority notes that detailed examination in this regard has already been made in the relevant section of the present final findings. There are no new facts available for the Authority to re-consider the examination made above.

290. Mitsubishi Chemical Corporation and Mitsubishi Japan have argued that the import price of Japan should be compared with the non-injurious price for the same high-grade low-ash product. The producers claim that where a particular PCN/grade is not produced by the domestic industry in commercial quantities, the non-injurious price must be based on the closest corresponding product with applicable adjustments. The Authority notes that the injury margin has been determined by comparing the non-injurious price for LAOT with the import price. The Japanese producers have acknowledged that the product exported to India is low-ash product (LAOT). Further, the import data also shows that no fines have been imported from Japan. In view of the same, the comparison made is found appropriate.

291. As regard the submissions that even after acceptance of submissions on ocean freight post issuance of preliminary findings, the injury analysis has remained unchanged, the Authority notes that even after re-determination of margins based on ocean freight evidence provided by the other interested parties, the dumping margin has remained positive and significant. Such dumping has caused material injury to the domestic industry. Further, since the injury analysis was based on the landed price of imports, having been calculated based on CIF price reported in DG Systems data, no change was warranted to such data due to change in ocean freight.

292. The other interested parties have submitted that the ongoing safeguard measures should be considered at the time of determination of injury to the domestic industry. The Authority notes that the safeguard measures were imposed post the period of investigation and does not impact the performance of the domestic industry in the period of investigation. In any case, even at the time of issuance of the present final findings, the safeguard measures are not in force. Thus, there is no need to examine the

performance of the domestic industry during the period in which safeguard measures were imposed.

293. The Authority notes that as examined in the relevant part of the Final Findings, the prices of imports from Poland are much more than the landed price of imports from Japan. Further, prices from Poland are above the cost of sales and selling price of the domestic industry. Therefore, the situation itself calls for separate treatment of imports from Japan and Poland in the present investigation. Further, it is clarified that the imports from Poland have been excluded based on the higher prices of such imports and not due to the fact that they may or may not be under contract.

294. With regard to the submissions that the Japanese imports are not merchant-market driven, competitive, or price responsive exports to India and thus, cannot be cumulated with imports from other subject countries, the Authority notes that the factors pointed out by the other interested parties are not relevant for determining whether cumulative assessment is appropriate in the present investigation. The Authority has already noted in the relevant part of the present final findings that imports from all subject countries are cumulatively being assessed as the conditions of cumulation have been fulfilled in the present investigation.

295. The Authority notes that the existence of injury to the domestic industry has been concluded based on performance in the injury period including the period of investigation and not based on performance of the domestic industry post period of investigation. the Authority has referred to post-POI data only in the context of need for provisional measures, which is not precluded in any manner. The Authority notes that the WTO provisions governing imposition of provisional measures provide that provisional duty may be imposed where such duty is necessary to prevent injury being caused during the investigation. Having regard to such provision, the Authority is not prevented from referring to the conditions existing during the course of investigation, in examining the need for duty.

296. Further, the other interested parties have submitted that ongoing tension leading to disruption in vessel traffic in Strait of Hormuz must be considered for injury analysis. The Authority notes that such development is a development post period of investigation and thus, does not impact injury to the domestic industry in the period of investigation.

297. As regard the submissions that the selling price of the domestic industry is higher than the non-injurious price, the Authority notes that the same is incorrect.

298. The other interested parties have submitted that the increase in imports cannot be attributed to Australia or Japan as the share of imports from these countries is much lower than the share of imports from other subject countries. The Authority, in the present investigation, has already noted that the conditions of cumulation have been met

in the present investigation and has therefore, undertaken cumulative assessment of imports from the subject countries. Thus, there is no requirement to assess the volume of imports from each subject country individually.

299. As regard the submissions that the domestic industry has been able to price its product according to change in its costs and there is no correlation between the import volumes and selling price of the domestic industry, the Authority notes that the said submission is factually incorrect. As noted in the relevant section, the domestic industry has not been able to increase its prices in accordance with increase in its cost of sales over the injury period. Further, the selling price of the domestic industry has remained below the cost of sales of the domestic industry for major part of the injury period. Such selling price cannot be considered to be in line with the cost of sales of the domestic industry.

300. With regard to the submissions that price undercutting has not been disclosed for the past periods in the injury period, the Authority notes that the price undercutting is determined for the period of investigation only. The price undercutting based on weighted average landed price and selling price has already been disclosed in the relevant part. The price undercutting disclosed shows that the imports are undercutting the prices of the domestic industry.

301. As regard the submissions that the landed price in India is as per international benchmark and has moved in line with the cost of coking coal and cost of sales of the domestic industry, the Authority has already noted in the relevant part of this final findings that the landed price of the subject imports is below the cost of sales as well as cost of coking coal for the domestic industry. Thus, such prices cannot be considered to be in line with the price of raw material or cost of domestic industry.

302. The other interested parties have submitted that the import price cannot always move in tandem with raw material price fluctuations and is impacted by demand-supply gap, contractual terms and competitive pressure. The Authority notes that the demand-supply gap and competitive pressure remains the same for the domestic industry as well as producers in the foreign countries and hence, should impact the price of the product under consideration for both domestic industry and imports into India. However, the subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry. Further, in normal business scenario, the price of the subject goods move in tandem with prices of the raw material especially in the present case wherein raw material accounts for more than 90% of the cost of production. Further, the submission that the product under consideration is being dumped in India due to contractual terms cannot be accepted.

303. The Authority notes that low ash coking coal is not adequately available in India and the domestic producers are importing the raw material from the same sources as producers in the subject countries. Thus, sourcing and global cost advantages cannot be considered as a factor leading to injury to the domestic industry.

304. With regard to the submissions that the domestic industry was in overproduction and hence, the production has declined, the Authority notes that the highest capacity utilization of the domestic industry during has been only 51% and hence, it cannot be said that the domestic industry has over produced the subject goods in India. This is especially the case where the demand for the product under consideration is much higher than the total production of the Indian industry. Further, the fact that the domestic industry is not able to sell off its product and is facing accumulation of inventories, despite existence of demand, does not indicate overproduction. Rather, such accumulation of inventories is indicative of injurious effects of dumping.

305. The other interested parties have submitted that the profits and loss of the domestic industry should be examined in light of investment and capital structure of the domestic industry. The Authority notes that the injury to the domestic industry is not due to investments undertaken by the domestic industry which is evident from the fact that the EBIDTA of the domestic industry which does not include interest and depreciation has also declined and turned negative in the period of investigation. Further, with regard to the capital structure of the domestic industry, the Authority notes that the injury to the domestic industry has to be seen for the domestic industry as it is. There is no evidence of change in capital structure of the domestic industry over the injury period which would have caused injury to the domestic industry.

306. With regard to the arguments that certain domestic producers, such as Jindal Coke, are in profits, the Authority notes that the injury analysis is conducted for domestic industry as a whole, and not for individual domestic producers constituting the domestic industry. The interested parties have shown no reason for deviation from the settled legal practice. However, even if the Authority looked at a more granular level into performance of individual domestic producers, it is noted that while Jindal Coke has earned profits, its profitability has declined steeply. In fact, of the 9 domestic producers constituting the domestic industry, 6 domestic producers have suffered losses, while the remaining domestic producers have witnessed a decline in profits. Therefore, even if the injury examination is conducted on an individual producer-wise basis, notwithstanding the legal requirements, the profitability of each producer has suffered. In this regard, it is noted that the provisions of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules do not require losses to be faced by the domestic industry for existence of injury to be concluded. The Rules require the Authority to examine decline in profitability, which is noted in the present case.

307. The Authority notes that the other interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to high moisture variations from seasonal and environmental influences. However, the other interested parties have not provided any information or evidence on how such factors have influenced only the domestic product and not the imported product. Further, the landed price of the subject imports is below the selling price of the domestic industry. In case, such factors had influenced domestic prices,

there was no reason for the subject imports to be priced below the selling price of the domestic industry. The Authority also notes that there is no evidence that there have been any changes in the seasonal and environmental influence on the product over the injury period. Since the domestic industry was profitable in the base year, the said reasons cannot be considered to be factors causing injury to the domestic industry.

308. It has also been contended that the higher duty quantum is not appropriate, considering the low-price difference between Polish imports and imports from subject countries. The Authority notes that there is a difference between imports causing injury and imports being priced below non-injurious price. Whether imports are below non-injurious price has no relevance in determining whether the imports are causing injury. The non-injurious price shall only be referenced in order to determine the quantum of duty, once the imports from a source are found to be injurious. In a situation where the domestic industry has sold at losses to compete with subject imports, it is counter-intuitive to consider that imports priced above the cost of sales of the domestic industry would have led to such losses. Once it is concluded that the Polish imports did not exert pressure on the prices of the domestic industry during the period of investigation; it implies that they did not cause injury to the domestic industry. In the same vein, once it is concluded that imports from subject countries are causing injury, the duty quantum shall be determined having regard to the dumping margin. However, since India follows lesser duty rule, a lower quantum may be applied, should the injury margin be lower. However, a comparison with the price of a different country has no relevance in this regard.

309. The other interested parties have submitted that inability of the domestic industry to utilize even half of its capacities despite increased demand shows internal inefficiency. The Authority notes that the domestic industry was operating at higher capacity utilization in the base year and in the period where the landed price of the subject imports was above the cost of sales and selling price of the domestic industry. However, with decline in landed price, the capacity utilization of the domestic industry has declined. Thus, the domestic industry is unable to utilise its capacities due to dumping in India.

310. As regard the submissions that the domestic product is supplied by truck while the imported product is supplied by sea shipments due to which the logistic cost for the domestic industry is higher, the Authority notes that the in order to export the product to another country, a producer uses rail and road transportation to get the product under consideration to the port and thereafter the cargo shipment takes place. Further, even at the Indian port, the subject goods are unloaded and carried by road / railways to the premises of the users. Thus, the logistical cost for the exporters are usually higher than the domestic producers. In any case, while freight has not been considered for determination of non-injurious price of the domestic industry, the same has been considered to determine the landed price in India. Therefore, any cost disadvantage faced by the domestic industry in transportation of the product has been excluded in the

determination of injury margin, while the alleged sea freight advantage available to the foreign producers has been considered.

311. Further, as noted in the relevant section of the present final findings, the Authority has considered only domestic operations of the domestic industry in order to determine injury to the domestic industry, including with respect to profitability and sales.

312. With regard to the submissions that the Authority has failed to consider the impact of Russia-Ukraine conflict which increased logistical costs for importers of coking coal in India, the Authority notes that such increase in cost is applicable to importers of coking coal as well as importers of low ash metallurgical coke in India. Since the domestic producers are mostly importing the raw material from the same sources as the final product is being imported from, the impact of increase in logistics cost is likely to be similar on producers of met coke as well as those importing met coke.

313. The other interested parties have submitted that the injury in terms of losses, cash losses and negative return on investment is due to self-inflicted factors, the Authority notes that the other interested parties have not pointed out such factors. Further, detailed examination has been made with regard to injury to the domestic industry due to dumping of subject imports in India.

314. As regard the submission that the Ministry of Steel Statistics contain prices of both hot-rolled steel coils and mill plates and thus, such prices should not be considered for determination of impact, the Authority notes that the subject goods are used in manufacturing of both the said products. Hence, there is no inconsistency in using the prices published by the Ministry of Steel.

315. With regard to the submission that AMNS is likely to incur an additional cost due to imposition of anti-dumping duty, the Authority has already noted that imposition of anti-dumping duty may increase the prices in India, however, such prices would be competitive and fair. The consumers of the product cannot demand access to the product at dumped prices at the expense of the Indian industry engaged in manufacturing of the subject goods.

316. The other interested parties have submitted that the Authority has calculated demand-supply gap by taking into account total capacities and not those meant for merchant market. The Authority notes that such submissions are incorrect as only merchant capacities and merchant demand has been considered in order to determine the demand supply gap in India.

317. As regard the submissions that mere sales by the domestic industry does not address the quality concerns, the Authority notes that none of the users have provided any communication with the domestic industry showing quality concerns in the product. Mere submissions, without any evidence of quality, also do not demonstrate quality

concerns. Actual sales by the domestic industry itself show that the users are buying the product from the domestic industry and the imports are necessitated only due to low prices being offered by foreign producers.

318. With regard to increase in cost of steel producers, the Authority notes that the consumers of the product under consideration cannot demand access to the product at dumped prices at the expense of domestic production of key raw materials. Further, the prices of the product under consideration were higher in the past and there is no evidence of any adverse impact on the downstream users of such prices.

319. As regard the fact that the margins are higher than the impact quantified on the downstream industry, the Authority notes that the highest margins cannot be considered for determination of impact. In the present case, the impact has been calculated based on non-injurious price. Since the maximum quantum of duty that may be imposed duty is such that would remedy the injury suffered, it is appropriate to determine the impact considering that the domestic industry shall increase its price to reach the non-injurious price post imposition of duty.

320. The other interested parties have submitted that depreciation of rupee should be considered due to which the import price has increased and thus, there is no need for recommendation of anti-dumping duty. The Authority notes that even though the value of Indian currency has depreciated there is no evidence on record to show that dumping has ceased in the Indian market. Merely because the Indian currency has depreciated post the period of investigation, the examination of the Authority regarding dumping, injury and causal link in the period of investigation does not stand vitiated.

321. As regard the submissions that the disclosure statement does not consider the submissions with regard to Japanese investments and the public interest lies towards non-imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that dumping is an unfair trade practice which will harm not only the Indian industry but also foreign investments in India. The Japanese investments cannot be planned in light of dumping in India but in view of fair market conditions maintained by the Government of India in the Indian market. In such a case, there is a need for imposition of anti-dumping duty and maintain fair market for current as well as future investments in the market.

322. As regards the argument of the interested parties that coke ovens take longer period for being operationalized than blast furnaces, leading to dependence on external sources, the Authority notes that no evidence has been given in support of such argument. In any case, it is noted that the steel producers may procure the goods domestically or through imports during this period. The imposition of anti-dumping duty does not act as a ban on imports, and only re-establishes fair selling price. The steel producers are, therefore, free to source the product at fair prices.

323. The Authority also notes that the interested parties have conceded that they prefer to import due to lower import price. However, presently, such lower prices are on account of dumping of the product. The preference for imported product, therefore, is attributable to dumping of the product.

324. As regards calculations of impact of duty, the Authority has examined the information placed on record by various interested parties. However, where the impact quantified is not supported by cogent calculations, the Authority does not find it appropriate to consider the same. Regarding the claim that the impact of duty has increased due to change in exchange rate, the Authority notes that the raw material cost of the domestic industry has also increased as a result of depreciation of rupee. Further, as noted in the relevant portion of these findings, the impact of imposition of anti-dumping duty has to be quantified for the country as a whole and not just with regard to a single producer or consumer.

325. The interested parties have also quantified the demand in Eastern India at 97.26 lakh MT, whereas supply is allegedly at a mere 5.28 lakh MT. While the Authority does not consider that the existence of demand-supply gap precludes the imposition of duty; in any case, the Authority has already examined that the capacity available in Eastern region is 19.69 lakh MT. Further, in the demand, the interested parties have considered the total demand, including captive. The steel producers included within the demand include JSPL, RINL and Tata Steel, which have their own captive ovens. However, the capacity of these coke ovens has not been considered. Further, the above figure also includes demand of Narsingh Ispat / Balmukund / Purulia Steel. However, the product being imported by them has been excluded from the product scope subject to conditions. Therefore, it is not appropriate to compare 97.26 lakh MT against the available supply. Moreover, the domestic industry has furnished information that the subject goods are being transported to various regions via road transportation, railways and sea routes.

326. Further, the domestic industry has submitted that the downstream industry is importing ULP Coke without payment of anti-dumping duty and misusing the exclusion granted. In this regard, the Authority notes that the exclusion has been granted based on actual user condition and ULP has been excluded only for manufacturing of ferroalloys. The same is being expressly clarified that imports of ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing are excluded from product scope, under actual user condition, subject to furnishing of an appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use.

327. As regard the submissions by the domestic industry regarding exclusion of product with size 20-40 mm, the same has been examined in detail in the relevant part of the present final findings. The domestic industry has also requested that the imports of such should be allowed only to eligible users, and not traders of the product. In this regard, it is

noted that since the imports of the product are excluded only subject to actual user condition, such imports shall be made without payment of proposed anti-dumping duty, only if imported by the actual user.

328. With regard to the submissions of the domestic industry regarding consideration of weighted average constructed normal value, the Authority notes that the constructed normal value (CNV) is determined based on the cost of the most efficient domestic producer, which is consistent with the past practice followed by DGTR.

329. The Authority notes that the determination of anti-dumping duty is governed by the dumping margin and injury margin established during the period of investigation. Adjustments on account of post-POI factors such as inflation or currency fluctuations cannot be considered for modification of duty.

330. The Authority notes that the scope of the product under consideration, including exclusions, has been examined in detail in the relevant part of this final findings. As already recorded in these findings above, the scope cannot be broadened at the stage of final findings based on subsequent submissions. Accordingly, the request for modification of phosphorous limits is not found acceptable.

K. CONCLUSIONS

331. Having examined the submissions made by all interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes the following:

a. The application for initiation of anti-dumping investigation against imports of Low Ash Metallurgical Coke originating or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia was filed by the Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association on behalf of the domestic industry. Nine members of the applicant association have filed data for the purpose of the present investigation.

b. The product under consideration for the purpose of investigation was defined as Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing.

c. It is clarified that semi-coke does not form part of the scope of product under consideration.

d. Having regard to the facts and evidence of the case, LAM Coke of size 20–40 mm (with a mean size of approximately 30 mm ± 2 mm) for use in blast furnaces up to 130 m^3 for pig iron manufacturing under actual user conditions is excluded from the scope of the PUC. Such imports shall be permitted only for own

consumption by eligible users, and furnishing of appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use along with a valid certificate issued by the concerned State Pollution Control Board or Central pollution control Board, as applicable certifying the capacity of the blast furnace of the user. It is clarified that this dispensation is limited to the specified size and application and shall not be applicable for any other use or any other furnace size.

e. The other request for product exclusions have been examined and it has been noted that the domestic industry has produced like article to the imported product under consideration. Therefore, the requests for exclusion, barring the above, have not been accepted.

f. The domestic industry has produced like article to the imported product under consideration.

g. The Authority adopted a PCN methodology having regard to ash content and size for the purpose of fair comparison.

h. Nine domestic producers, Aqua Terra Coke & Energy Limited, Bengal Energy Limited, BLA Coke Private Limited, Jindal Coke Limited, Pawanputra Ecoke Private Limited, Saurashtra Fuels Private Limited, Su Mangala Coke Private Limited, United Coke Private Limited and Vedanta Malco Energy Limited, have provided data for the purpose of the present investigation account for major proportion of Indian production.

i. None of the producers barring Bengal Energy Limited have imported the product under consideration into India during the period of investigation. The imports of Bengal Energy Limited are not significant as compared to the production, demand and imports into India.

j. The captive consumption by Bengal Energy Limited is not significant, and it has been considered as a merchant producer of the product. Further, having regard to the significant share of Bengal Energy Limited in merchant sale in India, it would not be appropriate to exclude such producer.

k. It has been examined and found that Jindal Coke Limited has not imported the product under consideration in India from the subject countries. Further, Jindal Coke Limited has not been considered related to Jindal Stainless Steel under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. Accordingly, it has been considered a part of the domestic industry.

l. None of the aforesaid domestic producers are related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importers in India. Accordingly, the aforesaid domestic producers have been found to constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

m. The Authority has relied upon the DG Systems data for the purpose of the present investigation.

n. The foreign producers and exporters were provided due opportunity to provide a complete and accurate response in the present investigation. However, the producers and exporters have filed an incomplete response and have even attempted to mislead the Authority.

o. In a situation where full information with regard to exports to India is not on record and when the exporter concerned has not filed questionnaire response, the Authority is not in a position to precisely determine export price and landed price for the producer concerned.

p. The interested parties were provided multiple opportunity to make submissions and bring complete facts on record, including through additional queries, oral hearing, written submissions, and issuance of disclosure statement. Therefore, sufficient opportunity was provided to all interested parties to defend their interests, in compliance with the principles of natural justice.

q. Considering the failure of foreign producers to bring accurate and adequate information on record, for the determination of dumping margin and injury margin, the normal value and export price have been quantified based on facts available.

r. Subsequent to the issuance of preliminary findings, the ocean freight considered for determination of net export price has been revised, based on information and evidence placed on record by various parties.

s. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is significant and above de minimis.

t. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate having regard to the conditions laid down under Para (iii) of Annexure II.

u. The imports from subject countries have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption over the injury period.

v. While the demand for the subject goods has increased over the injury period, such increase has been taken over by the subject imports.

w. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the imports have suppressed the prices of the domestic industry, and prevented price increases, which otherwise would have occurred.

x. The price of imports is not lower due to natural advantages accruing to the foreign producers, since the price of imports was higher than the cost of sales of the domestic industry in the earlier part of the injury period. Despite no change in the advantage available to the foreign producers vis-à-vis the domestic industry, the landed price has reduced, and become lower than the cost of sales.

y. The dumping of the product under consideration has adversely impacted the economic parameters of the domestic industry, as below.

   i. The capacity of the domestic industry has increased but the production has declined. The capacity utilization of the domestic industry has also declined.

   ii. The capacities of the domestic industry are significantly under-utilized, as it is operating at merely 40%.

   iii. The sales of the domestic industry have also declined during the period of investigation, despite an increase in demand. However, they have increased on an overall basis over the injury period.

iv. The market share of imports has increased, while that of the domestic industry and the Indian industry has declined.

v. The inventories of the domestic industry have increased despite the fact that the production of the domestic industry has reduced and it has been selling the subject goods at losses.

vi. The profitability of the domestic industry has deteriorated, and it has incurred increasing financial losses and cash losses.

vii. The return on investment of the domestic industry has become negative.

viii. Both the volume and profitability parameters of the domestic industry have shown negative growth during the period of investigation.

ix. As a result of the steep losses, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

x. The imports are priced below the cost of sales of the domestic industry, and have depressed the prices of the domestic industry. Thus, the imports are impacting the prices of the domestic industry.

z. Thus, the domestic industry has suffered material injury, due to dumping of the product under consideration from the subject countries.

aa. The domestic industry has not suffered injury due to any other factor.

bb. The injury margin for each of the subject countries is positive and significant.

cc. Imposition of anti-dumping duty are in the larger public interest as is seen from the following

i. The imposition of duty shall prevent accrual of unfair advantages through dumping practices, and would provide a level playing field to the domestic industry.

ii. The price of the product under consideration was higher in the past, which did not adversely affect the users.

iii. The impact of imposition of anti-dumping duty is not significant on the downstream industry. Even as per the calculations provided by users, the impact of imposition of anti-dumping duty is not significant.

iv. The major market segment is catered to by the captive consumers which are insulated by fluctuations in prices of the subject goods.

v. While the steel industry is expanding capacities, the steel industry is also expanding capacities for Met Coke.

vi. There is no demand-supply gap in India. The capacity of the Indian industry is enough to cater to the entirety of merchant demand in India.

vii. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed. In such a case, the market conditions are not conducive of further investments

viii. In case of export of downstream product, the consumers of the subject goods are free to import the product under advance authorisation without payment of any anti-dumping duty.

ix. A number of producers have faced shutdowns due to dumping of the product under consideration in India.

x. The Authority notes that even after considering the price increases by domestic industry in subsequent period as claimed by the interested parties, the domestic industry has continued to sell at losses.

xi. There is no regional imbalance between the demand and supply of the subject goods.

L. RECOMMENDATIONS

332. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

333. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years from the date of imposition of provisional duty, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 and 2704 0090	Low Ash Metallurgical Coke*	Australia	Any country including Australia	Any	71.16	MT	USD
2	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Australia	Any	71.16	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any	128.83	MT	USD
4	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China	China PR	Any	128.83	MT	USD

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
			PR, Indonesia, Japan and Russia					
5	-do-	-do-	Colombia	Any country including Colombia	Any	118.55	MT	USD
6	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Colombia	Any	118.55	MT	USD
7	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any	67.50	MT	USD
8	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Indonesia	Any	67.50	MT	USD
9	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any	42.95	MT	USD
10	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Japan	Any	42.95	MT	USD
11	-do-	-do-	Russia	Any country including Russia	Any	84.16	MT	USD
12	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Russia	Any	84.16	MT	USD

** Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding the following:*

a. Ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing subject to imports by the actual user and furnishing of an appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use.

b. semi-coke or soft coke,

c. LAM Coke of size 20–40 mm (with a mean size of approximately 30 mm ± 2 mm) for use in blast furnaces up to 130 m³ for pig iron manufacturing subject to imports by the

actual users and furnishing of an appropriate and legally enforceable undertaking before the Customs authorities regarding bona fide imports and end use along with a valid certificate issued by the concerned State Pollution Control Board or Central Pollution Control Board, as applicable, certifying the capacity of the blast furnace of the user.

334. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings issued vide Notification No. 6/03/2025-DGTR dated 14th November 2025.

M. FURTHER PROCEDURE

335. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Annexure – I

List of known importers/users of the product under consideration

1. Abhijeet Ferrotech Ltd.
2. Akash Coke Industries Pvt. Ltd.
3. Anjaney Ferro Alloys Ltd.
4. Anmol India Ltd,
5. Araas International Trading
6. Arcelormittal Nippon Steel India Ltd.
7. Arjas Steel Pvt. Ltd.
8. Arrk Ferro Alloys Llp.
9. Asansol Alloys Pvt. Ltd.
10. Assam Carbon Products Ltd.
11. Atibir Industries Company Ltd.
12. Avon Advanced Materials Company
13. Axis Business
14. Bagadiya Brothers Pvt. Ltd.
15. Balasore Alloys Ltd.
16. Berry Alloys Ltd.
17. Bhuteshwar Nirman Pvt. Ltd.
18. Bihar Foundry and Casting Ltd.
19. Carbon Resources Pvt. Ltd.
20. Chawla International
21. Chemtrade Global Impex LLP
22. City Link Logistics
23. Deccan Ferro Alloys Pvt. Ltd.
24. Digital Waves Computer Solutions Pvt. Ltd.
25. E Chemex Pvt. Ltd.
26. Emergent Industrial Solutions Ltd.
27. Essel Mines and Minerals
28. Exera Exports Pvt. Ltd.
29. Facor Alloys Ltd.
30. Flsmidth Pvt. Ltd.
31. Foundry Neers
32. GHCL Ltd.
33. Global Recycling
34. Global Trade Link

35. Goyal Dhatu Udyog Pvt. Ltd.
36. Hariaksh Industries Pvt. Ltd.
37. Hira Electro Smelters Ltd.
38. Hira Ferro Alloys Ltd.
39. Hira Power and Steels Ltd.
40. Hubb International
41. Impex Metal and Ferro Alloys Ltd.
42. India Coke and Power Pvt. Ltd.
43. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd.
44. Integrated AFR Pvt. Ltd.
45. J D B Coke
46. Jai Balaji Industries Ltd.
47. Jain Natural Resources
48. Jayaswal Neco Industries Ltd.
49. Jindal Steel and Power Ltd.
50. Jindal Stainless Ltd.
51. JSW Ispat Special Products Ltd.
52. JSW Steel Ltd.
53. K I C Metaliks Ltd.
54. Kalyani Steels Ltd.
55. Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
56. KMS Traders
57. LK Sri Enterprise LLP
58. Madras Coal and Coke Suppliers
59. Mahalaxmi Continental Ltd.
60. Mahalaxmi Ennore Coke and Power Pvt. Ltd.
61. Mahalaxmi Wellman Fuel Llp
62. Maithan Alloys Ltd.
63. MDA Mineral Dhatu (Ap) Pvt. Ltd.
64. Monnet Ispat and Energy Ltd.
65. Mor Alloys Pvt. Ltd.
66. Mpm-Durrans Refracoat Pvt. Ltd.
67. Mukund Ltd.
68. Naryani Resorources Pvt. Ltd.
69. Narsingh Ispat Ltd.
70. Neelachal Ispat Nigam Ltd.
71. Neo Metaliks Ltd.

72. Nirma Ltd.
73. Nova Carbons India Pvt. Ltd.
74. Orissa Metaliks Pvt. Ltd.
75. Oswal Minerals Ltd.
76. Oswal Smelters Pvt. Ltd.
77. Paragon Overseas Ltd.
78. Paragon Purva Ltd.
79. Pioneer Carbide Pvt. Ltd.
80. Polo Queen Industrial and Fintech Ltd.
81. Pooja Scrap Industries
82. Prakash Commercial
83. Prashanth Coal and Coke Sales
84. Pushpanjali Tradevin Pvt. Ltd.
85. Rashmi Cement Ltd.
86. Rashmi Metaliks Ltd.
87. Renewera LLP
88. Rhodium Ferro Alloys Pvt. Ltd.
89. Rockfit Corporation
90. Roxul Rockwool Insulation India Pvt. Ltd.
91. Royal Marketing
92. Rashtriya Ispat Nigam Ltd.
93. S V Ispat Pvt. Ltd.
94. Sampath Vinayak Steels Pvt. Ltd.
95. Sarda Energy and Minerals Ltd.
96. Sarda Metals and Alloys Ltd.
97. Savoy International Pvt. Ltd.
98. Seekeze Pvt. Ltd.
99. Sharp Ferro Alloys Ltd.
100. Shivan Iron and Steel Company Ltd.
101. Shivamani and Company Pvt. Ltd.
102. Shivkashi Trade Ventures
103. Shraddha Overseas Pvt. Ltd.
104. Shree Bholey Alloys Pvt. Ltd.
105. Shri Jai Baba Trading Company
106. Shrishyam Ingot and Castings (P) Ltd.
107. Shyam Ferro Alloys Ltd.
108. Shyam Sel and Power Ltd.

109. Sivam Alloys and Fuels Llp
110. SLR Metaliks Ltd.
111. Snam Alloys Pvt. Ltd.
112. Sreenathji Enterprises
113. Sri Raghvendra Ferro Alloys Pvt. Ltd.
114. Srikalahasthi Pipes Ltd.
115. Steel Authority of India Ltd.
116. Sundaram Alloys Ltd.
117. Sunflag Iron and Steel Company Ltd.
118. Suraj Products Ltd.
119. Surya Alloy Industries Ltd.
120. Swati Concast and Power Pvt. Ltd.
121. Tata Steel Long Products Ltd.
122. Tata Steel Ltd.
123. Tata Steel Mining Ltd.
124. Trafigura India Pvt. Ltd.
125. Tuf Metallurgical Pvt. Ltd.
126. Udaya Udyog
127. Vidhi Industries
128. Vimla Fuels Andamp Metals Pvt. Ltd.
129. Visa Minmetal Ltd.
130. Vishal Agencies
131. Vivan Overseas
132. Welspun Metallics Ltd.
133. Wisdom Inc.
134. Yug Alloys

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.05 19:32:10 +05'30'